हिन्दी पत्रकारिता के विविध संदर्भ

(Various Aspects of Hindi Journalism)

विनोद कर्ण

हिन्दी पत्रकारिता के विविध संदर्भ

हिन्दी पत्रकारिता के विविध संदर्भ

(Various Asspects of Hindi Journalism)

विनोद कर्ण

भाषा प्रकाशन
नई दिल्ली - 110002

© प्रकाशक

I.S.B.N. : 978-81-323-5578-6

प्रथम संस्करण : 2021

भाषा प्रकाशन

22, प्रकाशदीप बिल्डिंग, अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली - 110002

द्वारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित

प्रस्तावना

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किये और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किये, जिसमें अहम् हैं-साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई, 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदंत मार्तंड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है।

हिन्दी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिन्दी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत् दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित् इसलिए विदेशी सरकार की दमन-नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था, उसके नृशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी गद्य-निर्माण की चेष्टा और हिन्दी-प्रचार आन्दोलन अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था, इसका साक्ष्य 'भारतमित्र' (सन् 1878 ई, में) 'सार

सुधानिधि' (सन् 1879 ई.) और 'उचित वक्ता' (सन् 1880 ई.) के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है।

वर्तमान में हिन्दी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश-विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था, लेकिन आज हिन्दी भाषा का झण्डा चंहुदिश लहरा रहा है। 30 मई को 'हिन्दी पत्रकारिता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

पुस्तक लेखन में कई लिखित व अलिखित स्रोतों से मदद ली गई है; मैं उन सभी विज्ञ लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि पुस्तक पाठकों के लिए उपयोगी होगी।

–लेखक

अनुक्रम

	प्रस्तावना	*v*
1.	**पत्रकारिता**	**1**
	परिभाषा	1
	जर्नलिज्म में मोजो	2
	पत्रकारिता की परिभाषा	10
	विश्लेषणात्मक क्षमता	16
	पत्रकारिता का महत्त्व	18
	पत्रकारिता के प्रमुख रूप या प्रकार	33
	महिला पत्रकारिता	36
	वॉचडॉग पत्रकारिता	39
	सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रकारिता	45
	राजनैतिक पत्रकारिता	46
	पत्रकारिता के विविध आयाम	47
	सोशल मीडिया के प्रकार	52
	विज्ञापन का सबसे बड़ा माध्यम	53
	पत्रकारिता की अन्य प्रासंगिकताएँ	64
	कला, संस्कृति व फिल्म रिपोर्टिंग	72
	विकास पत्रकारिता की रिपोर्टिंग	77

2. भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का आरम्भ **79**
हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण 80
हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग–भारतेन्दु युग 81
आधुनिक युग 85
1990 के बाद 88
3. भारत में हिंदी पत्रकारिता **90**
हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन 91
आरंभिक युग 1826 से 1867 91
कलकत्ता का योगदान 93
गवर्नर जनरल वेलेजली 95
बीसवीं सदी की शुरुआत 96
4. पत्र-पत्रिकाओं का इतिवृत्त और विकास **98**
5. हिंदी पत्रकारिता के काल-विभाजन एवं नामकरण की समस्या **114**
6. हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग - भारतेन्दु युग **123**
7. प्रभाष जोशी की पत्रकारिता **139**
कृपाशंकर चौबे 139
8. हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के 150 वर्ष **149**
9. हिंदी पत्रकारिता को सींचने वाले बांग्लाभाषी मनीषी **168**
श्याम सुंदर सेन और 'समाचार सुधावर्षण' 170
अमृतलाल चक्रवर्ती की पत्रकारिता 173
शारदा चरण मित्र और 'देवनागर' 175
रामानंद चट्टोपाध्याय और 'विशाल भारत' 177
चिंतामणि घोष और सरस्वती 180
10. हिंदी पत्रकारिता की भाषा का क्रमिक विकास **185**

1

पत्रकारिता

आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुँचाना, सम्पादित करना और सम्यक् प्रस्तुतीकरण आदि सम्मिलित हैं। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गये हैं, जैसे - अखबार, पत्रिकायें, रेडियो, दूरदर्शन, वेब-पत्रकारिता आदि। बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर्संबंधों ने पत्रकारिता की विषय-वस्तु तथा प्रस्तुति शैली में व्यापक परिवर्तन किए।

परिभाषा

पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के 'जर्नलिज्म' (Journalism) का हिंदी रूपांतर है। शब्दार्थ की दृष्टि से 'जर्नलिज्म' शब्द 'जर्नल' से निर्मित है और इसका आशय है 'दैनिक'। अर्थात् जिसमें दैनिक कार्यों व सरकारी बैठकों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द 'मैगजीन' का द्योतक हो चला है। यानि, दैनिक, दैनिक समाचार-पत्र या दूसरे प्रकाशन, कोई सर्वाधिक प्रकाशन जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के समाचार हो। (डॉ. हरिमोहन एवं हरिशंकर जोशी- खोजी पत्रकारिता, तक्षशिला प्रकाशन)।

पत्रकारिता लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। प्रतिपल परिवर्तित होने वाले जीवन और जगत का दर्शन पत्रकारिता द्वारा ही संभंव है। परिस्थितियों के

अध्ययन, चिंतन-मनन और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति और दूसरों का कल्याण अर्थात् लोकमंगल की भावना ने ही पत्रकारिता को जन्म दिया।

जर्नलिज्म में मोजो

सुनील सिंह

ना 15-20 किलो का ट्राईपॉड, कैमरा और ना ही 3-जी मशीन या ओबी वैन ... बस एक मोबाइल और हल्का किलो भर का ट्राइपॉड ... जहां मन वहां ताना लाइव शुरू ... एक समय था जब टीवी पत्रकारिता मतलब बड़ा तामझाम था लेकिन अब तो एक ही शख्स मोबाइल कैमरे से शूट भी करता है रिपोर्टिंग भी और लाइव टेलीकॉस्ट भी वो भी मोबाइल फोन से ही। तकनीकी विकास ने टीवी पत्रकारिता का सिर्फ कायापलट नहीं किया है नाम भी बदल दिया है। इस नये युग की पत्रकारिता को अब मोजो के नाम से जाना जाता है। मोजो माने मोबाइल जर्नलिज्म। लागत भी टीवी किट के मुकाबले बेहद कम है। इसका सबसे बड़ा फायदा ब्रेकिंग न्यूज की परिस्थितियों में है। जहां पर सीधे प्रसारण के लिए कैमरे और ओबी वैन ले जाने में दिक्कत होती है वहां मोजो किट आसानी से सबसे पहली तस्वीरें दर्शकों के पास पहुंचा सकती हैं। 70 का दशक था जब टीवी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उस समय पत्रकार, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डर और सहायक मतलब चार लोगों की टीम हुआ करती थी।

यू - मैटिक कैमरा हुआ करता था बिना रिकॉर्डर के यानि रिकॉर्डर अलग से रहता था। टेप भी बड़ा एक किताब के आकार का हुआ करता था लेकिन उसमें रिकोर्डिंग 10 और 20 मिनट ही कर सकते थे। बाजार में तब सोनी कंपनी का बोलबाला था। सोनी कंपनी ने ही बाद में बीटा मैक्स फॉर्मेट लाया जो उस दौर में एडवांस माना जाता था। बीटा मैक्स टेप का आकार यू मैटिक से थोड़ा छोटा था जबकि रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा जगह थी। ये फॉर्मेट कई वर्षों तक चला। लेकिन बीटा कैमकॉर्डर ने आते ही बीटा मैक्स की जगह ले ली क्योंकि इसमें रिकॉर्डर कैमेरे के साथ ही लगा हुआ था मतलब रिकॉर्डर अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं थी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आसान था। लेकिन इससे टीम में से एक आदमी की नौकरी पर बन आयी क्योंकि अब अलग से साउंड रिकॉर्डर की जरूरत नहीं थी। तकनीक के इस युग में समय के साथ तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जल्द ही डिजिटल कैमरा बाजार में आ गए। सोनी,

पैनासोनिक और जे वी सी कंपनियों में आगे बढ़ने की होड़ में बहुत ही छोटे कैमेरे बनने लगे मिनी डीवी के रूप में। इन छोटे कैमरों ने बाजार में हलचल मचा दी थी। आकार में छोटे, लेकिन शूटिंग समय और पिक्चर क्वालिटी में कहीं बेहतर साथ में रंगीन व्यू फाइंडर भी। 4 लोगों की टीम अब घटकर 2 की हो चुकी थी। लेकिन स्टोरी शूट कर टेप जल्द से जल्द अपने दफ्तर या फिर दिल्ली भेजना पड़ता था। इसके लिए राइडर रखे जाते थे वो मोटरसाइकिल पर शहर में घूम-घूम कर रिपोर्टरों से टेप लेते और दफ्तर लाकर देते ताकि स्टोरी एडिट हो सके। अपलिंकिंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से विमान से टेप दिल्ली भेजने पड़ते थे। लेकिन साल 2000 तक इस समस्या का भी समाधान निकल गया।

बड़े बड़े छातों वाली ओबी यानि कि ब्रॉडकास्टिंग वैन आ चुकी थी। जिसके जरिये सिर्फ शूट किया हुआ ही दफ्तर में या दिल्ली भेजना आसान नहीं हुआ था लाइव टेलीकास्ट भी सम्भव हो गया था। अभी तक दिन में तय समय पर ही दिखने वाले टीवी न्यूज अब 24 घंटा चलने लगे थे। टीवी खबरों की दुनिया में तहलका मच चुका था। दुनियां में कहीं भी कुछ हुआ तो उसकी तस्वीर तुरंत टीवी चैनलों पर देखने को मिल जाती थी। जापान में आयी सुनामी के बाद डिजिटल मीडिया में बड़ी क्रांति आई। मैग्नेटिक प्लास्टिक टेप की बजाय टेप लेस टेक्नोलॉजी यानि चिप का उदय हुआ। । कैमरा, एसेसरीज और टेप सब कुछ बदल गया। छोटे से मेमरी कार्ड में बड़ी दुनिया समाने लगी। वीडियो की क्वालिटी भी हाई डेफिनेशन में हो गई। कम आदमी और कम खर्चे में अच्छा परिणाम, टीवी न्यूज के लिए वरदान साबित होने लगा था। उसके बाद आई मोबाइल और इंटरनेट क्रांति ने तो दुनिया की तस्वीर ही बदलकर रख दी। जिस मोबाइल फोन का ईजाद दूर बैठे शख्स से संपर्क यानि बात करने के लिए हुआ था। वो ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस हो गया। पहले तस्वीर खींचने की सुविधा थी, फिर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होने लगी। इंटरनेट से वीडियो भेजना भी आसान हो गया। अब तो आलम ये है कि सोशल मीडिया पर अनेकों न्यूज वेबसाइट खुल गई हैं जिस पर मोबाइल से ही शूट किए वीडियो से खबरें बनकर अपलोड हो रही हैं। लेकिन न्यूज चैनलों में मोजो जर्नलिज्म का क्रेडिट एन.डी.टी.वी को जाता है। अब इसे गला काट प्रतियोगिता में सीमित साधनों के साथ टिके रहने की चुनौती कहें या नई तकनीकी के प्रयोग का साहस जो भी हो एन.डी.टी.वी ने मोबाइल जर्नलिज्म को

स्थापित कर दिया है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था। खबर सोचने से लेकर शूट करने और उसे अपलिंक करने तक सारी जिम्मेदारी एक अकेले रिपोर्टर पर आ गई यानि खबरनवीस कम टेक्निकल ज्यादा। कैमरामैन की नौकरी पर बन आयी लिहाजा नाराजगी स्वाभाविक थी। फील्ड में दूसरे चैनलों के कैमरामैनो की नजर में अभी अचानक से हम दुश्मन बन गए। लेकिन एन.डी. टी.वी अपने प्रयोग पर टिका रहा। शूट में गुणवत्ता के लिए सभी रिपोर्टरों को सैमसंग 8 प्लस के नए मोबाइल दिए गये। जो एच डी से भी सुपर क्वालिटी 4ा से लैस है। शुरू में चैनल ने एक मोजो बुलेटिन शुरू किया फिर धीरे – धीरे स्टुडिओ एंकरिंग से लेकर कई बुलेटिन मोजो से ही शूट होने लगे। अब तो मोबाइल से सीधा प्रसारण भी होना शुरू हो गया है। संवाददाता फील्ड से ही न सिर्फ तस्वीरें बल्कि अपनी स्टोरी एडिट कर न्यूजरूम भेज सकता है। न्यूजरूम भी अब बदल रहे हैं और अब पारंपरिक न्यूजरूम की जगह मल्टीमीडिया न्यूजरूम आ गए हैं।

जापान के एक न्यूज चैनल ने तो बाकायदा इस पर एक टीवी रिपोर्ट भी बनाया है, जो वायरल हुआ और लोगों ने पसंद भी किया। आज आलम ये है कि दूसरे चैनल भी अब मोजो जर्नलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी बात ये है कि शुरू में कुछ बड़े नेता, अभिनेता, अफसर और वकील मोबाइल पर शूट करते देख बिदक जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो कई नेता और अफसर अपनी बाइट यानि कि इंटरव्यू क्लिप खुद ही बनाकर टीवी पत्रकारों को भेजने लगे हैं। जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है। इंटरनेट और मोबाइल ने तो दुनिया को इस कदर नजदीक ला दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम कहीं की भी स्टोरी कर सकते हैं अन्याय और समस्याओं को उजागर कर न्याय भी दिला सकते हैं। भारत के 77 भारतीय मजदूर श्रीलंका में भुवलका स्टील में काम कर रहे थे। लेकिन प्रोडक्शन में कमी की वजह से उनका वेतन रुक गया था। हालत ये हो गई थी कि वो खाने के लिए मोहताज हो गए और भारत वापस आने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं थे। सोशल मीडिया के जरिये उनकी लाचारी की जानकारी मिलते ही मैंने उनसे मोबाइल से संपर्क किया और उन्हें अपना दर्द शूट कर व्हाट्सअप करने को कहा। उन्होंने वीडियो ओर बाइट बनाकर भेजा। सब कुछ जांच पड़ताल कर और कंपनी के मालिक की प्रतिक्रिया के साथ खबर बनाई। चैनल पर खबर चली और विदेश मंत्रालय ने तुरंत उसमें दखल दिया। नतीजा सभी 77 भारतीय अपने वतन वापस

आने में कामयाब रहे। लेकिन इसके फायदे हैं तो नुकसान भी। आज सभी के हाथ में मोबाइल है और उसमें इंटरनेट। जिसे जो मन में आता है उसे शूट कर या कुछ भी लिखकर पोस्ट कर देता है। जनता भी खुद को पत्रकार से कम नहीं समझती। जगह - जगह सिटीजन जर्नलिस्ट पैदा हो गए हैं। लेकिन, चूंकि इन्हें पत्रकारिता की नियमावली पता नहीं होती इसलिए वो बिना सोचे समझे पोस्ट कर कभी-कभी मुसीबत भी खड़ी कर देते हैं। फिर मोबाइल जर्नलिज्म की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। जिन इलाकों में इंटरनेट स्पीड धीमी है वहां से खबरें भेजने में परेशानी आ सकती है। इसके अपने नैतिक तथा कानूनी पक्ष भी हैं। खबरें करते वक्त दूसरों की निजता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। बिना किसी को जानकारी दिए बातचीत रिकॉर्ड करना नैतिकता के दायरे में नहीं आता। इसी तरह जहां टीवी कैमरों को जाने की इजाजत नहीं है, वहां स्मार्ट फोन से शूट करना पत्रकारिता की मर्यादा से बाहर है। फिर जगह-जगह सोशल मीडिया से आए वीडियो क्लिप की पुष्टि करना भी आसान नहीं ...

सी. जी. मूलर ने बिल्कुल सही कहा है कि-

सामायिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति उनका मूल्यांकन एवं ठीक-ठाक प्रस्तुतीकरण होता है।

(Journilism is business of timely knowledge the business of obtaining the necessary facts, of evaluating them carefully and of presenting them fully and of acting on them wisely)

डॉ. अर्जुन तिवारी के कथानानुसार-

ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्त्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है।

डॉ. बद्रीनाथ कपूर के अनुसार - पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है।

हिंदी शब्द सागर के अनुसार- पत्रकार का काम या व्यवसाय पत्रकारिता है।

श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी के अनुसार- पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का, परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है।

टाइम्स पत्रिका के अनुसार- पत्रकारिता इधर-उधर उधर से एकत्रित,

सूचनाओं का केंद्र, जो सही दृष्टि से संदेश भेजने का काम करता है, जिससे घटनाओं का सहीपन को देखा जाता है।

डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार- पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्त्तव्यों, और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वह पत्रकारिता है।

डॉ. भुवन सुराणा के अनुसार- पत्रकारिता वह धर्म है जिसका संबंध पत्रकार के उस धर्म से है जिसमें वह तत्कालिक घटनाओं और समस्याओं का अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है।

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता जनता को समसामयिक घटनाएं वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराने का महत्त्वपूर्ण कार्य है। सत्य की आधार शीला पर पत्रकारिता का कार्य आधारित होता है तथा जनकल्याण की भावना से जुड़कर पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाता है।

पत्रकारिता का स्वरूप और विशेषतायें

सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वाह ही सार्थक पत्रकारिता है।

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा पाया (स्तम्भ) भी कहा जाता है। पत्रकारिता ने लोकतंत्र में यह महत्त्वपूर्ण स्थान अपने आप नहीं हासिल किया है बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्त्व को देखते हुए समाज ने ही दर्जा दिया है। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनाये।

पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डाले तो स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य था। स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता ने अहम् और सार्थक भूमिका निभाई। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ-साथ पूरे समाज

को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा।

इंटरनेट और सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) ने आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध की और कराई जा सकती है। मीडिया आज काफी सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुँच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक इस्तेमाल आमतौर पर सामाजिक सरोकारों और भलाई से ही जुड़ा है, किंतु कभी-कभार इसका दुरुपयोग भी होने लगा है।

संचार क्रांति तथा सूचना के अधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। विज्ञापनों से होनेवाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफी हद् तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज अधिक से अधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यावसायिक दृष्टिकोण का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इन्फोटेंमेंट ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है।

इंटरनेट की व्यापकता और उस तक सार्वजनिक पहुँच के कारण उसका दुष्प्रयोग भी होने लगा है। इंटरनेट के उपयोगकर्ता निजी भड़ास निकालने और आपत्तिजनक प्रलाप करने के लिए इस उपयोगी साधन का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। यही कारण है कि यदा-कदा मीडिया के इन बहुपयोगी साधनों पर अंकुश लगाने की बहस भी छिड़ जाती है। गनीमत है कि यह बहस सुझावों और शिकायतों तक ही सीमित रहती है। उस पर अमल की नौबत नहीं आने पाती। लोकतंत्र के हित में यही है कि जहाँ तक हो सके पत्रकारिता को स्वतंत्र और निर्बाध रहने दिया जाए, और पत्रकारिता का अपना हित इसमें है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने दायित्वों के ईमानदार निवर्हन के लिए करती रहे।

प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ–

इकॉनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, मनी कंट्रोल, इकॉनामिक वेल्थ, मिंट, व्यापार आदि।

पत्रकारिता के अन्य रूप

ग्रामीण पत्रकारिता
व्याख्यात्मक पत्रकारिता
विकास पत्रकारिता
संदर्भ पत्रकारिता
संसदीय पत्रकारिता
रेडियो पत्रकारिता
दूरदर्शन पत्रकारिता
फोटो पत्रकारिता
विधि पत्रकारिता
अंतरिक्ष पत्रकारिता
सर्वोदय पत्रकारिता
चित्रपट पत्रकारिता
वॉचडॉग पत्रकारिता
पीत पत्रकारिता
पेज-थ्री पत्रकारिता
एडवोकेसी पत्रकारिता
कृषि पत्रकारिता

पत्रकारिता का अर्थ, परिभाषा एवं क्षेत्र

पत्रकारिता' शब्द हमारे लिए कोई नया शब्द नहीं है। सुबह होते ही हमें अखबार की आवश्यकता होती है, फिर सारे दिन रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार प्राप्त करते रहते हैं। साथ ही साथ रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया सुबह से लेकर रात तक हमारे मनोरंजन के अतिरिक्त अन्य कई जानकारियों से परिचित कराते हैं। इसके साथ ही विज्ञापन ने हमें उपभोक्ता संस्कृति से जोड़ दिया है। कुल मिलाकर पत्रकारिता के विभिन्न माध्यम जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने व्यक्ति से लेकर समूह तक और देश से लेकर सारे विश्व को एकसूत्र में बांध दिया है। इसके परिणाम स्वरूप पत्रकारिता आज राष्ट्रीय स्तर पर विचार, अर्थ, राजनीति और यहां तक कि संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम हो गई है।

पत्रकारिता का अर्थ

अपने रोजमर्रा के जीवन की स्थिति के बारे में थोड़ा गौर कीजिए। दो लोग आस-पास रहते हैं और कभी बाजार में, कभी राह चलते और कभी एक-दूसरे के घर पर रोज मिलते हैं। आपस में जब वार्तालाप करते हैं उनका पहला सवाल क्या होता है? उनका पहला सवाल होता है क्या हालचाल है? या कैसे हैं? या क्या समाचार है? रोजमर्रा के ऐसें सहज प्रश्नों में को खास बात नहीं दिखा देती है, लेकिन इस पर थोड़ा विचार किया जाए तो पता चलता है कि इस प्रश्न में एक इच्छा या जिज्ञासा दिखा देगी और वह है नया और ताजा समाचार जानने की। वे दोनो पिछले कुछ घंटे या कल रात से आज के बीच में आए बदलाव या हाल की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनकी आस-पास की घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि वह अपने आस-पास की चीजो, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना चाहता है। उसमें जिज्ञासा का भाव प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ में पत्रकारिता का मूल तत्त्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास के रूप में हुआ है, जो आज भी अपने मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती आ रही है।

इस जिज्ञासा से हमें अपने पास-पड़ोस, शहर, राज्य और देश-दुनिया के बारे में बहुत कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती है। ये सूचनाएँ हमारे दैनिक जीवन के साथ-साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। ये सूचनाएँ हमारा अगला कदम क्या होगा तय करने में सहायता करती है। यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। आज देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारियाँ हमें समाचार माध्यमों से मिलती है।

विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनियाभर के समाचार हमारे घरों तक पहुंचते हैं चाहे वह समाचार पत्र हो या टेलीविजन और रोड़ियो या इंटरनेट या सोशल मीडिया। समाचार संगठनों में काम करनेवाले पत्रकार देश-दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित कर हम तक पहुँचाते हैं। इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर पेश करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही 'पत्रकारिता' कहते हैं।

व्यक्ति को, समाज को, देश-दुनिया को प्रभावित करने वाली हर सूचना समाचार है। यानि कि किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। या यूँ कहें कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास होता है।

'जर्नलिज्म' यानि पत्रकारिता का अर्थ समाचार पत्र, पत्रिका से जुड़ा व्यवसाय, समाचार संकलन, लेखन, संपादन, प्रस्तुतीकरण, वितरण आदि होगा। आज के युग में पत्रकारिता के अभी अनेक माध्यम हो गये हैं, जैसे-अखबार, पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन, वेब-पत्रकारिता, सोशल मीडिया, इंटरनेट आदि।

हिन्दी में भी पत्रकारिता का अर्थ लगभग यही है। 'पत्र' से 'पत्रकार' और फिर 'पत्रकारिता' से इसे समझा जा सकता है। बृहत् हिन्दी शब्दकोश के अनुसार 'पत्र' का अर्थ चिट्ठी, कागज, वह कागज जिस पर कोई बात लिखी या छपी हो, वह कागज या धातु की पट्टी जिस पर किसी व्यवहार के विषय में कोई प्रामाणिक लेख लिखा या खुदवाया गया हो (दानपत्र, ताम्रपत्र), किसी व्यवहार या घटना के विषय का प्रमाण रूप लेख (पट्टा, दस्तावेज), यान, वाहन, समाचार पत्र, अखबार है। 'पत्रकार' का अर्थ समाचार पत्र का संपादक या लेखक और 'पत्रकारिता' का अर्थ पत्रकार का काम या पेशा, समाचार के संपादन, समाचार इकट्ठे करने आदि का विवेचन करने वाली विद्या। बृहत् शब्दकोश में साफ है कि पत्र का अर्थ वह कागज या साधन जिस पर को बात लिखी या छपी हो जो प्रामाणिक हो, जो किसी घटना के विषय को प्रमाण रूप में पेश करता है और पत्रकार का अर्थ उस पत्र, कागज कोई लिखने वाला, संपादन करनेवाला और पत्रकारिता का अर्थ उसका विवेचन करने वाली विद्या।

उल्लेखनीय है कि इन सभी माध्यमों से संदशों या सूचना का प्रसार एकतरफा होता है। सूचना के प्राप्तकर्ता से इनका फीडबैक नहीं के बराबर है। यानि सभी माध्यमों में प्रचारक या प्रसारक के संदेश प्राप्तकर्ता में दोहरा संपर्क नहीं स्थापित कर पाते हैं। प्राप्तकर्ता से मिलने वाली प्रतिक्रिया, चिट्ठियों आदि के माध्यम से संपर्क नहीं के बराबर है। पिछले कुछ सालों में जनसंचार के अत्याधुनिक पद्धतियों के प्रचलन में दोहरा संपर्क रखा जाने लगा है।

पत्रकारिता की परिभाषा

किसी घटना की रिपोर्ट समाचार है, जो व्यक्ति, समाज एवं देश दुनिया को प्रभावित करती है। इसके साथ ही इसका उपरोक्त से सीधा संबंध होता है। इस कर्म से जुड़ें मर्मज्ञ विभिन्न मनीषियों द्वारा पत्रकारिता को अलग-अलग शब्दों

में परिभाषित किया गया हैं। पत्रकारिता के स्वरूप को समझने के लिए यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाओं का उल्लेख किया जा रहा है––

पाश्चात्य चिन्तन

न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी : प्रकाशन, सम्पादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है।

विल्वर श्रम :जनसंचार माध्यम दुनिया का नक्शा बदल सकता है।

सी.जी. मूलर : सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति उनका मूल्यांकन एवं ठीक-ठाक प्रस्तुतीकरण होता है।

जेम्स मैकडोनल्ड :पत्रकारिता को मैं रणभूमि से ज्यादा बड़ी चीज समझता हूँ। यह कोई पेशा नहीं वरन् पेशे से ऊँची कोई चीज है। यह एक जीवन है, जिसे मैंने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया।

विखेम स्टीड :मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता कला भी है, वृत्ति भी और जन सेवा भी। जब को यह नहीं समझता कि मेरा कर्त्तव्य अपने पत्र के द्वारा लोगों का ज्ञान बढ़ाना, उनका मार्गदर्शन करना है, तब तक से पत्रकारिता की चाहे जितनी ट्रेनिंग दी जाए, वह पूर्ण रूपेण पत्रकार नहीं बन सकता।

इस प्रकार न्यू वेबस्टर्स डिक्शनरी में उस माध्यम को जिसमें समाचार का प्रकाशन, संपादन एवं प्रसारण विषय से संबंधित को पत्रकारिता कहा गया है।

विल्बर श्रम का कहना है कि जनसंचार माध्यम उसे कहा जा सकता है, जो व्यक्ति से लेकर समूह तक और देश से लेकर विश्व तक को विचार, अर्थ, राजनीति और यहां तक कि संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम है। सीजी मूलर ने तथ्य एवं उसका मूल्यांकन के प्रस्तुतीकरण और सामयिक ज्ञान से जुड़े व्यापार को पत्रकारिता के दायरे में रखते हैं। जेम्स मैकडोनल्ड के विचार अनुसार पत्रकारिता दर्शन है जिसकी क्षमता युद्ध से भी ताकवर हैं। विखेमस्टीड पत्रकारिता को कला, पेशा और जनसेवा का संगम मानते हैं।

भारतीय चिन्तन

हिन्दी शब्द सागर :पत्रकार का काम या व्यवसाय ही पत्रकारिता है।

डा. अर्जुन :ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्त्तव्यों और लक्ष्यों का

विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ-साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है।

रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर : ज्ञान और विचार शब्दों तथा चित्रों के रूप में दूसरे तक पहुंचाना ही पत्रकला है। छपने वाले लेख-समाचार तैयार करना ही पत्रकारिता नहीं है। आकर्षक शीर्षक देना, पृष्ठों का आकर्षक बनाव-ठनाव, जल्दी से जल्दी समाचार देने की त्वरा, देश-विदेश के प्रमुख उद्योग-धन्धों के विज्ञापन प्राप्त करने की चतुरा, सुन्दर छापा और पाठक के हाथ में सबसे जल्दी पत्र पहुंचा देने की त्वरा, ये सब पत्रकार कला के अंतर्गत रखे गए।

डा.बद्रीनाथ –पत्रकारिता पत्र-पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, सम्पादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है।

डा. शंकरदयाल –पत्रकारिता एक पेशा नहीं है बल्कि यह तो जनता की सेवा का माध्यम है। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए, आम जनता के सामने उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने की भी जिम्मेदारी आती है।

इन्द्रविद्यावचस्पति –पत्रकारिता पांचवां वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान-विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं।

हिन्दी शब्द सागर में पत्रकार के कार्य एवं उससे जुड़े व्यवसाय को पत्रकारिता कहा गया है। डा. अर्जुन के अनुसार ज्ञान और विचार को कलात्मक ढंग से लोगों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता है। यह समाज का मार्गदर्शन भी करता है। इससे जुड़े कार्य का तात्विक विवेचन करना ही पत्रकारिता विधा है। **रामकृष्ण रघुनाथ खाडिलकर** मानते हैं कि यह एक कला है जिसके माध्यम से पत्रकार ज्ञान और विचारों को शब्द एवं चित्रों के माध्यम से आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है। डा.बद्रीनाथ कपूर का कहना है कि समाचार माध्यमों के लिए किए जाने वाले कार्य समाचार संकलन, लेखन एवं संपादन, प्रकाशन कार्य ही पत्रकारिता है। **डा.शंकर दयाल शर्मा** मानते हैं कि यह सेवा का माध्यम है। यह एक ऐसी सेवा है, जो घटनाओं की विश्लेषण करके लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने के साथ ही शांति एवं भाईचारा कायम रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। **इंद्र विद्या वाचस्पति** का मानना है कि पत्रकारिता वेदों की तरह, जो ज्ञान-विज्ञान के जरिए लोगों के मस्तिष्क को खोलने का काम करता

है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर पत्रकारिता को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है–

यह एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें सामयिक घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से जन-जन तक आकर्षक ढंग से पेश किया गया हो और जो व्यक्ति से लेकर समूह तक और देश से लेकर विश्व तक के विचार, अर्थ, राजनीति और यहां तक कि संस्कृति को भी प्रभावित करने में सक्षम हो। उस कला का विवेचन ही पत्रकारिता है।

पत्रकारिता के मूल्य

चूंकि यह एक ऐसा कलात्मक सेवा कार्य है जिसमें सामयिक घटनाओं को शब्द एवं चित्र के माध्यम से पत्रकार रोज दर्ज करते चलते हैं तो इसे एक तरह से दैनिक इतिहास लेखन कहा जाएगा। यह काम ऊपरी तौर पर बहुत आसान लगता है, लेकिन यह इतना आसान होता नहीं है। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजदू पत्रकारिता सामाजिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ी रहती है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगों का समाचार लिखते समय पत्रकार प्रयास करता है कि उसके समाचार से आग न भड़के। वह सच्चा जानते हुए भी दंगों में मारे गए या घायल लोगों के समुदाय की पहचान नहीं करता। बलात्कार के मामलों में वह महिला का नाम या चित्र नहीं प्रकाशित करता है ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को कोई धक्का न पहुंचे। पत्रकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रकारिता की आचार संहिता का पालन करें ताकि उनके समाचारों से बेवजह और बिना ठोस सबतू के किसी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान न हो और न ही समाज में अराजकता और अशाति फैले।

पत्रकारिता और पत्रकार

अब तक हमने जान लिया है कि पत्रकारिता एक ऐसी कला है जिसेशब्द और चित्र के माध्यम से पेश किया जाता है। इसे आकार देनेवाला पत्रकार होता है। ऊपर से देखने से यह एक आसान काम लगता है, लेकिन यह उतना आसान नहीं होता है। उस पर कई तरह के दबाव हो सकते हैं। अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद उस पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों की जवाबदेही होती है।

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस हिसाब से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जैसे तीन स्तंभ को बांधे रखने के लिए

पत्रकारिता एक कड़ी के रूप में काम करती है। इस कारण पत्रकार की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। उसके सामने कई चुनौतियाँ होती है और दबावभी। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वहन करना पत्रकार और पत्रकारिता का कार्य है।

एक समय था भारत में कुछ लोग प्रतिष्ठित संस्था एवं व्यवस्था को समाज के विकास में सहायक नहीं समझते थे यह लोग अपने नए विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे यह उनकी पद्धति एवं प्रवृत्ति को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम बना था। तकनीकी विकास एवं उद्योग एवं वाणिज्य के प्रसार के कारण एक दिन यह एक कमाऊ व्यवसाय में परिवर्तित हो जाएगा की बात उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। समाज के कल्याण, नए विचार के प्रचार-प्रसार के लिए पत्रकारिता को समर्पित माना जाता था। यह एक दिन पेशे में बदल जाएगा और इसके लिए डिग्री, डिप्लोमा के पैमाने पर योग्यता एवं दक्षता को मापा जाएगा यह तो सोचा भी नहीं होगा।

लोकतंत्र व्यवस्था में पत्रकारिता भाव की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक माध्यम के रूप में स्वीकृत है। इसलिए पत्रकारिता या मीडिया को राष्ट्र का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है। लेकिन खुली हवा के अभाव में इसका विकास भी अवरुद्ध हो सकता है।

आजादी के बाद लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत आगे बढ़ने के कारण समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन, प्रसारण में वृद्धि हुई है। इसका सामाजिक सरोकार होने के बावजदू यह एक उद्योग के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। पत्रकारिता ने एक विकसित पेशे के रूप में शिक्षित युवाओं को आकर्षित किया है। देश में जिन कुछ क्षेत्रों में प्रवृत्ति एवं वृत्ति यानि पेशा में मिलान एवं जुड़ाव की आवश्यकता है उनमें से पत्रकारिता अन्यतम है।

पत्रकारिता के लिए किताबी ज्ञान की तुलना में कुशल साधना की जरूरत अधिक होती है। क्योंकि यह एक कला है। साधना के बल पर ही कुशलता हासिल की जा सकती है। किताब पढ़कर डिग्री तो हासिल की जा सकती है, लेकिन कुशलता के लिए अनुभव की जरूरत होती है। इसके बावजूद चूंकि यह अब पेशे में बदल चुकी है इसलिए योग्यता का पैमाना विचारणीय है। उस प्राथमिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान के लिए इस विषय में कुछ सामान्य नीति नियम जानना और समझना अत्यंत जरूरी है।

एक बात और अतीत में जितने भी पत्रकारों ने श्रेष्ठ पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त की है उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता विषय में कोई डिग्री या डिप्लोमा हासिल नहीं किया है। उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर साधना के बल पर पत्रकारिता के क्षेत्र में शीर्ष में पहुचे हैं। कक्षाओं में कुछ व्याख्यान सुनकर या पाठ्य-पुस्तक पढ़ने से पत्रकार के रूप में जीवन आरंभ करने के लिए यह सहायक हो सकता है। इसे एक पेशा के रूप में अपनाने में क्या सुविधा, असुविधा है उस पर उन्हें मार्गदर्शन मिल सकता है। पत्रकारिता को नए पेशे के रूप में अपनाने वाले युवाओं को पत्रकार की जिम्मदेारी एवं समस्या पर जानकारी हासिल हो सकती है।

पत्रकार की योग्यता और उत्तरदायित्व

समाचार पत्र, पत्रिकाएँ हो या अन्य माध्यम में कार्य कर रहे पत्रकारों को दुहरी भूमिका निर्वाह करनी पड़ती है। उसे अपने स्तर पर समाचार भी संकलन करना होता है और उसे लिखना भी पड़ता है। समाचारों के संकलन, व्याख्या और प्रस्तुतीकरण के लिए पत्रकार में गुप्तचर, मनावैज्ञानिक और वकील के साथ-साथ एक अच्छे लेखक के गुण होने चाहिए। प्रत्येक पत्रकार को अपने समाचार का क्षेत्र निर्धारित कर लेना चाहिए ताकि विशेषता हासिल होने परवाह समाचार को सही ढंग से पेश कर सकता है। पत्रकार में कुछ गुण ऐसे होने चाहिए, जो उसे सफल पत्रकार बना सकता है उसमें सक्रियता, विश्वासपात्रता, वस्तुनिष्ठता, विश्लेषणात्मक क्षमता, भाषा पर अधिकार।

सक्रियता

एक सफल पत्रकार के लिए अत्यंत जरूरी है कि वह हर स्तर पर सक्रिय रहे। यह सक्रियता उसे समाचार संकलन और लेखन दोनों में दृष्टिगोचार होनी चाहिए। सक्रियता होगी तो समाचार में नयापन और ताजगी आएगी। अनुभवी पत्रकार अपने परिश्रम और निजी सूत्रों से सूचनाएँ प्राप्त करते हैं और उन्हें समाचार के रूप में परिवर्तित करते हैं। वह पत्र और पत्रकार सम्मानित होते हैं जिसके पत्रकार जासूसों की तरह सक्रिय रहते हैं और अपने संपर्क सूत्रों को जिदा रखते हैं।

विश्वासपात्रता

विश्वासपात्रता पत्रकार का ऐसा गुण है जिसे प्रयत्नपूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। संपर्क सूत्र से पत्रकार को समाचार प्राप्त होते हैं। पत्रकार को हमेशा उसका विश्वासपात्र बने रहने से ही समाचार नियमित रूप से मिल सकता है। संपर्क सूत्र हमेशा यह ध्यान रखता है कि उसका जिस पत्रकार के साथ संबंध है वह उसके विश्वास को कायम रखता है या नहीं। अगर सूत्र का संकेत देने से उस व्यक्ति का नुकसान होता है तो वह उसे कभी भी उससे संपर्क नहीं रखना चाहेगा।

वस्तुनिष्ठता

वस्तुनिष्ठता का गुण पत्रकार के कर्त्तव्य से जुड़ा है। पत्रकार का कर्त्तव्य है कि वह समाचार को ऐसा पेश करे कि पाठक उसे समझते हुए उससे अपना लगाव महसूस करे। चूंकि समाचार लेखन संपादकीय लेखन नहीं होता है तो लेखक को अपनी राय प्रकट करने की छूट नहीं मिल पाती है। उसमें वस्तुनिष्ठता होना अनिवार्य है। लेकिन यह ध्यान रखना होता है कि वस्तुनिष्ठता से उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। पत्रकार के उत्तरदायित्व की परख तब होती है जब उसके पास को विस्फोटक समाचार आता है। आज के संदर्भ में दंगे को ही ले। किसी स्थान पर दो समुदायों के बीच दंगा हो जाता है और पत्रकार सब कुछ खुलासा करके नमक-मिर्च लगाकर समाचार पेश करता है तो समाचार का परिणाम विध्वंसात्मक ही होगा। ऐसी स्थिति में अनुभवी पत्रकार अपने विवेक का सहारा लेते हैं और समाचार इस रूप से पेश करते हैं कि उससे दंगाइयों को बल न मिले। ऐसे समाचार के लेखन में वस्तुनिष्ठता और भी अनिवार्य जान पड़ती है।

विश्लेषणात्मक क्षमता

पत्रकार में विश्लेषण करने की क्षमता नहीं है तो वह समाचार को रोचक ढंग से पेश नहीं कर पाता है। आज के पाठक केवल तथ्य पेश करने से संतुष्ट नहीं होते हैं। समाचार का विश्लेषण चाहते हैं। पाठक समाचार की व्याख्या चाहता है। समाचार के साथ विश्लेषण दूध में पानी मिलाने की तरह गुंथा हुआ रहता है। लेकिन व्याख्या में भी संतुलन होना चाहिए। पत्रकार की विश्लेषण क्षमता दो स्तर पर होती है—समाचार संकलन के स्तर पर और लेखन के स्तर पर। समाचार संकलन में पत्रकार की विश्लेषण क्षमता का उपयोग सूचनाओं और घटनाओं को

एकत्र करने के समय होता है। इसके अलावा पत्रकार सम्मेलन, साक्षात्कार आदि में भी उसकी यह क्षमता उपयोग में आती है। दूसरा स्तर लेखन के समय दिखा देती है। जो पत्रकार समाचार को समझने और प्रस्तुत करने में जितना ज्यादा अपनी विश्लेषण क्षमता काउ पयोग कर सकेगा, उसका समाचार उतना ही ज्यादा दमदार होगा। इसे व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग भी कहा जाता है।

उदाहरण के लिए, सीधी खबर है कि भारत सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। योजना लागू करने की तिथि की घोषणा अभी नहीं की गई है। किंतु पत्रकार अपने स्त्रोतों से पता करता है कि यह कर्ज माफी किस दबाव के तहत किया जा रहा है और इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। समाचार का यह रूप व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग का रूप होगा। चुनावी वादा निभाने किसानों का कर्ज माफ भारत सरकार ने किसानों के विकास का ध्यान रखते हुए उनका कर्ज माफकरने का निर्णय लिया है। इससे राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार यह निर्णय पार्टी द्वारा चुनाव के समय किए गए वायदे को पूरा करने के लिए लिया गया है।

भाषा पर अधिकार

समाचार लेखन एक कला है। ऐसे में पत्रकार को लेखन कला में माहिर होना होगा। उसे भाषा पर अधिकार होना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकार को यह भी ध्यान रखना होगा कि उसके पाठक वर्ग किस प्रकार के हैं। समाचारपत्र में अलग-अलग समाचार के लिए अलग-अलग भाषा दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अपराध के समाचार, खेल समाचार या वाणिज्य समाचार कीभाषा अलग-अलग होती है। लेकिन उन सबमें एक समानता होती है वह यह है कि सभी प्रकार के समाचारों में सीधी, सरल और बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक बात और है कि पत्रकार को एक क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता निर्धारित कर लेना चाहिए। इससे उससे संबंधित शब्दावली से पत्रकार परिचित हो जाता है और जरूरत पड़ने पर नए शब्दों का निर्माण करना आसान हो जाता है। इस बारे में विस्तृत रूप से आगे चर्चा की गई है।

पत्रकारिता के क्षेत्र

आज की दुनिया में पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही को क्षेत्र बचा हो जिसमें पत्रकारिता की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र

हैं सबके सब पत्रकारिता के भी क्षेत्र हैं, चाहे वह राजनीति हो या न्यायालय या कार्यालय, विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, साहित्य हो या संस्कृति या खेल हो या अपराध, विकास हो या कृषि या गांव, महिला हो या बाल या समाज, पर्यावरण हों या अंतरिक्ष या खोज। इन सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही महसूस किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि लोकतंत्र में इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में इसकी पहुंच हर क्षेत्र में हो जाती है।

पत्रकारिता का महत्त्व

पत्रकारिता का क्षेत्र एवं परिधि बहुत व्यापक है। उसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रही हलचलों, संभावनाओं पर विचार कर एक नई दिशा देने का काम पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाता है। पत्रकारिता जीवन के प्रत्येक पहलू पर नजर रखती है। इन अर्थों में उसका क्षेत्र व्यापक है। एक पत्रकार के शब्दों में "समाचार पत्र जनता की संसद है, जिसका अधिवेशन सदैव चलता रहता है।" इस समाचार पत्र रूपी संसद का कभी सत्रावसान नहीं होता। जिस प्रकार संसद में विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर चर्चा की जाती है, विचार-विमर्श किया जाता है, उसी प्रकार समाचार-पत्रों का क्षेत्र भी व्यापक एवं बहुआयामी होता है। पत्रकारिता तमाम जनसमस्याओं एवं सवालों से जुड़ी होती है, समस्याओं को प्रशासन के सम्मुख प्रस्तुत कर उस पर बहस को प्रोत्साहित करती है। समाज जीवन के हर क्षेत्र में आज पत्रकारिता की महत्ता स्वीकारी जा रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विज्ञान, कला सब क्षेत्र पत्रकारिता के दायरे में हैं। इन संदर्भों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आर्थिक पत्रकारिता का महत्त्व खासा बढ़ गया है। नई आर्थिक नीतियों के प्रभावों तथा जीवन में कारोबारी दुनिया एवं शेयर मार्केट के बढ़ते हस्तक्षेप ने इसका महत्त्व बढ़ा दिया है। तमाम प्रमुख पत्र संस्थानों ने इसी के चलते अपने आर्थिक प्रकाशन प्रारंभ कर दिए हैं। इकॉनॉमिक टाइम्स (टाइम्स ऑफ इंडिया), बिजनेस स्टैंडर्ड (आनंद बाजार पत्रिका), फाइनेंशियल एक्सप्रेस (इंडियन एक्सप्रेस) के प्रकाशकों ने इस क्षेत्र में गंभीरता एवं क्रांति ला दी है। जन्मभूमि प्रकाशन 'व्यापार' नामक गुजराती पत्र ने अपने पाठक वर्ग में अच्छी पहचान बनाई है। अब वह हिंदी में भी अपना साप्ताहिक संस्करण प्रकाशित कर रहा है। हिंदी-अंग्रेजी में तमाम व्यापक-पत्रिकाएं इकॉनॉमिस्ट, व्यापार भारती, व्यापार जगत, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट, मनी आदि नामों से आ रही हैं।

अर्थव्यवस्था प्रधान युग होने के कारण प्रत्येक प्रमुख समाचार-पत्र दो से चार पृष्ठ आर्थिक गतिविधियों के लिए आरक्षित कर रहा है। इसमें आर्थिक जगत से जुड़ी घटनाओं, कम्पनी समाचारों, शेयर मार्केट की सूचनाओं, सरकारी नीति में बदलावों, मुद्रा बाजार, सराफा बाजार एवं विविध मंडियों से जुड़े समाचार छपते हैं। ऐसे में देश-विदेश के अर्थ जगत से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि आर्थिक समाचारों एवं आर्थिक पत्रकारिता का हिस्सा बन गई हैं। राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तनों के बाजार एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे इसकी व्याख्या भी आर्थिक पत्रकारिता का विषय क्षेत्र है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्टिंग के संदर्भ में पत्रकारिता का महत्त्व बढ़ा है। भारत गावों का देश है। देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। अत: देश के गांवों में रह रहे लाखों-करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का विचार कर उनके योग्य एवं उनके क्षेत्र की सामग्री का प्रकाशन पत्रों का नैतिक कर्त्तव्य है। एक परिभाषा के मुताबिक जिन समाचार-पत्रों में 40 प्रतिशत से ज्यादा सामग्री गांवों के बारे में, कृषि के बारे में, पशुपालन, बीज, खाद, कीटनाशक, पंचायती राज, सहकारिता के विषयों पर होगी उन्हीं समाचार पत्रों को ग्रामीण माना जाएगा।

तमाम क्षेत्रीय-प्रांतीय अखबार आज अपने आंचलिक संस्करण निकाल रहे हैं, पर उनमें भी राजनीतिक खबरों, बयानों का बोलबाला रहता है। इसके बाद भी आंचलिक समाचारों के चलते पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हुआ है और उसकी महत्ता बढ़ी है।

पत्रकारिता के प्रारम्भिक दौर में घटना को यथातथ्य प्रस्तुत करना ही पर्याप्त माना जाता था। परिवर्तित परिस्थितियों में पाठक घटनाओं के मात्र प्रस्तुतीकरण से संतुष्ट नहीं होता। वह कुछ "और कुछ" भी जानना चाहता है। इसी "और" की संतुष्टि के लिए आज संवाददाता घटना की पृष्ठभूमि और कारणों की भी खोज करता है। पृष्ठभूमि के बाद वह समाचार का विश्लेषण भी करता है। इस विश्लेषणपरकता का कारण पाठक को घटना से जुड़े विविध मुद्दों का भी पता चल जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया आदि कुछ प्रमुख पत्र नियमित रूप से "समाचार विश्लेषण" जैसे स्तंभों का प्रकाशन भी कर रहे हैं। प्रेस स्वतंत्रता पर अमेरिका के प्रेस आयोग ने यह भी स्वीकार किया था कि अब समाचार के तथ्यों को सत्य रूप से रिपोर्ट करना ही पर्याप्त नहीं वरन् यह भी आवश्यक है कि तथ्य के सम्पूर्ण सत्य को भी प्रकट किया जाए।

पत्रकार का मुख्य कार्य अपने पाठकों को तथ्यों की सूचना देना है। जहां सम्भव हो वहां निष्कर्ष भी दिया जा सकता है। अपराध तथा राजनैतिक संवाददाताओं का यह मुख्य कार्य है। तीसरा एक मुख्य दायित्व प्रसार का है। आर्थिक-सामाजिक जीवन के बारे में तथ्यों का प्रस्तुतीकरण ही पर्याप्त नहीं वरन् उनका प्रसार भी आवश्यक है। गम्भीर विकासात्मक समस्याओं से पाठकों को अवगत कराना भी आवश्यक है। पाठक को सोचने के लिए विवश कर पत्रकार का लेखन सम्भावित समाधानों की ओर भी संकेत करता है। विकासात्मक लेखन में शोध का भी पर्याप्त महत्त्व है।

शुद्ध विकासात्मक लेखक के क्षेत्रों को वरिष्ठ पत्रकार राजीव शुक्ल ने 18 भागों में विभक्त किया है–उद्योग, कृषि, शिक्षा और साक्षरता, आर्थिक गतिविधियाँ, नीति और योजना, परिवहन, संचार, जनमाध्यम, ऊर्जा और ईंधन, श्रम व श्रमिक कल्याण, रोजगार, विज्ञान और तकनीक, रक्षा अनुसन्धान और उत्पाद तकनीक, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, निर्माण और आवास, पर्यावरण और प्रदूषण।

पत्रकारिता के बढ़ते महत्त्व के क्षेत्रों में आधुनिक समय में संदर्भ पत्रकारिता अथवा संदर्भ सेवा का विशिष्ट स्थान है। संदर्भ सेवा का तात्पर्य संदर्भ सामग्री की उपलब्धता से है। सम्पादकीय लिखते समय किसी सामाजिक विषय पर टिप्पणी लिखने के लिए अथवा कोई लेख आदि तैयार करने की दृष्टि से कई बार विशेष संदर्भों की आवश्यकता होती है। ज्ञान-विज्ञान के विस्तार तथा यांत्रिक युग की व्यवस्थाओं में कोई भी पत्रकार प्रत्येक विषय को स्मरण शक्ति के आधार पर नहीं लिख सकता, अतः पाठकों को सम्पूर्ण जानकारी देने के लिए आवश्यक है कि पत्र-प्रतिष्ठान के पास अच्छा सन्दर्भ साहित्य संग्रहित हो। कश्मीरी लाल शर्मा ने "संदर्भ पत्रकारिता" विषयक लेख में सन्दर्भ सेवा के आठ वर्ग किए हैं–कतरन सेवा, संदर्भ ग्रंथ, लेख सूची, फोटो विभाग, पृष्ठभूमि विभाग, रिपोर्ट विभाग, सामान्य पुस्तकों का विभाग और भण्डार विभाग।

संसद तथा विधान-मण्डल समाचार-पत्रों के लिए प्रमुख स्रोत हैं। इन सदनों की कार्यवाही के दौरान समाचार-पत्रों के पृष्ठ संसदीय समाचारों से भरे रहते हैं। संसद तथा विधानसभा की कार्यवाही में आमजन की विशेष रुचि रहती है। देश तथा राज्य की राजनीतिक, सामाजिक आदि गतिविधियां यहां की कार्यवाही से प्रकट होती रहती हैं, जिसे समाचार-पत्र ही जनता तक पहुंचा कर उनका पथ-प्रदर्शन करते हैं।

संसदीय कार्यवाही की रिपोर्टिंग के समय विशेष दक्षता और सावधानी की आवश्यकता है। इनसे संबंधित कानूनों तथा संसदीय विशेषाधिकार की जानकारी होना प्रत्येक पत्रकार के लिए आवश्यक है।

खेलों का मानव जीवन से कापी पुराना संबंध हे। मनोरंजन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मनुष्य ने इनके महत्त्व को समझा है। आधुनिक विश्व में विभिन्न देशों के मध्य होने वाली प्रतियोगिताओं के कारण कई खेल व खिलाड़ी लोकप्रिर होने लगे हैं। ओलम्पिक तथा एशियाई आदि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के कारण भी खेलों के प्रति रुचि में विकास हुआ।

शायद ही कोई दिन ऐसा हो जब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो रहा है, अत: खेलों के प्रति जन-जन की रुचि को देखते हुए पत्र-पत्रिकाओं में खेलों के समाचार तथा उनसे संबंधित नियमित स्तंभों का प्रकाशन किया जाता है। प्राय: सभी प्रमुख समाचार पत्र पूरा एक पृष्ठ खेल जगत की हलचलों को देते हैं।

आजकल तो खेल खिलाड़ी, खेल युग, खेल हलचल, स्पोर्ट्स वीक, क्रिकेट सम्राट आदि अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जो विश्व भर की खेल हलचलों को अपने पत्र में स्थान देती हैं।

पत्रकारिता का महत्त्व छिपे तथ्यों को उजागर करने में स्वीकारा गया है। वह तमाम क्षेत्र की विशिष्ट सूचनाएं जनता को बताती हैं। जब जहाँ कोई व्यक्ति या अधिकारी कोई तथ्य छिपाना चाहता हो अथवा कोई तथ्य अनुद्घाटित हो, वहीं अन्वेषणात्मक पत्रकारिता प्रारम्भ हो जाती है। उस समाचार या तथ्य को प्रकाश में लाने के लिए पत्रकार तत्पर हो जाता है। अमेरिका का "वाटरगेट कांड" इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस काण्ड के चलते सत्ता परिवर्तन के बाद अन्वेषणात्मक पत्रकारिता को विशेष प्रोत्साहन तथा मान्यता मिली।

यदि अन्वेषणात्मक पत्रकारिता सही उद्देश्यों से अनुप्रमाणित होकर की जाए तो यह समाज और राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। यदि चरित्र-हनन तथा किसी व्यक्ति या संस्था को अपमानित या बदनाम करने की नीयत से ऐसी पत्रकारिता की जाएगी तो वह "पीत पत्रकारिता"की श्रेणी में आ जाती है।

फिल्में आज हमारे समाज को बहुत प्रभावित कर रही हैं, अत: फिल्मी पत्र-पत्रिकाएं भी पाठक वर्गों में खासी लोकप्रिय हैं। फिल्मों की समीक्षाएं, फिल्मी कलाकारों के साक्षात्कार, फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों के साक्षात्कार, फिल्म के विविध कलात्मक एवं तकनीकी पक्षों पर टिप्पणियां,

फिल्मी पत्रकारिता का ही हिस्सा हैं। सम्प्रति हिंदी-अंग्रेजी सहित सभी प्रमुख भाषाओं में फिल्मी पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। प्रत्येक प्रमुख समाचार पत्र फिल्मों पर केंद्रित रंगीन परिशिष्ट या सामग्री प्रकाशित करता ही है। फिल्मी पत्रकारिता के क्षेत्र में विनोद भारद्वाज, विनोद तिवारी, प्रयाग शुक्ल, राजा दुबे, जयसिंह रघुवंशी, जय राम सिंह ठाकुर, विजय अग्रवाल, बृजेश्वर मदान, जयप्रकाश चौकसे, अजय ब्रम्हात्मज, जांद खां रहमानी, हेमंत शुक्ल, श्रीश, श्रीराम ताम्रकार जैसे तमाम पत्रकार गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा सिने स्टार, जी स्टार, स्टार डस्ट, फिल्मी कलियां, मायापुरी, स्क्रीन, पटकथा, फिल्म फेयर जैसी संपूर्ण फिल्म पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। इसके अलावा हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाएं इण्डिया टुजे, आउटलुक, धर्मयुग, सरिता, मुक्ता आदि प्रत्येक अंक में फिल्मों पर सामग्री प्रकाशित करती हैं। सारे प्रमुख समाचार पत्रों में सिनेमा पर विविध सामग्री प्रकाशित होती है। इसके चलते फिल्म पत्रकारिता, पत्रकारिता का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरी है। इसने पत्रकारिता के महत्त्व एवं लोकप्रियता में वृद्धि की है।

पत्रकारिता के महद्व को आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की पत्रकारिता ने बहुत बढ़ा दिया है। इन्होंने समय एवं स्थान की सीमा को चुनौती देकर "सूचना विस्फोट" का युग ला दिया है। इस संदर्भ में रेडियो पत्रकारिता का बहुत महत्त्व है। इनके महत्त्व क्रम में आकाशवाणी के वे कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं, जिनमें समाचार तत्त्व अधिक रहता है। आकाशवाणी के इन समाचार कार्यक्रमों को तैयार करने में आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग सक्रिय रहता है। इस प्रभाग का कार्य समाचारों का संकलन और प्रसारण है। आकाशवाणी के स्थायी और अंशकालिक संवाददाता पूरे देश में हैं। समाचार सेवा प्रभाग प्रतिदिन अपनी गृह, प्रादेशिक और वैदेशिक सेवाओं में 36 घंटों से भी अधिक समय में 273 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। विदेश के प्रमुख शहरों में भी संवाददाता हैं, जो वहां की गतिविधियां प्रेषित करते हैं। प्रत्येक घंटे पर समाचार बुलेटिन के प्रसारण से आकाशवाणी जन-मानस को तुष्ट करती है। 'समाचार दर्शन', समाचार पत्रों से, विधानमण्डल समीक्षा, संसद समीक्षा, सामयिकि, जिले और राज्यों की चिट्ठी, रेडियो न्यूजरील आदि कार्यक्रमों का प्रसारण इसी पत्रकारिता का अंग है। इसके अलावा सामयिक विषयों पर बहस, परिचर्चा एवं साक्षात्कारों का प्रसारण करके वह अपने श्रोताओं की मानसिक भूख शांत करता है।

रेडियो पत्रकारिता आज एक विशेषज्ञतापूर्ण विधा है। जिसमें पत्रकार-सम्पादक को अपने कार्य में सशक्त भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। सीमित अवधि में समाचारों की प्रस्तुति एवं चयन रेडियो पत्रकार की दक्षता को साबित करते हैं। विविध समाचार एवं जानकारी प्रधान कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी समग्र विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने में अग्रसर है।

इसी प्रकार टेलीविजन पत्रकारिता का फलक आज बहुत विस्तृत हो गया है। उपग्रह चैनलों की बढ़ती भीड़ के बीच यह एक प्रतिस्पर्द्धा एवं कौशल का क्षेत्र बन गया है। आधुनिक संचार-क्रांति में निश्चय ही इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसके माध्यम से हमारे जीवन में सूचनाओं का विस्फोट हो रहा है। ग्लोबल विलेज (वैश्विक ग्राम) की कल्पना को साकार रूप देने में यह माध्यम सबसे प्रभावी हुआ। दृश्य एवं श्रव्य होने के कारण इसकी स्वीकार्यता एवं विश्वसनीयता अन्य माध्यमों से ज्यादा है। भारत में 1959 ई. में आरंभ दूरदर्शन की विकास यात्रा ने आज सभी संचार माध्यमों की पीछे छोड़ दिया है। दूरदर्शन पत्रकारिता में समाचार संकलन, लेखन एवं प्रस्तुतिकरण संबंधी विशिष्ट क्षमता अपेक्षित होती है। दूरदर्शन संवाददाता घटना का चल-चित्रांकन करता है तथा वह परिचयात्मक विवरण हेतु भाषागत सामर्थ्य एवं वाणी की विशिष्ट शैली का मर्मज्ञ होता है। विविध स्त्रोतों से प्राप्त समाचारों के सम्पादन का उत्तरदायित्व समाचार संपादक का होता है। वह समाचारों को महत्त्वक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कर सम्पादित करता है तथा से समाचार वाचक के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। चित्रात्मकता दूरदर्शन का प्राणतत्त्व है। यह वही तत्त्व है, जो समाचार की विश्वसनीयता एवं स्वीकार्यता को बढ़ाता है। आज तमाम निजी टीवी चैनलों में समाचार एवं सूचना प्रधान कार्यक्रमों की होड़ लगी है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सवालों पर परिचर्चाओं एवं बहस का आयोजन होता रहता है। प्रतिस्पर्द्धा के वातावरण से टेलीविजन की पत्रकारिता में क्रांति आ गई है और उसकी गुणवत्ता में निरंतर सुधार आ रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं वर्तमान परिवेश में जहां प्रेस का दायरा विस्तृत हुआ हैं, वहीं उसकी महत्ता भी बढ़ी है। वह लोगों के होने और जीने में सहायक बन गया है। देश में जब तक लोकतंत्र रहेगा, उसकी प्राणवत्ता रहेगी, पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल रहेगा। आज के दौर में बढ़ रहे विश्वनीयता के संकट, व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा एवं तमाम दबावों के बावजूद प्रेस का वजूद न तो घटा है, न कम हुआ है। उसकी स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है, पाठकीयता बढ़ रही

है, विविध रुचि की सामग्री आ रही है और अखबारों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में तो क्रांति-सी हो गई है।

पतन क्योंकि मूल्यों के स्तर पर हुआ है, अतः उसके प्रभावों से पत्रकारिता अलग नहीं है। पत्रकारिता साहित्य एवं सुरुचि के संस्कार आज विदा होते दिख रहे हैं। इसके बावजूद तमाम लोग ऐसे भी हैं, जो भाषा एवं अखबार की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर काफी सचेत हैं। संस्थाओं की पत्रिकाएं बंद होने से एक बार लगा पत्रकारिता की नींव डगमगा रही है। पर उनके समानांतर क्षेत्रीय अखबारों की सत्ता एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आई है। बाहरी-भीतरी खतरे एवं प्रभावों के बावजूद हमारी पत्रकारिता का प्रगति रथ सदैव बढ़ता नजर आया है। पत्रकारिता ने हर संकट को पार किया है, वह इस संक्रमण से भी ज्यादा ऊर्जावान एवं ज्यादा तेजस्वी बनकर सामने आएगी, बशर्ते वह अपनी भूमिका 'जनपक्ष' की बनाए और संकट मोल लेने का साहस पाले। पत्रकारिता से आज भी सामान्य जन की उम्मीदें मरी नहीं हैं।

पत्रकारिता के कार्य, सिद्धांत एवं प्रकार

'पत्रकारिता' के मुख्य कार्य सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, लोकतंत्र का रक्षक एवं जनमत से आशय एवं पत्रकारिता के सिद्धान्त की चर्चा की गई है। इसके साथ ही पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार की चर्चा भी सविस्तार से की गई है।

पत्रकारिता के कार्य

प्रारंभिक अवस्था में पत्रकारिता को एक उद्योग के रूप में नहीं गिना जाता था। इसका मुख्य कार्य था नए विचार का प्रचार-प्रसार करना। तकनीकी विकास, परिवहन व्यवस्था में विकास, उद्योग एवं वाणिज्य के प्रसार के कारण आज पत्रकारिता एक उद्योग बन चुका है। इसका कार्य भी समय के अनुसार बदल गया है। आज पत्रकारिता के तीन मुख्य कार्य हो चले हैं। पहला, सूचना प्रदान करना, दूसरा, शिक्षा और तीसरा, मनोरंजन करना। इसके अलावा लोकतंत्र की रक्षा एवं जनमत संग्रह करना इसका मुख्य कार्य में शामिल है।

सूचना

अपने आस-पास की चीजों घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है।

जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास ही इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास के रूप में हुआ। यह मूल सिद्धान्त के आधार पर ही यह काम करती है। पत्रकारिता का मुख्य कार्य घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में सूचना प्रदान करता है। यानि कि समाचार के माध्यम से देश दुनिया की समसामयिक घटनाओं समस्याओं और विचारों की सूचना को लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस सूचना का सीधे-सीधे अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत में नोटबंदी हो या किसानों की ऋण माफी या जीएसटी लागू करने का निर्णय। यह सब सूचनाएँ लोगों को प्रभावित करती है। ये सूचनाएँ हमारे दैनिक जीवन के साथ-साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। आज देश-दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसकी अधिकांश जानकारियाँ हमें संचार माध्यमों से ही मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारियाँ समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। तो इस तरह पत्रकारिता आज के जमाने में सूचना प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है।

शिक्षा

समाचार के माध्यम से हमें देश दुनिया की तमाम घटनाओं विचार, समस्याओं की जानकारी मिलती है। यह समाचार हमें विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार सगंठनों में काम करने वाले पत्रकार देश-दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। यह हमें विभिन्न विषय में शिक्षा प्रदान करते हैं। हमें विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक डिग्री प्राप्त करने के लिए, औपचारिक पढ़ाई के लिए पुस्तक पढ़नी पड़ती है। उन पुस्तकों में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, समाज, संस्कृति आदि का उल्लेख रहता है। उनमें समाज में घटित हुई घटनाओं को लेखकों द्वारा लिखी गई बातों को पढ़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन संचार माध्यम चाहे वह समाचार पत्र, पत्रिकाएँ हो या रेडियो या दूरदर्शन या फिर इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया भी लोगों को वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके पेश करते हैं। यह समाचार सम सामयिक घटनाओं, विचारों की पूरी जानकारी प्रदान करती है, जो अनौपचिरक

रूप से व्यक्ति को, पाठक को या दर्शक को शिक्षा प्रदान करती है। जैसे कि अंतरिक्ष में भारत ने कौन-सा उपग्रह छोड़ा, भूकंप से बचाव के लिए पहले जानकारी प्राप्त करने कौन-सी नई तकनीकी बनाई गई है, स्वास्थ्य सेवा में क्या बदलाव लाया गया, राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, प्रसिद्ध साहित्यकारों ने समाज की समस्याओं पर क्या लेखनी चलाई आदि। समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित फीचर के जरिए कई ऐसे पहलू पर मार्गदर्शन दिया जाता है, जो पाठ्य-पुस्तकों जैसे औपचारिक पढ़ाई में नहीं मिल पाती है। दूसरी बात यह कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं में स्वास्थ्य, समाज, नारी, विज्ञान, ज्योतिष, वाणिज्य में नित्य हो रहे बदलाव और उसका प्रभाव परविश्लेषण, समीक्षा आदि समाज का मार्गदर्शन करता है। विभिन्न क्षेत्र के सफल व्यक्तियों के साक्षात्कार से जहां समाज को उनका संघर्ष का पता चलता है तो उनके विचार, मूल्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह पत्रकारिता न केवल सूचना प्रदान करता है बल्कि पाठक, दर्शक को सीधे एवं अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है।

मनोरंजन

पत्रकारिता का आयाम बहुत ही विस्तृत हो चला है। यह केवल सूचना और शिक्षा प्रदान करने तक सीमित न रहकर लोगों का मनोरंजन करने के लिए भी सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। समाचार पत्र में जैसे कथा, कहानी, जीवनी, व्यंग्य आदि लेख प्रकाशित होते हैं। इस तरह के साहित्यिक लेखों से लोगों का मनोरंजन होता है। इसके अलावा समाज में नित्य प्रतिदिन घटित हो रही घटनाओं पर कार्टून तथा व्यंग्य चित्र पेश किए जाते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा श्रव्य-दृश्य माध्यमों में सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक आदि से जुड़ी खबरें लेख प्रकाशित किये जाते हैं, जो पाठकों तथा दर्शकों का पूरा मनोरंजन करते हैं। हम कहीं ट्रेन में बस में या हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो समय काटना बड़ा कठिन होता है। इस समय पर दिल को बहलाने के लिए लोगों को अक्सर समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को पढ़ते देखा जाता है। एसे वक्त में लोगों का दिल बहलाने के साथ-साथ शिक्षा एवं सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। आज कल तो समाचार पत्र पत्रिकाएं बच्चों को खास ध्यान में रखकर बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं साथ ही बड़े समाचार पत्र समूह बाल मनोविज्ञान से संबंधित कथा, कहानियां सचित्र प्रकाशित कर बाल मनोरंजन कर

रहे हैं। यहां तक कि टेलीविजन पर अनेक चैनल भी हैं, जो केवल बाल मनोविज्ञान पर आधारित कार्यक्रम पेश करते हैं। दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों को केवल समाचार से मन उब न जाए इसलिए मन बहलाने के लिए हर समाचार माध्यमों द्वारा समाचारों के प्रसारण के साथ ही मनोरंजन का भी यथासंभव प्रसारण एवं प्रकाशन किया जा रहा है।

लोकतंत्र का रक्षक

राजनैनिक परिदृश्य में मीडिया की भूमिका सबसे अहम् है। पत्रकारिता की पहुंच का सीधा अर्थ है जनमत की पहुंच। इसलिए कहा गया है कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सुरक्षा एवं बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। यह दोनों नेता एवं जनता के लिए लाभकारी है। नेता जनता तक अपनी सुविधा अनुसार पहुंच पाते हैं, लेकिन खासकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नेता एक ही समय में काफी लोगों तक पहुंच पाने में सक्षम हो जाते हैं। मीडिया में पहुंच का फायदा यह होता है कि उन्हें तथ्य, विचार एवं व्यवहार में सुधारने का मौका मिलता है। रेडियो एवं टीवी के कारण अब दूरी मिट गई है। इस तरह नेता इसके माध्यम से जनता तक पहुंच जाते हैं और मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण कर उन्हें चेताया जाता है।

जनमत

पत्रकारिता का कार्य में सबसे प्रमुख है जनमत को आकार देना, उसको दिशा-निर्देश देना और जनमत का प्रचार-प्रसार करना। पत्रकारिता का यह कार्य लोकतंत्र को स्थापित करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पत्रकारिता यानि मीडिया लोगों के मध्य जागरुकता लाने का एक सशक्त माध्यम है और यह शासक पर सामूहिक सतर्कता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है और यह तभी संभव है जब बड़ी आबादी तक मीडिया की पहुंच हो।

एजेंडा निर्धारण

इन कार्यों के अलावा पत्रकारिता यानि मीडिया अब एजेंडा निर्धारण करने के कार्य में भी शामिल हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि मीडिया ही सरकार और जनता का एजेंडा तय करता है- मीडिया में जो होगा वह मुद्दा है और जो मीडिया से नदारद है वह मुद्दा नहीं रह जाता। एजेंडा निर्धारण में मीडिया की यह

भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो गयी है। मीडिया में कौन-सी बात उठ रही है उसे सरकार प्राथमिकता देने लगी है और उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। दूसरी ओर जनता भी मीडिया के माध्यम से जो दिशा-निर्देश मिलते हैं उसी हिसाब से अपना कामकाज करने लगी है। मीडिया में खबर आने के बाद सरकार एवं जनता यह तय करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। जैसे कि मीडिया में खबर आई कि आने वाले दिनों में जीएसटी लागू हो जाएगी। व्यापारी उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं।

पत्रकारिता के मुख्य कार्यों पर नजर डालें तो हम यह कह सकते हैं कि समाचार के माध्यम से लोगों को घटित घटनाओं को सूचित करना है। सूचितकरने की इस प्रक्रिया में लोग शिक्षित भी होते हैं दूसरे पक्ष पर अगर हम विचार को लें तो इसका संपादकीय और लेख हमें जागरुक बनाते हैं। इसके अलावा खेल, सिनेमा की खबरें और विभिन्न विषयों पर आधारित फीचर का उद्देश्य ही लोगों का मनोरंजन करना होता है राजनैनिक परिदृश्य में इसका मुख्य कार्य लोकतंत्र की सुरक्षा एवं बचाव करना है। जहां इसके माध्यम से नेता सीधे जनता तक पहुंच जाते हैं वह इसके माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्य का विश्लषेण कर उन्हें चेताया जाता है। लोकतंत्र में जनमत ही सर्वोपरि होती है। वर्तमान में मीडिया ही जनमत का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। शासक पर सामूहिक सतर्कता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन गया है। पत्रकारिता के कार्य में अब एक और नया कार्य जुड़ गया है वह है सत्ता एवं जनता का एजेंडा निर्धारण करना।

पत्रकारिता के सिद्धांत

पत्रकारिता और पत्रकार एवं पत्रकारिता के मूल्य पर चर्चा करते समय हमने देखा कि अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद उस पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों की जवाबदेही होती है। यह सामाजिक और नैतिक मूल्य की जवाबदेही उसे एक नियम कानून के दायरे में चलने को मजबूर करता है।

इस दृष्टि से देखा जाए तो अन्य विषय की तरह पत्रकारिता भी कुछ सिद्धान्त पर चलती है। एक पत्रकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इसका पालन करे। यह पत्रकारिता का आदर्श है। इस आदर्श को पालन कर एक पत्रकार पाठकों का विश्वास जीत सकता है और यह विश्वसनीयता समाचार संगठन की पूंजी है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करना जरूरी है-

यथार्थता

पत्रकार पर सामाजिक और नैतिक मूल्य की जवाबदेही है। यह वास्तविकता या यथार्थता की ओर इशारा करती है। एक पत्रकार संगठन को अपनी साख बनाए रखने के लिए समाज के यथार्थ को दिखाना होगा। यहां पर कल्पना की कोई जगह नहीं होती है। यह पत्रकारिता की पहली कसौटी है। समाचार समाज के किसी न किसी व्यक्ति, समूह या देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका जुड़ाव सीधे समाज की सच्चाई यानि वास्तविकता से हो जाता है। यानि कि यह कह सकते हैं कि समाचार समाज का प्रतिबिंब होता है। पत्रकार हमेशा समाचार यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है। यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। दरअसल मनुष्य यथार्थ की नहीं यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जोभी जानकारियां प्राप्त होती है उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं।

संपूर्ण यथार्थ को प्रतिबिंबित करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि तथ्यों के चयन में संपूर्णता का ध्यान रखना हागेा। समाचार लिखते समय यह ध्यान रखना होगा कि कौन-सी सूचनाएं और कौन-सा तथ्य संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व कर सकता है, एसे तथ्य एवं सूचनाओं का चयन करना होगा। जैसे कि एक नस्ली, जातीय या धार्मिक हिंसा की घटना का समाचार कई तरह से लिखा जा सकता है। इसे तथ्यपरक ढंग से इस तरह भी लिखा जा सकता है कि किसी एक पक्ष की शैतान की छवि सृजित कर दी जाए और दूसरे पक्ष को इसके कारनामों का शिकार। घटना के किसी एक पक्ष को अधिक उजागर कर एक अलग ही तरह की छवि का सृजन किया जा सकता है। या फिर इस घटना में आम लोगों के दु:ख दर्द को उजागर कर इस तरह की हिंसा के अमानवीय और बर्बर चेहरे को भी उजागर किया जा सकता है। एक रोती विधवा, बिलखते अनाथ बच्चे या तो मात्र विधवा और अनाथ बच्चों के बारे में पेश करके यह दिखाना कि जातीय या धार्मिक हिंसा ने यह हालत की है। या फिर यह पेश किया जा सकता है कि चूकि ये किसी खास जातिया धर्म के हैं इसलिए ये विधवा और अनाथ हैं। इस तरह समाचार को वास्तव में हकीकत के करीब रखने के लिए एक पत्रकार के प्रोफेशनल और बौद्धिक कौशल में महारथ हासिल करना जरूरी है।

वस्तुपरकता

वस्तु की अवधारणा हमें सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम घर में, स्कूल में, सड़क पर चलते समय हर कदम, हर पल सूचनाएँ प्राप्त करते हैं और दुनिया भर के स्थानों लोगों संस्कृतियों आदि सैंकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौकों पर इस तरह छवियां वास्तविक भी हो सकती है और वास्तविकता से दूर भी हो सकती है। वस्तुपरकता का संबंध सीधे-सीधे पत्रकार के कर्त्तव्य से जुड़ा है। जहां तक वस्तुपरकता की बात है पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए क्योंकि वस्तुपरकता का संबंध हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से कहीं अधिक है।

वैसे भी दुनिया में हर चीज को देखने का नजरिया हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है। ऐसे में पत्रकार का कर्त्तव्य है कि वह समाचार को ऐसा पेश करे कि पाठक उसे समझते हुए उससे अपना लगाव महसूस करे। समाचार लेखन में लेखक को अपनी राय प्रकट करने की छूट नहीं मिल पाती है। उसे वस्तुपरक होना अनिवार्य है। लेकिन यह ध्यान रखना होता है कि वस्तुपरकता से उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। पत्रकार का उत्तरदायित्व की परख तब होती है जब उसके पास कोई विस्फोटक समाचार आता है। आज के संदर्भ में दंगे को ही लें किसी स्थान पर दो समुदायों के बीच दंगा हो जाता है और पत्रकार सब कुछ खुलासा करके नमक-मिर्च लगाकर समाचार पेश करता है तो समाचार का परिणाम विध्वंसात्मक ही होगा। ऐसी स्थिति में अनुभवी पत्रकार अपने विवेक का सहारा लेते हैं और समाचार इस रूप से पेश करते हैं कि उससे दंगाइयों को बल न मिले एसे समाचार के लेखन में वस्तुपरकता और भी अनिवार्य जान पड़ती है।

इसलिए कोई भी समाचार एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता है। एक ही समाचार को एक पत्रकार वस्तुपरक बना सकता है तो दूसरा पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर बना सकता है। चाहे जो भी हो एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने समाचार प्रस्तुतीकरण में वस्तुपरकता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। यही कारण है कि वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना जरूरी है। क्योंकि वस्तुपरकता और यथार्थता के बीच काफी कुछ समानताएं भी है और दोनों के बीच अंतर भी है। यथार्थता का संबंध अधिकाधिक तथ्यों से है वहीं वस्तुपरकता

का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति उस तथ्य को कैसे देखता है। जैसे कि किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से सृजित छवियां समाचार के मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेख में वस्तुपरकता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

निष्पक्षता

चूंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है इसलिए राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में इसकी अहम् भूमिका है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, न्याय और अन्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं होना चाहिए बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए सही एवं न्याय के साथ होना चाहिए। इसलिए पत्रकारिता का प्रमुख सिद्धान्त है उसका निष्पक्ष होना। पत्रकार को उसका शत-प्रतिशत पालन करना जरूरी है तभी उसके समाचार संगठन की साख बनी रहेगी। पत्रकार को समाचार लिखते समय न किसी से दोस्ती न किसी से वैर वाले सिद्धांत को अपनाना चाहिए तभी वह समाचार के साथ न्याय कर पाएगा और जब पत्रकारिता की आजादी की बात आती है तो इसमें न्याय संगत होने का तत्त्व अधिक अहम् होता है। आज मीडिया की ताकत बढ़ी है। एक ही झटक में वह किसी को सर आखों पर बिठा सकता है तो किसी को जमीन के नीचे गिरा सकता है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही सही उसे बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है। इसलिए पत्रकार एवं पत्रकार संगठन की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष होकर हमेशा सच्चाई को सामने रखे और सही एवं न्याय का साथ दे।

संतुलन

पत्रकारिता में निष्पक्षता के साथ संतुलन की बात भी जुड़ी हुई है। जब किसी समाचार के कवरेज पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह संतुलित नहीं है तो यहां यह बात सामने आती है कि समाचार किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। यह ऐसे समाचार में सामने आती है जब किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो ऐसी स्थिति

में पत्रकार को चाहिए कि संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने-अपने समाचारीय महत्त्व के अनुसार स्थान देकर समाचार को संतुलित बनाना होगा। एक और स्थिति में जब किसी पर कोई किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या इससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में निष्पक्षता और संतुलन की बात आती है। ऐसे समाचारों में हर पक्ष की बात को रखना अनिवार्य हो जाता है अन्यथा एक पक्ष के लिए चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। तीसरी स्थिति में व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए। यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है और आरोपों के पक्ष में पक्के सबतू नहीं हैं। लेकिन उस तरह के समाचार में इसकी जरूरत नहीं होती है, जो घोषित अपराधी हों या गंभीर अपराध के आरोपी। संतुलन के नाम पर मीडिया इस तरह के तत्त्वों का मंच नहीं बन सकता है। दूसरी बात यह कि यह सिद्धांत सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जानेवाले विचारों और दृष्टिकोणों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

स्त्रोत

पत्रकारिता के मूल में समाचार है। समाचार में कोई सूचना या जानकारी होती है। पत्रकार उस सूचना एवं जानकारी के आधार पर समाचार तैयार करता है, लेकिन किसी सूचना का प्रारंभिक स्त्रोत पत्रकार नहीं होता है। आमतौर पर वह किसी घटना के घटित होने के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता है। वह घटना के घटने के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है इसलिए यह सब कैसे हुआ यह जानने के लिए उसे दूसरे स्त्रोतों पर निर्भररहना पड़ता है। उस सूचना एवं जानकारी में क्या सही है, क्या असली घटना है, कौन शामिल है उसकी पूरी जानकारी के बिना यह अधूरा एवं एक पक्ष होती है, जो हमने पत्रकारिता के सिद्धांतों में यथार्थता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन पर चर्चा करते हुए देखा है। किसी भी समाचार के लिए जरूरी सूचना एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार संगठन एवं पत्रकार को कोई न कोई स्त्रोत की आवश्यकता होती है। यह समाचार स्त्रोत समाचार संगठन के या पत्रकार के अपने होते हैं। स्त्रोतों में समाचार एजेसियां भी आती हैं।

समाचार की साख बनाए रखने के लिए उसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का क्या स्त्रोत है उसका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। खासकर ऐसे समाचार, जो सामान्य के दायरे से निकलकर खास श्रेणी में आते हैं। स्त्रोत

के बिना समाचार का महत्त्व कम हो जाता है। इसलिए समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है। हाँ जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं है उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर यह एक सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की जरूरत नहीं होती है।

पत्रकारिता के प्रमुख रूप या प्रकार

खोजी पत्रकारिता

मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। उसे वह सब जानना अच्छा लगता है, जो सार्वजनिक नहीं हो अथवा जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही हो। मनुष्य यदि पत्रकार हो तो उसकी यही कोशिश रहती है कि वह ऐसी गूढ़ बातें या सच उजागर करे, जो रहस्य की गहराइयों में कैद हो। सच की तह तक जाकर उसे सतह पर लाने या उजागर करने को ही हम अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता कहते हैं।

खोजी पत्रकारिता एक तरह से जासूसी का ही दूसरा रूप है जिसमें जोखिम भी बहुत है। यह सामान्य पत्रकारिता से कई मायनों में अलग और अधिक श्रमसाध्य है। इसमें एक-एक तथ्य और कड़ियों को एक-दूसरे से जोड़ना होता है तब कहीं जाकर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कई बार तो पत्रकारों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और खोज को बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि आगे के रास्ते बंद हो चुके होते हैं। पत्रकारिता से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर नजर दौड़ायें तो माई लाई कोड, वाटरगेट कांड, जैक एंडर्सन का पेंटागन पेपर्स जैसे अंतरर्राष्ट्रीय कांड तथा सीमेंट घोटाला कांड, बोफोर्स कांड, ताबूत घोटाला कांड तथा जैसे राष्ट्रीय घोटाले खोजी पत्रकारिता के चर्चित उदाहरण हैं। ये घटनायें खोजी पत्रकारिता के उस दौर की हैं जब संचार क्रांति, इंटरनेट या सूचना का अधिकार (आर.टी.आई) जैसे प्रभावशाली अस्त्र पत्रकारों के पास नहीं थे। इन प्रभावशाली हथियारों के अस्तित्त्व में आने के बाद तो घोटाले उजागर होने का जैसे एक दौर ही शुरू हो गया हाल के कुछ चर्चित घोटालों में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श घोटाला, ताज कॉरीडोर घोटाला आदि उल्लेखनीय हैं। जाने-माने पत्रकार जुलियन असांज के 'विकीलिक्स' ने तो ऐसे-ऐसे रहस्योद्घाटन किये जिनसे कई देशों की सरकारें तक हिल गई।

इंटरनेट और सूचना के अधिकार ने पत्रकारों और पत्रकारिता की धार को अत्यंत पैना बना दिया लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पत्रकारिता की आड़ में इन हथियारों का इस्तेमाल 'ब्लैकमेलिंग' जैसे गलत उद्देश्य के लिए भी होने लगा है। समय-समय पर हुये कुछ 'स्टिंग ऑपरेशन' और कई बहुचर्चित सी. डी. कांड इसके उदाहरण हैं।

स्टिंग पत्रकारिता के संदर्भ में फोटो जर्नलिज्म या फोटो पत्रकारिता से जुड़े जासूसों जिन्हें 'पापारात्सी' (Paparazzi) कहते हैं, की चर्चा भी जरुरी है। प्रिंसेस डायना की मौत के जिम्मेदार 'पैदराजा' ही थे। समाज की बेहतरी और उसकी भलाई के लिए खोजी पत्रकारिता का एक आवश्यक अंग जरर है, लेकिन इसे भी अपनी मर्यादाओं के घेरे में रहना चाहिए। खोजी पत्रकारिता साहसिक तक तो ठीक है, लेकिन इसका दु:साहस न तो पत्रकारिता के हित में है और न ही समाज के।

खेल पत्रकारिता

खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि वह अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का भी प्रतीक है। यही कारण है किं पूरी दुनिया में आति प्राचीनकाल से खेलों का प्रचलन रहा है। मल्ल-युद्ध, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, गुल्ली डंडा, पोलो रस्साकशी, मलखंभ, वॉल गेम्स, जैसे आउटडोर या मैदानी खेलों के अलावा चौपड़, चौसर या शतरंज जैसे इन्डोर खेल प्राचीनकाल से ही लोकप्रिय रहे हैं। आधुनिक काल में इन पुराने खेलों के अलावा इनसे मिलते-जुलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्द्धात्मक खेलों ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। खेल आधुनिक हों या प्राचीन, खेलों में होने वाले अद्‌भुत कारनामों को जगजाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर हैं तो उसका काफी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी है।

आज स्थिति यह है कि समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्करप तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसमें खेलों का भरपूर कवरेज नहीं हो। खेलों के प्रति मीडिया का यह रुझान 'डिमांड' और 'सप्लाई' पर आधारित है। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है जिसकी पहली पसंद विभिन्न खेल स्पर्द्धायें

हैं, शायद यही कारण है कि पत्र-पत्रिकाओं में अगर सबसे अधिक कोई पन्ने पढ़ जाते हैं तो वह खेल से संबंधित होते हैं। प्रिंट मीडिया के अलावा टी. वी. चैनलों का भी एक बड़ा हिस्सा खेल प्रसारण से जुड़ा होता है। खेल चैनल तो चौबीसों घंटे कोई न कोई खेल लेकर हाजिर ही रहते हैं। लाइव कवरेज या सीधा प्रसारण की बात तो छोड़िये रिकॉर्डेड पुराने मैचों के प्रति भी दर्शकों का रुझान कहीं कम नहीं दिखाई देता। पाठकों और दर्शकों की खेलों के प्रति दीवानगी का ही नतीजा है कि आज खेल की दुनिया में अकूत धन बरस रहा है। धन, जो विज्ञापन के रूप में हो चाहे पुरस्कार राशि के रूप में न लुटाने वालों की कमी है न पाने वालों की। यह स्थिति आज की है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब खेलों में धन-दौलत को कोई नामोनिशान नहीं था। प्राचीन ओलम्पिक खेलों जैसी विख्यात खेल स्पर्द्धा में भी विजेता को जैतून की पत्तियों के मुकुट का पुरस्कार दिया जाता था लेकिन वह ताज भी अनमोल हुआ करता था।

खेलों में धन-वर्षा का प्रारंभ कॉर्पोरेट जगत के इसमें प्रवेश से हुआ। कार्पोरेट जगत के प्रोत्साहन से कई खेल और खिलाड़ी प्रोफेशनल होने-लगे और खेल-स्पर्द्धाओं से लाखों-करोड़ों कमाने लगे। आज टेनिस, फुटबॉल, बास्केट बॉल, बॉक्सिंग, स्क्वाश, गोल्फ जैसे खेलों में पैसों की बरसात हो रही है।

खेलों की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की कमाई की बात करें तो आज क्रिकेट ने, जो दुनिया के गिने-चुने ही देशों में खेला जाता है, लोकप्रियता की नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। किक्रेट में कॉर्पोरेट जगत के रूझान के कारण नवोदित क्रिकेटर भी अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं।

खेलों में धन की बरसात में कोई बुराई नहीं है। इससे खेलों और खिलाड़ियों के स्तर में सुधार ही होता है, लेकिन उसका बदसूरत पहलू यह भी है कि खेलों में गलाकाट स्पर्द्धा के कारण इसमें फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराइयों का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराइयाँ न खिलाड़ियों के हित में हैं और न खेलों के। खेल-पत्रकारिता की यह जिम्मेदारी है कि वह खेलों में पनप रही उन बुराइयों के विरूद्ध लगातार आवाज उठाती रहे। खेलों में खेल भावना की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। खेल पत्रकारिता से यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आम लोगों से जुड़े खेलों को भी उतना ही महत्त्व और प्रोत्साहन मिले जितना अन्य लोकप्रिय खेलों को मिल रहा है।

महिला पत्रकारिता

पत्रकारिता जैसे व्यापक और विशद् विषय में महिला पत्रकारिता की अवधारणा भले ही कुछ अटपटी लगती है, किंतु नारी स्वातंर्त्र्य और समानता के इस युग में भी आधी दुनिया से जुड़े ऐसे अनेक पहलू हैं जिनके महत्त्व को देखते हुए महिला पत्रकारिता की अलग विधा की आवश्यकता महसूस होती है।

पुरुष और नारी के भेद का सबसे बड़ा आधार तो उनकी अलग शारीरिक संरचना है। प्रकृति ने पुरुष को एक सांचे में ढाला है तो नारी को उससे अलग। एक समय था जब समाज पुरुष प्रधान हुआ करता था। पुरुष प्रधान समाज ने अपनी सुविधानुसार नारी को अबला बनाकर घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया था। विकास के निरंतर तेज गति से बदलते दौर ने महिलाओं को प्रगति का समान अवसर दिया और महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और लगन के बलबूते पर समाज के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया वह लगातार जारी है। आज के दौर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ महिलाओं की सशक्त उपस्थिति नहीं महसूस की जा रही हो। वर्तमान दौर में राजनीति, प्रशासन, सेना, शिक्षण, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक, उद्योग, व्यापार, समाज सेवा आदि प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर अपनी राह खुद बनाई है। कई क्षेत्रों में तो कड़ी स्पर्द्धा और कठिन चुनौती के बावजूद महिलाओं ने अपना शीर्ष मुकाम बनाया है। भारत की इंदिरा नूई, नैनालाल किद्वई, चंदा कोचर आदि महिलाओं ने सफलता के जिस शिखर को छुआ है वे सभी कड़ी स्पर्द्धावाले क्षेत्र माने जाते हैं।

तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश तथा महिला पुरुष समानता के इस दौर में महिलाएँ अब घर की दहलीज लाँघकर बाहर आ चुकी हैं। प्रायः हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी नजर आती है। शिक्षा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरक बनाया है। अब महिलायें भी अपने करियर के प्रति सचेत हैं। महिला जागरण की इस नव-चेतना के साथ-साथ महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध के मामले भी बढ़े हैं। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं और आवश्यकतानुसार उसमें समय-समय पर संशोधन भी किये जाते रहे हैं। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने में महिला पत्रकारिता की अहम् भूमिका रही है। महिला पत्रकारिता की आज अलग से जरूरत ही इसलिए हैं कि उसमें महिलाओं से जुड़े हर पहलू पर गौर किया जाए और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका

निभा सके। महिला पत्रकारिता की सार्थकता महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जुड़ी है।

कुछ प्रमुख महिला पत्रकार: मृणाल पांडे, विमला पाटिल, बरखा दत्त, सीमा मुस्तफा, तवलीन सिंह, मीनल बहोल, सत्या शरण, दीना वकील, सुनीता ऐरन, कुमुद संघवी चावरे, स्वेता सिंह, पूर्णिमा मिश्रा, मीमांसा मल्लिक, अंजना ओम कश्यप, नेहा बाथम, मिनाक्षी कंडवाल आदि। आज भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिला पत्रकारों के आने से देश की हर लड़की को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।

बाल-पत्रकारिता

बाल-मन स्वभावत: जिज्ञासु और सरल होता है। जीवन की यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा अपने माता-पिता, शिक्षक और चारों तरफ के परिवेश से ही सीखता है। यही वह उम्र होती है जिसमें बच्चे के मस्तिष्क पर किसी भी घटना या सूचना की अमिट छाप पड़ जाती है। बच्चे के आस-पास का परिवेश उसके व्यक्तित्त्व निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एक समय था जब बच्चों को परीकथाओं, लोककथाओं, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक कथाओं के माध्यम से बहलाने-फुसलाने के साथ-साथ उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाता था। इन कथाओं का बच्चों के चारित्रिक विकास पर भी गहरा प्रभाव होता था।

आज संचार क्रांति के इस युग में बच्चों के लिए सूचना तंत्र काफी विस्तृत और अनंत हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक उनकी पहुँच ने उनकी जिज्ञासा को असीमित बना दिया है। ऐसे में इस बात की भी आशंका और गुंजाइश बनी रहती है कि बच्चों तक वे सूचनायें भी पहुँच सकती हैं, जिससे उनके बालमन के भटकाव या विकृत्ति भी संभव है। ऐसी स्थिति में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच और दिशा बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है। बाल पत्रकारिता की दिशा में प्रिंट और विजुअल मीडिया (दृश्य-माध्यम) के साथ-साथ इंटरनेट की भी अहम् और जिम्मेदार भूमिका हो सकती है।

आर्थिक पत्रकारिता

कोई भी ऐसा व्यापारिक या आर्थिक व्यवहार जो व्यक्तियों, संस्थानों, राज्यों या देशों के बीच होता है, वह आर्थिक पत्रकारिता के सरोकारों में शामिल है।

आर्थिक पत्रकारिता आर्थिक व्यवहार या अर्थ-व्यवस्था के व्यापक गुण-दोषों की समीक्षा और विवेचना की धुरी पर केंद्रित है। जिस प्रकार पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण-दोषों को व्यापक आधार पर प्रचारित प्रसारित करना है, उसी प्रकार आर्थिक पत्रकारिता की भूमिका तभी सार्थक है जब वह अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर सूक्ष्म नजर रखते हुए उसका विश्लेषण करे और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का प्रचार-प्रसार करने में सक्षम हो। अर्थ-व्यवस्था के मामले में आर्थिक पत्रकारिता व्यवस्था और उपभोक्ता के बीच सेतु का काम करने के साथ-साथ एक सजग प्रहरी की भूमिका भी निभाती है।

आर्थिक उदारीकरण और विभिन्न देशों के आपसी व्यापारिक संबंधों ने पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बहुत व्यापक बना दिया है। आज किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर निर्भर हो गई है। दुनिया के किसी कोने में मची आर्थिक हलचल या उथल-पुथल अन्य देशों की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने लगी है। सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं तथा कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव से आज दुनिया की कोई भी अर्थव्यवस्था अछूती नहीं रही।

यूरो, डॉलर, पाउंड, येन जैसी मुद्रायें तथा सोना, चाँदी और कच्चा तेल आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की नब्ज बन चुकी हैं। कहने का तात्पर्य यह कि आज भले ही सभी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के नियामक और नियंत्रक हों किन्तु विश्व की आर्थिक हलचलों से वे अछूते नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि आर्थिक परिदृश्य पर पूरा विश्व व्यापक तौर पर एक बाजार नजर आता है। सभी देशों की अर्थव्यवस्थायें आज इसी वैश्विक बाजार की गतिविधियों से निर्धारित होती हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में होने वाले महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों से दुनिया के प्रमुख देश भी प्रभावित होते है। आर्थिक पत्रकारिता के लिए विश्व का आर्थिक परिवेश एक चुनौती है। आर्थिक पत्रकारिता का यह दायित्व है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण वह लगातार करती रहे तथा उनके गुण-दोषों के आधार पर एहतियाती उपायों की चर्चा आर्थिक पत्रकारिता का व्यापक हिस्सा बने।

आर्थिक पत्रकारिता के समक्ष एक बड़ी चुनौती करवंचना, कालाधन और जाली नोटों की समस्या है। कालाधन आज विकसित और विकासशील देशों के

लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। काला धन भ्रष्टाचार से उपजता है और भ्रष्टाचार को ही बढ़ाता है। भ्रष्टाचार की व्यापकता अंततः देश के विकास में बाधक बनती है। कालाधन और आर्थिक अपराधों को उजागर करने वाली खबरों के व्यापक प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी भी आर्थिक पत्रकारिता का हिस्सा है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थव्यवस्था काफी कुछ कृषि और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में तेजी से विकसित हो रहे नगरों और महानगरों के बावजूद आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में ही बसती है। देश के बजट प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास के मद में खर्च होता है। आर्थिक पत्रकारिता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम कृषि एवं कृषि आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का कवरेज भी है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास और आर्थिक पत्रकारिता का उद्देश्य अधूरा ही रहेगा। व्यापार के परंपरागत क्षेत्रों के अलावा रिटेल, बीमा, संचार, विज्ञान एवं तकनीक जैसे व्यापार के आधुनिक क्षेत्रों ने आर्थिक पत्रकारिता को व्यापक क्षितिज और नया आयाम दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा देकर उसे सुचारू और सुदृढ़ बनाना आर्थिक पत्रकारिता के लिए चुनौती तो है ही उसकी सार्थकता भी इसी में निहित है।

संसार में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इक्किसवींशताब्दी में यह एक ऐसा सशक्त विषय के रूप में उभरा है जिसकी कल्पनानहीं की जा सकती है। आज इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है औरविविधता भी लिए हुए है। इस बहु आयामी पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है:-

वॉचडॉग पत्रकारिता

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस लिहाज से इसका मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जा सकता है। दूसरी आरे सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। इसके तहत मीडिया केवल वही समाचार देता है, जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनापरक पक्ष का परित्याग कर देता है। इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है।

एडवोकेसी पत्रकारिता

एडवोकेसी यानि पैरवी करना। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। मीडिया व्यवस्था का ही एक अंग है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला मीडिया को मुख्यधारा मीडिया कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसी वैकल्पिक सोच रखने वाली मीडिया होती हैं, जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले जाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को एडवोकेसी (पैरवी) पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय विचारधारा, धार्मिक विचारधारा से जुड़े पत्र-पत्रिकाएँ।

पीत पत्रकारिता

पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों प्रत्यारोपों प्रमे संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनीसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाला शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने, इलेक्ट्रिानिक मीडिया की टीआरपी बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। इसमें किसी समाचार खासकर ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ आपत्तिजनक कार्य, घोटाले आदि को बढ़ा-चढ़ाकर सनसनी बनाया जाता है। इसके अलावा पत्रकार द्वारा अव्यावसायिक तरीके अपनाए जाते हैं।

पेज थ्री पत्रकारिता

पजे थ्री पत्रकारिता उसे कहते हैं जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों महिलाओं और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है।

ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थव्यवस्था काफी कुछ कृषि और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में आज भी लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। देश के बजट प्रावधानों का बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास पर खर्च होता है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। ऐसे में आर्थिक पत्रकारिता की एक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह कृषि एवं कृषि

आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण भारत में चल रहे विकास कार्यक्रम का सटीक आकलन कर तस्वीर पेश करे।

विशेषज्ञ पत्रकारिता

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्त्व है। इसलिए पत्रकार को भी विशेषज्ञ बनने की जरूरत पड़ती है। पत्रकारिता में विषय के आधार पर सात प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, अर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं। इन क्षेत्रों के समाचार उन विषयों में विशेषज्ञता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। ऐसे में इन विषयों के जानकार ही विषय की समस्या, विषय के गुण-दोष आदि पर सटिक जानकारी हासिल कर सकता है।

रेडियो पत्रकारिता

मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेशों और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना मनुष्य का लक्ष्य बन गया। इसी से रेडियो का जन्म हुआ। रेडियो के आविष्कार के जरिए आवाज एकही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने लगा। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। आगे चलकर रेडियो को सिनेमा और टेलीविजन और इंटरनेट से कड़ी चुनौतियां मिली लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण आगे बढ़ता गया और आज इसका स्थान सुरक्षित है। रेडियो की विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक भी है और व्यक्तिगत भी। रेडियो में लचीलापन है क्योंकि इसे किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में सुना जा सकता है। दूसरा रोडियो समाचार और सूचना तत्परता से प्रसारित करता है। मौसम संबंधी चेतावनी और प्राकृतिक विपत्तियों के समय रेडियो का यह गुण शक्तिशाली बन पाता है। आज भारत के कोने-कोने में देश की 97 प्रतिशत जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। रेडियो समाचार ने जहां दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी का कार्यभार संभाल रखा है वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती

है। जैसे युवाओं, महिलाओं, बच्चों, किसान, गृहिणी, विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समय में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इस तरह हर वर्ग जोड़े रखने में यह एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है।

व्याख्यात्मक पत्रकारिता

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्त्व है। पत्रकार इस महत्त्व को बताने के लिए विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कौन था और किसका हाथ है। इसका परिणाम क्या होगा। इसके प्रभाव से क्या होगा आदि की व्याख्या की जाती है। साप्ताहिक पत्रिकाओं संपादकीय लेखों में इस तरह किसी घटना की जांच-पड़ताल कर व्याख्यात्मक समाचार पेश किए जाते हैं। टीवी चैनलों में तो आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि किसी भी छोटी-सी-छोटी घटनाओं के लिए भी विशेषज्ञ पैनल बिठाकर उसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक व्याख्या की जाने लगी है।

विकास पत्रकारिता

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है लोगों के लिए शासन लोगों के द्वारा शासन। इस लोकतंत्र में तीन मुख्य स्तंभ है। इसमें संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था। इन तीनों की निगरानी रखता है चौथा स्तंभ-पत्रकारिता। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है लोगों के लिए। शासन द्वारा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सही ढंग से काम किया जा रहा है या नहीं इसका लेखा जोखा पेश करने की जिम्मेदारी मीडिया पर है। इसका खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और भी अहम् भूमिका है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि एवं किसान, सिंचाई, परिवहन, भूखमरी, जनसंख्या बढ़ने प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोई योजना बनी तो उसका फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं या उसे सही ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं उस बारे में पत्रकार विश्लेषण कर समाचार पेश करने से शासक की आखें खुल सकती है। कहने का तात्पर्य यह कि क्या इन सरकारी योजनओं

से देश का विकास हो रहा है या नहीं उसका आकलन करना ही विकास पत्रकारिता का कार्य है। विकास पत्रकारिता के जरिए ही इसमें यथा संभव सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

संसदीय पत्रकारिता

लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था की प्रमुख भूमिका है। संसदीय व्यवस्था के तहत संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। बहुमत हासिल करने वाला शासन करता है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है। दोनों की अपनी-अपनी अहम् भूमिका होती है। इनके द्वारा किए जा रहे कार्य पर नजर रखना पत्रकारिता की अहम् जिम्मेदारी है क्योंकि लोकतंत्र में यही एक कड़ी है, जो जनता एवं नेता के बीच काम करता है। जनता किसी का चुनाव इसलिए करते हैं तो वह लोगों की सुख-सुविधा तथा जीवन स्तर सुधारने में कार्य करे। लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि या सरकार अगर अपने मार्ग पर नहीं चलते हैं तो उसको चेताने का कार्य पत्रकारिता करती है। इनकी गतिविधि, इनके कार्य की निगरानी करने का कार्य पत्रकारिता करती है।

टेलीविजन पत्रकारिता

समाचार पत्र एवं पत्रिका के बाद श्रव्य माध्यम का विकास हुआ और इसके बाद श्रव्य दृश्य माध्यम का विकास हुआ। दूर संचार क्रांति में सेटेलाईट, इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआकि आज इसके बिना चलना मुश्किल-सा हो गया है। इसे मुख्यतः तीन वर्गों में रखा जा सकता है जिसमें सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। सूचना में समाचार, सामयिक विषय और जनसचार उद्घोषणाएं आते हैं। मनोरजंन के क्षेत्र में फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम, नाटक, धारावाहिक, नृत्य, संगीत तथा मनोरंजन के विविध कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। शिक्षा क्षेत्र में टेलीविजन की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पाठय सामग्री पर आधारित और सामान्य ज्ञान पर आधारित दो वर्गों में शैक्षिक कार्यक्रमों को बांटा जा सकता है।

आज उपग्रह के विकास के साथ ही समाचार चैनलों के बीच गला काट प्रतिस्पर्द्धा चल पड़ी है। इसके चलते छोटी-सी छोटी घटनाओं का भी लाइव कवरेज होने लगा है।

विधि पत्रकारिता

लोकतंत्र के चार स्तंभ में विधि व्यवस्था की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। नए कानून, उनके अनुपालन और उसके प्रभाव से लोगों को परिचित कराना बहुत ही जरूरी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधी को सजा देना से लेकर शासन व्यवस्था में अपराध रोकने, लोगों को न्याय प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। इसके लिए निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक व्यवस्था है। इसमें रोजाना कुछ न कुछ महत्त्वपूर्ण फैसले सुनाए जाते हैं। कई बड़ी-बड़ी घटनाओं के निर्णय, उसकी सुनवाई की प्रक्रिया चलती रहती है। इस बारे में लोग जानने की इच्छुक रहते हैं, क्योंकि कुछ मुकदमें ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव समाज, संप्रदाय, प्रदेश एवं देश पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि दबाव के चलते कानून व्यवस्था अपराधी को छोड़कर निर्दोष को सजा तो नहीं दे रही है इसकी निगरानी भी विधि पत्रकारिता करती है।

फोटो पत्रकारिता

फोटो पत्रकारिता ने छपाई तकनीक के विकास के साथ ही समाचार पत्रों में अहम् स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिखकर नहीं की जा सकती है वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। दूसरी बात ऐसी घटना जिसमें सबूत की जरूरत होती है वैसे समाचारों के साथ फोटो के साथ समाचार पेशा करने से उसका विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

विज्ञान पत्रकारिता

इक्कीसवीं शताब्दी को विज्ञान का युग कहा गया है। वर्तमान में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। इसकी हर जगह पहुचं हो चली है। विज्ञान में हमारी जीवन शैली को बदलकर रख दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा रोजाना नई-नई खोज की जा रही है। इसमें कुछ तो जनकल्याणकारी हैं तो कुछ विध्वंसकारी भी है। जैसे परमाणु की खोज से कई बदलाव ला दिया है, लेकिन इसका विध्वंसकारी पक्ष भी है। इसे परमाणु बम बनाकर उपयोग करने से विध्वंस होगा। इस तरह विज्ञान पत्रकारिता दोनों पक्षों का विश्लेषण कर उसे पेश करने का कार्य करता है। जहां विज्ञान के उपयोग से कैसे जीवन शैली में सुधार आ सकता है तो उसका गलत उपयोग से संसार ध्वंस हो सकता है।

विज्ञान पत्रकारों को विस्तृत तकनीकी और कभी-कभी शब्दजाल को दिलचस्प रिपोर्ट में बदलकर समाचार पाठक दर्शक की समझ के आधार पर प्रस्तुत करना होता है। वैज्ञानिक पत्रकारों को यह निश्चिय करना होगा कि किस वैज्ञानिक घटनाक्रम में विस्तृत सूचना की योग्यता है। साथ ही वैज्ञानिक समुदाय के भीतर होने वाले विवादों को बिना पक्षपात के और तथ्यों के साथ पेश करना चाहिए।

शैक्षिक पत्रकारिता

शिक्षा के बिना कुछ भी कल्पना करना संभव नहीं है। पत्रकारिता सभी नई सूचना को लोगों तक पहुंचाकर ज्ञान में वृद्धि करती है। जब से शिक्षा को औपचारिक बनाया गया है तब से पत्रकारिता का महत्त्व और बढ़ गया है। जबतक हमें नई सूचना नहीं मिलेगी हमें तब तक अज्ञानता घेर कर रखी रहेगी। उस अज्ञानता को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है पत्रकारिता। चाहे वह रेडियो हो या टेलीविजन या समाचार पत्र या पत्रिकाएं सभी में नई सूचना हमें प्राप्त होती है जिससे हमें नई शिक्षा मिलती है। एक बात और कि शिक्षित व्यक्ति एक माध्यम में संतुष्ट नहीं होता है। वह अन्य माध्यम को भी देखना चाहता है। यह जिज्ञासा ही पत्रकारिता को बढ़ावा देती है तो पत्रकारिता उसकी जिज्ञासा के अनुरूप शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान कर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। इसे पहुंचाना ही शैक्षिक पत्रकारिता का कार्य है।

सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रकारिता

मनुष्य में कला, संस्कृति एवं साहित्य की भूमिका निर्विवादित है। मनुष्य में छिपी प्रतिभा, कला चाहे वह किसी भी रूप में हो उसे देखने से मन को तृप्ति मिलती है। इसलिए मनुष्य हमेशा नई नई कला, प्रतिभा की खोज में लगा रहता है। इस कला प्रतिभा को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है पत्रकारिता। कला प्रतिभाओं के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में लोगों को पहुंचाने का काम पत्रकारिता करता है। इस सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता के कारण आज कई विलुप्त प्राचीन कला जैसे लोक नृत्य, लोक संगीत, स्थापत्य कला को खोज निकाला गया है और फिर से जीवित हो उठे हैं। दूसरी ओर भारत जैसे विशाल और बहु-संस्कृति वाले देश में सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता के कारण देश की एक अलग पहचान बन गई है। कुछ आचंलिक लोक नृत्य,

लोक संगीत एक अंचल से निकलकर देश, दुनिया तक पहचान बना लिया है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रारंभ से ही नियमित रूप से सांस्कृतिक साहित्यिक कलम को जगह दी है। इसी तरह चैनलों पर भी सांस्कृतिक, साहित्यिक समाचारों का चलन बढ़ा है। एक अध्ययन के अनुसार दर्शकों के एक वर्ग ने अपराध व राजनीति के समाचार कार्यक्रमों से कहीं अधिक अपनी सांस्कृति से जुड़े समाचारों व समाचार कार्यक्रमों से जुड़ना पसंद किया है। साहित्य व सांस्कृति पर उपभोक्तावादी संस्कृति व बाजार का प्रहार देखकर केंद्र व प्रदेश की सरकारें बहुत बड़ा बजट इन्हें संरक्षित करने व प्रचारित-प्रसारित करने में खर्च कर रही है। साहित्य एवं संस्कृति के नाम पर चलने वाली बड़ी-बड़ी साहित्यिक व सांस्कृति संस्थाओं के बीच वाद-प्रतिवाद, आरोप-प्रत्यारोप और गुटबाजी ने साहित्य सांस्कृति में मसाला समाचारों की संभावनाओं को बहुत बढ़ाया है।

अपराध पत्रकारिता

राजनीतिक समाचार के बाद अपराध समाचार ही महत्त्वपूर्ण होते हैं। बहुत से पाठकों व दर्शकों को अपराध समाचार जानने की भूख होती है। इसी भूख को शांत करने के लिए ही समाचार पत्रों व चैनलों में अपराध डायरी, सनसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे समाचार कार्यक्रम प्रकाशित एवं प्रसारित किए जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार किसी समाचार पत्र में लगभग पैंतीस प्रतिशत समाचार अपराध से जुड़े हाते हैं। इसी से अपराध पत्रकारिता को बल मिला है। दूसरी बात यह कि अपराधिक घटनाओं का सीधा संबंध व्यक्ति, समाज, संप्रदाय, धर्म और देश से होता है। आपराधिक घटनाओं का प्रभाव व्यापक होता है। यही कारण है कि समाचार संगठन बड़े पाठक दर्शक वर्ग का ख्याल रखते हुए इस पर विशेष फोकस करते हैं।

राजनैतिक पत्रकारिता

समाचार पत्रों में सबसे अधिक पढ़े जानेवाले और चैनलों पर सर्वाधिकदेखे सुने जानेवाले समाचार राजनीति से जुड़े होते हैं। राजनीति की उठा-पटक, लटके-झटके, आरोप-प्रत्यारोप, रोचक-रोमांचक, झूठ-सच, आना-जाना आदि से जुड़े समाचार सुर्खियों में होते हैं। राजनीति से जुड़े समाचारों का पूरा का पूरा बाजार विकसित हो चुका है। राजनीतिक समाचारों के बाजार में समाचार पत्र और

समाचार चैनल अपने उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए नित नये प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। चुनाव के मौसम में तो प्रयोगों की झड़ी लग जाती है और हर कोई एक-दूसरे को पछाड़कर आगे निकल जाने की होड़ में शामिल हो जाता है। राजनीतिक समाचारों की प्रस्तुति में पहले से अधिक बेबाकी आयी है। लोकतंत्र की दुहाई के साथ जीवन के लगभग हर क्षेत्र में राजनीति की दखल बढ़ा है और इस कारण राजनीतिक समाचारों की भी संख्या बढ़ी है। ऐसे में इन समाचारों को नजरअंदाज कर जाना संभव नहीं है। राजनीतिक समाचारों की आकर्षक प्रस्तुति लोकप्रिया हासिल करने का बहुत बड़ा साधन बन चुकी है।

पत्रकारिता के विविध आयाम

मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से अलग-अलग जानकारी की अपेक्षा रखता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा? समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि स्वतंत्र भारत में इंटरनेट और सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) ने आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध कराई जा सकती है। मीडिया आज काफी सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुँच हर क्षेत्र में हो चुकी है। लेकिन सामाजिक सरोकार एवं भलाई के नाम पर मिली अभिव्यक्ति की आजादी का कभी-कभी दुरुपयोग होने लगा है। पत्रकारिता के नए आयाम को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:-

सामाजिक सरोकारों की तुलना में व्यावसायिकता-अधिकसंचार क्रांति तथा सूचना के अधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। विज्ञापनों से होनेवाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफी हद् तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज अधिक से अधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यावसायिक

दृष्टिकोण का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इन्फोटेंमेट ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है।

समाचार माध्यमों का विस्तार–आजादी के बाद देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने-वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, सेटेलाइट टेलीविजन और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर है। लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाली पूंजी ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है।

जहां तक भारत में पत्रकारिता के नए आयाम की बात है इसके अन्तर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाओं के साथ टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, तथा वेब पेज आदि आते हैं। यहां अधिकांश मीडिया निजी हाथों में है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा नियंत्रित है। भारत में 70, 000 से अधिक समाचार पत्र हैं, 690 उपग्रह चौनेल हैं जिनमें से 80 समाचार चौनेल हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है। प्रतिदिन 10 करोड़ प्रतियाँ बिकतीं हैं।

पत्रकारिता खास से मास की ओर–व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने 'खास बाजार' (क्लास मार्केट) को 'आम बाजार' (मास मार्केट)में तब्दील करने की कोशिश की है। कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी-कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है।

समाचार के नाम पर मनोरंजन की बिक्री–समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। आज निश्चित रूप से यह कहा जा सकता कि समाचार मीडिया लोगों के एक बड़े हिस्से को 'जानकार नागरिक' बनने में मदद करने के बदले अधिकांश मौकों पर लोगों को 'गुमराह उपभोक्ता' अधिक बना रहा है। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के अनेक समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक-आध चैनलो को ही छोड़कर अधिकांश इन्फोटेंमेंट के चैनल बनकर रह गए हैं।

समाचार अब उपभोक्ता वस्तु बनने लगा–आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है और समाचार पेप्सी-कोक जैसी उपभोग की वस्तु बन गया है और पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के स्थान पर अपने तक सीमित उपभोक्ता बैठ गया है। उपभोक्ता समाज का वह तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है और व्यापारीक मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार उत्पाद पेश किए जाने लगे हैं और उन तमाम वास्तविक समाचारीय घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है, जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थी और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में अधिकाधिक लोगों की 'चाहत' पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की 'जरूरत' किनारे की जा रही है।

समाचार पत्रों में विविधता की कमी–यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की हाडे में एक ही तरह के समाचारों पर टूट पड़ रहा है। इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं। अनेक समाचार चैनल हैं। सिर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचार का एक ही तरह से प्रस्तुत होना देखते रहिए।

सनसनीखेज या पेज-थ्री पत्रकारिता की ओर रुझान खत्म–इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और 'पेज-थ्री' पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्त्व रहा है, जैसे ब्रिटेन का टेबलायड मीडिया और भारत में भी 'ब्लिज' जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। 'पेज-थ्री' भी मुख्यधारा पत्रकारिता में मौजूद रहा है। लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया है।

समाचार माध्यमों का केन्द्रीकरण–समाचार माध्यमों में विविधता समाप्त होने के साथ-साथ केन्द्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ चन्द बड़े, जिन्हें 'राष्ट्रीय' कहा जाता था, अखबार थे। इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला-तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र

थे। नई प्रौद्यौगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया और अब 'राष्ट्रीय' प्रेस 'क्षेत्रीय' में प्रवेश कर रहा है या 'क्षेत्रीय' प्रेस राष्ट्रीय का रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचारपत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्मकेन्द्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है, ही साथ ही समाचारों की पिटी-पिटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित् और स्वाभाविक स्थान पर बहाल कर ही साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो समय के साथ पत्रकारिता का विस्तार होता जा रहा है।

रेडियो पत्रकारिता

हमने देखा है कि मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया है। यद्यपि समाचार पत्र जनसंचार के विकास में एक क्रांति ला चुके थे लेकिन 1895 में मार्कोनी ने बेतार के तार का पता लगाया और आगे चलकर रेडियो के आविष्कार के जरिए आवाज एक ही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने लगी। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। आगे चलकर सिनेमा और टेलीविजन के जरिए कई चुनौतियां मिली लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण इन चुनौतियों का सामना करता रहा है। भविष्य में भी इसका स्थान सुरक्षित है।

भारत में 1936 से रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। आज भारत के कोने-कोने में देश की लगभग 97 प्रतिशत जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। रेडियो मुख्य रूप से सूचना तथा समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और विज्ञापन प्रसारण का कार्य करता है। अब संचार क्रांति ने तो इसे और भी विस्तृत बना दिया है। एफएम चैनलों ने तो इसके स्वरूप ही बदल दिए हैं। साथ ही मोबाइल के आविष्कार ने इसे और भी नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब रेडियो हर

मोबाइल के साथ होने से इसका प्रयागे करने वालों की संख्या भी बढ़ी है क्योंकि रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है कि एक ही समय में स्थान और दूरी को लांघकर विश्व के कोने-कोने तक पहुंच जाता है। रेडियो का सबसे बड़ा गुण है कि इसे सुनते हुए दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। रेडियो समाचार ने जहां दिन-प्रतिदिन घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी का कार्यभार संभाल रखा है वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि यह हर वर्ग जोड़े रखने में यह एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

मुद्रण के आविष्कार के साथ समाचार पत्र ने जनसंचार के विकास में एक क्रांति को ला दिया था। इसके बाद श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो ने एक ही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने का माध्यम बना दिया। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। इसके बाद टेलीविजन के आविष्कार ने दोनों श्रव्य एवं दृश्य माध्यम को एक और नया आयाम प्रदान किया है।

भारत में आजादी के बाद साक्षरता और लोगों में क्रय शक्ति बढ़ने के साथ ही अन्य वस्तुओं की तरह मीडिया के बाजार की भी मांग बढ़ी है। नतीजा यह हुआ कि बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। इसमें सरकारी टेलीविजन एवं रेडियो के अलावा निजी क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है। इसके अलावा सेटेलाईट टेलीविजन और इंटरनेट ने दो कदम और आगे बढ़कर मीडिया को फैलाने में सहयोग किया है। समाचार पत्र में भी पूंजी निवेश के कारण इसका भी विस्तार हो रहा है। इसमें सबसे खास बात यह रही कि चाहे वह शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र भारत में इलेक्ट्रोनिक मीडिया पिछले 15-20 वर्षों में घर घर में पहुँच गया है। शहरों और कस्बों में केबल टीवी से सैकड़ों चैनल दिखाए जाते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कम से कम 80 प्रतिशत परिवारों के पास अपने टेलीविजन सेट हैं और मेट्रो शहरों में रहने वाले दो तिहाई लोगों ने अपने घरों में के बिल कनेक्शन लगा रखे हैं। अब तो सेट टॉप बॉक्स के जरिए बिना केबल के टीवी चल रहे हैं। इसके साथ ही शहर से दूर-दराज के क्षेत्रों में भी लगातार डीटीएच-डायरेक्ट टु होम सर्विस का विस्तार हो रहा है। प्रारम्भ

में केवल फिल्मी क्षेत्रों से जुड़े गीत, संगीत और नृत्य से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का माध्यम बना एवं लंबे समय तक बना रहा, इससे ऐसा लगने लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ फिल्मी कला क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के मंच तक ही सिमटकर रह गया है, जिसमें नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रतिभा प्रदर्शन की अपेक्षा नकल को ज्यादा तवज्जो दी जाती रही है। कुछ अपवादों को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यह नई भूमिका अत्यन्त प्रशसंनीय और सराहनीय है, जो देश की प्रतिभाओं को प्रसिद्धि पाने और कला एवं हुनर के प्रदर्शन हेतु उचित मंच और अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है। इसके बावजूद यह माध्यम कभी-कभी बहुत नुकसान भी पहुंचाता है।

सोशल मीडिया

संचार क्रांति के तहत इंटरनेट के आविष्कार ने पूरी दुनिया की दूरी मिटा दी है। पलक झपकते ही छोटी से लेकर बड़ी सूचना उपलब्ध हो जा रही है। दरअसल, इंटरनेट एक ऐसी तकनीक के रूप में हमारे सामने आया है, जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और सर्वहिताय है। इंटरनेट का सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया हैं, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रख पाते हैं। यहीं से सोशल मीडिया का स्वरूप विकसित हुआ है। इंटरनेट के सोशल मीडिया व्यक्तियों और समुदायों के साझा, सहभागी बनाने का माध्यम बन गया है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए उच्च पारस्परिक मंच बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है।

सोशल मीडिया के प्रकार

इस सोशल मीडिया के कई रूप हैं जिनमें कि इन्टरनेट फोरम, वेबलॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रोब्लॉगिंग, विकीज, सोशल नेटवर्क, पाडकास्ट, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। जैसे-सहयोगी परियोजना (उदाहरण के लिए, विकिपीडिया)ब्लॉग और माइक्रोब्लॉग (उदाहरण के लिए, ट्विटर)सोशल खबर नेटवर्किंग साइट्स (उदाहरण के लिए याहू न्यूज, गूगल न्यूज)सामग्री समुदाय (उदाहरण के लिए, यूट्यूब और डेली मोशन)सामाजिक नेटवर्किंग

साइट (उदाहरण के लिए, फेसबुक)आभासी खेल दुनिया (जैसे, वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट)आभासी सामाजिक दुनिया (जैसे सेकेंड लाइफ)।

दो सिविलाइजेशन में बांट रहा है सोशल मीडिया

सोशल मीडिया अन्य पारंपरिक तथा सामाजिक तरीकों से कई प्रकार से एकदम अलग है। इसमें पहुँच, आवृत्ति, प्रयोज्य, ताजगी और स्थायित्व आदितत्त्व शामिल हैं। इंटरनेट के प्रयोग से कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं। एक सर्वे के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ता अन्य साइट्स की अपेक्षा सोशल मीडिया साइट्स पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इंटरनेट के इस आविष्कार ने जहां संसार को एक गांव बना दिया है वहीं इसका दूसरा पक्ष यह है कि दुनिया में दो तरह की सिविलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। एक वर्चुअल और दूसरा फिजिकल सिविलाइजेशन। जिस तेजी से यह प्रचलन बढ़ रहा है आने वाले समय में जल्द ही दुनिया की आबादी से एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर होगा।

विज्ञापन का सबसे बड़ा माध्यम

जन सामान्य तक इसकी सीधी पहुँच होने के कारण इसका व्यापारिक उपयोग भी बढ़ा है। अब सोशल मीडिया को लोगों तक विज्ञापन पहुँचाने के सबसे अच्छा जरिया समझा जाने लगा है। हाल ही के कुछ एक सालों से देखने में आया है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मस पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाने लगा है जैसे, आयु, रुचि, लिगं, गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस विज्ञापन के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं साथ ही साथ आलोचना भी की जा रही है।

समाज पर पड़ रहा नकारात्मक प्रभाव

जहाँ इंटरनेट के सोशल मीडिया ने व्यक्तियों और समुदायों के बीच सूचना आदान-प्रदान में सहभागी बनाने का माध्यम बनकर समाज पर सकारात्मक प्रभाव ड़ाला है वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आया है। अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रखने की छूट ने ये साइट्स ऑनलाइन शोषण का साधन भी बनती जा रही हैं। ऐसे कई केस दर्ज किए गए हैं जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का प्रयोग लोगों को सामाजिक रूप से हानि पहुंचाता है।

इसके साथ ही लोगों की खिंचाई करने तथा अन्य गलत प्रवृत्तियों के लिए किया गया है। कुछ दिन पहले भद्रक में हुई एक घटना ने सोशल मीडिया के खतरनाक पक्ष को उजागर किया था। वाक्या यह हुआ था कि एक किशोर ने फेसबुक पर एक ऐसी तस्वीर अपलोड कर दी जो बेहद आपत्तिजनक थी, इस तस्वीर के अपलोड होते ही कुछ घंटे के भीतर एक समुदाय के सैंकडों गुस्साए लोग सडकों पर उतार आए। जब तक प्रशासन समझ पाता कि माजरा क्या है, भद्रक में दंगे के हालात बनगए। प्रशासन ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया और जल्द ही वह फोटो अपलोड करने वाले तक भी पहुँच गया। लोगों का मानना है कि पारंपरिक मीडिया के आपत्तिजनक व्यवहार की तुलना में नए सोशल मीडिया के इस युग का आपत्तिजनक व्यवहार कई मायने में अलग है। नए सोशल मीडिया के माध्यम से जहां गड़बड़ी आसानी से फैलाई जा सकती है, वहीं लगभग गुमनाम रहकर भी इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

वेब पत्रकारिता

वर्तमान दौर संचार क्रांति का दौर है। संचार क्रांति की इस प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों के भी आयाम बदले हैं। आज की वैश्विक अवधारणा के अंतर्गत सूचना एक हथियार के रूप में परिवर्तित हो गई है। सूचना जगत गतिमान हो गया है, जिसका व्यापक प्रभाव जनसचांर माध्यमों पर पड़ा है। पारंपरिक संचार माध्यमों समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन की जगह वेब मीडिया ने ले ली है।

वेब पत्रकारिता आज समाचार पत्र-पत्रिका का एक बेहतर विकल्प बन चुका है। न्यू मीडिया, ऑनलाइन मीडिया, साइबर जर्नलिज्म और वेब जर्नलिज्म जैसे कई नामों से वेब पत्रकारिता को जाना जाता है। वेब पत्रकारिता प्रिंटऔर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया का मिला-जुला रूप है। यह टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो के जरिये स्क्रीन पर हमारे सामने है। माउस के सिर्फ एक क्लिक से किसी भी खबर या सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध होती है जिसके लिए किसी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता।

वेब पत्रकारिता का एक स्पष्ट उदाहरण बनकर उभरा है विकीलीक्स। विकी लीक्स ने खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में वेब पत्रकारिता का जमकर उपयोग किया है। खोजी पत्रकारिता अब तक राष्ट्रीय स्तर पर होती थी लेकिन विकीलीक्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया व अपनी रिपोर्टों से खुलासे कर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी।

भारत में वेब पत्रकारिता को लगभग एक दशक बीत चुका है। हाल ही में आए ताजा आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट के उपयोग के मामले में भारत तीसरे पायदान पर आ चुका है। आधुनिक तकनीक के जरिये इंटरनेट की पहुंच घर-घर तक हो गई है। युवाओं में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। परिवार के साथ बैठकर हिंदी खबरिया चैनलों को देखने की बजाए अब युवा इंटरनेट पर वेब पोर्टल से सूचना या ऑनलाइन समाचार देखना पसंद करते हैं। समाचार चैनलों पर किसी सूचना या खबर के निकल जाने पर उसके दोबारा आने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन वहीं वेब पत्रकारिता के आने से ऐसी कोई समस्या नहीं रह गई है। जब चाहे किसी भी समाचार चैनल की वेबसाइट या वेब पत्रिका खोलकर पढ़ा जा सकता है।

लगभग सभी बड़े-छोटे समाचार पत्रों ने अपने ई-पेपर यानि इटंरनेट संस्करण निकाले हुए हैं। भारत में 1995 में सबसे पहले चेन्नई से प्रकाशित होने वाले 'हिंदू' ने अपना ई-संस्करण निकाले। 1998 तक आते-आते लगभग 48 समाचार पत्रों ने भी अपने ई संस्करण निकाले। आज वेब पत्रकारिता ने पाठकों के सामने ढेरों विकल्प रख दिए हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में जागरण, हिन्दुस्तान, भास्कर, नवभारत, डेली एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सभी पत्रों के ई-संस्करण मौजूद हैं।

भारत में समाचार सेवा देने के लिए गूगल न्यूज, याहू, एमएसएन, एनडीटीवी, बीबीसी हिंदी, जागरण, भड़ास फॉर मीडिया, ब्लाग प्रहरी, मीडिया मंच, प्रवक्ता, और प्रभा उसाक्षी प्रमुख वेबसाइट हैं, जो अपनी समाचार सेवा देते हैं।

वेब पत्रकारिता का बढ़ता विस्तार देख यह समझना सहज ही होगा कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। मीडिया के विस्तार ने वेब डेवलपरों एवं वेब पत्रकारों की मांग को बढ़ा दिया है। वेब पत्रकारिता किसी अखबार को प्रकाशित करने और किसी चैनल को प्रसारित करने से अधिक सस्ता माध्यम है। चैनल अपनी वेबसाइट बनाकर उन पर ब्रेकिंग न्यूज, स्टोरी, आर्टिकल, रिपोर्ट, वीडियो या साक्षात्कार को अपलोड और अपडेट करते रहते हैं। आज सभी प्रमुख चैनलो (आईबीएन, स्टार, आज तक आदि) और अखबारों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई हैं। इनके लिए पत्रकारों की नियुक्ति भी अलग से की जाती है। सूचनाओं का डाकघर कही जाने वाली संवाद समितियां जैसे-पीटीआई, यूएनआई, एएफपी और रायटर आदि अपने समाचार तथा अन्य सभी सेवाएं ऑनलाइन देती हैं।

कम्प्यूटर या लैपटॉप के अलावा एक और ऐसा साधन मोबाइल फोन जुड़ा है, जो इस सेवा को विस्तार देने के साथ उभर रहा है। फोन पर ब्रॉडबैंड सेवा ने आमजन को वेब पत्रकारिता से जोड़ा है। पिछले दिनों मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट की ताजा तस्वीरें और वीडियो बनाकर आम लोगों ने वेब जगत के साथ साझा की। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेद्रं मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया गया। इसके जरिए गांवों में पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा मुहैया कराई गई है। इससे पता चलता है कि भविष्य में यह सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंचेंगी।

वेब पत्रकारिता ने जहां एक ओर मीडिया को एक नया क्षितिज दिया है वहीं दूसरी ओर यह मीडिया का पतन भी कर रहा है। इंटरनेट पर हिंदी में अब तक अधिक काम नहीं किया गया है, वेब पत्रकारिता में भी अंग्रेजी ही हावी है। पर्याप्त सामग्री न होने के कारण हिंदी के पत्रकार अंग्रेजी वेब साइटों से ही खबर लेकर अनुवाद कर अपना काम चलाते हैं। वे घटना स्थल तक भी नहीं जाकर देखना चाहते कि असली खबर है क्या?

यह कहा जा सकता है कि भारत में वेब पत्रकारिता ने एक नई मीडिया संस्कृति को जन्म दिया है। अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी पत्रकारिता को भी एक नई गति मिली है युवाओं को नये रोजगार मिले हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इटंरनेट की पहुंच हो जाने से यह स्पष्ट है कि वेब पत्रकारिता का भविष्य बेहतर है। आने वाले समय में यह पूर्णत: विकसित हो जाएगी।

विज्ञापन और पत्रकारिता

चूंकि जनसंचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है तो विज्ञापन का प्रयोग इन माध्यमों में प्रचार के लिए किया जाता है। वर्तमान संसार में ग्लोबल विलेज की कल्पना की जा रही है। इस गांव में रहने वाले एक-दूसरे को अपनी वस्तुओं की जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापनों की आवश्यकता होती है। इसलिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरी बात यह कि तकनीक एवं औद्योगिक विकास के साथ ही उत्पादन की अधिकता एवं उसकी बिक्री ने भी विज्ञापन बाजार को बढ़ा दिया है। तीसरी बात यह है कि जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ी है लोगों में क्रय करने की शक्ति बढ़ी है। उनकी मांगों को पूरी करने के साथ उत्पादक अपने उत्पाद के बारे में बताने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। उत्पादक कम खर्च पर उसके उत्पादन सामग्री की खूबी बताने,

अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है जनसचांर माध्यम। इसलिए विज्ञापनों की विकास यात्रा में जनसंचार माध्यमों के विकास का बहुत बड़ा योगदान है। चौथी बात यह होती है कि जनसंचार माध्यम के खर्च की भरपाई इन्हीं विज्ञापन के जरिए होती है। लेकिन पिछले कुछ सालो ं से बाजारवाद के कारण विज्ञापन जनसचांर माध्यम की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। माध्यम के आधार पर विज्ञापन के तीन प्रकार होते हैं-दृश्य, श्रव्य और दृश्य-श्रव्य। विज्ञापनों की भाषा अलग प्रकार की होती है। सरकारी विज्ञापन की भाषा व्यापारिक विज्ञान की तुलना में जटिल होती है।

प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ

भारतीय पत्रकारिता का इतिहास लगभग दो सौ वर्ष पुराना है। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म अठारहवीं शताब्दी के चतुर्थचरण में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हुआ। 1780 ई. में प्रकाशित 'कलकत्ता गजट' कदाचित् इस ओर पहला प्रयत्न था। हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तण्ड (1826) के प्रकाशित होने तक इन नगरों की ऐंग्लो इंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो गई थी।

आज की स्थिति में भारत की विभिन्न भाषाओं में 70 हजार समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है। प्रतिदिन 10 करोड़ प्रतियाँ बिकतीं हैं। जहां तक हिंदी समाचार पत्र की बात है, 1990 में हुए राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती थी कि पांच अगुवा अखबारों में हिन्दी का केवल एक समाचार पत्र हुआ करता था। लेकिन पिछले 2016 सर्वे ने साबित कर दिया कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार 2016 सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पांच अखबारों में शुरू के चार हिदीं के हैं। देश में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले दस समाचार पत्र निम्नलिखित हैं-

दैनिक जागरणः- कानपुर से 1942 से प्रकाशित दैनिक जागरण हिंदी समाचार पत्र में वर्तमान में सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में शुमार है। इसके 11 राज्यो में दर्जनों संस्कारण हैं। इसकी प्रसार संख्या जून 2016 तक 3, 632, 383 दर्ज की गई थी।

दैनिक भास्करः- भेपाल से 1958 में आरंभ यह समाचार पत्र वर्तमान में 14 राज्यो में 62 संस्करण में प्रकाशित हो रहे हैं। हिंदी के साथ इसके अंग्रेजी,

मराठी एवं गुजराती भाषा में भी कई संस्करण हैं। इसकी प्रसार संख्या जनू 2016 तक 3, 812, 599 थी।

अमर उजाला:- आगरा से 1948 से प्रारंभ अमर उजाला के वर्तमान सात राज्यों एवं एक केंद्रीशासित प्रदेश में 19 संस्करण हैं। इसकी जनू 2016 तक प्रसार सख्या 2, 938, 173 होने का रिकार्ड किया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया:- अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 को सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। यह देश का चौथा सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र है। इसके साथ ही यह विश्व का छठा सबसे अधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र है। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 3, 057, 678 थी। भारतके अधिकांश राज्यों की राजधानी में इसके संस्करण हैं।

हिंदुस्तान:- दिल्ली से 1936 से प्रकाशित हिदुंस्तान के वर्तमान 5 राज्यों में 19 संस्करण हैं। इसकी प्रसार संख्या जून 2016 तक 2, 399, 086 थी।

मलयाला मनोरमा:- मलयालम भाषा में प्रकाशित यह समाचार पत्र 1888 में कोट्टायम से प्रकाशित हुआ। यह केरल का सबसे पुराना समाचार पत्र है। यह केरल के 10 शहरों सहित बैंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, दुबई एवं बहरीन से प्रकाशित है। इसकी दिसंबर 2015 तक प्रसार संख्या 2, 342, 747 थी।

ईनाडु:- तेलुगू भाषा में प्रकाशित ईनाडु समाचार पत्र का 1974 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आंध्र प्रदेश एवं तेलेंगा नामें इसके कई संस्करण हैं। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 1, 807, 581 थी।

राजस्थान पत्रिका:- 1956 से दिल्ली में प्रारंभ राजस्थान पत्रिका वर्तमान 6 राज्यों में दर्जनों संस्करण में प्रकाशित हो रहे हैं। जनू 2016 तक इसकी प्रसार संख्या 1, 813, 756 थी।

दैनिक थेथीं:- तमिल भाषा में प्रकाशित दैनिक थेंथी सर्वप्रथम 1942 में प्रकाशित हुआ। वर्तमान विदेशों सहित 16 शहरों में इसके संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। जून 2016 तक इसकी प्रसार संख्या 1, 714, 743 थी।

मातृभूमिमलयालम:- भाषा में प्रकाशित मातृभाषा का प्रथम प्रकाशन 1923 को हुआथा। केरल के 10 शहरों सहित चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई और नई दिल्ली से प्रकाशित हो रहे हैं। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 1, 486, 810 थी।

देश में सर्वाधिक प्रसारित दस हिंदी दैनिक में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, पत्रिका, प्रभातखबर, नवभारत टाइम्स, हरिभूमि, पंजाब केसरी शामिल हैं। अंग्रेजी के दस सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दि हिंदू, मुंबई मिरर, दि टेलीग्राफ, दि इकोनोमिक्स टाइम्स, मिड डे, दि ट्रिब्यून, डेकान हेरल्ड, डेकान क्रानिकल्स शामिल हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में मलयालम मनोरमा (मलयालम), दैनिक थेथीं (तमिल), मातृभूमि (मलयालम), लोकमत (मराठी), आनंद बाजार पत्रिका (बंगाली), ईनाडु (तेलुगू), गुजरातसमाचार (गुजराती), सकल (मराठी), संदेश (गुजराती), साक्षी (मराठी) शामिल हैं।

पत्रिकाओं में दस सर्वाधिक प्रसारित हिंदी पत्रिकाओं में प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे, सरस सलील, सामान्य ज्ञान दर्पण, गृहशोभा, जागरण जोश प्लस, क्रिकेट सम्राट, डायमंड क्रिकेट टुडे, मेरी सहेली एवं सरिता शामिल हैं। अंग्रेजी की सर्वाधिक दस पत्रिकाओं में इंडिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण, जेनेरल नॉलेज टुडे, दि स्पोटर्स स्टार, कंपिटिशन सक्सेस रिवियू, आउटलुक, रिडरर्स डायजेस्ट, फिल्मफेयर, डायमंड क्रिकेट टुडे, फेमिना शामिल हैं। दस क्षेत्रीय पत्रिकाओं में थेंथी (मलयालम), मातृभूमि आरोग्य मासिक (मलयालम), मनोरमा तोझी विधि (मलयालम), कुमुद (तमिल), कर्म संगठन (बंगाली), मनोरमा तोझी वर्थ (मलयालम), गृहलक्ष्मी (मलयालयम), मलयालम मनोरमा (मलयालम), कुंगुमम (तमिल) एवं कर्मक्षेत्र (बंगाली) शामिल हैं।

देश में सर्वाधिक प्रसारित साप्ताहिक समाचार पत्र में हिंदी के रविवासरीय हिंदुस्तान, अंग्रेजी का दि संडे टाइम्स ऑफ इंडिया, मराठी का रविवार लोकसत्ता, अंग्रेजी का दि स्वीकिंग ट्री, बंगाली का कर्म संगठन शामिल है। इसके अलावा देश में अलग-अलग भाषाओं में हजारों की संख्या में साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में पत्रिकाएँ प्रकाशित होती है।

हिंदी के प्रमुख पत्रकार

समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की चर्चा में हमने देखा कि भारत में हिंदीपत्रकारिता का इतिहास लगभग दो सौ वर्ष पुराना है। पहला हिंदी समाचार पत्र होने का श्रेय चूंकि 'उदंत मार्तण्ड' (1826) को जाता है तो इसके संपादक को भी हिंदी के पहले पत्रकार होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि उस समय

संपादक ही पत्रकार की भूमिका निर्वाह करते होंगे। इसके बाद इन दो सौ सालों में अनगिनत पत्रकार हुए हैं जिन्होनें अपनी कलम से सामाजिक सरोकारों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने में पत्रकारिता ही सबसे बड़ा अस्त्र बना था। पत्रकारिता ने अंग्रेजी सत्ता के दमन नीति, लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय, अत्याचार एवं कुशासन के खिलाफ निरंतर विरोध का स्वर उठाया जिसके परिणाम स्वरूप देश में एकजुटता आई। इसका नतीजा यह रहा कि पूरे देश में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ स्वर उठा और आखिर अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। लोगों में स्वतंत्रता का अलखज गाने की कोशिश में न जाने कितने संपादक-सह-पत्रकार शहीद हुए हैं तो न जाने कितनों की आवाज भी दबा दी गई हो गई फिर भी पत्रकारों ने सामाजिक सरोकारों को नहीं छोड़ा। दूसरा उदाहरण था हिदीं भाषा को स्थापित करना। हिदीं भाषा साहित्य जगत में कुछ ऐसे महान साहित्यकार हुए हैं, जो संपादक-पत्रकार ही थे। उनका जिक्र किए बगैर हम हिंदी भाषा के किसी भी रूप की चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उस समय हिंदी साहित्य और पत्रकारिता एवं साहित्कार एवं पत्रकार दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची बने हुए थे। उन्होंनें अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था जब अंग्रेजी शासक अंग्रेजी को ही देश की भाषा बनाना चाहता था। इन लेखक-पत्रकारों ने अंग्रेजी भाषा के मुकाबले हिंदी किसी भी विधा में कमजोर नहीं है यह साबित करने के लिए ही पद्य एवं गद्य विधा के सभी रूपों में लेखनी चलाई है और साबित कर दिया कि हिंदी भाषा में चाहे वह कविता हो या गद्य और पद्य में चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, आलोचना हो, जीवनी हो या अन्य कोई विधा सभी में लिखा जा सकता है। इस तरह इन लेखक-साहित्यकार-पत्रकार-संपादकों ने साहित्यिक पत्रकार के रूप में अंग्रेजी भाषा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज भारत आजाद हो चुका है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हिंदी पत्रकार तथा पत्रकारिता की इस अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आज भी लड़ाई जारी है क्योंकि आज भी हिंदी भाषा को देश में वह स्थान एवं सम्मान नहीं मिल पाया है जितना मिलना चाहिए।

आज देश आजाद हो गया लेकिन पत्रकारों की भूमिका कम नहीं हुई। अब लक्ष्य बदल गया। पहले लड़ाई अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थी जो अब बदलकर देश में जारी अशिक्षा, उपेक्षा, बेरोजगारी, किसान की समस्या, नारी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, भोजन की समस्या के खिलाफ जंग जारी है। समाज में

सबसे नीचे जीने वाले लोगों को न्याय दिलाने तथा मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ध्येय बन गया है। दूर संचार क्रांति के बाद तो इलेक्ट्रानिक्स मीडिया और अब इंटरनेट के आविष्कार के साथ सोशल एवं वेब मीडिया ने तो इसे और धार दे दिया है। आज समय के साथ ऐसा बदलाव आया कि पत्रकारिता को समाज ने पेशे के रूप में स्वीकार कर लिया है। आज की स्थिति में भारत के विभिन्न भाषाओं में 70 हजार समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है तो निश्चित रूप से लाखों पत्रकार भी होगें आज स्थिति चाहे जो भी हो जैसा भी हो हमारे से पहले पत्रकारों ने कुछ आदर्श स्थापित किया था, जो आज भी यथावत् है। शायद उनके कारण ही आज पत्रकार को समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है। उनमें से कुछ निम्न हैं-

स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के प्रमुख पत्रकार

भारतेंदु हरिश्चंद्र (कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन), प्रताप नारायणमिश्र (ब्राह्मण, हिंदोस्तान), मदनमोहन मालवीय (हिन्दोस्तान, अभ्युदय, महारथी, सनातन धर्म, विश्वबंधु लीडर, हिन्दुस्तान टाइम्स), महावीर प्रसाद द्विवेदी (सरस्वती), बालमुकुंद गुप्त (मथुरा अखबार सहित अनेक पत्र-पत्रिका), श्याम सुंदर दास (नागरी प्रचारिणी, सरस्वती), प्रेमचंद (माधुरी, हंस, जागरण), बाबूराव विष्णु पराड़कर (हिंदी बंगवासी, हितवार्ता, भारत मित्र, आज), शिव प्रसादगुप्त (आज, टु डे,), चंद्रधर शर्मा गुलेरी (जैनवैद्य, समालोचक, नागरी प्रचारिणी), बाबू गुलाबराय (संदेश), डा. सत्येंद्र (उद्धारक, आर्यमित्र, साधना, ब्रजभारती, साहित्य संदेश, भारतीय साहित्य, विद्यापीठ, आगरा का त्रैमासिक)।

स्वतंत्रता के बाद के पत्रकार

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय (बिजली, प्रतीक, वाक्, थाट, दिनमान, नवभारत टाइम्स), अरविंद कुमार (सरिता, टाइम्स ऑफ इंडिया, माधुरी, सुचित्र), कृष्णचंद्र अग्रवाल (विश्वमित्र), बालेश्वर प्रसाद अग्रवाल (प्रवर्तक, हिंदुस्तान समाचार), डोरीलाल अग्रवाल (उजाला, अमर उजाला, दिशा भारती), राजेंद्र अवस्थी (सारिका, नंदन, कादंबिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान), महावीर अधिकारी (विचार साप्ताहिक, हिंस्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, करंट), कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना (कमलेश्वर) (कामरेड, सारिका, गंगा, दैनिक जागरण), कर्पूरचंद्र कुलिश (राष्टकृदूत, राजस्थान पत्रिका), धर्मवीर गांधी

(हिंदुस्तान समाचार, साथी, समाचार भारती, देश दुनिया), पूर्णचंद्र गुप्त (स्वतंत्र, दैनिक जागरण, एक्शन, कंचन प्रभा), मन्मथनाथ गुप्ता (बाल भारती, योजना, आजकल), सत्येंद्रगुप्त (आज, ज्ञान मंडल), जगदीश चतुर्वेदी (मधुकर, नवभारत टाइम्स, लोक समाचार समिति, आज), प्रेमनाथ चतुर्वेदी (विश्वमित्र, नवभारत टाइम्स), बनारसी दास चतुर्वेदी (विशाल भारत, मधुकर), युगल किशोर चतुर्वेदी (जागृति, राष्ट्रदूत, लोक शिक्षक), कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी (नवज्योति), अभय छाजलानी (नई दुनिया दैनिक), अक्षय कुमार जैन (अर्जुन, वीणा, दैनिक सैनिक, नवभारत टाइम्स), आनंद जैन (विश्वमित्र, नवभारत टाइम्स), यशपाल जैन (मिलन, जीवन साहित्य, जीवन सुधा), मनोहर श्याम जोशी (आकाशवाणी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान), रतन लाल जोशी (भारत दूत, आवाज, नवनीत, सारिका, दैनिक हिंदुस्तान), शीला झुनझुनबाला (धर्मयुग, अंगजा, कादंबिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान), विश्वनारायण सिंह ठाकुर (नवभारत लोकमान्य, हिंदुस्तान समाचार, युगधर्म, यूएनआई, आलोक, नयन रश्मि), डा. रामचंद्र तिवारी (विश्वमित्र, नवभारत टाइम्स, ग्लोब एजेंसी, दैनिक जनसत्ता, भारतीय रेल पत्रिका), रामानंद जोशी (दैनिक विश्वमित्र, दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादंबिनी), कन्हैया लाल नंदन (धर्मयुग, पराग, सारिका, दिनमान), कुमार नरेंद्र (दैनिक वीरअर्जुन, प्रताप जो), नरेंद्र मोहन (दैनिक जागरण), नारायण दत्त (हिंदी स्क्रीन, भारती, नवनीत, पीटीआई), सतपाल पटाइत (राजहंस, ब्राह्मण सर्वस्व, गढ़देश, विकास), राहुल बारपते (इंदौर समाचार, जयभारत, प्रजा मंडल, नई दुनिया), बांके बिहारी भटनागर (माधुरी, दैनिक हिंदुस्तान), यतींद्र भटनागर (आपबीती, दैनिक विश्वमित्र, भारत वर्ष, अमर भारत, जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान), जयप्रकाश भारती (दैनिक प्रभात, नवभारत टाइम्स, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन), धर्मवीर भारती (अभ्युदय, धर्मयुग), राजेद्रं माथुर (नई दुनिया, नवभारत टाइम्स), रामगोपाल माहेश्वरी (नव राजस्थान, नवभारत), सुरजन मायाराम (नवभारत, एमपी क्रॉनिकल, नई दुनिया, देशबंधु), द्वारिक प्रसाद मिश्र (सारथी, लोकमत, अमृत बाजार), भवानी प्रसाद मिश्र (महिला श्रम, गांधी मार्ग), गणेश मंत्री (धर्मयुग), रघुवीर सहाय (दैनिक नवजीवन, प्रतीक, आकाशवाणी, कल्पना, जनसत्ता, अर्थात), रमेशचंद्र (जालंधर, दैनिक पंजाब केसरी), जंगबहादुर सिंह राणा (द कामरेड, दनेशन, द ट्रिब्यून, दैनिक नवभारत, टाइम्स ऑफ इंडिया), मुकुट बिहारी वर्मा (कर्मवीर, राजस्थान केसरी, प्रणवी, माधुरी, दैनिक आज, स्वदेश, दैनिक हिंदुस्तान), लक्ष्मीशंकर

व्यास (आज, विजय, माधुरी, कमला), भगवतीधर वाजपेयी (स्वदेश, दैनिक वीर अर्जुन, युगधर्म), पुरुषोत्तम विजय (अंकुश, साप्ताहिक राजस्थान, नव राजस्थान, दैनिक सैनिक, दैनिक इंदौर), डा.वेदप्रताप वैदिक (दैनिक जागरण, अग्रवाही, नई दुनिया, धर्मयुग, दिनमान, नवभारत टाइम्स, पीटीआई, भाषा), राधेश्याम शर्मा (दैनिक संचार, इंडियन एक्सप्रेस, युगधर्म, यूएनआई), भानुप्रताप शुक्ल (पांचजन्य, तरुण भारत, राष्ट्रधर्म), क्षेमचंद्र सुमन (आर्य, आर्यमित्र, मनस्वी, मिलाप, आलोचना) राजेंद्र यादव (हंस)विद्यानिवास मिश्र (नवभारत टाइम्स), मृणाल पांडे (दैनिक हिंदुस्तान)। इसके अलवा वर्तमान समय में राहुल बारपुते (नई दुनिया), कर्पूरचंद्र कुलिश (राजस्थान पत्रिका), अशोक जी (स्वतंत्र भारत), प्रभाष जोशी (जनसत्ता), राजेन्द्र अवस्थी (कादम्बिनी), अरुण पुरी (इण्डिया टुडे), जयप्रकाश भारती (नन्दन), सुरेन्द्र प्रताप सिंह (रविवार एवं नवभारत टाइम्स), उदयन शर्मा (रविवार एवं सण्डे आब्जर्वर)। इसके अलावा डा. नंदकिशोर त्रिखा, दीनानाथ मिश्रा, विष्णुखरे, महावीर अधिकारी, प्रभु चावला, राजवल्लभ ओझा, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, चंदूलाल चंद्राकर, शिव सिंह सरोज, घनश्याम पंकज, राजनाथ सिंह, विश्वनाथ, बनवारी, राहुल देव, रामबहादुर राय, भानुप्रताप शुक्ल, तरुण विजय, मायाराम सुरजन, रूसी के करंजिया, नंदकिशोर नौटियाल, आलोक मित्र, अवध नारायण मुद्गल, डा. हरिकृष्ण देवसरे, गिरिजाशंकर त्रिवेदी, सूर्यकांत बाली, आलोक मेहता, रहिवंश, राजेन्द्र शर्मा, रामाश्रय उपाध्याय, अच्युतानंद मिश्र, विश्वनाथ सचदेव, गुरुदेव काश्यप, रमेश नैयर, बाबूलाल शर्मा, यशवंत व्यास, नरेन्द्र कुमार सिंह, महेश श्रीवास्तव, जगदीश उपासने, मुजफ्फर हुसैन, अश्विनी कुमार, रामशरण जोशी, दिवाकर मुक्तिबोध, ललित सुरजन, मधुसूदन आनंद, मदन मोहन जोशी, बबन प्रसाद मिश्र, रामकृपाल सिंह आदि का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत से पत्रकार हुए हैं, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को इस मुकाम तक लाने में सहयोग किया।

समाचार एजेंसियाँ

समाचार एजेंसी या संवाद समिति पत्रकारों की ऐसी समाचार संकलनसंस्थान है, जो अखबारों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट साइटों जैसे, समाचार माध्यमों को समाचार उपलब्ध कराते हैं। आमतौर पर हर देश कीअपनी एक अधिकारिक संवाद समिति होती है। समाचार एजेंसी में अनेक पत्रकार काम करते हैं, जो खबरे अपने मुख्यालय को भेजते हैं जहां से उन्हें संपादित कर

जारी किया जाता है। समाचार एजेंसिया सरकारी, स्वतंत्र व निजी हर तरह की होती हैं।

भारत की प्रमुख एजेंसियो में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई), इंडो-एशियन न्यूज सर्विस (आईएएनएस), एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई), जीएनए न्यूज एजेंसी (जीएनए), समाचार भारती, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यूएनआई), हिदुंस्तान समाचार। ये एजेसियां पहले सैटेलाइट के जरिए समाचार भेजती थीं तब टिकर प्रणाली पर काम होता था। अब कंप्यूटर ने चीजें आसान कर दी हैं और ई.मेल से काम चल जाता है।

पत्रकारिता की अन्य प्रासंगिकताएँ

समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से विभिन्न तरह-तरह की जानकारी हासिल करना चाहता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे का रहस्य क्या है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह से प्रभावित होगा?

जहां तक पत्रकारिता की बात है अन्य विषय की तरह पत्रकारिता में भी समय, विषय और घटना के अनुसार लेखन के तरीके में बदलाव देखा गया है। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम को जोड़ा है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम् हिस्से बन गए हैं। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्त्व है। इनके बिना कोई भी समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कहला सकता है।

संपादकीय

संपादकीय पृष्ठ को समाचा पत्र का सबसे महत्त्वपूर्ण पन्ना माना जाता है। यह समाचार पत्र का प्राण होता है। संपादकीय में किसी भी समसामयिक विषय को लेकर उसका बेबाक विश्लेषण करके उसके विषय में संपादक अपनी राय व्यक्त करता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसमें विषया का गंभीर विवेचन होता है। संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख के अलावा लेख भी प्रकाशित होते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या इसी तरह के किसी विषय पर कुछ विशेषज्ञ

विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इन लेखों में लेखकों का व्यक्तित्त्व व शैली झलकती हैं। इस तरह के लेख व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक शैली के होते हैं।

संपादक के नाम पत्र

आमतौर पर 'संपादक के नाम पत्र' भी संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचार पत्र उसे महत्त्वपूर्ण मानते हैं। यह अन्य सभी स्तंभें से अधिक रुचिकर तथा पठनीय होने के साथ-साथ लोकोपयोगी भी हाते हैं। संपादक के नाम पत्र स्तंभ में पाठक अपने सुझाव, शिकवे शिकायत ही नहीं अपितु कभी-कभी ऐसे विचार भी प्रकट कर देते हैं कि समाज के लिए प्रश्न चिह्न के रूप में खड़े हो जाते हैं और समाज विवश हो जाता है उसका समाधान खोजन के प्रयत्न में।

फोटो पत्रकारिता

छपाई तकनीक के विकास के साथ ही फोटो पत्रकारिता ने समाचार पत्रों में अहम् स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है।

कार्टून कोना

कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्नेपर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं।

रेखांकन और कार्टोग्राफ

रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर से सेक्स के आंकड़ों तक-ग्राफ से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है।

पत्रकारिता के क्षेत्र एवं उनकी रिपोर्टिंग

पत्रकारिता का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग रिपोर्टिंग है। अगर रिपोर्टिंग ही न हो तो पत्रकारिता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज भी आम आदमी के मन में पत्रकार के रूप में सिर्फ रिपोर्टर की ही छवि बनती है। रिपोर्टर वाकई में पत्रकारिता का सबसे अधिक सार्वजनिक चेहरा है। रिपोर्टर से उसके अखबार की पहचान होती है तो रिपोर्टर की पहचान उसकी रिपोर्टों से होती है। पत्रकारिता में कार्य की सुविधा के लिए रिपोर्टरों को अलग-अलग क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया जाता है। इन अलग-अलग क्षेत्रों को सामान्य अर्थों में 'बीट' कहा जाता है मसलन अपराध की खबरों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार की 'बीट' अपराध कही जाएगी और राजनीति में काम करने वाले की पॉलीटिकल बीट। बीट पर पत्रकारिता के कई अलग-अलग क्षेत्र हैं, जैसे अपराध रिपोर्टिंग, खेल रिपोर्टिंग एवं शिक्षा रिपोर्टिंग आदि। इन अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले रिपोर्टर को अपने-अपने क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने के लिए कुछ अलग तरीके से अपने को तैयार करना होता है। हर क्षेत्र के अपने कुछ खास कायदे और नियम हैं। उन्हें जाने समझने बिना पत्रकार अपने क्षेत्र का अच्छा रिपोर्टर नहीं बन सकता और आज तो वैसे भी विशेषज्ञता पत्रकारिता का जमाना है आज एक पत्रकार सिर्फ खेल पत्रकारिता से कैरियर शुरू कर खेल के संपादक के पद तक पहुंच सकता है। ऐसा ही दूसरे क्षेत्रों में भी है। इसलिए पत्रकार जो भी क्षेत्र अपने लिए चुने उसे वहां विशेषज्ञता हासिल करने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिए। ईंट जितनी मजबूत होगी इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खेल, व्यापार, धर्म, अपराध आदि क्षेत्रों में रिपोर्टिंग को एक नया तेवर और नया अंदाज दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण पत्र-पत्रिकाओं में भी रिपोर्टिंग के तौर तरीके बदल रहे हैं। आज किसी बड़े मैच कीखबर का प्रस्तुतिकरण और उसके लिखे जाने का तरीका एकदम बदल गया है। खबर अब अधिक सजीव, संक्षिप्त और जानकारियों से भरी होने लगी हैं। रिपोर्टिंग का बदलता चेहरा पत्रकारिता में नई उम्मीदों का चेहरा है इसलिए किसी भी नए पत्रकार को रिपोर्टिंग के हर गुर को बारीकी से सीखने और स्वयं को उसके अनुरूप विकसित करने पर जोर देना चाहिए।

अपराध रिपोर्टिंग

पत्रकारिता के बदलते स्वरूप के साथ ही अपराध पत्रकारिता भी पूरी तरह बदल गयी है। वर्तमान में अपराध की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाने

लगा है। प्रथम पृष्ठ से लेकर अन्य अन्य महत्त्वपूर्ण पृष्ठों पर भी अपराध की खबरें प्रमुखता से दिखती हैं। जिस तरह अपराध पत्रकारिता की खबरें बढ़ रही हैं, उसी तरह इसमें बेहतर रिपोर्टिंग करने वालों की भी मांग बढ़ी है। समाज में घटने वाली दैनिक घटनायें जैसे- लूट, डकैती, हत्या, बलात्कार, अपहरण, दुर्घटना आदि की कवरेज करने वाले को अपराध संवाददाता कहा जाता है। अपराध संवाददाता की समाज में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर वह गलत तथ्य प्रस्तुत कर देता है, तो इससे समाज को काफी नुकसान भी हो सकता है। अगर अपराध संवाददाता अपने पेशे का सम्मान करते हुए समाज के सामने असलियत प्रस्तुत करने की हिम्मत करता है तो वह बेखौफ पत्रकार की ख्याति अर्जित कर लेता है। अपराध बीट की रिपोर्टिंग बेहद संवेदनशील होती है। इस बीट के रिपोर्टर को अत्यंत व्यवहार कुशल और हरफनमौला होना चाहिये। इस बीट को रफ एंड टफ माना जाता है। इस बीट के रिपोर्टर का अपराधियों से लेकर अक्खड़ पुलिस वालों तक से वास्ता पड़ता है। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहने की आवश्यकता होती है। उसके सामने प्रतिदिन कई तरह के मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। कभी किसी निर्दोश को पुलिस बड़ा अपराधी बताकर पेश कर देती है। इसमें अखबार को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कभी कोई शातिर अपराधी कानून की धाराओं में रिपोर्टर को उलझा देता है। रिपोर्टर के सामने कई तरह की चुनौतियां भी आती है। जिनमें रिपोर्टर को अत्यंत संजीदगी से रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता होती है। कुशल अपराध रिपोर्टिंग के लिए व्यावहारिक ज्ञान के साथ ही अपराध से जुड़े कानूनों की भी पूरी जानकारी होनी चाहिये।

खासकर भारतीय दंड संहिता, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, न्यायालयों की शक्तियां, गिरफ्तारी के नियम, शांति व सदाचार कायम रखने के लिए जमानत के नियम, पुलिस का काम-काज, पुलिस के पास जांच की शक्तियां, हाजिर होने को विवशा करने वाली आदेशिकायें आदि के बारे में रिपोर्टर को विस्तृत जानकारी होनी चाहिये। शहर की कानून व्यवस्था कैसी है, किस तरह के अपराधी अधिक सक्रिय है किन अपराधियों को सफेदपोशों का वरदहस्त प्राप्त है, पुलिस की कार्यशैली किस तरह की है, इन बिन्दुओं को बारीकी से समझे बिना अच्छी रिपोर्टिंग नहीं हो सकती। अपराध संवाददाता को पुलिस मैनुअल भी पढ़ना चाहिये। इससे पुलिस की शक्तियों व कानूनी कार्यशैली का ज्ञान भी हो जाता है।

रिपोर्टिंग की शुरुआत करते ही रिपोर्टर को सभी थानों, पुलिस चौकियों, डी. एस. पी., एस. पी., एस. एस. पी., डी. आई. जी. आदि अधिकारियों के बारे में जानकारी और उनके फोन नंबर हासिल कर लेने चाहिये। इसके साथ ही पुलिस अधिकारियों से लेकर थानाध्यक्षों, ए. एस. आई. व थाने के मुंशी तक के साथ मुलाकातों व तालमेल शुरू कर देना चाहिये। जितने अधिक संपर्क बनेंगे, उतनी जल्दी सूचना मिलेगी। इसके बाद उस सूचना को डेवलप करने का भी मौका मिलेगा।

इससे प्रति अखबार की तुलना में अधिक ठोस व तथ्यात्मक रिपोर्टिंग हो सकेगी। इसके साथ ही अपराध की खबरों के लिए मुख्य तौर पर थाने के अलावा अस्पताल भी मुख्य केन्द्र होता है। अस्पताल में पुलिस केस बनने लायक आये लड़ाई-झगड़ों से लेकर एक्सीडेंट, आत्महत्या, हत्या के प्रयास जैसे मामले आते हैं।

अपराध संवाददाता को कवरेज के समय कई और महत्त्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर दहेज के मामले में की गई हत्या की रिपोर्टिंग करनी है, तो इसे बेहद संजीदगी से करने की जरूरत होती है। दहेज विरोधी कानून महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे कि दहेज लोभियों को सख्त सजा मिल सके। वर्तमान में अधिकांश मामलों में इस कानून का दुरुपयोग होता दिख रहा है। महिला किसी भी कारण से क्यों न मरी हो, लेकिन लड़की के घर वाले लड़के के परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। इसमें कई बार निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाता है। इस स्थिति में रिपोर्टर को केवल पुलिस थाने में रिपोर्ट के आधार पर ही खबर नहीं बनानी चाहिये, बल्कि पूरे मामले की अपने स्तर से भी तहकीकात करनी चाहिये। इस कार्य को संवाददाता को अपनी जिम्मेदारी समझकर करना चाहिये। इससे समाज में उसकी साख तो बढ़ेगी ही, साथ ही खबर भी संतुलित होगी।

राजनैतिक रिपोर्टिंग

किसी भी समाचार पत्र के लिए राजनीति की खबरें बेहद महत्त्वपूर्ण होती हैं। इस समय अखबारों से लेकर टीवी चैनलों में राजनीति की खबरों को ज्यादा ही प्रमुखता दी जा रही है। इस बीट से निकलने वाली खबरों के पाठकों का दायरा भी विशाल होता है। राजनीतिक बीट अपने आप में विविधतायें लिये हुए

है। इस बीट की खबरों की कवरेज के लिए रिपोर्टर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बीट के संवाददाता को अपने क्षेत्र में दक्ष होना चाहिये। तभी वह बेहतर रिपोर्टिंग कर सकता है। उसे अपने क्षेत्र के सभी नेताओं से संपर्क स्थापित करना चाहिये। सभी बड़े नेताओं के फोन नंबर भी रखने चाहिये। ताकि जब कभी भी उनका वर्जन जानने की जरूरत पड़े, तो आसानी से बात हो सके।

संवाददाता को सबसे पहले राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेनी चाहिये। किस दल की क्या नीतियां है और किन उद्देश्यों को लेकर एजेंडा तैयार किया जाता है। कौन-सी पार्टी किस विचारधारा से जुड़ी हुई है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला हो या राज्य स्तर पर या फिर जिला स्तर पर रिपोर्टर को सभी राजनीतिक दलों की नीतियों को अवश्य समझना चाहिये।

संवाददाता को अपने क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। विधायकों, मंत्रियों के साथ कौन-कौन-से चेहरे नजर आते हैं, इनके साथ चलने वाले लोग कैसे हैं, किन उद्योगपतियों, व्यापारियों से किन-किन नेताओं के संबंध हैं। नेताओं के संरक्षण में किन अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, इन सबकी भी उसे खबर रखनी चाहिए।

राजनैतिक संवाददाता को नेताओं की गतिविधियों पर नजर रखनी होती है। सार्वजनिक समारोहों में आते-जाते रहने से संवाददाता के संतरी से लेकर मंत्री तक से उसके संबंध हो जाते हैं। लगातार संपर्क में रहने से राजनीतिक समीकरण भी अच्छी तरह समझ में आने लगते हैं। इसके बाद समाचार बनाने में आसानी होने लगती है। राजनीतिक संवाददाता को राजनीतिक दलों की धड़ेबंदी को भी समझने का प्रयास करना चाहिये। लगभग सभी दलों में राष्ट्रीय स्तर से लेकर जनपद व नगर स्तर तक दलों में गुटबाजी नजर आती है। इस तरह की गुटबाजी सबसे अधिक चुनावों के समय नजर आती है। पार्टी के जिस कार्यकर्ता को टिकट मिल जाता है, वह चुनाव प्रचार में लग जाता है। लेकिन, जिसे टिकट नहीं मिलता है, वह अपनी ही पार्टी से टिकट पाने वाले का विरोध करने लगता है। यहां तक कि उसके वोट काटने का भी प्रयास करता है। चुनाव के समय की गुटबाजी फिर बाद तक चलती रहती है।

नेता चुनाव में सहयोग नहीं करने वाले को अपने रास्ते से हटाने की भी कोशिश करता है। इस तरह की गुटबाजी व धड़ेबंदी को समझ कर संवाददाता अच्छी खबरें बना सकता है। खबर तथ्यात्मक व प्रामाणिक भी होनी चाहिए।

परिपक्व खबर ही पाठकों को पसंद आती हैं। राजनीतिक संवाददाता के लिए रेफरेंस लायब्रेरी अत्यंत आवश्यक है। अगर उसके पास प्रदेश स्तर की राजनीतिक घटनाओं का पूरा ब्यौरा होगा, तो उसे खबर बनाने में आसानी होगी। इसके साथ ही वह खबर का बारीकी से विश्लेषण कर सकता है। पुराने तथ्यों के साथ कई ऐंगल से खबर बना सकता है। इसके लिए संवाददाता के पास प्रदेश की राजनीति से जुड़ी अहम् खबरों की कतरनें, चुनावी आंकड़े, विधानसभा में होने वाली कार्रवाई की प्रकाशित रिपोर्टें आदि होनी चाहिये।

राजनीति बीट में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण भी है। अगर पत्रकार अपने क्षेत्र की राजनीति की बारीक समझ रखता है तो वह कई मौकों पर पूर्वानुमान आदि भी कर सकता है। वह अपनी विश्लेषण शक्ति से राजनीति के समीकरण बदल भी सकता है। लेकिन राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे संवाददाता को इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके राजनेताओं से सम्बन्ध सिर्फ पेशेवर हैं, व्यक्तिगत नहीं, और इसी लिए उसे नेताओं के व्यक्तिगत प्रभाव में आने से बचने की नीति पर चलना चाहिए।

न्यायिक रिपोर्टिंग

अदालतों के समाचारों में सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती हैं। न्यायिक कार्रवाई के समाचारों को लिखते समय विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जब तक किसी व्यक्ति पर अभियोग सिद्ध नहीं हो जाता है, वह अपराधी नहीं हो सकता है। इसलिए समाचार लिखते समय ध्यान रहे कि उसे अपराधी नहीं लिखा जा सकता है। अपराधी तभी लिखा जाए जब मुकदमे के फैसले के बाद अपराध सिद्ध हो जाए। अपराध सिद्ध न होने तक उसे आरोपी या अभियुक्त लिखा जा सकता है।

मुकदमे से पहले लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर भी समाचार लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें सूत्र का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिये। शिकायतों, आरोपों, गिरफ्तारियों तथा कानूनी कागजों के आधार पर समाचार लिखे जा सकते हैं।

अदालती कार्रवाई के समाचार सुनी-सुनाई बातों पर नहीं लिखे जा सकते हैं। संवाददाता द्वारा लिखी गयी खबर एकतरफा भी नहीं होनी चाहिये। दूसरे व्यक्ति के मान-सम्मान में ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिये। अदालतों के समाचारों की भाषा बेहद संयत होनी चाहिये। भाषा के साथ रिपोर्टर को कानून

की जानकारी भी होनी चाहिये। विभिन्न न्यायालयों जैसे-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, मजिस्ट्रेट कोर्ट आदि की जानकारी होनी जरूरी है। अगर रिपोर्टर विभिन्न न्यायालयों की न्यायिक प्रक्रिया को अच्छी तरह समझता है तो उसे रिपोर्टिंग करने में आसानी होगी। इसके साथ ही वह अच्छी खबरें लिख सकता है। अदालती कार्रवाईयों को समझने के लिए वकीलों के संपर्क में रहना चाहिये। कोर्ट के लिपिक से भी संबंध बनाये रखना चाहिये। जब तक अदालती कार्रवाई की भाषा समझ में नहीं आती है, तब तक खबर नहीं बनानी चाहिये। इसे समझने के लिए वकील से संपर्क करना चाहिये। अदालत के किसी फैसले के बाद आपके लिखे समाचार से जनता में अविश्वास की भावना नहीं पनपनी चाहिये। कानून संवाददाता के रूप में बेहतर कार्य से ख्याति भी अर्जित की जा सकती है। इन दिनों सभी प्रमुख समाचार पत्रों में लॉ रिपोर्टर की मांग बढ़ रही है।

महत्त्वपूर्ण फैसलों की कापी देखने के बाद ही खबर लिखी जानी चाहिए। कई बार सम्बन्धित वकील अपने पक्ष के नजरिए से ही फैसले का विवरण बता देते हैं। इस विवरण के आधार पर ही खबर बना देने से खबर गलत या एक पक्षीय हो सकती है। जिन मामलों में अदालती कार्रवाई चल रही हो उनकी खबरें बनाते समय अति उत्साह से बचना चाहिए। रिपोर्टर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह सिर्फ पत्रकार है, अदालत नहीं, हालांकि मौजूदा दौर में पत्रकारिता के दबाव के कारण कई बड़े आपराधिक मामलों में न्याय जल्दी हुआ है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अयोध्या विध्वंस के मुकदमें और आरूषी हत्या काण्ड जैसे मामलों में अदालतों को पत्रकारों को अपनी सीमा में रखने के लिए निर्देश तक जारी करने पड़े थे।

खेल रिपोर्टिंग

वर्तमान में खेलों के प्रति लोगों का रुझान अधिक बढ़ गया है। इसके चलते देश के प्रमुख समाचार पत्रों में एक या दो पृष्ठ खेल समाचारों के ही होते हैं। इसमें सबसे अधिक समाचार क्रिकेट से संबंधित होते हैं। इसके अलावा हॉकी, फुटबाल से लेकर जूड़ों, बास्केट बॉल, शतरंज, एथलैटिक्स, निशानेबाजी, बैडमिंटन, तैराकी, स्केइंग, घुडदौड़, डॉग शो जैसे खेल मुख्य हैं। जिनसे संबंधित समाचार समय-समय पर प्रकाशित होते रहते हैं। इसलिए अब प्रत्येक अखबारों व चैनलों में खेल पत्रकार मांग बढ़ गयी है।

एक सफल खेल पत्रकार बनने के लिए खेल की समझ होना सबसे जरूरी है। खेल पत्रकारिता एक तरह की विशेषज्ञता पत्रकारिता है इस लिए यदि खेल पत्रकार को खेलों के नियम, प्रतियोगिताओं आदि की जानकारी नहीं होगी तो वह अच्छी रिर्पोटिंग कर ही नहीं सकता। एक अच्छा खेल पत्रकार बनने के लिए खेलों से जुड़ी शब्दावली व भाषा की समझ भी विकसित करनी पड़ती है। संवाददाता को विभिन्न समाचार पत्र, पत्रिकाओं के अलावा खेल पत्रिकाओं का नियमित अध्ययन करना चाहिये। खेल पत्रकार को सबसे पहले जिला व प्रदेश स्तर से सीखने की जरूरत होती है। विद्यालय स्तर व कॉलेज स्तर पर खेलों का आयोजन होता है। इनकी कवरेज पर नजर रखनी चाहिये। इसके अलावा जिला, मंडल व प्रदेश स्तर के खेल अधिकारी होते हैं। खेलों से संबंधित विभिन्न संगठन होते हैं। इनके माध्यम से समय-समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। खेल पत्रकार को अपने क्षेत्र में दक्ष बनने के लिए स्वयं को खिलाड़ी महसूस करना चाहिये। खेलों से संबंधित शब्दों की जानकारी होनी चाहिये। संवाददाता जिस शहर में भी कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र में स्टेडियम और खेल के मैदान की स्थिति पर खबर बना सकता है। सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। इसके साथ ही उभरते खिलाड़ियों से संबंधित खबरें छापी जानी चाहिये। वरिष्ठ खिलाड़ियों के साक्षात्कार भी प्रकाशित किये जाते हैं।

खेल पत्रकारिता के लिए यह भी जरूरी है कि पत्रकार अपने क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों, खेल विशेषज्ञों और खेलों से जुड़ी संस्थाओं के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बेहतर सम्बन्ध बना कर रखे। खिलाड़ियों से व्यक्तिगत सम्बन्ध कई बार बेहद लाभदायक होते हैं।

खेल पत्रकार को अपने क्षेत्र से सम्बन्धित हर खेल और खिलाड़ी से जुड़े आंकड़े और सन्दर्भ जमा रखने चाहिए। कम्प्यूटर में भी इन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। ताकि जब भी जरूरत पड़े उनका इस्तेमाल कर अपनी खबर को सबसे अलग बनाया जा सके।

कला, संस्कृति व फिल्म रिपोर्टिंग

कला, संस्कृति व फिल्म रिपोर्टिंग बेहद संवेदनशील होती है। कला व संस्कृति से जुड़ी खबरें पाठक को सुकून प्रदान करने वाली होती हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले संवाददाता में साहित्यिक समझ जरूर होनी चाहिये, कला

की समझ होनी चाहिये। भाषा को साहित्यिक बनाने का प्रयास करना चाहिये। निरंतर स्तरीय साहित्य पढ़ने, लेखन शैली में कलात्मकता से यह विधा आसानी से सीखी जा सकती है। कला व संस्कृति से जुड़ी खबरों के प्रस्तुतिकरण के लिए संबंधित कला की जानकारी होनी भी आवश्यक है। इस बीट से संबंधित खबरों में विशेषणों का प्रयोग किये जाने से रोचकता बढ़ जाती है।

शहर में कोई कलाकार आया हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हों, रंगमंच की गतिविधियां हों, किसी मूर्तिकार की कृति पर लिखना हो तो, यह कला व सांस्कृतिक रिपोर्टर का काम है। इस बीट के रिपोर्टर को सांस्कृतिक संगठनों, सभागारों के प्रबंधकों, कला से जुड़े लोगों से निरंतर संपर्क बनाये रखना होता है। इससे समय-समय पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी मिल जाती है। इस बीट में दैनिक कार्यक्रमों में ही साक्षात्कार, फीचर और खास अभिनय से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग की जा सकती है।

कला व फिल्म से संबंधित खबरों का भी अलग पाठक वर्ग होता है। समाचार पत्रों में तो अब फिल्म समाचार के लिए अलग पृष्ठ होता है। इसमें कलाकारों की बड़ी-बड़ी तस्वीरों के अलावा उनके साक्षात्कार प्रकाशित किये जाते हैं। नई फिल्मों की समीक्षा प्रकाशित की जाती है। इसलिए रिपोर्टर को फिल्मों की जानकारी होनी आवश्यक है। कलाकारों से लेकर निर्देशक व उससे जुड़े लोगों के संपर्क में रहना चाहिये। फिल्म पत्रकारिता का मुख्य क्षेत्र मुंबई है, लेकिन छोटे शहरों में भी क्षेत्रीय फिल्मों से लेकर फिल्म जगत से संबंधित कार्यक्रमों को कवरेज करने का मौका मिल जाता है।

यह भी एक विशेषज्ञ क्षेत्र है। संगीत हो या चित्रकला अगर रिपोर्टर को उसकी समझ ही नहीं होगी तो वह अच्छी रिपोर्टिंग नहीं कर सकेगा। ऐसे क्षेत्र में रिपोर्टर को रिपोर्ट लिखने से पहले खुद इस बात के लिए संतुष्ट होना जरूरी है कि वह जो खुद लिख रहा है उसमें कुछ अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है। कलाकारों का मन बेहद आतुर होता है, अतः किसी की समीक्षा करने से पहले उसकी भावनाओं को भी समझा जाना जरूरी है। इस बीट के संवाददाता का कला के प्रति संवेदनशील होना जरूरी है।

फिल्म पत्रकारिता आज रिपोर्टिंग का एक लोकप्रिय क्षेत्र है, लेकिन इसके लिए भी रिपोर्टर में समर्पण होना जरूरी है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले फिल्म स्टार से रिपोर्टर खुद इतना प्रभावित न हो जाए कि रिपोर्टिंग

महज प्रशंसा कर न रह जाए। फिल्म रिपोर्टिंग के लिए भी फिल्मों के इतिहास और फिल्मों की बारीक जानकारी होनी आवश्यक है।

शिक्षा रिपोर्टिंग

बदलते जमाने के साथ ही समाचार पत्र के पाठकों की सोच में भी बदलाव आ रहा है। अगर युवाओं को कैरियर संबंधी जानकारी चाहिये या फिर शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी, इसके लिए आज समाचार पत्र ही सबसे अधिक लाभदायक हो गए हैं। शिक्षा के स्वरूप को जानना अब लोगों के लिए जरूरत बन गया है। सामान्य शिक्षा से लेकर प्रोफेशनल स्तर तक की शिक्षा हासिल करने में आज की युवा पीढ़ी की रुचि तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते शिक्षा बीट का महत्त्व तेजी से बढ़ गया है। विश्वविद्यालयों की गतिविधियों, कैंपस की हलचल, विभिन्न पाठयक्रमों से संबंधित जानकारी आदि की खबरें इस बीट की महत्त्वपूर्ण खबरें हो सकती हैं। इसके अलावा विद्यालयों में होने वाले आयोजन भी अपने आप में खबरें होती हैं। शिक्षा विभाग के नई योजनाओं के अलावा उनके क्रियान्वयन का तरीका, शिक्षक संगठनों की बैठकें और उनके आंदोलनों की खबरें भी शिक्षा बीट के रिपोर्टर को निरंतर मिलते रहती हैं। सरकारी स्कूलों की हालत कैसी है? क्या विभागीय मानकों के आधार पर सब ठीक-ठाक चल रहा है? सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली के अलावा निजी स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था पर भी खबरें बनायी जा सकती हैं।

दाखिले के समय किन कॉलेजों में एडमिशन के लिए मारामारी रहती है। किन विषयों को अधिक पसंद किया जा रहा है? लड़कियों की रुचि किन विषयों में ज्यादा है? किस विद्यालय व कॉलेज का परीक्षा परिणाम कैसा रहा? इसके अलावा शिक्षा से संबंधित विशेष खबरें व फीचर भी लिखे जाते हैं। तथ्यों पर आधारित फीचर लिखे जा सकते हैं। इसके साथ-साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में अंतर को भी आधार बनाकर फीचर तैयार किये जा सकते हैं। पाठक इस तरह की खबरों को बड़े चाव से पढ़ते हैं। इसके साथ ही कैरियर संबंधी लेखों में भी पाठकों की दिलचस्पी होती है। इसके लिए संवाददाता को शिक्षा से जुड़े लोगों से अधिक से अधिक संपर्क स्थापित करना चाहिए। शिक्षाविदों से भी संबंध स्थापित करना चाहिये।

शिक्षा के व्यवसायीकरण के साथ-साथ शिक्षा का निजी क्षेत्र भी अब समाचार समूहों के लिए एक बड़ा विज्ञापनदाता वर्ग हो गया है। निजी शिक्षा

संस्थान अपने संस्थानों की छवि को अधिक से अधिक बढ़ा-चढ़ा कर पेश करना चाहते हैं, वे इसके लिए सम्बन्धित रिपोर्टर पर दबाव बनाने से भी बाज नहीं आते। कई बार रिपोर्टर को अपने संस्थान के विज्ञापन विभाग से भी इस तरह के दबाव सहने पड़ते हैं। ऐसे में रिपोर्टर को पत्रकारिता की साख बनाने की कौशलता जरूर आनी चाहिए। शिक्षा रिपोर्टिंग का एक बड़ा सकारात्मक पहलू यह भी है कि इसके जरिए रिपोर्टर भावी पीढ़ी को एक रास्ता दिखा सकता है। उसके जीवन की दिशा बदल सकता है।

बाल पत्रकारिता की रिपोर्टिंग

युवा व बुजुर्ग ही नहीं बल्कि अब बच्चे भी अखबार पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं। इसलिए समाचार पत्रों में बच्चों से संबंधित सामाग्री भी प्रकाशित की जा रही है। इसमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। बच्चों की कहानियां, कार्टून के माध्यम से जागरुक करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। बच्चों का ज्ञानवर्द्धन करने के साथ ही उनका मनोरंजन करने के लिए शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखनी होती हैं। अब कुछ प्रमुख समाचार पत्र सप्ताह में एक बार बच्चों के लिए कुछ न कुछ प्रकाशित करते रहते हैं। इसमें विज्ञान व तकनीकी की जानकारी होती है। जानवरों से संबंधित कहानियां होती हैं। स्वास्थ्य संबंधी टिप्स दिये होते हैं। इसके जरिये बच्चों को विश्व स्तरीय अनेक जानकारियां दिये जाने का प्रयास रहता है। वैसे अब बच्चों से संबंधित कई पत्रिकायें भी प्रकाशित हो रही हैं। बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। इसके बाद समाचार पत्रों में बच्चों द्वारा लिखित सामाग्री भी प्रकाशित की जाती है।

बाल पत्रकारिता एक बेहद संवेदनशील विषय है। बच्चों का मन अत्यन्त नाजुक होता है, कोई भी नई बात, विचार या जानकारी उस पर गहरा असर डालती है। इसलिए बाल पत्रकारिता या बच्चों के लिए रिपोर्टिंग करना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आज के बच्चों में सीखने की ललक पिछले दौर के बच्चों से कही अधिक है। बच्चों की रचनात्मकता का भी अब अधिक तेजी से विकास हो रहा है। बच्चे खुद पत्रकारिता करने लगे हैं। इसलिए बाल पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत अधिक विशेषज्ञ दक्षता वाला क्षेत्र हो गया है। आज बच्चों की अनेक पत्रिकाएं निकल रही है जिस कारण इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन यह काम दायित्व बोध वाला काम है। इस बात को हर नए पत्रकार को ध्यान में जरूर रखना चाहिए।

खोजी पत्रकारिता की रिपोर्टिंग

आधुनिक पत्रकारिता ने जिस तरह विकास किया है, उसी तरह उसके स्वरूप में भी बदलाव आया है। खोजी पत्रकारिता आज पत्रकारिता का एक नया आयाम बन गयी है। वर्तमान में खोजी पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो गयी है। प्रिंट मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी खोजी पत्रकारिता को नई पहचान दी है।

खोजी पत्रकारिता को आरंभ करने का श्रेय अमेरिका के समाचार पत्र न्यूयार्क वर्ल्ड के संपादक जोसेफ पुलित्जर को दिया जाता है। पष्चिम में खोजी पत्रकारिता आज भी बहुत अधिक महत्त्व रखती है। भारत में अभी इसके और विस्तार की अत्याधिक सम्भावनाएं हैं।

समाज में कई घटनायें आसानी से सामने नहीं आ पाती हैं। पहुंच और रसूख वाले लोग बड़े मामलों को पचाने में लगे रहते हैं। इस स्थिति में खोजी पत्रकार को निर्भीकता से तथ्यों की खोज करनी होती है। इसके लिए कई माध्यमों का सहारा लिया जाता है। जोखिम भरे इस कार्य के लिए उसे गोपनीय सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद सच को सामने लाना होता है। खोजी पत्रकारिता एक तरह का युद्ध होता है। रिपोर्टर को अन्याय, असत्य, अनैतिकता, बुराई में लिप्त लोगों को बेनकाब करना होता है। इसमें बड़े अपराधी भी हो सकते हैं, या फिर राजनेता और नौकरशाह भी हो सकते हैं। रिपोर्टर के लिए बेहद गोपनीय सूचनाओं को एकत्रित करना और उनका विश्लेषण कर जनता के सामने प्रस्तुत करना एक चुनौती भरा काम है।

लेकिन, वर्तमान में खोजी पत्रकारिता का महत्त्व बढ़ रहा है। युवा पत्रकार निर्भीकता से समाज के लिए कलंक बन चुके लोगों के सफेदपोश चेहरों को बेनकाब करने में जुटे हैं।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने खोजी पत्रकारिता को नई पहचान और नए आयाम दिये हैं। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का एक आक्रामक रूप है, लेकिन नए पत्रकार को उस स्तर तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत और अनुभव की आवश्यकता होती है। हालांकि यह भी सच है कि नए पत्रकार में अपार ऊर्जा होती है और वह चाहे तो छोटी-छोटी खबरों की गहरी छानबीन कर खोजी पत्रकारिता के नए मापदण्ड स्थापित कर सकता है।

विकास पत्रकारिता की रिपोर्टिंग

मीडिया के प्रति लोगों की धारणा बदल रही है। अब पत्रकारिता केवल सीमित विषयों पर ही केन्द्रित नहीं रह गयी है। नई पत्रकारिता सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक संबंधी समग्र विकास के पहलुओं पर प्रकाश डालने वाली विकास पत्रकारिता है। विकास पत्रकारिता विकास पर आधारित होती है। यह विकास चाहे उद्योग, औषधि, विज्ञान अथवा किसी अन्य क्षेत्र का हो अथवा मानव संसाधन का हो इस क्षेत्र में आता है। राज्य सरकारें अपनी विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्र तक निकालती हैं। इन योजनाओं को खबरों के माध्यम से भी किया जाता है।

विकास पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता से हटकर होती है। इसमें सरकार की नीतियां, आर्थिक बदलाव, सामाजिक कार्यक्रम शामिल रहते हैं। पंचवर्षीय योजना सेसंबंधित खबरें बनायी जा सकती हैं। विभागीय मुद्दों पर आधारित जानकारी रिपोर्टर खबर के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। सरकार व उससे जुड़े संगठनों की योजनायें, कार्यक्रम, परियोजनायें जनता के हित में कितने कारगर है इनका क्रियान्वयन कौन कर रहा है और किस तरह हो रहा है, यह सब इस क्षेत्र के विषय हैं। खाद्य उत्पादन, नई सड़कों का निर्माण, घरों का निर्माण, पीने के पानी की आपूर्ति, बिजली, दूरसंचार आदि की सुविधाओं का हाल शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा जाना चाहिए और उस पर खबरें बनाई जानी चाहिए। लोगों के लिए हॉस्पिटल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और विद्यालयों खुलने की जरूरत पर आधारित रपट पठनीय तो होती ही है साथ ही समाज के विकास में सहयोगी भी होती हैं। इस तरह की खबरों से नेताओं के कान भी खुलते हैं।

इस बीट में कार्य करने वाले संवाददाता को दक्ष होने की आवश्यकता है। अगर संवाददाता योग्य है तो सफलतापूर्वक रिपोर्टिंग कर सकता है। रिपोर्टर विभिन्न विकास कार्यक्रमों से सूचना एकत्रित कर सकता है। परियोजनाओं के प्रमुखों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

आज जिस तरह विकास की परिभाषा बदल रही है। विकास के नए-नए माडल सामने आ रहे हैं। उसी तरह विकास पत्रकारिता का महत्त्व और जरूरत भी बदलती जा रही है। विकास आज राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकारें विकास के लिए नित नए -नए कार्यक्रम और योजनाएं बनाती है। विकास पत्रकारिता इन पर नजर रख कर इनकी गड़बड़ियों, भ्रष्टाचार, अव्यवस्थाओं

औरकमियों को उजागर कर समाज के रखवाले का काम भी करती है। इस लिए इस क्षेत्र के पत्रकार के लिए रिपोर्टिंग करना महज पत्रकारिता नहीं बल्कि एक तरह का आंतरिक सुख भी होता है।

ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता की रिपोर्टिंग

आकाशवाणी से प्रसारित ग्राम जगत, दूरदर्शन से प्रसारित कृषि जगत कार्यक्रम एवं कृषि से सम्बन्धित पत्रिकाएं ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता से हमारा परिचय कराते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है यहां की लगभग 70 प्रतिशत जनता गांव में निवास करती है और गांव की अधिकतम जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत एक कृषि प्रधान देश तो है, लेकिन अत्यन्त विकास के बावजूद भी गांवों में आज तक पिछड़ेपन की झलक स्पष्ट नजर आती है। गांवों में नवीन चेतना और जागृति तथा विज्ञान के विकास के स्वरों को समाचार पत्र-पत्रिकाओं व जनसंचार माध्यमों द्वारा ही यहां तक पहुंचाया जा सकता है।

2

भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का आरम्भ

भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म अठारहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ। 1780 ई. में प्रकाशित हिके (Hickey) का "कलकत्ता गजट" कदाचित् इस ओर पहला प्रयत्न था। हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तण्ड (1826) के प्रकाशित होने तक इन नगरों की ऐंग्लोइंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो गई थी।

इन अंतिम वर्षों में फारसी भाषा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। 18वीं शताब्दी के फारसी पत्र कदाचित् हस्तलिखित पत्र थे। 1801 में 'हिंदुस्थान इंटेलिजेंस ओरिऐंटल ऐंथॉलॉजी' (Hindusthan Intelligence OrientalA nthology) नाम का जो संकलन प्रकाशित हुआ उसमें उत्तर भारत के कितने ही "अखबारों" के उद्धरण थे। 1810 में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से लीथो पत्र "हिंदोस्तानी" प्रकाशित करना आरंभ किया। 1816 में गंगाकिशोर भट्टाचार्य ने "बंगाल गजट" का प्रवर्तन किया। यह पहला बांग्ला पत्र था। बाद में श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचार पत्र "समाचार दर्पण" को (27 मई 1818) जन्म दिया। इन प्रारंभिक पत्रों के बाद 1823 में हमें बांग्ला भाषा के 'समाचार चंद्रिका' और "संवाद कौमुदी", फारसी उर्दू के "जामे जहाँनुमा" और "शमसुल अखबार" तथा गुजराती के "मुंबई समाचार" के दर्शन होते हैं।

यह स्पष्ट है कि हिंदी पत्रकारिता बहुत बाद की चीज नहीं है। दिल्ली का "उर्दू अखबार" (1833) और मराठी का "दिग्दर्शन" (1837) हिंदी के पहले पत्र "उदंत मार्तंड" (1826) के बाद ही आए। "उदंत मार्तंड" के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा पछाँही हिंदी रहती थी, जिसे पत्र के संपादकों ने "मध्यदेशीय भाषा" कहा है। यह पत्र 1827 में बंद हो गया। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र का चलना असंभव था। कंपनी सरकार ने मिशनरियों के पत्र को डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परंतु चेष्टा करने पर भी "उदंत मार्तंड" को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी।

हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण

1826 ई. से 1873 ई. तक को हम हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते हैं। 1873 ई. में भारतेन्दु ने "हरिश्चंद्र मैगजीन" की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र "हरिश्चंद्र चंद्रिका" नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे भारतेन्दु का "कविवचन सुधा" पत्र 1867 में ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्त्वपूर्ण भाग लिया था, परंतु नई भाषा-शैली का प्रवर्तन 1873 में "हरिश्चंद्र मैगजीन" से ही हुआ। इस बीच के अधिकांश पत्र प्रयोग मात्र कहे जा सकते हैं और उनके पीछे पत्रकला का ज्ञान अथवा नए विचारों के प्रचार की भावना नहीं है। "उदंत मार्तंड" के बाद प्रमुख पत्र हैं–

बंगदूत (1829), प्रजामित्र (1834), बनारस अखबार (1845), मार्तंड पंचभाषीय (1846), ज्ञानदीप (1846), मालवा अखबार (1849), जगद्दीप भास्कर (1849), सुधाकर (1850), साम्यदंड मार्तंड (1850), मजहरुलसरूर (1850), बुद्धि प्रकाश (1852), ग्वालियर गजेट (1853), समाचार सुधावर्षण (1854), दैनिक कलकत्ता, प्रजाहितैषी (1855), सर्वहितकारक (1855), सूरज प्रकाश (1861), जगलाभ चिंतक (1861), सर्वोपकारक (1861), प्रजाहित (1861), लोकमित्र (1835), भारतखंडामृत (1864), तत्त्वबोधिनी पत्रिका (1865), ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका (1866), सोमप्रकाश (1866), सत्य दीपक (1866), वृत्तांतविलास (1867), ज्ञान दीपक (1867), कविवचन सुधा (1867), धर्मप्रकाश (1867), विद्या विलास (1867), वृत्तांत दर्पण (1867), विद्यादर्श (1869), ब्रह्मज्ञानप्रकाश (1869), अलमोड़ा अखबार (1870), आगरा अखबार (1870), बुद्धि विलास (1870), हिंदू प्रकाश

(1871), प्रयागदूत (1871), बुंदेलखंड अखबार (1871), प्रेमपत्र (1872) और बोध समाचार (1872)।

इन पत्रों में से कुछ मासिक थे, कुछ साप्ताहिक। दैनिक पत्र केवल एक था "समाचार सुधावर्षण" जो द्विभाषीय (बांग्ला हिंदी) था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह दैनिक पत्र 1871 तक चलता रहा। अधिकांश पत्र आगरा से प्रकाशित होते थे, जो उन दिनों एक बड़ा शिक्षा केंद्र था और विद्यार्थी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। शेष ब्रह्म समाज, सनातन धर्म और मिशनरियों के प्रचार कार्य से संबंधित थे। बहुत से पत्र द्विभाषीय (हिंदी उर्दू) थे और कुछ तो पंचभाषीय तक थे। इससे भी पत्रकारिता की अपरिपक्व दशा ही सूचित होती है। हिंदी प्रदेश के प्रारंभिक पत्रों में "बनारस अखबार" (1845) काफी प्रभावशाली था और उसी की भाषा-नीति के विरोध में 1850 में तारामोहन मैत्र ने काशी से साप्ताहिक "सुधाकर" और 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से "प्रजाहितैषी" का प्रकाशन आरंभ किया था। राजा शिवप्रसाद का "बनारस अखबार" उर्दू भाषा-शैली को अपनाता था तो ये दोनों पत्र पंडिताऊ तत्सम प्रधान शैली की ओर झुकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1867 से पहले भाषा-शैली के संबंध में हिंदी पत्रकार किसी निश्चित शैली का अनुसरण नहीं कर सके थे। इस वर्ष 'कवि वचनसुधा' का प्रकाशन हुआ और एक तरह से हम उसे पहला महत्त्वपूर्ण पत्र कह सकते हैं। पहले यह मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ और अंत में साप्ताहिक। भारतेन्दु के बहुविध व्यक्तित्त्व का प्रकाशन इस पत्र के माध्यम से हुआ, परंतु सच तो यह है कि "हरिश्चंद्र मैग्जीन" के प्रकाशन (1873) तक वे भी भाषा-शैली और विचारों के क्षेत्र में मार्ग ही खोजते दिखाई देते हैं।

हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग–भारतेन्दु युग

हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग 1873 से 1900 तक चलता है। इस युग के एक छोर पर भारतेन्दु का "हरिश्चंद्र मैग्जीन" था ओर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदन प्राप्त "सरस्वती"। इन 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300-350 से ऊपर है और ये नागपुर तक फैले हुए हैं। अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक थे। मासिक पत्रों में निबंध, नवल कथा (उपन्यास), वार्ता आदि के रूप में कुछ अधिक स्थायी संपत्ति रहती थी, परन्तु अधिकांश पत्र 10-15 पृष्ठों से अधिक नहीं जाते थे और उन्हें हम आज के शब्दों में "विचार पत्र"

ही कह सकते हैं। साप्ताहिक पत्रों में समाचारों और उन पर टिप्पणियों का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था। वास्तव में दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नहीं था और कदाचित् इसीलिए उन दिनों साप्ताहिक और मासिक पत्र कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण थे। उन्होंने जनजागरण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाग लिया था।

उन्नीसवीं शताब्दी के इन 25 वर्षों का आदर्श भारतेन्दु की पत्रकारिता थी। "कवि वचन सुधा" (1867), "हरिश्चंद्र मैगजीन" (1874), श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका" (1874), बालबोधिनी (स्त्रीजन की पत्रिका, 1874) के रूप में भारतेन्दु ने इस दिशा में पथ-प्रदर्शन किया था। उनकी टीका टिप्पणियों से अधिकरी तक घबराते थे और "कविवचनसुधा" के "पंच" पर रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने भारतेन्दु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना भी बंद करा दिया था। इसमें संदेह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भारतेन्दु पूर्णतया निर्भीक थे और उन्होंने नए-नए पत्रों के लिए प्रोत्साहन दिया। "हिंदी प्रदीप", "भारतजीवन" आदि अनेक पत्रों का नामकरण भी उन्होंने ही किया था। उनके युग के सभी पत्रकार उन्हें अग्रणी मानते थे।

भारतेन्दु के बाद

भारतेन्दु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए उनमें प्रमुख थे पंडित रुद्रदत्त शर्मा, (भारतमित्र, 1877), बालकृष्ण भट्ट (हिंदी प्रदीप, 1877), दुर्गा प्रसाद मिश्र (उचित वक्ता, 1878), पंडित सदानंद मिश्र (सार सुधानिधि, 1878), पंडित वंशीधर (सज्जन-कीर्ति-सुधाकर, 1878), बद्रीनारायण चौधरी "प्रेमधन" (आनंदकादंबिनी, 1881), देवकीनंदन त्रिपाठी (प्रयाग समाचार, 1882), राधाचरण गोस्वामी (भारतेन्दु, 1882), पंडित गौरीदत्त (देवनागरी प्रचारक, 1882), राज रामपाल सिंह (हिंदुस्तान, 1883), प्रतापनारायण मिश्र (ब्राह्मण, 1883), अंबिकादत्त व्यास, (पीयूष प्रवाह, 1884), बाबू रामकृष्ण वर्मा (भारतजीवन, 1884), पं. रामगुलाम अवस्थी (शुभचिंतक, 1888), योगेशचंद्र वसु (हिंदी बंगवासी, 1890), पं. कुंदनलाल (कवि व चित्रकार, 1891) और बाबू देवकीनंदन खत्री एवं बाबू जगन्नाथदास (साहित्य सुधानिधि, 1894)। 1895 ई. में "नागरी प्रचारिणी पत्रिका" का प्रकाशन आरंभ होता है। इस पत्रिका से गंभीर साहित्य समीक्षा का आरंभ हुआ और इसलिए हम इसे एक निश्चित प्रकाश स्तंभ मान सकते हैं। 1900 ई. में "सरस्वती" और "सुदर्शन" के अवतरण के साथ हिंदी पत्रकारिता के इस दूसरे युग पर पटाक्षेप हो जाता है।

इन 25 वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई। प्रारंभिक पत्र शिक्षा प्रसार और धर्म प्रचार तक सीमित थे। भारतेन्दु ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक दिशाएँ भी विकसित कीं। उन्होंने ही "बालाबोधिनी" (1874) नाम से पहला स्त्री-मासिक पत्र चलाया। कुछ वर्ष बाद महिलाओं को स्वयं इस क्षेत्र में उतरते देखते हैं–"भारतभगिनी" (हरदेवी, 1888), "सुगृहिणी" (हेमंत कुमारी, 1889)। इन वर्षों में धर्म के क्षेत्र में आर्यसमाज और सनातन धर्म के प्रचारक विशेष सक्रिय थे। ब्रह्म समाज और राधास्वामी मत से संबंधित कुछ पत्र और मिर्जापुर जैसे ईसाई केंद्रों से कुछ ईसाई धर्म संबंधी पत्र भी सामने आते हैं, परंतु युग की धार्मिक प्रतिक्रियाओं को हम आर्य समाज के और पौराणिकों के पत्रों में ही पाते हैं। आज ये पत्र कदाचित् उतने महत्त्वपूर्ण नहीं जान पड़ते, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने हिन्दी की गद्य शैली को पुष्ट किया और जनता में नए विचारों की ज्योति भी। इन धार्मिक वाद-विवादों के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्ग और संप्रदाय सुधार की ओर अग्रसर हुए और बहुत शीघ्र ही सांप्रदायिक पत्रों की बाढ़ आ गई। सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जातीय और वर्गीय पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने असंख्य जनों को वाणी दी।

आज वही पत्र हमारी इतिहास चेतना में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं जिन्होंने भाषा शैली, साहित्य अथवा राजनीति के क्षेत्र में कोई अप्रतिम कार्य किया हो। साहित्यिक दृष्टि से "हिंदी प्रदीप" (1877), ब्राह्मण (1883), क्षत्रिय पत्रिका (1880), आनंदकादंबिनी (1881), भारतेन्दु (1882), देवनागरी प्रचारक (1882), वैष्णव पत्रिका (पश्चात् पीयूष प्रवाह, 1883), कवि के चित्रकार (1891), नागरी नीरद (1883), साहित्य सुधानिधि (1894) और राजनीतिक दृष्टि से भारतमित्र (1877), उचित वक्ता (1878), सार सुधानिधि (1878), भारतोदय (दैनिक, 1883), भारत जीवन (1884), भारतोदय (दैनिक, 1885), शुभचिंतक (1887) और हिंदी बंगवासी (1890) विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इन पत्रों में हमारे 19वीं शताब्दी के साहित्य रसिकों, हिंदी के कर्मठ उपासकों, शैलीकारों और चिंतकों की सर्वश्रेष्ठ निधि सुरक्षित है। यह क्षोभ का विषय है कि हम इस महत्त्वपूर्ण सामग्री का पत्रों की फाइलों से उद्धार नहीं कर सके। बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, सदानंद मिश्र, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिकादत्त व्यास और बालमुकुंद गुप्त जैसे सजीव लेखकों की कलम से निकले हुए न जाने कितने निबंध, टिप्पणी, लेख, पंच, हास-परिहास औप स्केच आज में हमें अलभ्य हो रहे हैं। आज भी हमारे पत्रकार उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने समय में तो वे अग्रणी थे ही।

तीसरा चरण–बीसवीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्ष

बीसवीं शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है और उसमें बहुत कुछ पिछले युग की पत्रकारिता की ही विविधता और बहुरूपता मिलती है। 19वीं शती के पत्रकारों को भाषा-शैली क्षेत्र में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक ओर अंग्रेजी और दूसरी ओर उर्दू के पत्रों के सामने अपनी वस्तु रखनी थी। अभी हिंदी में रुचि रखने वाली जनता बहुत छोटी थी। धीरे-धीरे परिस्थिति बदली और हम हिंदी पत्रों को साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते हैं। इस शताब्दी से धर्म और समाज सुधार के आंदोलन कुछ पीछे पड़ गए और जातीय चेतना ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया। फलतः अधिकांश पत्र, साहित्य और राजनीति को ही लेकर चले।

साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में पहले दो दशकों में आचार्य द्विवेदी द्वारा संपादित "सरस्वती" (1903-1918) का नेतृत्व रहा। वस्तुतः इन बीस वर्षों में हिंदी के मासिक पत्र एक महान साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने आए। शृंखलित उपन्यास कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए–जैसे उपन्यास (1901), हिंदी नाविल (1901), उपन्यास लहरी (1902), उपन्याससागर (1903), उपन्यास कुसुमांजलि (1904), उपन्यासबहार (1907), उपन्यास प्रचार (1901)। केवल कविता अथवा समस्यापूर्ति लेकर अनेक पत्र उन्नीसवीं शतब्दी के अंतिम वर्षों में निकलने लगे थे। वे चले रहे। समालोचना के क्षेत्र में "समालोचक" (1902) और ऐतिहासिक शोध से संबंधित "इतिहास" (1905) का प्रकाशन भी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हैं। परंतु सरस्वती ने "मिस्लेनी" के रूप में जो आदर्श रखा था, वह अधिक लोकप्रिय रहा और इस श्रेणी के पत्रों में उसके साथ कुछ थोड़े ही पत्रों का नाम लिया जा सकता है, जैसे "भारतेन्दु" (1905), नागरी हितैषिणी पत्रिका, बाँकीपुर (1905), नागरीप्रचारक (1906), मिथिलामिहिर (1910) और इंदु (1909)। "सरस्वती" और "इंदु" दोनों हिन्दी की साहित्य चेतना के इतिहास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं और एक तरह से हम उन्हें उस युग की साहित्यिक पत्रकारिता का शीर्षमणि कह सकते हैं। "सरस्वती" के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और "इंदु" के माध्यम से पंडित रूप नारायण पांडे ने जिस संपादकीय सतर्कता, अध्यवसाय और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा वह हिन्दी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ।

परंतु राजनीतिक क्षेत्र में हिन्दी पत्रकारिता को नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सका। पिछले युग की राजनीतिक पत्रकारिता का केंद्र कलकत्ता था। परंतु कलकत्ता

हिंदी प्रदेश से दूर पड़ता था और स्वयं हिंदी प्रदेश को राजनीतिक दिशा में जागरुक नेतृत्व कुछ देर में मिला। हिंदी प्रदेश का पहला दैनिक राजा रामपाल सिंह का द्विभाषीय "हिंदुस्तान" (1883) है, जो अंग्रेजी और हिंदी में कालाकाँकर से प्रकाशित होता था। दो वर्ष बाद (1885 में), बाबू सीताराम ने "भारतोदय" नाम से एक दैनिक पत्र कानपुर से निकालना शुरू किया। परंतु ये दोनों पत्र दीर्घजीवी नहीं हो सके और साप्ताहिक पत्रों को ही राजनीतिक विचारधारा का वाहन बनना पड़ा। वास्तव में उन्नीसवीं शताब्दी में कलकत्ता के भारत मित्र, बंगवासी, सारसुधानिधि और उचित वक्ता ही हिंदी प्रदेश की राजनीतिक भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें कदाचित् "भारतमित्र" ही सबसे अधिक स्थायी और शक्तिशाली था। उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल और महाराष्ट्र लोक जाग्रति के केंद्र थे और उग्र राष्ट्रीय पत्रकारिता में भी ये ही प्रांत अग्रणी थे। हिंदी प्रदेश के पत्रकारों ने इन प्रांतों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और बहुत दिनों तक उनका स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्तित्त्व विकसित नहीं हो सका। फिर भी हम "अभ्युदय" (1905), "प्रताप" (1913), "कर्मयोगी", "हिंदी केसरी" (1904-1908) आदि के रूप में हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता को कई डग आगे बढ़ाते पाते हैं। प्रथम महायुद्ध की उत्तेजना ने एक बार फिर कई दैनिक पत्रों को जन्म दिया। कलकत्ता से "कलकत्ता समाचार", "स्वतंत्र" और "विश्वमित्र" प्रकाशित हुए, बंबई से "वेंकटेश्वर समाचार" ने अपना दैनिक संस्करण प्रकाशित करना आरंभ किया और दिल्ली से "विजय" निकला। 1921 में काशी से "आज" और कानपुर से "वर्तमान" प्रकाशित हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1921 में हिंदी पत्रकारिता फिर एक बार करवटें लेती है और राजनीतिक क्षेत्र में अपना नया जीवन आरंभ करती है। हमारे साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में भी नई प्रवृत्तियों का आरंभ इसी समय से होता है। फलतः बीसवीं शती के पहले बीस वर्षों को हम हिंदी पत्रकारिता का तीसरा चरण कह सकते हैं।

आधुनिक युग

1921 के बाद हिंदी पत्रकारिता का समसामयिक युग आरंभ होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को साथ-साथ पल्लवित पाते हैं। इसी समय के लगभग हिंदी का प्रवेश विश्वविद्यालयों में हुआ और कुछ ऐसे कृत्ति संपादक सामने आए, जो अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतः परिचित थे और जो हिंदी पत्रों को अंग्रेजी, मराठी और बांग्ला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे।

फलतः साहित्यिक पत्रकारिता में एक नए युग का आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों ने हिंदी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली बार घोषित की ओर जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों का बल बढ़ने लगा, हिंदी के पत्रकार और पत्र अधिक महत्त्व पाने लगे। 1921 के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्यवर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुंच गया और उसके इस प्रसार में हिंदी पत्रकारिता ने महत्त्वपूर्ण योग दिया। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों की अग्र पंक्ति में थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया। विदेशी सरकार ने अनेक बार नए नए कानून बनाकर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया परंतु जेल, जुर्माना और अनेकानेक मानसिक और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलते हुए भी हिन्दी पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार की दीपशिखा जलाए रखी।

1921 के बाद साहित्य क्षेत्र में जो पत्र आए उनमें प्रमुख हैं-

स्वार्थ (1922), माधुरी (1923), मर्यादा, चाँद (1923), मनोरमा (1924), समालोचक (1924), चित्रपट (1925), कल्याण (1926), सुधा (1927), विशालभारत (1928), त्यागभूमि (1928), हंस (1930), गंगा (1930), विश्वमित्र (1933), रूपाभ (1938), साहित्य संदेश (1938), कमला (1939), मधुकर (1940), जीवनसाहित्य (1940), विश्वभारती (1942), संगम (1942), कुमार (1944), नया साहित्य (1945), पारिजात (1945), हिमालय (1946) आदि।

वास्तव में आज हमारे मासिक साहित्य की प्रौढ़ता और विविधता में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। हिंदी की अनेकानेक प्रथम श्रेणी की रचनाएँ मासिकों द्वारा ही पहले प्रकाश में आई और अनेक श्रेष्ठ कवि और साहित्यकार पत्रकारिता से भी संबंधित रहे। आज हमारे मासिक पत्र जीवन और साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति करते हैं और अब विशेषज्ञता की ओर भी ध्यान जाने लगा है। साहित्य की प्रवृत्तियों की जैसी विकासमान झलक पत्रों में मिलती है, वैसी पुस्तकों में नहीं मिलती। वहाँ हमें साहित्य का सक्रिय, सप्राण, गतिशील रूप प्राप्त होता है।

राजनीतिक क्षेत्र में इस युग में जिन पत्र-पत्रिकाओं की धूम रही वे हैं-

कर्मवीर (1924), सैनिक (1924), स्वदेश (1921), श्रीकृष्ण संदेश (1925), हिंदूपंच (1926), स्वतंत्र भारत (1928), जागरण (1929), हिंदी मिलाप (1929), सचित्र दरबार (1930), स्वराज्य (1931), नवयुग (1932),

हरिजन सेवक (1932), विश्वबंधु (1933), नवशक्ति (1934), योगी (1934), हिंदू (1936), देशदूत (1938), राष्ट्रीयता (1938), संघर्ष (1938), चिनगारी (1938), नवज्योति (1938), संगम (1940), जनयुग (1942), रामराज्य (1942), संसार (1943), लोकवाणी (1942), सावधान (1942), हुंकार (1942) और सन्मार्ग (1943), जनवार्ता (1972)।

इनमें से अधिकांश साप्ताहिक हैं, परंतु जनमन के निर्माण में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण रहा है। जहाँ तक पत्र कला का संबंध है वहाँ तक हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे युग के पत्रों में धरती और आकाश का अंतर है। आज पत्र संपादन वास्तव में उच्च कोटि की कला है। राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में "आज" (1921) और उसके संपादक स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर का लगभग वही स्थान है, जो साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है। सच तो यह है कि "आज" ने पत्रकला के क्षेत्र में एक महान संस्था का काम किया है और उसने हिंदी को बीसियों पत्र संपादक और पत्रकार दिए हैं।

आधुनिक साहित्य के अनेक अंगों की भाँति हिन्दी पत्रकारिता भी नई कोटि की है और उसमें भी मुख्यत: हमारे मध्यवित्त वर्ग की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और राजनीतिक हलचलों का प्रतिबिंब भास्वर है। वास्तव में पिछले 200 वर्षों का सच्चा इतिहास हमारी पत्र-पत्रिकाओं से ही संकलित हो सकता है। बांग्ला के "कलेर कथा" ग्रंथ में पत्रों के अवतरणों के आधार पर बंगाल के उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवित्तीय जीवन के आकलन का प्रयत्न हुआ है। हिंदी में भी ऐसा प्रयत्न वांछनीय है। एक तरह से उन्नीसवीं शती में साहित्य कही जा सकने वाली चीज बहुत कम है और जो है भी, वह पत्रों के पृष्ठों में ही पहले-पहल सामने आई है। भाषा-शैली के निर्माण और जातीय शैली के विकास में पत्रों का योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है, परंतु बीसवीं शती के पहले दो दशकों के अंत तक मासिक पत्र और साप्ताहिक पत्र ही हमारी साहित्यिक प्रवृत्तियों को जन्म देते और विकसित करते रहे हैं। द्विवेदी युग के साहित्य को हम "सरस्वती" और "इंदु" में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही उस साहित्य का असली रूप है। 1921 ई. के बाद साहित्य बहुत कुछ पत्र-पत्रिकाओं से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, परंतु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक आंदोलनों के लिए हमें मासिक पत्रों के पृष्ठ ही उलटने पड़ते हैं। राजनीतिक चेतना के लिए तो पत्र-पत्रिकाएँ हैं ही। वस्तुत: पत्र-पत्रिकाएँ जितनी बड़ी

जनसंख्या को छूती हैं, विशुद्ध साहित्य का उतनी बड़ी जनसंख्या तक पहुँचना असंभव है।

1990 के बाद

90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अखबारों, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि के नगरों-कस्बों से कई संस्करण निकलने शुरू हुए। जहां पहले महानगरों से अखबार छपते थे, भूमंडलीकरण के बाद आयी नयी तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया। साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों, कस्बों में फैलते बाजार में नयी वस्तुओं के लिए नये उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई। हिंदी के अखबार इन वस्तुओं के प्रचार-प्रसार का एक जरिया बन कर उभरे हैं। साथ ही साथ अखबारों के इन संस्करणों में स्थानीय खबरों को प्रमुखता से छापा जाता है। इससे अखबारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मीडिया विशेषज्ञ सेवंती निनान ने इसे 'हिंदी की सार्वजनिक दुनिया का पुन:आविष्कार' कहा है। वे लिखती हैं, "प्रिंट मीडिया ने स्थानीय घटनाओं के कवरेज द्वारा जिला स्तर पर हिंदी की मौजूद सार्वजनिक दुनिया का विस्तार किया है और साथ ही अखबारों के स्थानीय संस्करणों के द्वारा अनजाने में इसका पुन:आविष्कार किया है।

1990 में राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती थी कि पांच अगुवा अखबारों में हिन्दी का केवल एक समाचार पत्र हुआ करता था। पिछले सर्वे ने साबित कर दिया कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार (2010) सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पांच अखबारों में शुरू के चार हिंदी के हैं।

एक उत्साहजनक बात और भी है कि आईआरएस सर्वे में जिन 42 शहरों को सबसे तेजी से उभरता माना गया है, उनमें से ज्यादातर हिन्दी हृदय प्रदेश के हैं। मतलब साफ है कि अगर पिछले तीन दशक में दक्षिण के राज्यों ने विकास की जबर्दस्त पींगें बढ़ाईं तो आने वाले दशक हम हिन्दी वालों के हैं। ऐसा नहीं है कि अखबार के अध्ययन के मामले में ही यह प्रदेश अगुवा साबित हो रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री का एक आंकड़ा बताता है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं में नेट पर पढ़ने-लिखने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है।

मतलब साफ है। हिन्दी की आकांक्षाओं का यह विस्तार पत्रकारों की ओर भी देख रहा है। प्रगति की चेतना के साथ समाज की निचली कतार में बैठे लोग भी समाचार पत्रों की पंक्तियों में दिखने चाहिए। पिछले आईएएस, आईआईटी और तमाम शिक्षा परिषदों के परिणामों ने साबित कर दिया है कि हिन्दी भाषियों में सबसे निचली सीढ़ियों पर बैठे लोग भी जबर्दस्त उछाल के लिए तैयार हैं। हिन्दी के पत्रकारों को उनसे एक कदम आगे चलना होगा ताकि उस जगह को फिर से हासिल कर सकें, जिसे पिछले चार दशकों में हमने लगातार खोया।

0

भारत में हिंदी पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किये और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरुकता पैदा की। राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किये। जिसमें अहम् हैं-साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई, 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदंत मार्तंड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है।

नंद मौर्य राजवंश हिन्दी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिन्दी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत् दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित् इसलिए विदेशी सरकार की दमन-नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था, उसके नृशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी गद्य-निर्माण की चेष्टा और हिन्दी-प्रचार आन्दोलन अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था इसका साक्ष्य 'भारतमित्र' (सन्

1878 ई, में) 'सार सुधानिधि' (सन् 1879 ई.) और 'उचित वक्ता' (सन् 1880 ई.) के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है।

वर्तमान में हिन्दी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश-विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था लेकिन आज हिन्दी भाषा का झण्डा चंहुदिश लहरा रहा है। 30 मई को 'हिन्दी पत्रकारिता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन

भारत में हिंदी पत्रकारिता का तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन करना कुछ कठिन कार्य है। सर्वप्रथम राधाकृष्ण दास ने ऐसा प्रारंभिक प्रयास किया था। उसके बाद 'विशाल भारत' के नवंबर 1930 के अंक में विष्णुदत्त शुक्ल ने इस प्रश्न पर विचार किया, किन्तु वे किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे। गुप्त निबंधावली में बालमुकुंद गुप्त ने यह विभाजन इस प्रकार किया–

- प्रथम चरण - सन् 1845 से 1877
- द्वितीय चरण - सन् 1877 से 1890
- तृतीय चरण - सन् 1890 से बाद तक

डॉ. रामरतन भटनागर ने अपने शोध प्रबंध 'द राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म' काल विभाजन इस प्रकार किया है–

आरंभिक युग 1826 से 1867

उत्थान एवं अभिवृद्धि युग

- प्रथम चरण (1867-1883) भाषा एवं स्वरूप के समेकन का युग
- द्वितीय चरण (1883-1900) प्रेस के प्रचार का युग

विकास युग

- प्रथम युग (1900-1921) आवधिक पत्रों का युग
- द्वितीय युग (1921-1935) दैनिक प्रचार का युग

सामयिक पत्रकारिता - 1935-1945

उपरोक्त में से तीन युगों के आरंभिक वर्षों में तीन प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने युगीन पत्रकारिता के समक्ष आदर्श स्थापित किए। सन् 1867 में 'कविवचन सुधा', सन् 1883 में 'हिन्दुस्तान' तथा सन् 1900 में 'सरस्वती' का प्रकाशन है।

काशी नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित 'हिंदी साहित्य के वृहत् इतिहास' के त्रयोदय भाग के तृतीय खंड में यह काल विभाजन इस प्रकार किया गया है–

- प्रथम उत्थान - सन् 1826 से 1867
- द्वितीय उत्थान - सन् 1868 से 1920
- आधुनिक उत्थान - सन् 1920 के बाद।

'ए हिस्ट्री ऑफ द प्रेस इन इंडिया' में श्री एस. नटराजन ने पत्रकारिता का अध्ययन निम्न प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया है–

- बीज वपन काल
- ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव
- राष्ट्रीय जागरण काल
- लोकतंत्र और प्रेस

डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'हिंदी पत्रकारिता' का अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से यह विभाजन मोटे रूप से इस प्रकार किया है–

भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का उदय (सन् 1826 से 1867)

राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति- दूसरे दौर की हिंदी पत्रकारिता (सन् 1867-1900)

बीसवीं शताब्दी का आरंभ और हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर - इस काल खण्ड का अध्ययन करते समय उन्होंने इसे तिलक युग तथा गांधी युग में भी विभक्त किया।

डॉ. रामचन्द्र तिवारी ने अपनी पुस्तक 'पत्रकारिता के विविध रूप' में विभाजन के प्रश्न पर विचार करते हुए यह विभाजन किया है–

- उदय काल - (सन् 1826 से 1867)
- भारतेंदु युग - (सन् 1867 से 1900)
- तिलक या द्विवेदी युग - (सन् 1900 से 1920)

- गांधी युग - (सन् 1920 से 1947)
- स्वातंत्र्योत्तर युग– (सन् 1947 से अब तक)।

डॉ. सुशील जोशी ने काल विभाजन कुछ ऐसा प्रस्तुत किया है–

- हिंदी पत्रकारिता का उद्‌भव - 1826 से 1867
- हिंदी पत्रकारिता का विकास - 1867 से 1900
- हिंदी पत्रकारिता का उत्थान - 1900 से 1947
- स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता - 1947 से अब तक।

उक्त मतों की समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों पत्रकारों ने अपनी-अपनी सुविधा से अलग-अलग ढंग से किया है। इस संबंध में सर्वसम्मत् काल निर्धारण अभी नहीं किया जा सका है। किसी ने व्यक्ति विशेष के नाम से युग का नामकरण करने का प्रयास किया है तो किसी ने परिस्थिति अथवा प्रकृति के आधार पर। इनमें एकरूपता का अभाव है।

हिंदी पत्रकारिता का उद्‌भव काल (1826 से 1867)

कलकत्ता से 30 मई, 1826 को 'उदन्त मार्तण्ड' के सम्पादन से प्रारंभ हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा कहीं थमी और कहीं ठहरी नहीं है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र ने हालांकि आर्थिक अभावों के कारण जल्द ही दम तोड़ दिया, पर इसने हिंदी अखबारों के प्रकाशन का जो शुभारंभ किया वह कारवां निरंतर आगे बढ़ा है। साथ ही हिंदी का प्रथम पत्र होने के बावजूद यह भाषा, विचार एवं प्रस्तुति के लिहाज से महत्त्वपूर्ण बन गया।

कलकत्ता का योगदान

पत्रकारिता जगत् में कलकत्ता का बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशासनिक, वाणिज्य तथा शैक्षिक दृष्टि से कलकत्ता का उन दिनों विशेष महत्त्व था। यहीं से 10 मई, 1829 को राजा राममोहन राय ने 'बंगदूत' समाचार पत्र निकाला जो बांग्ला, फारसी, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित हुआ। बांग्ला पत्र 'समाचार दर्पण' के 21 जून, 1834 के अंक 'प्रजामित्र' नामक हिंदी पत्र के कलकत्ता से प्रकाशित होने की सूचना मिलती है। लेकिन अपने शोध ग्रंथ में डॉ.

रामरतन भटनागर ने उसके प्रकाशन को संदिग्ध माना है। 'बंगदूत' के बंद होने के बाद 15 सालों तक हिंदी में कोई पत्र न निकला।

हिंदी पत्रकारिता का उत्थान काल (1900-1947)

सन् 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका, अपने समय की युगान्तरकारी पत्रिका रही है। वह अपनी छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। इसे बंगाली बाबू चिन्तामणि घोष ने प्रकाशित किया था तथा इसे नागरी प्रचारिणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। इसके सम्पादक मण्डल में बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिका प्रसाद खत्री, जगन्नाथदास रत्नाकर, किशोरीदास गोस्वामी तथा बाबू श्यामसुन्दर दास थे। 1903 में इसके सम्पादन का भार आचार्य महावर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी-रसिकों के मनोरंजन के साथ भाषा के सरस्वती भण्डार की अंगपुष्टि, वृद्धि और पूर्ति करना था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता का उद्‌भव व विकास बड़ी ही विषम परिस्थिति में हुआ। इस समय जो भी पत्र-पत्रिकाएं निकलती उनके सामने अनेक बाधाएं आ जातीं, लेकिन इन बाधाओं से टक्कर लेती हुई हिंदी पत्रकारिता शनैः-शनैः गति पाती गई।

हिंदी पत्रकारिता का उत्कर्ष काल (1947 से प्रारंभ)

अपने क्रमिक विकास में हिंदी पत्रकारिता के उत्कर्ष का समय आजादी के बाद आया। 1947 में देश को आजादी मिली। लोगों में नई उत्सुकता का संचार हुआ। औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण कला भी विकसित हुई। जिससे पत्रों का संगठन पक्ष सुदृढ़ हुआ। रूप-विन्यास में भी सुरुचि दिखाई देने लगी। आजादी के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व उन्नति होने पर भी यह दुःख का विषय है कि आज हिंदी पत्रकारिता विकृतियों से घिरकर स्वार्थ सिद्धि और प्रचार का माध्यम बनती जा रही है। परन्तु फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय प्रेस की प्रगति स्वतंत्रता के बाद ही हुई। यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता ने पर्याप्त प्रगति कर ली है, किन्तु उसके उत्कर्षकारी विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं भी कम नहीं हैं।

प्रतिबंधित पत्र-पत्रिकाएँ

भारत के स्वाधीनता संघर्ष में पत्र-पत्रिकाओं की अहम् भूमिका रही है। आजादी के आन्दोलन में भाग ले रहा हर आम-ओ-खास कलम की ताकत से

वाकिफ था। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर, यशपाल जैसे आला दर्जे के नेता सीधे-सीधे तौर पर पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और नियमित लिख रहे थे। जिसका असर देश के दूर-सुदूर गांवों में रहने वाले देशवासियों पर पड़ रहा था। अंग्रेजी सरकार को इस बात का अहसास पहले से ही था, लिहाजा उसने शुरू से ही प्रेस के दमन की नीति अपनाई। 30 मई, 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदंत्त मार्तण्ड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। अपने समय का यह खास समाचार पत्र था, मगर आर्थिक परेशानियों के कारण यह जल्दी ही बंद हो गया। आगे चलकर माहौल बदला और जिस मकसद की खातिर पत्र शुरू किये गये थे, उनका विस्तार हुआ। समाचार सुधावर्षण, अभ्युदय, शंखनाद, हलधर, सत्याग्रह समाचार, युद्धवीर, क्रांतिवीर, स्वदेश, नया हिन्दुस्तान, कल्याण, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, बुन्देलखण्ड केसरी, मतवाला सरस्वती, विप्लव, अलंकार, चाँद, हंस, प्रताप, सैनिक, क्रांति, बलिदान, वॉलिंटियर आदि जनवादी पत्रिकाओं ने आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में सोये हुए वतनपरस्ती के जज्बे को जगाया और क्रांति का आह्वान किया।

नतीजतन उन्हें सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा। दमन, नियंत्रण के दुष्चक्र से गुजरते हुए उन्हें कई प्रेस अधिनियमों का सामना करना पड़ा। 'वर्तमान पत्र' में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखा 'राजनीतिक भूकम्प' शीर्षक लेख, 'अभ्युदय' का भगत सिंह विशेषांक, किसान विशेषांक, 'नया हिन्दुस्तान' के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और फाँसीवादी विरोधी लेख, 'स्वदेश' का विजय अंक, 'चाँद' का अछूत अंक, फाँसी अंक, 'बलिदान' का नववर्षांक, 'क्रांति' के 1939 के सितम्बर, अक्टूबर अंक, 'विप्लव' का चंद्रशेखर अंक अपने क्रांतिकारी तेवर और राजनीतिक चेतना फैलाने के इल्जाम में अंग्रेजी सरकार की टेढ़ी निगाह के शिकार हुए और उन्हें जब्ती, प्रतिबंध, जुर्माना का सामना करना पड़ा। संपादकों को कारावास भुगतना पड़ा।

गवर्नर जनरल वेलेजली

भारतीय पत्रकारिता की स्वाधीनता को बाधित करने वाला पहला प्रेस अधिनियम गवर्नर जनरल वेलेजली के शासनकाल में 1799 को ही सामने आ गया था। भारतीय पत्रकारिता के आदिजनक जॉन्स आगस्टस हिक्की के समाचार

पत्र 'हिक्की गजट' को विद्रोह के चलते सर्वप्रथम प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हिक्की को एक साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा हुई। कालांतर में 1857 में गैंगिंक एक्ट, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1908 में न्यूज पेपर्स एक्ट (इन्साइटमेंट अफैंसेज), 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, 1930 में इंडियन प्रेस आर्डिनेंस, 1931 में दि इंडियन प्रेस एक्ट (इमरजेंसी पावर्स) जैसे दमनकारी कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के उद्देश्य से लागू किए गये। अंग्रेजी सरकार इन काले कानूनों का सहारा लेकर किसी भी पत्र-पत्रिका पर चाहे जब प्रतिबंध, जुर्माना लगा देती थी। आपत्तिजनक लेख वाले पत्र-पत्रिकाओं को जब्त कर लिया जाता। लेखक, संपादकों को कारावास भुगतना पड़ता व पत्रों को दोबारा शुरू करने के लिए जमानत की भारी भरकम रकम जमा करनी पड़ती। बावजूद इसके समाचार पत्र संपादकों के तेवर उग्र से उग्रतर होते चले गए। आजादी के आन्दोलन में जो भूमिका उन्होंने खुद तय की थी, उस पर उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। जेल, जब्ती, जुर्माना के डर से उनके हौसले पस्त नहीं हुये।

बीसवीं सदी की शुरुआत

बीसवीं सदी के दूसरे-तीसरे दशक में सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचार-प्रसार और उन आन्दोलनों की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम् भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रवक्ता का रोल निभाया। कानपुर से 1920 में प्रकाशित 'वर्तमान' ने असहयोग आन्दोलन को अपना व्यापक समर्थन दिया था। पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' उग्र विचारधारा का हामी था। अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदनमोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेख प्रकाशित हुए। जिसके परिणामस्वरूप इन पत्रों को प्रतिबंध- जुर्माना का सामना करना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप', सज्जाद जहीर एवं शिवदान सिंह चौहान के संपादन में इलाहाबाद से निकलने वाला 'नया हिन्दुस्तान' राजाराम शास्त्री का 'क्रांति' यशपाल का 'विप्लव' अपने नाम के मुताबिक ही क्रांतिकारी तेवर वाले पत्र थे। इन पत्रों में क्रांतिकारी युगांतकारी लेखन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। अपने संपादकीय, लेखों, कविताओं के जरिए इन पत्रों ने सरकार की नीतियों की लगातार भर्त्सना की। 'नया हिन्दुस्तान'

और 'विप्लव' के जब्तशुदा प्रतिबंधित अंकों को देखने से इनकी वैश्विक दृष्टि का पता चलता है।

'चाँद' का फाँसी अंक

फाँसीवाद के उदय और बढ़ते साम्राज्यवाद, पूंजीवाद पर चिंता इन पत्रों में साफ देखी जा सकती है। गोरखपुर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र 'स्वदेश' को जीवंतपर्यंत अपने उग्र विचारों और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण समय-समय पर अंग्रेजी सरकार की कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। खासकर विशेषांक विजयांक को। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा संपादित 'चाँद' के फाँसी अंक की चर्चा भी जरूरी है। काकोरी के अभियुक्तों को फाँसी के लगभग एक साल बाद, इलाहाबाद से प्रकाशित चाँद का फाँसी अंक क्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास की अमूल्य निधि है। यह अंक क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा हुआ है। सरकार ने अंक की जनता में जबर्दस्त प्रतिक्रिया और समर्थन देख इसको फौरन जब्त कर लिया और रातों-रात इसके सारे अंक गायब कर दिये। अंग्रेज हुकूमत एक तरफ क्रांतिकारी पत्र-पत्रिकाओं को जब्त करती रही, तो दूसरी तरफ इनके संपादक इन्हें बिना रुके पूरी निर्भिकता से निकालते रहे। सरकारी दमन इनके हौसलों पर जरा भी रोक नहीं लगा सका। पत्र-पत्रिकाओं के जरिए उनका यह प्रतिरोध आजादी मिलने तक जारी रहा।

4

पत्र-पत्रिकाओं का इतिवृत्त और विकास

पत्र-पत्रिकाएँ मानव समाज की दिशा-निर्देशिका मानी जाती हैं। समाज के भीतर घटती घटनाओं से लेकर परिवेश की समझ उत्पन्न करने का कार्य पत्रकारिता का प्रथम व महत्त्वपूर्ण कर्त्तव्य है। राजनीतिक-सामाजिक चिंतन की समझ पैदा करने के साथ विचार की सामर्थ्य पत्रकारिता के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। पत्रकारिता ने युगों से अपने इस दायित्व का निर्वाह किया तथा दायित्व-निर्वहन की समस्त कसौटियों को पूर्ण करते हुए समय-समय पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की। यह अध्ययन करना अपने-आप में अत्यंत रोचक है कि पत्रकारिता की यह यात्रा कब और कैसे आरंभ हुई और किन पड़ावों से गुजरकर राष्ट्रीयता के मिशन से व्यावसायिकता तक की यात्रा को उसने संपन्न किया।

आजादी से पूर्व का युग राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय चेतना की अनुभूति के विकास का युग था। इस युग का मिशन और जीवन का उद्देश्य एक ही था—स्वाधीनता की चाह और प्राप्ति का प्रयास। इस प्रयास के तहत् ही हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का आरंभ हुआ। इस संदर्भ में इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि हिंदी क्षेत्रों के बाहर भी विशेषकर हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में भाषा को राष्ट्रीय अस्मिता का वाहक मानकर सभी पत्रकारों ने हिंदी को ही अपनी 'भाषा'

के रूप में चुना और हिंदी भाषा के पत्र-पत्रिकाओं के संवर्द्धन में अपना योगदान दिया।

भारतेंदु के आगमन से पूर्व ही पत्रकारिता का आरंभ हो चुका था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार-पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' 30 मई, 1826 को कानपुर निवासी पं. जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला। सुखद आश्चर्य की बात यह थी कि यह पत्र बंगाल से निकला और बंगाल में ही हिंदी पत्रकारिता के बीज प्रस्फुटित हुए। 'उदन्त मार्तण्ड' का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को जागृत करना तथा भारतीयों के हितों की रक्षा करना था। यह बात इसके मुख पृष्ठ पर छपी पंक्ति से ही ज्ञात होती है–

यह उदन्त मार्तण्ड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया .....।

समाचार-पत्रों एवं पत्रिकाओं का मूल उद्देश्य सदैव जनता की जागृति और जनता तक विचारों का सही संप्रेषण करना रहा है। महात्मा गांधी की पंक्तियाँ हैं–समाचार पत्र का पहला उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना है। तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है।

समाचार-पत्र और पत्रिकाओं ने इन उद्देश्यों को अपनाते हुए आरंभ से ही भारतीयों के हित के लिए विचार को जागृत करने का कार्य किया। बंगाल से निकलने वाला 'उदन्त मार्तण्ड' जहाँ हिंदी भाषी शब्दावली का प्रयोग करके भाषा-निर्माण का प्रयास कर रहा था वहीं काशी से निकलने वाला प्रथम साप्ताहिक पत्र 'बनारस अखबार' पूर्णतया उर्दू और फारसीनिष्ठ रहा। भारतेंदु युग से पूर्व ही हिंदी का प्रथम समाचार-पत्र (दैनिक) 'समाचार सुधावर्षण' और आगरा से 'प्रजाहितैषी' का प्रकाशन हो चुका था। अर्जुन तिवारी पत्रकारिता के विकास को निम्नलिखित काल खण्डों में बाँटते हैं–

1. उद्‌भव काल (उद्‌बोधन काल) - 1826-1884 ई.
2. विकास काल
   - (क) स्वातंत्र्य पूर्व काल
   - (अ) जागरण काल - 1885-1919
   - (आ) क्रांति काल - 1920-1947
   - (ख) स्वातंत्र्योत्तर काल - नव-निर्माण काल - 1948-1974
3. वर्तमान काल (बहुउद्देशीय काल) 1975 ...

भारतेंदु ने अपने युग धर्म को पहचाना और युग को दिशा प्रदान की। भारतेंदु ने पत्र-पत्रिकाओं को पूर्णतया जागरण और स्वाधीनता की चेतना से जोड़ते हुए 1867 में 'कवि वचन सुधा' का प्रकाशन किया जिसका मूल वाक्य था–'अपधर्म छूटै, सत्व निज भारत गहै' भारत द्वारा सत्व ग्रहण करने के उद्देश्य को लेकर भारतेंदु ने हिंदी पत्रकारिता का विकास किया और आने वाले पत्रकारों के लिए दिशा-निर्माण किया। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी नामक पत्र निकाले। 'कवि वचन सुधा' को 1875 में साप्ताहिक किया गया जबकि अनेकानेक समस्याओं के कारण 1885 ई. में इसे बंद कर दिया गया। 1873 में भारतेंदु ने 'हरिश्चंद्र मैगजीन' का प्रकाशन किया जिसका नाम 1874 में बदलकर 'हरिश्चंद्र चन्द्रिका' कर दिया गया। देश के प्रति सजगता, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना, मानवीयता, स्वाधीन होने की चाह इनके पत्रों की मूल विषय-वस्तु थी। स्त्रियों को गृहस्थ धर्म और जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारतेंदु ने 'बाला बोधिनी' पत्रिका निकाली जिसका उद्देश्य महिलाओं के हित की बात करना था।

भारतेंदु से प्रेरणा पाकर भारतेंदु मण्डल के अन्य पत्रकारों ने भी पत्रों का प्रकाशन किया। पं. बालकृष्ण भट्ट का 'हिंदी प्रदीप' इस दिशा में अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रयास था। इस पत्र की शैली व्यंग्य और विनोद का सम्मिश्रण थी और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए जन जागृति का प्रयास करना इनका उद्देश्य था। इस पत्र का उद्घाटन करते हुए भारतेंदु ने लिखा:–

सूझे विवेक विचार उन्नति, कुमति सब यामैं जरै।
हिन्दी प्रदीप प्रकाशि मुरखतादि भारत तम हरै।

1857 के संग्राम से प्रेरणा लेकर भारतवासियों की जागृति का यह प्रयास चल ही रहा था कि 14 मार्च, 1878 को 'वर्नाकुलर प्रेस एक्ट' लागू कर दिया गया। लार्ड लिंटन द्वारा लागू इस कानून का उद्देश्य पत्र-पत्रिकाओं की अभिव्यक्ति को दबाना और उनके स्वातंत्र्य का हनन करना था। 'हिंदी प्रदीप' ने इस एक्ट की न केवल भर्त्सना की बल्कि उद्बोधनपरक लेख भी लिखे।

1881 में पं. बद्रीनारायण उपाध्याय ने 'आनन्द कादम्बिनी' नामक पत्र निकाला और पं. प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर से 'ब्राह्मण' का प्रकाशन किया। 'आनन्द- कादम्बिनी' ने जहाँ साहित्यिक पत्रकारिता में योगदान दिया वहीं 'ब्राह्मण' ने अत्यंत धनाभाव में भी सर्वसाधारण तक जानकारी पहुँचाने का कार्य

पूर्ण किया। 'ब्राह्मण' का योगदान साधारण व सरल गद्य के संदर्भ में भी महत्त्वपूर्ण है।

1890 में 'हिंदी बंगवासी' ने कांग्रेस पर व्यंग्य की बौछार की वहीं 1891 में 'बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन' ने 'नागरी नीरद' का प्रकाशन किया। राष्ट्र को चैतन्य करना व अंग्रेजों की काली करतूतों का पर्दाफाश करना इस पत्र का उद्देश्य था। भारतेंदु युग से निकलने वाले पत्रों की मूल विषय-वस्तु भारतीयों को जागृत करना तथा सत्य, न्याय और कर्त्तव्यनिष्ठा का प्रसार करना तथा जनता को एकता की भावना का पाठ पढ़ाना था।

यह युग राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का युग था। पत्रकारों का उद्देश्य किसी भी प्रकार की व्यावसायिक पत्रकारिता को प्रश्रय देना नहीं था। वह पत्रकारिता का सही दिशा में सदुपयोग करते हुए आम जन के भीतर वह जोश एवं उमंग भरना चाहते थे जिसके द्वारा वह स्वयं खड़े होने का साहस कर सके। इसी राष्ट्रीयता का विस्तार था - सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करना। ब्रिटिश सरकार की अनीतियों पर चढ़े नीतिगत मुलम्मों को उतार कर उनके वास्तविक चेहरे का उद्घाटन करना इस काल के पत्रकारों का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था। बालमुकुन्द गुप्त ने 'शिवशम्भु के चिट्ठे' में ब्राह्मण शिवशम्भु शर्मा के छद्म नाम सेलॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग्य किया।

इस समय की दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ थीं–1. 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 2. 1905 का बंग विभाजन। 1878के इस एक्ट द्वारा प्रेस की आजादी पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश सरकार अपने खिलाफ स्वतंत्रता के स्वर उठाने वाले पत्रों का दमन करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने 1878 में प्रेस एक्ट लागू किया। 1879 में 'सार सुधानिधि' पत्र निकला। इसने न केवल इस एक्ट का विरोध किया बल्कि अपनी 'भाषा' हिंदी की समृद्धि के लिए व्याख्यान भी लिखे। अपने प्रयोजन की ओर संकेत करते हुए इन्होंने लिखा - ...यथार्थ हिंदी भाषा का प्रचार करना और हिंदी लिखने वालों की संख्या में वृद्धि करना सार सुधानिधि का दूसरा प्रयोजन है। राष्ट्रीय चेतना के साथ-साथ भाषा की महत्ता स्थापित करने का प्रयास इस युग के सभी पत्रकारों का उद्देश्य था। यदि कहा जाए कि भाषा का प्रश्न राष्ट्रीयता का ही प्रश्न था तो गलत नहीं होगा। सर्वसाधारण की जन-भाषा और हृदय को छू लेने वाली हिंदी का प्रयोग करना और करने के लिए तैयार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने कहीं भी भाषा को प्रबुद्धजन से ही जोड़ने का आग्रह नहीं दिखाया,

सामान्य जन की ही शब्दावली का प्रयोग करते हुए उन्हें सचेतन करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए सार सुधानिधि में 'हिंदी भाषा' नाम से छपे लेख की भाषा दृष्टव्य है–

' .... जब हम सोचते हैं तो प्रथम दृष्टि हमारी भाषा पर पड़ती है, क्योंकि जब तक निष्कपट विशुद्ध भाषा की उन्नति नहीं होगी जब तक निष्कपट सभ्यता और देश की उन्नति भी नहीं होगी।'

इस दिशा में सबसे बड़ा योगदान 'भारतेंदु' का है। भारतेंदु ने 1873 में कहा–'हिंदी नयी चाल में ढली' - यह नयी चाल भाषा की राह को सुगम बनाने का प्रयास थी जिसके लिए भारतेंदु ने सर्वाधिक प्रयास किया।

इस युग की पत्रकारिता के उद्देश्य बहु-आयामी थे। एक ओर राष्ट्रीयता की चेतना के साथ-साथ राजनीति की कलई खोलना तो दूसरी ओर सामाजिक चेतना को जागृत करना, सामाजिक कुरीतियों और दुष्प्रभावों का परिणाम दर्शाना, स्त्रियों की दीन-हीन दशा में सुधार और स्त्री-शिक्षा को बढ़ावा देना; पत्रकारों के प्रमुख उद्देश्य थे। भारतेंदु इस कार्य के लिए युग द्रष्टा और युग स्रष्टा के रूप में आए। उनके योगदान के लिए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें विशेष स्थान प्रदान करते हैं। हिंदी साहित्य का दिशा-निर्देश करने वाली पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन जनवरी 1900 को हुआ जिसके संपादक मण्डल में जगन्नाथ दास रत्नाकर, राधाकृष्ण दास, श्यामसुंदर दास जैसे सुप्रसिद्ध विद्वज्जन थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। एक ओर भाषा के स्तर पर और दूसरी ओर प्रेरक बनकर मार्गदर्शन का कार्य संभालकर द्विवेदी जी ने साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। द्विवेदी जी ने भाषा की समृद्धि करके नवीन साहित्यकारों को राह दिखाई। उनका वक्तव्य है–हमारी भाषा हिंदी है। उसके प्रचार के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, सो तो कर ही रही है, हमें चाहिए कि हम अपने घरों का अज्ञान तिमिर दूर करने और अपना ज्ञानबल बढ़ाने के लिए इस पुण्यकार्य में लग जाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्द्धन करने के साथ-साथ नए रचनाकारों को भाषा का महत्त्व समझाया व गद्य और पद्य के लिए राह निर्मित की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह पत्रिका मूलत: साहित्यिक थी और हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त से लेकर कहीं-न-कहीं निराला के निर्माण में इसी पत्रिका का योगदान था परंतु साहित्य के निर्माण के साथ राष्ट्रीयता का प्रसार करना भी इनका उद्देश्य था। भाषा का

निर्माण करना साथ ही गद्य-पद्य के लिए खड़ी बोली को ही प्रोत्साहन देना इनका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था।

1901 में प्रकाशित होने वाले पत्रों में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 'समालोचक' महत्त्वपूर्ण है। इस पत्र का दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और इसी दृष्टिकोण के कारण यह पत्र चर्चित भी रहा।

1905 में काशी से 'भारतेंदु' पत्र का प्रकाशन हुआ। यह पत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र की स्मृति में निकाला गया। 'जगमंगल करै' के उद्घोष के साथ इस पत्र ने संसार की भलाई करने का महत् उद्देश्य अपने सामने रखा परंतु लंबे समय तक इसका प्रकाशन नहीं हो सका।

1907 का वर्ष समाचार पत्रों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा। महामना मालवीय ने 'अभ्युदय' का प्रकाशन किया वहीं बाल गंगाधर तिलक के 'केसरी' की तर्ज पर माधवराव स्प्रे ने 'हिंदी केसरी' का प्रकाशन किया। 'मराठी केसरी' के महत्त्वपूर्ण अंशों और राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधन करने वालेअवतरणों का हिंदी अनुवाद करके 'हिंदी केसरी' ने उसे जन-साधारण तक पहुँचाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल गंगाधर तिलक की प्रशंसा करते हुए और माधवराव स्प्रे के भाषा संबंधी प्रयास को सराहते हुए लिखा–.... आशा है इससे वही काम होगा जो तिलक महाशय के केसरी से हो रहा है। इसके निकालने का पूरा श्रेय पं. माधवराव स्प्रे बी.ए. को है। महाराष्ट्री होकर हिंदी भाषा पर आपके अखण्ड और अकृत्रिम प्रेम को देखकर उन लोगों को लज्जित होना चाहिए जिनकी जन्मभाषा हिंदी है पर जो हिंदी में एक शब्द भी लिख नहीं सकते या लिखना नहीं चाहते।

1910 में गणेश शंकर विद्यार्थी ने 'प्रताप' का प्रकाशन किया। यह पत्र उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक था। उग्र नीतियों के समर्थक इस पत्र ने उत्साह एवं क्रांति के पोषण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

इन पत्रों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना एवं भाषा नीति का प्रसार करना था। उग्र एवं क्रांतिकारी विचारधारा के पोषण पत्र स्वाधीनता के प्रसार के लिए प्रयास कर ही रहे थे, साथ ही साथ साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं ने अनेक लेख लिखकर जनता की सुप्त भावनाओं का दिशा-निर्देशन किया।

छायावाद काल में पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक हुआ। इस काल की प्रमुख पत्रिकाओं में इन्दु, प्रभा, चाँद, माधुरी एवं शारदा, मतवाला थी। सभी साहित्यकारों–जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा ने पत्रिकाएँ निकालीं। इन साहित्यकारों ने अपने लेखों के माध्यम से जन-जागृति

का कार्य किया। 1909 में जयशंकर प्रसाद ने 'इन्दु' पत्रिका का प्रकाशन किया। हिंदी काव्यधारा में छायावाद का आरंभ इसी पत्रिका से ही हुआ।

'प्रभा' का प्रकाशन सन् 1913 में हुआ। इसके संपादक कालूराम गंगराडे थे। इस पत्रिका ने ही माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रीय चेतना के कवि को जगत् के समक्ष प्रस्तुत एवं स्थापित किया। माखनलाल चतुर्वेदी ने इस पत्र को उग्र एवं सशक्त स्वर जागरण का माध्यम बनाया। उनके शब्दों में–'हमारा अनुरोध है कि तुम अन्यायों, अत्याचारों और भूलों के संबंध में जो कुछ लिखना हो, बृहदबकर नहीं, खुलकर लिखो। तुम्हारे पत्रों के संपादकों का विद्वता का ज्वर तभी शायद उतरेगा।' 'चाँद' का प्रकाशन सन् 1920 में हुआ। आरंभ में यह साप्ताहिक पत्र था बाद में मासिक हो गया। इस पत्रिका में अनेक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेख प्रकाशित किए जाते थे।

'माधुरी' का प्रकाशन 1921 से हुआ। यह छायावाद की प्रमुख पत्रिका थी परंतु अनेक अस्थिर नीतियों का इसे भी सामना करना पड़ा तथापि यह छायावाद की सबसे लोकप्रिय पत्रिका रही। श्री विष्णुनारायण भार्गव इस पत्रिका के संस्थापक थे। 'माधुरी' के मुख पृष्ठ पर दुलारे लाल भार्गव का लिखा दोहा प्रकाशित होता था:–

सिता, मधुर मधु, सुधा तिय अधर माधुरी धन्य।
पै नव रस साहित्य की यह माधुरी अनन्य।

1922 में रामकृष्ण मिशन से जुड़े स्वामी माधवानन्द के संपादनमें 'समन्वय' का प्रकाशन हुआ। यह मासिक पत्र था। निराला की सूझ-बूझ और उनके पाण्डित्य का उत्कृष्ट उदाहरण यह पत्र है। आचार्य शिवपूजन सहाय और निराला ने विभिन्न उत्कृष्ट सामाजिक धार्मिक लेखों द्वारा इस पत्र के माध्यम से सर्वसाधारण तक अपना स्थान बनाया।

निराला ने हिंदी भाषा सीखने के लिए 'सरस्वती' पत्रिका को आधार बनाया। वह इस पत्रिका के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहते हैं–'जिसकी हिंदी के प्रकाश के परिचय के समक्ष मैं आँख नहीं मिला सका, लजा कर हिंदी शिक्षा के संकल्प से कुछ दिनों बाद देश से विदेश, पिता के पास चला गया था और उस हिंदी हीन प्रांत में बिना शिक्षक के 'सरस्वती' की प्रतियां लेकर पदसाधना की और हिंदी सीखी।' 1923 में निकलने वाला 'मतवाला' निराला के गुणों से प्रदीप्त, अपने स्वरूप में भी निराला ही था। यद्यपि इसके संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ थे तथापि इस पत्र की पूर्ण जिम्मेदारी

शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' व पांडेय बेचैन शर्मा 'उग्र' की ही थी। हास्य, व्यंग्य एवं विनोद का प्रयोग करके नई चेतना जगाने वाले इस पत्र के मुखपृष्ठ पर छपने वाली पंक्तियाँ थी।

अमिय गरल, शशि सीकर रविकर
राग विराग भरा प्याला
पीते हैं, जो साधक उनका
प्यारा है यह 'मतवाला'।

मतवाले अंदाज के लिए मशहूर पत्र 'निराला' के निराले अंदाज का सूचक था। 'निराला' को यह उपनाम इसी पत्र द्वारा ही प्राप्त हुआ था। 'मतवाला' साहित्यिक योजनाओं को शीर्ष पर पहुँचाने का उत्कृष्ट माध्यम था। अपने युग के प्रति जागरुक रहने के साथ-साथ साहित्य की नवीन शैली का प्रादुर्भाव करने का श्रेय इस पत्र को है।

'सुधा' का संपादन 1927 में श्री दुलारे लाल भार्गव व पं. रूपनारायण पाण्डेय ने किया। इस पत्रिका का मूल उद्देश्य बेहतर साहित्य उत्पन्न करना, नए लेखकों को प्रोत्साहन देना, कृतियों को पुरस्कृत करना व विविध विषयों पर लेख छापना था। 'निराला' के आगमन से 'सुधा' को एक नई दिशा मिली। इस पत्रिका के प्रमुख विषयों में समाज सुधार, विज्ञान से लेकर साहित्य और गृहविज्ञान की सामग्री भी प्रकाशित होती थी।

छायावाद की पत्रकारिता इस दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण थी कि भाषा का एक नया संस्कार और भाषा में कोमलता-प्रांजलता लाने का श्रेय इस युग की पत्रिकाओं को था।

एक ओर इन पत्रिकाओं के माध्यम से स्वच्छंदतावाद की स्थापना हुई वहीं सामाजिक, राजनीतिक घटनाओं को स्वर मिला। अनेक सुंदर कविताओं का प्रकाशन इस युग की पत्रिकाओं में हुआ। 'जूही की कली', 'सरोज स्मृति', 'बादल राग' जैसी निराला की उत्कृष्ट कविताएँ 'मतवाला' में प्रकाशित हुई। 'जूही की कली' को मुक्त छंद के प्रवर्तन का श्रेय दिया जाता है।

'चाँद' पत्रिका में ही महादेवी वर्मा का अधिकांश साहित्य छपा। 'छायावाद' के प्रसिद्ध रचनाकारों में से सुमित्रानंदन पंत जी ने 'रूपाभ' का प्रकाशन किया।

प्रेमचंद ने 1932 में 'जागरण' और 1936 में 'हंस' का प्रकाशन किया। 'हंस' का उद्देश्य समाज का आह्वान करना था। 'हंस' साहित्यिक पत्रिका थी

जिसमें साहित्य की विविध विधाओं का प्रकाशन किया जाता था। महात्मा गांधी की अहिंसा को साहित्य के माध्यम से स्थापित करने वाले प्रेमचंद ने 'हंस' में भी इसी आदर्श को स्वर दिया। स्वतंत्रता के प्रति महात्मा गांधी के निरंतर प्रयास को महसूस करते हुए 'हंस' ने लिखा– भारत के कर्णधार महात्मा गांधी ने इस विचार की सृष्टि कर दी। अब वह बढ़ेगा, फूले फलेगा। ... हमारा यह धर्म है कि उस दिन को जल्द से जल्द लाने के लिए तपस्या करते रहें। यही हंस का ध्येय होगा और इसी ध्येय के अनुकूल उसकी नीति होगी।

गांधी की नीतियों का समर्थन, स्वराज्य स्थापना के लिए जागरण का प्रयास और साहित्यिक विधाओं का विकास ही 'हंस' का लक्ष्य था। प्रेमचंद के पश्चात् शिवरानी देवी, विष्णुराव पराड़कर, जैनेन्द्र, शिवदान सिंह चौहान, अमृतराय ने इस पत्रिका का संपादन किया। 'हंस' अब एक नए रूप में और नए आदर्श-यथार्थ को समन्वित करके नए ज्वलंत प्रश्नों को उभारते हुए राजेन्द्र यादव द्वारा निकाली जा रही है। अब इसका प्रमुख स्वर -किसान और स्त्री एवं दलित पीड़ा का है। इन तीनों वर्गों की सशक्त उपस्थिति इसमें देखी जा सकती है। शोषित वर्ग की आवाज 'हंस' में प्रमुखता से स्थान प्राप्त कर रही है।

स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश पत्र-पत्रिकाओं ने दोहरे कार्य को लेकर उसे पूर्ण करने का प्रयास किया:–

1. राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार
2. साहित्य की विविध विधाओं का विकास

इसी के साथ भाषा के विविधवर्णी रंगों की खोज और साहित्य के दोनों पक्षों– गद्य एवं पद्य की स्थापना करना भी इनका लक्ष्य था जिसे कवि-हृदय पत्रकारों ने पूर्ण किया।

1947 में मिली स्वतंत्रता के पश्चात् भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और इसकी संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प प्रत्येक भारतवासी ने किया। अपनी भाषा की समृद्धि और उसका विकास करने की चाह सभी के हृदय में विद्यमान थी परंतु धीरे-धीरे राजभाषा विधेयकों के माध्यम से हिंदी की उपेक्षा करके अंग्रेजी को उसके माथे पर बिठाने की तैयारी की योजनाएँ बनने लगीं। 12 मई, 1963 को 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' में बांके बिहारी भटनागर ने हिंदी के समर्थन में लिखा– 'भारत के सुदर्शनधारियों आँखें खोलकर देखो, अंग्रेजी का दु:शासन आज राष्ट्रभाषा का चीर हरने की हठधर्मी ठाने खड़ा है। सब भाषाओं को मिलकर राष्ट्रभाषा का चीर बढ़ाना होगा।' स्वतंत्रता के पश्चात्

पत्रकारिता के समक्ष अनेक आदर्श थे। उन्हें आजादी की सौंधी सुगंध से लेकर आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप से जनता को परिचित कराना था, विकास-काल की स्वर्णिम योजनाओं पर प्रकाश डालना था और साथ ही युगीन जमीनी सच्चाइयों को भी अनावृत्त करना था। इसी के साथ-साथ पाठक की चेतना में प्रवेश करके उसकी रुचि को संस्कारित करना भी पत्रकारिता का ही दायित्व था।

स्वतंत्रता के साथ ही भारत के विभाजन का दंश सभी को पीड़ित कर गया। 1951 में होने वाले आम चुनाव में पंचशील के सिद्धान्तों को भारतीय नीति का प्रमुख तत्त्व माना गया पर 1962 के चीनी आक्रमण ने इन सिद्धान्तों पर प्रश्न चिह्न लगा दिया। 1962 के आक्रमण के समय पत्र-पत्रिकाओं ने निरंतर बलिदान का आह्वान करके अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाह किया। 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' में छपी टिप्पणियाँ किसी भी सुप्त हृदय को भी जगाने में सक्षम थीं। ...

देशवासियों आओ, आज हम अपने छोटे-छोटे मतभेदों को भुलाकर बृहत्तर राष्ट्र की रक्षा के लिए पूर्णरूप से संगठित हो जाएँ और अपनी एकता की दहाड़ से शत्रु का कलेजा दहला दें...

सन् 64 में नेहरू की मृत्यु 1965 में पाकिस्तान से युद्ध ताशकंद समझौते के बाद लालबहादुर शास्त्री जी की मृत्यु, 71 में पाकिस्तान से पुनः युद्ध आदि घटनाओं के समय पत्र-पत्रिकाएँ अपनी जिम्मेदारी पूर्ण निष्ठा के साथ निभाती रहीं।

समाचार-पत्रों के लिए सबसे अधिक संकट की घड़ी आपातकाल की थी जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया और सृजन पर रोक लगा दी गई। यह पत्रकारों के लिए अंधेरी सुरंग में से गुजरने जैसा कठोर यातनादायक अनुभव था। धीरे-धीरे पत्रों पर भी व्यावसायिकता हावी होने लगी। पत्रों को स्थापित होने के लिए अर्थ की आवश्यकता हुई और अर्थ की सत्ता उद्योगपतियों के हाथों में होने के कारण इनके द्वारा ही पत्रों को प्रश्रय प्राप्त हुआ। ऐसे में उद्योगपतियों के हितों को ध्यान में रखना पत्रों का कर्त्तव्य हो गया। पूंजीपतियों के हाथ में होने वाले पत्रों में बौद्धिकता का स्तर गिरने लगा और वह मुक्तिबोध के शब्दों में– 'बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास' बन कर रह गया। अर्जुन तिवारी अपनी पुस्तक 'हिंदी पत्रकारिता का बृहद् इतिहास' में बालेश्वर अग्रवाल के शब्दों को उद्धृत करते हैं, उनके ये वाक्य आज की व्यावसायिकता को सही रूप में व्यक्त

करने में समर्थ हैं– यह बात बिल्कुल सही है कि अब पत्रकारिता स्पष्टत: एक व्यापार बन गई है, जो पाठकों को सही जानकारी देने तथा जनता की आवाज बनने के बजाय आर्थिक लाभ-हानि को ज्यादा महत्त्व देती है। जिस तरह दूसरे व्यापारों में लागत और लाभांश का महत्त्व और हिसाब होता है। उसी तरह पत्रकारिता में भी होने लगा है जिससे यह स्वाभाविक है कि अलग-अलग स्तरों के दबाव से बहुत से समझौते करने पड़ते हैं, जो प्राय: पाठक को सही खोजपूर्ण जानकारी देने के उद्देश्य को पूरा करने नहीं देते।

इसके बावजूद पत्र-पत्रिकाएँ आज भी किसी सीमा तक अपने दायित्व को पूर्ण कर रही हैं। आज मुख्य रूप से पत्र-पत्रिकाएँ तीन कार्यों को निभा रही हैं–

1. साहित्यिक अभिरुचि का विकास
2. राजनीतिक सूचनाओं में अभिवृद्धि
3. सांस्कृतिक एवं मनोरजंक सूचनाएँ।

इसके अतिरिक्त खेल, शिक्षा और कैरियर संबंधी दिशाएँ सुझाने का कार्य भी पत्रों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पत्रों द्वारा 'अतिरिक्तांक' या 'विशेषांक' भी निकाले जाते हैं जिनमें– साहित्य, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, खेल, कृषि, जनसंख्या, समसामयिकी आदि विषयों पर पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त आजकल प्रत्येक दिन पत्र के साथ कोई विशेष अंक भी आता है जिसमें अलग-अलग दिन अलग-अलग विषयों के लिए निर्धारित रहते हैं। अनेक उत्कृष्ट साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं की शुरुआत धर्मयुग, उत्कर्ष, ज्ञानोदय, नये पत्ते, पाटल, प्रतीक, निकष से हुई जो अब तक कादम्बिनी, नया ज्ञानोदय, सरिता, आलोचना, इतिहास बोध, हंस, आजकल तक विकसित हो रही है। यद्यपि अनेक पत्रिकाएँ प्रसिद्ध व स्थापित नामों को महत्त्व देती हैं पर नवीन उभरती पत्रिकाएँ नए नामों और नए विचारों को भी प्रोत्साहन दे रही हैं। कथन, कथादेश, स्त्री मुक्ति, अनभै सांचा आदि अन्य महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएँ हैं।

पत्र-पत्रिकाओं में नवीन विचारों और मान्यताओं को प्रश्रय मिलने के कारण भाषा व शिल्प में भी लचीलापन आया है। कविताओं में छंदबद्धता के प्रति आग्रह टूटा है। नित नई कहानी व कविता प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं और उनसे जुड़े रचनाकारों को सम्मानित भी किया जाता है।

अनेक पत्रिकाएँ तो किसी विशेष विधा को केंद्र में रखकर ही कार्य कर रही हैं। इससे उस विधा विशेष का तो विकास होता ही है साथ ही पाठकों को भी रुचि के अनुरूप चयन की सुविधा मिल जाती है यथा :–

'रंग प्रसंग' (नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा निकाली जाती है। इसके प्रत्येक नए अंक में एक नएनाटक को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त नाट्य एवं रंगकर्मियों के अनुभवों से जनता को रू-ब-रू कराया जाता है। 'नटरंग' भी नाट्य जगत् की सुप्रसिद्ध पत्रिका है जिसका प्रकाशन अभी तक नेमिचंद जैन जी द्वारा किया जाता रहा। नाटक के विविध रंगों की छटा उकेरती यह पत्रिका अपने आप में अनुपम है।

'अखण्ड ज्योति' जहाँ धर्म और अध्यात्म को स्थान देती है। 'अखण्ड ज्योति' एकमात्र ऐसी पत्रिका है, जो अपने शुरुआती दिनों से आज तक बिना किसी तरह के विज्ञापन के प्रकाशित हो रही है। इसके पाठकों की विशेषता यह है कि वे साल भर की सदस्यता पहले लेते हैं। यह पत्रिका किसी स्टॉल पर या बुक स्टोर पर नहीं मिलती है। इसके बाद भी इसकी प्रसार संख्या लाखों में है। आज यह पाठकों को उनके द्वारा बताये गये पते पर भेजी जाती है। धर्म-अध्यात्म और विज्ञान का इसमें संगम मिलता है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को आत्मसात् करने वाली यह पत्रिका आज के युवाओं के बीच उनके तर्कों की कसौटी पर पूरी तरह खरी साबित हो रही है।

वहीं 'योजना' में उद्योग जगत् की खबरों को प्रमुखता मिलती है। फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियाँ जहाँ मनोरंजन उद्योग की तस्वीर उकेरती हैं वही गृहशोभा, मनोरमा स्त्रियों के निजी संसार में हस्तक्षेप करती है। बच्चों के लिए चन्दामामा, नन्हें सम्राट्, चंपक, नए क्षितिज खोलती हैं वही 'विज्ञान डाइजेस्ट' विज्ञान के नए आविष्कारों से परिचय कराती है। मनोरमा इयर बुक प्रायः सभी विषयों को वर्ष भर के घटनाक्रम से जोड़कर प्रस्तुत करती है। भाषा के स्तर पर भी इन पत्रिकाओं ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आज समाचार पत्रों में 'हाइब्रिड' या 'संकर' भाषा का प्रयोग अधिक है। यूँ तो छोटे-छोटे और सरल वाक्यों का प्रचलन बढ़ा है। यही कारण है कि अधिकांश पत्र फीचर लेखन को विशेष महत्त्व देते हैं क्योंकि उनकी भाषा हास्य-व्यंग्य के चुटीले वाक्यों से भरपूर किसी स्थिति को रोचक ढंग से उकेरने में समर्थ होती है। साथ ही पत्र-पत्रिकाओं ने अनेक हिंदी अंग्रेजी शब्दों को जोड़कर नई शब्दावली का भी विकास किया है, जो आम बोलचाल में भी प्रयोग की जाने लगी है।

इसके अतिरिक्त अनेक समस्याओं जैसे:-

1. अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन
2. अधिकांश समाचारों के अनुवाद की समस्या का भी हिंदी पत्रों को सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद पत्र-पत्रिकाएँ निरंतर प्रगति कर रही हैं और

इसे देखते हुए पत्रकारिता के बेहतर भविष्य की उम्मीद की जा सकती है।

स्वतंत्रता के बाद के पत्र-पत्रिकाओं का विश्लेषण अलग-अलग करना उचित होगा।

आजकल के महत्त्वपूर्ण समाचार पत्रों में 'हिंदुस्तान' का नाम एवं स्थान अग्रणी है। मृणाल पांडे के संपादन में यह पत्र एच.टी. मीडिया लिमिटेड के द्वारा कस्तूरबा गांधी मार्ग से प्रकाशित होता है। इस पत्र का प्रकाशन 1936 से हो रहा है। इसके प्रथम संपादक सत्यदेव विद्यालंकार थे। इस पत्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सूचनाओं के साथ-साथ साहित्य संबंधी सामग्री, पुस्तक समीक्षा विशेष रूप से प्रकाशित की जाती है।

मृणाल पांडे साहित्य क्षेत्र से एक लंबे समय से जुड़ी रही हैं तथा बाल-पत्रिकाओं जैसे 'नंदन' से लेकर साहित्य जगत् की 'कादम्बिनी' का भी वह संपादन करती रही हैं। ऐसे में 'हिंदुस्तान' के संपादक के रूप में उनके आने से इसे एक नया रूप तो मिला ही है साथ ही साहित्य का भी अधिक उत्कृष्ट और नवीन रूप पत्र में दिखाई देने लगा है। भाषा में भी सरलता आई है तथा व्यंग्य और फीचर का मेल अधिक दिखाई दे रहा है।

हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन द्वारा ही 'साप्ताहिक हिंदुस्तान', 'नंदन' और 'कादम्बिनी' का प्रकाशन किया गया।

'नन्दन' का प्रकाशन 1964 से हुआ और इसके संपादक थे - राजेन्द्र अवस्थी। 'तेनालीराम' की सूझ-बूझ का प्रदर्शन ज्ञान पहेली, वर्ग पहेली इसके मुख्य आकर्षण थे। बालकों के ज्ञान में वृद्धि और स्वस्थ मनोरंजन को प्रोत्साहन देना इसका लक्ष्य रहा। 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' का प्रकाशन 1950 से हुआ। इस पत्र ने हिंदी भाषा की स्थापना के लिए चल रहे प्रयासों को अत्यंत उत्कृष्टता से स्वर प्रदान किया साथ ही युद्ध के समय जनता को बलिदान के लिए प्रेरित भी किया।

'बेनेट कोलमेन' कम्पनी लिमिटेड द्वारा 1947 में आरंभ किए गए 'नवभारत टाइम्स' के प्रथम संपादक हरिशंकर द्विवेदी थे। आगे चलकर 'अज्ञेय' ने भी इस पत्र का संपादन किया। इस पत्र का प्रकाशन बहादुरशाह जफर मार्ग से होता है। 'नवभारत टाइम्स' का ही सांध्य संस्करण 'सांध्य टाइम्स' के नाम से निकलता है। देश-विदेश के समाचारों के साथ संस्कृति, खेल, फिल्म और महानगर की गतिविधियाँ इसमें विशेष रूप से शामिल की जाती हैं। यह पत्र भाषा

के स्तर पर नए-नए शब्दों के प्रयोग के लिए विशेष प्रसिद्ध है। नए विषयों और साज-सज्जा में परिवर्तन भी इसकी प्रमुख विशेषता है।

धर्मयुग, दिनमान, पराग व सारिका जैसी उत्कृष्ट पत्रिकाओं का प्रकाशन भी बेनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा हुआ। 'धर्मयुग' एक उत्कृष्ट साहित्यिक पत्रिका थी जिसे निकालने में इलाचंद्र जोशी, सत्यदेव विद्यालंकार और सबसे बढ़कर डॉ. धर्मवीर भारती की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी। इसमें जनता की रुचि को परिष्कृत रूप देने के लिए उच्चकोटि का साहित्य प्रकाशित किया जाता था।

'राष्ट्रीय सहारा' के नाम से इसकी भूमिका का ज्ञान हो जाता है। राष्ट्रीय चेतना, अखण्डता को आधार बनाकर 15 अगस्त, 1991 से प्रकाशित होने वाला यह पत्र सहारा इण्डिया समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह पत्र विशेष रूप से पठनीय है। इसका लखनऊ संस्करण अत्यंत उत्कृष्ट व लोकप्रिय है। इसका परिशिष्ट 'हस्तक्षेप' नाम से प्रकाशित होता है।

दैनिक समाचार-पत्रों में 'अमर उजाला' का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह पत्र 1948 से प्रकाशित हो रहा है। यह पत्र भी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसके लोकप्रिय स्तंभों में -संपादकीय पत्र, आपका भविष्य, आज का आयोजन, स्वास्थ्य चर्चा तथा बच्चों का कोना प्रमुख है।

'वीर अर्जुन' का प्रकाशन 1954 से आरंभ हुआ। राष्ट्रीयता, कर्त्तव्य परायणता व ओजस्विता को आधार बनाकर चलने वाले इस पत्र में गंभीर साहित्यिक पत्रकारिता के भी दर्शन होते हैं। इस पत्र का प्रकाशन नई दिल्ली से किया जाता है। सहारा ग्रुप द्वारा प्रकाशित सप्ताह में एक बार आने वाला पत्र 'सहारा समय' विविध विषयों से पूर्ण है। साहित्यिक, राजनीतिक, फिल्मी मनोरंजन, व्यापार आदि अनेकानेक विषयों पर प्रचुर सामग्री प्रस्तुत करने के साथ-साथ बेहतर स्तर के विषय व शिल्प की विविधता इस पत्र की प्रमुख विशेषता है। यह पत्र सप्ताह में एक बार आकर भी पूरे सप्ताह के लिए सामग्री प्रस्तुत करने में सक्षम है।

आज के प्रतियोगी माहौल में विविध अवसरों की खोज और उनके विषय में जानने की इच्छा प्रत्येक युवा में पाई जाती है। एक ही साथ अनेक अवसरों, अनेक नवीन विषयों, प्रतियोगी परीक्षाओं, परीक्षा की तिथियों की जानकारी के साथ नवीन अवसरों और दिशाओं की जानकारी 'रोजगार समाचार' के माध्यम

से प्राप्त होती है। यह पत्र कुल 64 पृष्ठों में 'सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' से प्रकाशित किया जाता है। आजकल इसके संपादक राजेन्द्र चौधरी हैं।

कुछ महत्त्वपूर्ण पत्रिकाएँ इस प्रकार हैं -

'हंस'– प्रेमचंद द्वारा आरंभ एवं स्थापित की गई यह पत्रिका अब राजेन्द्र यादव द्वारा निकाली जा रही है। स्त्री एवं दलित वर्ग की अभिव्यक्ति को आधार देती यह पत्रिका विविध लेखों और कहानियों के साथ अपने विवादास्पद मुद्दों को नए सिरे से उठाती संपादकीय लेखनी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

हिंदुस्तान टाइम्स समूह द्वारा प्रकाशित एक महत्त्वपूर्ण पत्रिका है– कादम्बिनी। इसका प्रकाशन 1960 से आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक बालकृष्ण राव थे। आजकल यह पत्रिका मृणाल पांडे, राजेन्द्र अवस्थी के संपादन में प्रकाशित होती है। विविध उत्कृष्ट विषयों से युक्त यह पत्रिका प्रत्येक बार किसी विशेष विषय को आधार बनाकर अपना मत प्रकट करती है। कभी तो यह विषय पूर्णतया साहित्यिक होता है, जैसे–कमलेश्वर विशेषांक तो कभी विज्ञान, आयुर्वेद पर आधारित जैसे वैकल्पिक चिकित्सा। इसके स्थायी स्तंभ हैं– लोकमत, यांत्रिक, दृष्टिकोण, उपभोक्ता सरोकार, ग्रह-नक्षत्र, कला दीर्घा, कसौटी, क्लब समाचार, विधि, सांस्कृतिक डायरी, हंसते-हंसाते आदि। इन स्तंभों के नाम से ही ज्ञात हो जाता है कि पत्रिका विविध विषयों को लेकर समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान बना चुकी है।

पहले ज्ञानोदय के नाम से निकलने वाली प्रसिद्ध पत्रिका अब 'नया ज्ञानोदय' के नाम से प्रभाकर श्रोत्रिय के संपादन में प्रकाशित होती है। विविध कथाओं के अनुवाद करने और भाषाओं को समानांतर स्तर पर लाने के संदर्भ में इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है। इसके स्थायी स्तंभों में हस्तक्षेप, कहानी, भाषांतर, कविता, साक्षात्कार, यात्रा वृत्तांत, पुस्तक समीक्षा हैं। नई पुस्तकों से परिचित कराने व भाषाओं को जोड़ने में इनका विशेष योगदान है।

भारतीय-अमरीकी मित्रों के सहयोग से आरंभ की गई पत्रिका 'अन्यथा' कृष्ण किशोर के संपादन में संयुक्त राज्य अमरीका से निकाली जाती है। स्त्री की पीड़ा को आधार बनाती यह पत्रिका प्रवासी भारतीयों को जोड़ने का प्रयास है। समाज, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिनेमा, समीक्षा, सामयिकी और परिवेश को आधार बनाती यह पत्रिका भारत और अमरीका में लोकप्रिय हो रही है।

'कसौटी' के कुल 15 अंक ही प्रकाशित हुए। वित्तीय कारणों से इस पत्रिका को बंद करना पड़ा अन्यथा यह भी सत्य है कि नंदकिशोर नवल ने इस पत्रिका के अत्यंत उच्च साहित्यिक स्तर को सदैव बनाए रखा। कविता,

उपन्यास, नाटक, इतिहास, आलोचना को बेहतर तरीके से प्रकाशित करते हुए इस पत्रिका ने सभी अंकों को बेहतर रूप से प्रदर्शित किया।

साहित्य के क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराती पत्रिका 'वागर्थ' आज की समस्याओं– विशेषकर महानगरीय उपभोक्ता संस्कृति को दर्शाती इस पत्रिका ने अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया है। बाजारवाद, उपभोक्तावाद और विश्ववाद से लेकर कहानी, यात्रा, संवाद व मीडिया के क्षेत्र में अत्यंत उत्कृष्ट लेख इसमें प्रकाशित हो रहे हैं। इसके प्रकाशक हैं– परमानन्द चूड़ीवाल।

वित्तीय संकटों के बावजूद बेहतर पत्रिका का नमूना प्रस्तुत करती पत्रिका 'इतिहास बोध' लाल बहादुर वर्मा के संपादन में इलाहाबाद से प्रकाशित की जाती है। साहित्य के साथ-साथ मीडिया, इतिहास, विश्व, संस्कृति और समसामयिकी को केंद्र बनाती यह पत्रिका धीरे-धीरे बाजार में अपना स्थान बना रही है। दैनिक भास्कर समूह द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'अहा! जिन्दगी' साहित्य के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों के जीवन को जानने का प्रयास करती है। भविष्य की दुनिया के कयास लगाती इस पत्रिका के संपादक यशवंत व्यास हैं। भाषा व विषय के स्तर पर यह पत्रिका अत्यंत सरल पर उत्कृष्ट है।

'भाषा' पत्रिका भारतीय भाषाओं एवं साहित्य की महत्त्वपूर्ण पत्रिका है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका डॉ. शशि भारद्वाज के संपादन में प्रकाशित की जाती है। भाषा और अनुवाद, भाषा और कम्प्यूटरीकरण, भाषा और भाषा प्रौद्योगिकी, सूचना और साहित्य, साहित्य एवं विज्ञान जैसे मुद्दों पर विचार करना इनका महत्त्वपूर्ण कार्य है।

'योजना' विकास योजनाओं को समर्पित पत्रिका है। कुल 72 पृष्ठों में सजी इस पत्रिका का प्रकाशन विश्वनाथ त्रिपाठी के संपादन में योजना भवन, नई दिल्ली से होता है। यह पत्रिका हिंदी के साथ -असमिया, बंगाली, गुजराती, अंग्रेजी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगू, उर्दू में भी प्रकाशित की जाती है। भारत के एशिया के साथ आर्थिक संबंध, भूमंडलीकरण के विविध रूप, स्वास्थ्य, चिकित्सा, विकास योजनाएँ इसकी प्रमुख चिंता के विषय हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंदी पत्र-पत्रिकाओं ने अनेक उतार-चढ़ाव का सामना करते हुए भाषा और विषय को परिपक्व किया है व अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज की है।

5

हिंदी पत्रकारिता के काल-विभाजन एवं नामकरण की समस्या

इतिहास-लेखन एक दुष्कर एवं श्रमसाध्य कार्य है। यह वैज्ञानिक निरीक्षण, सचेत इतिहास-दृष्टि एवं तटस्थ व्याख्या की माँग करता है। परंतु विशाल अतीत के सभी पहलुओं की संपूर्ण अभिव्यक्ति एक ही स्थल पर संभव नहीं, अतः इतिहासकार काल-विशेष संबंधी किसी खास प्रवृत्ति अथवा विषयों का ही चयन कर पाता है। अतीत-अध्ययन के इस चयनित दृष्टिकोण से भ्रामक अथवा एकांगी इतिहास प्रस्तुति के खतरे भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे में इतिहासकार 'अतीत' के सटीक संशोधन हेतु किसी युग-विशेष का अध्ययन, उसकी विभिन्न स्थितियों, महत्त्वपूर्ण घटनाओं एवं संक्रमणशील परिस्थितियों में अंतर्निहित समान प्रकृति के आधार पर करता है। 'अतीत' निरीक्षणोपरांत जिस तटस्थ व्याख्या को इतिहास-लेखन का आधार माना गया है, उसकी ग्राह्यता बिना उसके सरल, संक्षिप्त और क्रमवार प्रस्तुति के संभव नहीं। इतिहासकार इतिहास-अध्ययन और लेखन संबंधी इस दुरुहता का समाधान, संदर्भित अतीत की पृष्ठभूमि एवं प्रकृति के अनुरूप काल-विभाजन एवं उसके नामकरण द्वारा करता है। काल-विभाजन एवं उसका नामकरण, इतिहास-लेखन अथवा अध्ययन को न मात्र एक

प्रवृत्तिपरक ऊर्ध्व दिशा प्रदान करता है अपितु तथ्यों, संदर्भों और आँकड़ों के भँवरजाल से निकलकर एक उद्देश्यपरक, संक्षिप्त और स्पष्ट अतीत की यथार्थ प्रस्तुति में भी सहायक सिद्ध होता है, जहाँ प्रस्तुत इतिहास अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य संवाद का माध्यम बन सके। यद्यपि किसी अनुशासन अथवा विधा में एक ही कालखंड, कालखंडों अथवा संपूर्ण विकास यात्रा पर लिखे गए इतिहास में 'प्रवृत्तियों' एवं 'उद्देश्यों' की भिन्नता इतिहास-प्रस्तुतियों/व्याख्याओं को एक-दूसरे से अलग भी करती हैं।

यदि हम किसी अनुशासन अथवा विधा के अंतर्गत लिखे गए विभिन्न इतिहासों का सम्यक् अध्ययन करें तो पाएँगे कि इतिहासकारों द्वारा परस्पर एक ही धरातल पर कुछेक उद्घाटनों, प्रवृत्तियों, घटनाओं, संदर्भों और स्थापनाओं को छोड़कर कमोबेश समान कालखंड (कालावधि) अथवा नामकरण द्वारा ही इन्हें प्रस्तुत किया गया है। परंतु क्या भारतीय पत्रकारिता के इतिहास-लेखन के संबंध में यही स्थिति विद्यमान है? संभवतः नहीं। पत्रकारिता अन्य अनुशासनों से कई विषयों, स्तरों और माध्यमों में नितांत भिन्न है। तत्कालीन घटनाओं, प्रतिक्रियाओं एवं कार्यवाहियों की प्रत्यक्षदर्शी पत्र-पत्रिकाएँ समाज की वंशीय, वर्गीय, जातीय, लैंगिक एवं अन्य सामाजिक विभेदों के अनुसार ही विविधरूपी होती हैं। ये मात्र समाज से प्रभावित नहीं होतीं अपितु उसे प्रभावित भी करती हैं। ऐसे में पत्रकारिता के सम्यक् अनुशीलन के लिए इन सभी विभेदों एवं उनके विभिन्न स्तरों की अभिज्ञता आवश्यक है। यद्यपि एक ही स्थल पर इन सभी विभेदों/स्तरों का कमोबेश उल्लेख तो संभव है परंतु एकरेखीय प्रवृत्ति मूलक इतिहास-लेखन संभव नहीं। संभवतः यही कारण है कि भारतीय पत्रकारिता अथवा विभिन्न भाषाई पत्रकारिता के इतिहास संबंधी काल-विभाजन एवं नामकरण एक-दूसरे से नितांत भिन्न हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इतिहास-लेखन संबंधी इस दुविधा अथवा चुनौती को 'हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन' में विभिन्न इतिहासकारों/विद्वानों द्वारा किए गए काल-विभाजन एवं नामकरण के माध्यम से समझा जा सकता है।

हिंदी पत्र-पत्रिकाओं संबंधी इतिहास-लेखन का प्रथम प्रयास बाबू राधाकृष्णदास द्वारा किया गया। उनकी पुस्तक 'हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास' एक संक्षिप्त विवरणात्मक इतिहास है, जिसे 1894 ई. में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। उस समय तक उन्हें जितनी सामग्री उपलब्ध हुई, उसे उन्होंने अपनी पुस्तक में संकलित कर दिया। प्रथम प्रयास होने

के कारण इसमें अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति की कमी और तथ्यात्मक त्रुटियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। इतिहास-लेखन संबंधी दूसरा प्रयास संभवत: बाबू बालमुकुंद गुप्त द्वारा किया गया। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में 'भारत मित्र' के माध्यम से उन्होंने 'हिंदी समाचार पत्रों का इतिहास' लिखना आरंभ किया। परंतु मृत्यु से पूर्व वह इसे पूरा न कर सके। यह एक व्यवस्थित परंतु सूचनापरक इतिहास मात्र है। बाबू राधाकृष्णदास की भाँति इन्होंने भी 'बनारस अखबार' को हिंदी का पहला पत्र माना था। इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास पं. विष्णुदत्त शुक्ल ने 'विशाल भारत' के माध्यम से 'हिंदी पत्रकार कला का इतिहास' लिख कर किया, परंतु वह हिंदी पत्रकारिता का कोई स्पष्ट स्वरूप निर्धारित न कर सके। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी चर्चित पुस्तक 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव और विकास का संक्षिप्त विश्लेषण किया है। शुक्ल जी द्वारा हिंदी पत्रकारिता पर किए गए विचार के संबंध में कृष्णबिहारी मिश्र लिखते हैं - 'शुक्ल जी ने अपने इस इतिहास में साहित्य की विविध धाराओं का गंभीर अनुशीलन प्रस्तुत किया है। पत्रकारिता के माध्यम से भाषा और साहित्य को विकास-बल मिला है, इसलिए साहित्यिक इतिहास-निर्माण के समय पत्रकारिता के विकास-क्रम तथा साहित्य के इतिहास की अन्य विकास-भूमियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक था। शुक्ल जी ने उधर दृष्टि तो डाली किंतु प्रामाणिक यथार्थ की उपलब्धि इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उस दिशा में शुक्ल जी की शोधवृत्ति दब-सी गई थी। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि शुक्ल जी के अनुशीलन की दिशा दूसरी थी, उद्देश्य दूसरा था। कदाचित् इसीलिए उनसे तथ्य-संबंधी कई भूलें हो गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि राधाकृष्णदास के इतिहास को उन्होंने आधार बनाया और अधिकांश तथ्यों को यथावत् अपने इतिहास में रख दिया।'

अनंतर रामरतन भटनागर ने हिंदी पत्रकारिता पर अंग्रेजी में 'राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म' (हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में पीएचडी हेतु किया गया प्रथम शोध) नामक 768 पृष्ठों की एक पुस्तक प्रकाशित की, जो 1846 से 1945 ई. तक प्रकाशित हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का एक विवरणात्मक संग्रह है। यद्यपि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन के क्षेत्र में यह प्रथम व्यवस्थित कृति कही जा सकती है, तथापि प्रकाशन-काल की अशुद्धि, अप्रामाणिक तथ्य, विवेचनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान प्रवृत्ति का अभाव यहाँ भी बना रहा। अंबिका प्रसाद वाजपेयी इस शोध-ग्रंथ के संदर्भ में लिखते हैं - 'भटनागर जी अपनी कृति से

डॉक्टर तो बन गए, पर उनसे जिस शोध और परिश्रम की अपेक्षा की जाती थी, उसका परिचय उनके ग्रंथ से नहीं मिलता। जान पड़ता है कि उन्होंने संग्रह को ही अधिक महत्त्व दिया, फलतः 'यद्दृष्टं तल्लिखितं' को ही कर्त्तव्य मान लिया।' एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रयास दक्षिण में श्री वेंकटलाल ओझा द्वारा किया गया। उन्होंने बहुत ही परिश्रम से 1826 से 1925 ई. तक सौ वर्षों में प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की एक सूची तैयार की। इसे समाचार पत्र संग्रहालय, हैदराबाद द्वारा 'हिंदी समाचारपत्र सूची' (भाग-1 तथा भाग-2) नाम से प्रकाशित किया गया है। यह संग्रह प्रारंभिक शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, परंतु संवत् को ई. सन् में बदलने के क्रम में (पुस्तक में अंग्रेजी सन् के अनुसार सभी पत्रों का वर्णन है) कई स्थलों पर एक साल तक का अंतर आ गया है। कई उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के पत्रों को भी हिंदी का पत्र मानकर उल्लेख किया गया है। ओझा जी ने भूलवश कुछ पुस्तकों को भी समाचार पत्र मान लिया है।

हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन का प्रथम प्रामाणिक प्रयास 1953 ई. में संपादकाचार्य पं. अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित 'समाचार पत्रों का इतिहास' (सं. 2010) है। हिंदी पत्रकारिता के आधार-स्तंभों में एक वाजपेयी जी को हिंदी पत्रकारिता के विकास और विभिन्न चरणों का एक लंबा अनुभव प्राप्त था। साथ ही हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन संबंधी किए गए प्रयासों और खामियों से वह स्वयं परिचित थे। अपनी इतिहास-पुस्तक की भूमिका में वह लिखते हैं - 'यह काम जितना श्रम, शक्ति और अर्थसाध्य है, उसका इस लेखक में अत्यंत अभाव था और इस अभाव में जो कसर थी, वह रुग्णता ने पूरी कर दी। ...अनाधिकार चेष्टा इसलिए की गई कि लेखक को गत 48-49 वर्षों की पत्रकारिता का जो अनुभव था और पुराने संपादकों के सत्संग से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसका अंत उसके साथ ही हो जाना न लेखक को अभीष्ट था और न उनके मित्रों को।' यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इस पुस्तक की कलेवर-लघुता, कुछ महत्त्वपूर्ण पुस्तकों की वैशिष्ट्य चर्चा का अभाव तथा कुछ स्थलों पर प्रकाशन-काल संबंधी भूलों के आरोप लगाये हैं (कई स्थलों पर स्वयं वाजपेयी जी भी उक्त पत्र-पत्रिका संबंधी भ्रम की स्थिति स्वीकारते हैं) तथापि उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर क्रमवार विषय-वैशिष्ट्य सहित यह इतिहास-पुस्तक आज भी प्रथम प्रामाणिक संदर्भ स्रोत के रूप में विद्वानों में स्वीकार्य है।

अद्यतन हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के इतिहास संबंधी कई प्रवृत्तिपरक, विषयपरक एवं अनुसंधानपरक महत्त्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। इनमें क्षेत्र-विशेष की हिंदी पत्रकारिता संबंधी कार्य भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों में डॉ. कृष्णबिहारी मिश्र का प्रामाणिक शोध प्रबंध कलकत्ता की 'हिंदी पत्रकारिता– जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण-भूमि', डॉ. रमेश कुमार जैन की 'हिंदी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास', डॉ. वेदप्रताप वैदिक द्वारा संपादित 'हिंदी पत्रकारिता– विविध आयाम', डॉ. कैलाश नारद की 'मध्य प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता– राष्ट्रीय नव-उद्‌बोधन', विजयदत्त श्रीधर संपादित 'मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास', डॉ. मधुकर भट्ट द्वारा लिखित 'वाराणसी और प्रयाग की पत्रकारिता (सन् 1850 से 1950)', डॉ. ब्रह्मानंद की 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तर प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता', डॉ. रामचंद्र तिवारी की 'पत्रकारिता के विविध रूप' तथा डॉ. अर्जुन तिवारी द्वारा लिखित 'हिंदी पत्रकारिता का बृहद् इतिहास' प्रमुख हैं। अंबिका प्रसाद वाजपेयी से शुरू हुई अनुसंधानपरक तथा प्रवृत्ति मूलक गंभीर परंपरा में अद्यतन दो दर्जन से अधिक इतिहास-पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, परंतु इन पुस्तकों में हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव और विकास संबंधी काल-विभाजन एवं नामकरण का कोई सर्वमान्य स्वरूप प्रस्तुत नहीं हो पाया है। कुछ महत्त्वपूर्ण उदाहरण दृष्टव्य हैं -

हिंदी पत्रकारिता पर प्रथम प्रामाणिक, वैशिष्ट्यपरक और श्रमसाध्य इतिहास लिखने वाले संपादकाचार्य पं. अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने अपनी पुस्तक 'समाचार पत्रों का इतिहास' (प्रथम संस्करण, सं.2010) के दूसरे भाग 'हिंदी-समाचार पत्रों का इतिहास' के विभिन्न पड़ावों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है -

1. प्रारंभकाल के हिंदी के पत्र
2. दूसरे दौर के पत्र
3. तीसरे दौर के पत्र
4. नए युग की झलक
5. दैनिक पत्रों का युग।

हिंदी साहित्य के अद्यतन विकास को लिपिबद्ध करने के उद्देश्य से नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की महत्त्वकांक्षी परियोजना के रूप में 16 भागों में प्रकाशित 'हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास' के भाग-13 (संपादक-डॉ.

लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु') में डॉ. माहेश्वरी सिंह 'महेश' ने हिंदी पत्रकारिता का काल-विभाजन इस प्रकार किया है -

1. प्रथम उत्थान- 1826-1867 ई.
2. द्वितीय उत्थान- 1867-1920 ई.
3. आधुनिक काल- 1920 ई. के बाद

हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को प्रसिद्ध पत्रकार एवं संपादक डॉ. बाँके बिहारी भटनागर ने निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया है -

1. प्रथम चरण - 1826-1857 ई.
2. द्वितीय चरण - भारतेंदु युग- 1857-1890 ई.
3. तीसरा चरण - 1890-1918 ई.
4. चौथा चरण - गांधी युग- 1918 से स्वतंत्रता पूर्व तक।

डॉ. रमेश कुमार जैन ने अपनी पुस्तक 'हिंदी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास' में हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा को निम्नलिखित युगों में विभाजित किया है-

1. प्रारंभिक युग - 1826-1867 ई.
2. भारतेंदु युग - 1867-1900 ई.
3. द्विवेदी युग - 1900-1920 ई.
4. गांधी युग - 1920-1947 ई.
5. स्वातंत्र्योत्तर युग - 1947 से अब तक 13।

हिंदी पत्रकारिता के काल-विभाजन संबंधी विभिन्न प्रयासों के अवलोकन के इस क्रम में डॉ. नगेंद्र द्वारा संपादित एवं डॉ. अर्जुन तिवारी द्वारा लिखित दो पुस्तकों को देखना समीचीन होगा। डॉ. नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक 'हिंदी वाङ्मय- बीसवीं शती' में श्री अशोक तथा प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने बीसवीं सदी की राजनीतिक घटनाओं, विभिन्न क्रांतियों और उसके व्यापक सामाजिक प्रभावों के आधार पर हिंदी पत्रकारिता का काल-विभाजन एवं नामकरण किया है-

1. सन् 1905-1914 ई.- बंग-भंग और गरम दल का उदय,
2. सन् 1914 से 1921 ई.- प्रथम विश्वयुद्ध, पंजाब में दमन और सत्याग्रह आंदोलन,
3. सन् 1921 से 1939 ई.- राजनीतिक सुधार और संगठन, विधानसभाओं, का उदय, समाजवादी क्रांति (रूस) का प्रभाव, नाजीवाद और द्वितीय विश्वयुद्ध,

4. सन् 1939 से 1947 ई. - भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध, परमाणु युग का आरंभ, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता,
5. सन् 1947 ई. - स्वतंत्रता के बाद।

डॉ. नगेंद्र द्वारा संपादित एक अन्य चर्चित पुस्तक 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने उन्नीसवीं सदी की हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा को तीन उत्थानों में अभिव्यक्त किया है -

1. प्रथम उत्थान - 1826 से 1867 ई.

2. द्वितीय उत्थान - 1868 से 1885 ई.

3. तृतीय उत्थान - 1886 से 1900 ई.

वहीं, दूसरी ओर अपनी बहु-चर्चित पुस्तक 'हिंदी पत्रकारिता का बृहद इतिहास' में वह हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव, विकास और वर्तमान काल में प्रकाशित हिंदी पत्रों के उद्‌बोधन, जागरण, क्रांति तथा नव-निर्माण द्वारा भारत में राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिवर्तनों की स्वस्थ दिशा को परिलक्षित करते हुए हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को निम्नलिखित कालों में बाँटते हैं -

1. उद्‌भव काल (उद्‌बोधन काल) - 1826 से 1884 ई.

2. विकास काल - (क) स्वातंर्त्र्यपूर्व काल : I. जागरणकाल - 1885-1919 ई.

II. क्रांतिकाल - 1920-1947 ई.

(ख) स्वातंर्त्र्योत्तर काल - नव निर्माण काल (1948-1974 ई.)

3. वर्तमान काल (बहु-उद्देशीय काल) - 1975 से... 17

यदि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन संबंधी विभिन्न प्रयासों (पुस्तकों) की एक सूची तैयार करें, तो यह संख्या 50 से भी अधिक हो जाएगी, परंतु यह सभी ग्रंथ मौलिक अवधारणाओं/इतिहास-दृष्टि से कोसों दूर हैं और उनके द्वारा किए गए काल-विभाजन एवं नामकरण उपरोक्त पुस्तकों की नकल अथवा अनुसरण मात्र हैं। हिंदी अथवा अन्य भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं के काल-विभाजन में भी कोई खास-अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कई स्थलों पर शासकों के नाम पर भी काल-विभाजन एवं नामकरण के प्रयास हुए हैं। यथा - अंग्रेजी पत्रकारिता के क्षेत्र में एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग आदि। लगभग सभी भाषाओं की पत्रकारिता में कालजयी साहित्यकारों, समाज-सुधारकों, युगद्रष्टा पत्रकारों अथवा राजनीतिक आंदोलनकारियों/पुरोधाओं के नाम पर काल-विभाजन एवं नामकरण हुए हैं। परंतु इसी क्रम में वे उत्थान काल और स्वातंर्त्र्योत्तर युग के साथ न्याय

नहीं कर पाते। युग-पुरुषों के नाम पर काल-विभाजन यथोचित् होते हुए भी एकरूपता की दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता। दूसरी तरफ पत्रकारिता संबंधी ये काल-विभाजन किसी एक प्रकृति, प्रवृत्ति अथवा आंदोलन का दमन कर दूसरे को प्रमुखता देते हैं। पत्रकारिता के रूप-परिवर्तन और दशा-दिशा का अध्ययन तभी समीचीन होगा, जब समान प्रकृति या प्रवृत्ति के आधार पर काल-विभाजन एवं नामकरण हो, परंतु जब प्रकृति और प्रवृत्ति बहुधर्मी हो, तब चयनित अवधि के समस्त पत्रों में मुख्य अंतर्वृत्ति या स्थिति की परख कई स्वरों के विरोध में खड़ी हो जाती है। यह सही है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी पत्रकारिता के एक ही कालखंड में समान प्रकृति अथवा प्रवृत्ति की एक दृढ़ रेखा खींची गई है, परंतु दूसरी ओर उसी कालखंड में मानवीय चेतना का परस्पर विरोधी विकास, भिन्न प्रेरक स्थितियाँ एवं सरोकार, संक्रमणशील परिस्थितियों के प्रति परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विरोधी प्रवृत्तियाँ एवं उद्देश्य, पत्र-पत्रिकाओं की प्रवृत्ति निरूपण और एकरेखीय काल-विभाजन को न मात्र दुरुह बनाती हैं, अपितु काल-विभाजन की नई स्थापनाओं को भी जन्म देती हैं।

क्या हिंदी पत्रकारिता का एक सर्वमान्य काल-विभाजन एवं नामकरण असंभव है? वास्तव में प्रश्न असंभाव्यता का नहीं है वरन् हिंदी पत्रकारिता के वैविध्यवर्णी, बहुउद्देश्यीय और नवीन अनुसंधान संभाव्यता का है। विभिन्न सरोकारों की दृष्टि से पत्रकारिता अन्य अनुशासनों से नितांत अलग है। पत्र-पत्रिकाएँ अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा साहित्यिक सरोकारों, उनसे उत्पन्न परिस्थितिजन्य दायित्वों, उद्देश्यों और प्रतिक्रियाओं तथा अपनी संरचनात्मक विशेषताओं के कारण काल एवं उसकी प्रतीति का सर्वाधिक मुख्य स्रोत होती हैं। फलस्वरूप किसी भी भाषा की पत्रकारिता के इतिहास-लेखन के कई आधार हो सकते हैं और यही आधार उनके काल-विभाजन एवं नामकरण के प्रमुख कारक बनते हैं। उदाहरणस्वरूप हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का मूल्यांकन हम प्रकाशन अवधि (यथा - दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्ध-साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि) के आधार पर, विभिन्न स्थितियों, विषयों अथवा आंदोलनों (राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, साइक्लो स्टाइल भूमिगत पत्रों आदि) के आधार पर, वर्गीय अथवा जातीय (दलित, आदिवासी, स्त्री, बाल-पत्रकारिता, आर्य समाज, मजदूर एवं किसान आदि) आधार पर, पेशेगत पत्रकारिता (शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, फिल्म, उद्योग

और व्यवसाय आदि) के आधार पर, विभिन्न संस्थाओं के आधार पर (भाषा, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले पत्र), क्षेत्रीयता (बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, पंजाब, दक्षिण भारत आदि क्षेत्रों में हिंदी पत्रकारिता) के आधार पर तथा भाषा अथवा साहित्य के आधार पर हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन के प्रयास किए जा सकते हैं/किए गए हैं। ऐसे में इनके काल (विषय अथवा स्थान केंद्रित प्रथम पत्रिका से लेकर), प्रवृत्तियाँ तथा उपादेयता एक-दूसरे से नितांत भिन्न हो सकती हैं, जिन्हें एक ही विभाजन एवं नामकरण में समेटना न तो श्रेयस्कर होगा और न ही उचित। यही कारण है कि हिंदी पत्रकारिता के काल-विभाजन एवं नामकरण संबंधी उपरोक्त प्रयास अपने अन्वेषण, प्रवृत्ति तथा उद्देश्य पूर्ति के आधार पर वैज्ञानिक, सुसंगत और सफल प्रतीत होते हुए भी एक सर्वमान्य आधार उपलब्ध नहीं करा पाते।

5

हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग - भारतेन्दु युग

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (9 सितंबर, 1850-7 जनवरी, 1885)

- भारतेन्दु आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिन्दी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे।
- इनका मूल नाम 'हरिश्चन्द्र' था, 'भारतेन्दु' उनकी उपाधि थी।
- हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेन्दु हरिश्चंद्र से माना जाता है।
- भारतेन्दु के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्यासुंदर (1867) नाटक के अनुवाद से होती है।
- यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेन्दु ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया।
- उन्होंने 'हरिश्चंद्र पत्रिका', 'कविवचन सुधा' और 'बाल विबोधिनी' पत्रिकाओं का संपादन भी किया।
- भारतेन्दु के पूर्वज अंग्रेज भक्त थे, उनकी ही कृपा से धनवान हुए।
- पिता गोपीचन्द्र उपनाम गिरिधर दास की मृत्यु दस वर्ष की उम्र में हो गई। माता की पाँच वर्ष की आयु में हुई। इस तरह माता-पिता के सुख से भारतेन्दु वंचित हो गए। विमाता ने खूब सताया।

- बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े-लिखे और प्रसिद्ध लेखक - राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द थे, भारतेन्दु शिष्य भाव से उनके यहाँ जाते।
- उन्हीं से अंग्रेजी शिक्षा सीखी। भारतेन्दु ने स्वाध्याय से संस्कृत, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, उर्दूभाषाएँ सीख लीं।
- उनको काव्य-प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में मिली थी। उन्होंने पांच वर्ष की अवस्था में ही निम्नलिखित दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया- लै ब्योढ़ा ठाढ़े भए श्री अनिरुद्ध सुजान। वाणासुर की सेन को हनन लगे भगवान।
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 'भारतेन्दु ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो वे पद्माकर, द्विजदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते थे, तो दूसरी ओर बंग देश'।
- पंद्रह वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी।
- अठारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली जिसमें उस समय के बड़े-बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थीं।
- वे बीस वर्ष की अवस्था में ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाए गए और आधुनिक हिन्दी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने 1868 में 'कविवचन सुधा', 1873 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए 'बाल बोधिनी' नामक पत्रिकाएँ निकालीं। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने 'तदीय समाज' की स्थापना की थी।
- उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें 'भारतेंदु की उपाधि प्रदान की।
- भारतेंदु जी कृष्ण के भक्त थे और पुष्टि मार्ग के मानने वाले थे। उनको कविता में सच्ची भक्ति भावना के दर्शन होते हैं। वे कामना करते हैं - बोल्यों करै नूपुर स्त्रीननि के निकट सदा पद तल मांहि मन मेरी बिहरयौ करै। मौलिक नाटक
- वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति (1873, प्रहसन)
- सत्य हरिश्चन्द्र (1875) यह भारतेन्दु जी की सर्वोत्कृष्ट रचना कही जाती है। देभीश्वर का चण्ड कौशिक तथा रामचन्द्र का सत्य हरिश्चन्द्र और इस सत्य हरिश्चन्द्र तीनों का ही मूल आधार एक ही पौराणिक कथा है। पर सभी रचनाएँ एक-दूसरे से स्वतंत्र है।

- प्रेमजोगनी (1875, प्रथम अंक में केवल चार अंक या गर्भांक, नाटिका)
- श्री चंद्रावली (1876, नाटिका)
- विषस्य विषमौषधम् (1876, भाण)
- भारत दुर्दशा (1880, ब्रजरत्नदास के अनुसार 1876, नाट्य रासक), यह भारत के प्राचीन गौरव और वर्तमान के दैन्य तथा दुरावस्था चित्रण है। नाटक में प्रयुक्त भारत, निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश, रोग, आलस्य, अन्धकार आदि को पात्रों के माध्यम से दिखाया गया है।
- नीलदेवी (1881, प्रहसन)। यह एक ऐतिहासिक नाटक है इसमें क्षत्रिय राजा सूर्यदेव को धोखे से कैद कर मार डाला गया। नीलदेवी अपने पति के वध का बदला मुगल सरदार अब्दुल शरीफ को मारकर लेती है।
- अंधेर नगरी (1881) यह छः अंकों का प्रहसन रूपक है, इसमें किसी राज्य के अव्यवस्थित शासन प्रबन्ध का व्यंग्य चित्र है। इसमें महन्त के दो शिष्य नारायणदास और गोवर्धनदास है। गोवर्धनदास गुरु की इच्छा के विरुद्ध अंधेर नगरी में रह जाता है।
- सती प्रताप (1883, केवल चार अंक, गीतिरूपक)

अनुदित नाट्य रचनाएँ

- विद्यासुन्दर (1868, 'संस्कृत चौरपंचासिका' का बांग्ला संस्करण)
- पाखण्ड विडम्बना (कृष्ण मिश्रिकृत 'प्रबोधचंद्रोदय' का तृतीय अंक)
- धनंजय विजय (1873, कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद)
- कर्पूर मंजरी (1875, सट्टक, कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक का अनुवाद)
- भारत जननी (1877, नाट्यगीत)
- मुद्रा राक्षस (1878, विशाखदत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद)
- दुर्लभ बंधु (1880, शेक्सपियर के 'मर्चेंट ऑफ वेनिस' का अनुवाद)
- भारतेन्दु ने काशी में नाटक मंडली स्थापना की और स्वयं भी उसमें अभिनय किया करते थे।

निबंध संग्रह

- भारतेन्दु ग्रन्थावली (तीसरा खंड) में संकलित है। 'नाटक शीर्षक प्रसिद्ध निबंध (1885) ग्रंथावली के दूसरे खंड के परिशिष्ट में नाटकों के साथ दिया गया।

काव्यकृतियां

- भक्तसर्वस्व,
- प्रेममालिका (1871),
- प्रेम माधुरी (1875),
- प्रेम-तरंग (1877),
- उत्तरार्द्ध भक्तमाल (1876-77),
- प्रेम-प्रलाप (1877),
- होली (1879),
- मधुमुकुल (1881),
- राग-संग्रह (1880),
- वर्षा-विनोद (1880),
- विनय प्रेम पचासा (1881),
- फूलों का गुच्छा (1882),
- प्रेम फुलवारी (1883)
- कृष्णचरित्र (1883)
- दानलीला
- तन्मय लीला
- नये जमाने की मुकरी
- सुमनांजलि
- बन्दर सभा (हास्य व्यंग) बकरी विलाप (हास्य व्यंग)

पंडित बालकृष्ण भट्ट (3 जून, 1844- 20 जुलाई 1914)– हिन्दी के सफल पत्रकार, नाटककार और निबंधकार थे। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है।

पं. बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया, जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडीसन और स्टील ने किया पंडित बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम पं. वेणी प्रसाद था। संस्कृत के अतिरिक्त उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। भारतेंदु जी से प्रभावित होकर उन्होंने हिंदी-साहित्य सेवा का व्रत ले लिया। भट्ट जी ने हिन्दी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। इस पत्र के वे स्वयं संपादक थे। उन्होंने इस इस पत्र के द्वारा निरंतर 32 वर्ष तक हिंदी की सेवा की। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा आयोजित हिंदी शब्दसागर के संपादन में भी उन्होंने बाबू श्याम सुंदर दास तथा शुक्ल जी

के साथ कार्य किया। संवत् 1933 में प्रयाग में हिन्दी वर्द्धिनी नामक सभा की स्थापना की। उसकी ओर से एक हिन्दी मासिक पत्र का प्रकाशन भी किया, जिसका नाम था 'हिन्दी प्रदीप'। अत्यन्त व्यस्त समय होते हुए भी उन्होंने 'सौ अजान एक सुजान', 'रेल का विकट खेल', 'नूतन ब्रह्मचारी', 'बाल विवाह' तथा 'भाग्य की परख' आदि छोटी-मोटी दस-बारह पुस्तकें लिखीं। वैसे आपने निबंधों के अतिरिक्त कुछ नाटक, कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हैं। • निबंध संग्रह साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली।

उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी तथा सौ अजान एक सुजान।

नूतन ब्रह्मचारी शीर्षक लघु उपन्यास में इन्होंने दो विरोधी प्रकार के चरित्रों का आमना-सामना किया है। विनायक उपन्यास का केंद्रीय चरित्र है। विनायक का सामना डाकुओं के सरदार से होता है, जो घर को सुनसान समझकर लूटने आया है। विनायक इस सरदार का स्वागत करता है क्योंकि पिताजी समझाकर गए थे कि उनकी अनुपस्थिति में घर पर कोई आमंत्रित बंधु-जन आए तो वह उनका सत्कार करे। इससे सरदार का हृदय परिवर्तन होता है। सात्विकता की विजय ही उपन्यास का मूल मंत्र है।

नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन हिंदी प्रदीप के अंकों में क्रमशः हुआ था। मौलिक नाटक दमयंती, स्वयंवर, बाल-विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, आदि। अनुवाद भट्ट जी ने बांग्ला तथा संस्कृत के नाटकों के अनुवाद भी किए जिनमें वेणीसंहार, मृच्छकटिक, पद्मावती आदि प्रमुख हैं। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने सुंदर ढंग से किया है। भट्ट जी ने जहाँ आँख, कान, नाक, बातचीत जैसे साधारण विषयों पर लेख लिखे हैं, वहाँ आत्मनिर्भरता, चारु चरित्र जैसे गंभीर विषयों पर भी लेखनी चलाई है। साहित्यिक और सामाजिक विषय भी भट्ट जी से अछूते नहीं बचे। 'चंद्रोदय' उनके साहित्यिक निबंधों में से है। समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने सामाजिक निबंधों की रचना की। भट्ट जी के निबंधों में सुरुचि-संपन्नता, कल्पना, बहु-वर्णन शीलता के साथ-साथ हास्य व्यंग्य के भी दर्शन होते हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भट्ट की तुलना एडीसन से की है। हिन्दी प्रदीप के पृष्ठों में ही व्यावहारिक समीक्षा का जन्म होता है। भट्ट ने 1886 में प्रदीप में लाला श्रीनिवासदास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना प्रकाशित की।

लाला श्रीनिवास दास

लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटकार थे। नाटक लेखन में वे भारतेंदु के समकक्ष माने जाते हैं। वे मथुरा के निवासी थे और हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। उनके नाटकों में शामिल हैं, प्रह्लाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर-प्रेम मोहिनी, और संयोगिता स्वयंवर। हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव लाला श्रीनिवासदास द्वारा लिखा गया और 25 नवंबर, 1885 को प्रकाशित परीक्षा गुरु नामक उपन्यास को प्राप्त है। लाला श्रीनिवास कुशल महाजन और व्यापारी थे। अपने उपन्यास में उन्होंने मदनमोहन नामक एक रईस के पतन और फिर सुधार की कहानी सुनाई है। मदनमोहन एक समृद्ध वैश्व परिवार में पैदा होता है, पर बचपन में अच्छी शिक्षा और उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण और युवावस्था में गलत संगति में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठता है। न ही उसे आदमी की ही परख है। वह अपने सच्चे हितैषी ब्रजकिशोर को अपने से दूर करके चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बैजनाथ और पुरुषोत्तम दास जैसे कपटी, लालची, मौका परस्त, खुशामदी 'दोस्तों' से अपने आपको घिरा रखता है। बहुत जल्द इनकी गलत सलाहों के चक्कर में मदनमोहन भारी कर्ज में भी डूब जाता है और कर्ज समय पर अदा न कर पाने से उसे अल्प समय के लिए कारावास भी हो जाता है। इस कठिन स्थिति में उसका सच्चा मित्र ब्रजकिशोर, जो एक वकील है, उसकी मदद करता है, और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलाता है। इतना ही नहीं, मदनमोहन को सही उपदेश देकर उसे अपनी गलतियों का एहसास भी कराता है। उपन्यास 41 छोटे-छोटे प्रकरणों में विभक्त है। कथा तेजी से आगे बढ़ती है और अंत तक रोचकता बनी रहती है। पूरा उपन्यास नीतिपरक और उपदेशात्मक है। उसमें जगह-जगह इंग्लैंड और यूनान के इतिहास से दृष्टांत दिए गए हैं। ये दृष्टांत मुख्यतः ब्रजकिशोर के कथनों में आते हैं। इनसे उपन्यास के ये स्थल आजकल के पाठकों को बोझिल लगते हैं। उपन्यास में बीच-बीच में संस्कृत, हिंदी, फारसी के ग्रंथों के ढेर सारे उद्धरण भी ब्रज भाषा में काव्यानुवाद के रूप में दिए गए हैं। हर प्रकरण के प्रारंभ में भी ऐसा एक उद्धरण है। उन दिनों काव्य और गद्य की भाषा अलग-अलग थी। काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के लिए खड़ी बोली का। लेखक ने इसी परिपाटी का अनुसरण करते हुए उपन्यास के काव्यांशों के लिए ब्रज भाषा को चुना है।

बद्रीनारायण चौधरी उपाध्याय 'प्रेमधन' हिन्दी साहित्यकार थे। वे भारतेंदु मंडल के उज्ज्वलतम नक्षत्र थे। 'प्रेमधन' जी पं. गुरुचरणलाल उपाध्याय के ज्येष्ठ पुत्र थे। गुरुचरणलाल उपाध्याय, कर्मनिष्ठ तथा विद्यानुरागी ब्राह्मण थे। इनका जन्म भाद्र कृष्ण षष्ठी, संवत् 1912 को दात्तापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता ने मीरजापुर में हिंदी अक्षरों का ज्ञान कराया। संवत् 1928 में कलकत्ते से अस्वस्थ होकर आए और लंबी बीमारी में फँस गए। इसी बीमारी के दौरान में आपकी पं. इंद्र नारायण सांगलू से मैत्री हुई। सांगलू जी शायरी करते थे। इस संगत से नज्मों और गजलों की ओर रुचि हुई। उर्दू फारसी का आपको गहरा ज्ञान था ही। इन रचनाओं के लिए 'अब्र' (तखल्लुस) उपनाम रखकर गजल, नज्म और शेरों की रचना करने लगे। सांगलू के माध्यम से आपकी भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र से मैत्री का सूत्रपात हुआ। धीरे-धीरे यह मैत्री इतनी प्रगाढ़ हुई कि भारतेंदु जी के रंग में प्रेमधन जी पूर्णतया पग गए, यहाँ तक कि रचना शक्ति, जीवन पद्धति और वेशभूषा से भी भारतेंदु जीवन अपना लिया। वि. सं. 1930 में प्रेमधन जी ने 'सधर्म सभा' तथा 1931 वि. सं. 'रसिक समाज' की मीरजापुर में स्थापना की। संवत् 1933 वि. में 'कवि-वचन-सुधा' प्रकाशित हुई जिसमें इनकी कृतियों का प्रकाशन होता। उसका स्मरण चौधरी जी की मीरजापुर की कोठी का धूलिधूसरित नृत्यकक्ष आज भी कराता है। अपने प्रकाशनों की सुविधा के लिए इसी कोठी में आनंदकादंबिनी मुद्रणालय खोला गया। संवत् 1938 में 'आनंदकादंबिनी' नामक मासिक पत्रिका की प्रथम माला प्रकाशित हुई। संवत् 1949 में नागरी नीरद नामक साप्ताहिक का संपादन और प्रकाशन आरंभ किया। प्रेमधन जी के साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पारिवारिक-सा संबंध था। शुक्ल जी शहर के रमईपट्टी मुहल्ले में रहते थे और लंडन मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर थे। आनंद कादंबिनी प्रेस में छपाई भी देख लेते थे। 68 वर्ष की अवस्था में फाल्गुन शुक्ल 14, संवत् 1978 को आपकी इहलीला समाप्त हो गई। कथोपकथन शैली का आपके 'दिल्ली दरबार में मित्रमंडली के यार में देहलवी उर्दू का फारसी शब्दों से संयुक्त चुस्त मुहावरेदार भाषा का अच्छा नमूना है। रामचंद्र शुक्ल- प्रेमधन की गद्य शैली की समीक्षा से यह स्पष्ट हो जाता है कि खड़ी बोली गद्य के वे प्रथम आचार्य थे। समालोच्य पुस्तक के विषयों का अच्छी तरह विवेचन करके उसके विस्तृत निरूपण की चाल उन्होंने चलाई। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं जिनमें 'भारत सौभाग्य' 1888 में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया था। वे ब्रजभाषा को कविता की भाषा मानते

थे। प्रेमधन ने जिस प्रकार खड़ी बोली का परिमार्जन किया उनके काव्य से स्पष्ट है। 'बेसुरी तान' शीर्षक लेख में आपने भारतेंदु की आलोचना करने में भी चूक न की। प्रेमधन कृतियों का संकलन उनके पौत्र दिनेश नारायण उपाध्याय ने किया है जिसका 'प्रेमधन सर्वस्व' नाम से हिंदी साहित्य सम्मेलन ने दो भागों में प्रकाशन किया है। प्रेमधन हिंदी साहित्य सम्मेलन के तृतीय कलकत्ता अधिवेशन के सभापति (सं. 1912) मनोनीत हुए थे। कृतियाँ- (1) भारत सौभाग्य (2) प्रयाग रामागमन, संगीत सुधासरोवर, भारत भाग्योदय काव्य। गद्य-पद्य के अलावा आपने लोकगीतात्मक कजली, होली, चौता आदि की रचना भी की है, जो ठेठ भावप्रवण मीरजापुरी भाषा के अच्छे नमूने हैं और संभवत: आज तक बेजोड़ भी। कजली कादंबिनी में कजलियों का संग्रह है।

प्रताप नारायण मिश्र (सितंबर, 1856 - जुलाई, 1894)– मिश्र जी उन्नाव जिले के अंतर्गत बैजे गाँव निवासी, कात्यायन गोत्रीय, कान्यकुब्ज ब्राह्मण पं. संकटादीन के पुत्र थे। बड़े होने पर वह पिता के साथ कानपुर में रहने लगे और अक्षरारंभ के पश्चात् उनसे ही ज्योतिष पढ़ने लगे। पिता की मृत्यु के पश्चात् 18-19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने स्कूली शिक्षा से अपना पिंड छुड़ा लिया। वह हिंदी, उर्दू और बांग्ला तो अच्छी जानते ही थे, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत में भी उनकी अच्छी गति थी। भारतेंन्दु मंडल के प्रमुख लेखक, कवि और पत्रकार थे। भारतेंदु पर उनकी अनन्य श्रद्धा थी, वह अपने को उनका शिष्य कहते तथा देवता की भाँति उनका स्मरण करते थे। भारतेंदु जैसी रचना-शैली, विषय-वस्तु और भाषागत विशेषताओं के कारण मिश्र जी 'प्रतिभारतेंदु' अथवा 'द्वितीयचंद्र' कहे जाने लगे थे। मिश्र जी छात्रावस्था से ही 'कवि वचनसुधा' के गद्य-पद्य-मय लेखों का नियमित पाठ करते थे जिससे हिंदी के प्रति उनका अनुराग उत्पन्न हुआ। 1882 के आस-पास 'प्रेम पुष्पावली' प्रकाशित हुआ और भारतेंदु जी ने उसकी प्रशंसा की तो उनका उत्साह बहुत बढ़ गया। 15 मार्च, 1883 को, ठीक होली के दिन, अपने कई मित्रों के सहयोग से मिश्र जी ने 'ब्राह्मण' नामक मासिक पत्र निकाला। यह अपने रूप-रंग में ही नहीं, विषय और भाषाशैली की दृष्टि से भी भारतेंदु युग का विलक्षण पत्र था। दो-तीन बार तो इसके बंद होने तक की नौबत आ गई थी। किंतु रामदीन सिंह आदि की सहायता से यह येन-केन प्रकारेण संपादक के जीवनकाल तक निकलता रहा। उनकी मृत्यु के बाद भी रामदीन सिंह के संपादकत्व में कई वर्षों तक निकला, परंतु पहले जैसा आकर्षण वे उसमें न ला सके। 1889 में मिश्र जी 25 रु. मासिक पर

'हिंदीस्थान' के सहायक संपादक रहे। उन दिनों पं. मदनमोहन मालवीय 'हिंदीस्थान' संपादक थे। यहाँ बालमुकुंद गुप्त ने मिश्र जी से हिंदी सीखी। मालवीय जी के हटने पर मिश्र जी अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण वहाँ न टिक सके। कालाकाँकर से लौटने के बाद वह प्रायः रुग्ण रहने लगे। फिर भी समाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यो में पूर्ववत् रुचि लेते और 'ब्राह्मण' के लिये लेख आदि प्रस्तुत करते रहे। 1891 में उन्होंने कानपुर में 'रसिक समाज' की स्थापना की। कानपुर की कई नाट्य सभाओं और गौरक्षिणी समितियों की स्थापना उन्हीं के प्रयत्नों से हुई थी। आचार्य शुक्ल ने इनकी तुलना अंग्रेजी गद्य लेखक स्टील से की है। मिश्र जी ने नाटकों में अभिनय भी किया, एक बार स्त्री पात्र की भूमिका में उतरने के लिए पिता के पास जाकर उनके जीवित रहने पर ही अपनी मूँछे मुंडवाने की अनुमति माँगी। कानपुर और नाटक शीर्षक से टिप्पणी लिखते हुए अपने नगर में हुए नाटकों के अभिनय का परिचय इन्होंने दिया है। मिश्र जी ने बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार बंकिम चटर्जी की कई कथा-कृतियों का अनुवाद किया। 1892 के अंत में वह गंभीर रूप से बीमार पड़े और लगातार डेढ़ वर्षो तक बीमार ही रहे। अंत में 38 वर्ष की अवस्था में 6 जुलाई, 1894 को दस बजे रात में भारतेंदु मंडल के इस नक्षत्र का अवसान हो गया। मिश्र जी की मुख्य कृतियाँ निम्नांकित हैं -

(क) नाटक– भारत दुर्दशा, गौसंकट, कलिकौतुक, कलिप्रभाव, हठी हम्मीर, जुआरी-खुआरी। सांगीत शाकुंतल (अनुवाद)।

(ख) मौलिक गद्य कृतियाँ - चरिताष्टक, पंचामृत, सुचाल शिक्षा, बोधोदय, शैव सर्वस्व।

(ग) अनुदित गद्य कृतियाँ– नीतिरत्नावली, कथामाला, सेन वंश का इतिहास, सूबे बंगाल का भूगोल, वर्ण परिचय, शिशु विज्ञान, राजसिंह, इंदिरा, राधारानी, युगलांगुलीय।

(घ) कविता - प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, ब्रैडला स्वागत, दंगल खंड, कानपुर महात्म्य, शृंगारविलास, लोकोक्तिशतक, दीवो बरहमन (उर्दू)।

ठाकुर जगमोहन सिंह (4 अगस्त, 1857 -)– हिन्दी के भारतेन्दुयुगीन कवि, आलोचक और उपन्यासकार थे। उन्होंने सन् 1880 से 1882 तक धमतरी में और सन् 1882 से 1887 तकशिवरीनारायण में तहसीलदार और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। छत्तीसगढ़ के बिखरे साहित्यकारों को जगमोहन मंडल

बनाकर एक सूत्र में पिरोया और उन्हें लेखन की सही दिशा भी दी। जगन्मोहन मंडल काशी के भारतेन्दु मंडल की तर्ज में बनी एक साहित्यिक संस्था थी। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य की उन्हें अच्छी जानकारी थी। ठाकुर साहब मूलत: कवि ही थे। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा नई और पुरानी दोनों प्रकार की काव्य प्रवृत्तियों का पोषण किया। शिक्षा के लिए काशी आने पर उनका परिचय भारतेंदु और उनकी मंडली से हुआ। बनारस के क्वींस कॉलेज में अध्ययन के दौरान वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के सम्पर्क में आए तथा यह सम्पर्क प्रगाढ़ मैत्री में बदल गया जो कि जीवन पर्यन्त बनी रही। इन्हें 'श्यामा' नाम की स्त्री से प्रेम हो गया। शिवरी नारायण में रहते हुए इन्होने श्यामा को केंद्र में रख कर अनेक रचनाओं का सृजन किया जिनमे हिंदी का अत्यंत भौतिक एवं दुर्लभ उपन्यास श्याम-स्वप्न प्रमुख है। श्याम-स्वप्न को भाव प्रधान उपन्यास की संज्ञा दी जा सकती है। आद्योपांत शैली वर्णनात्मक है। इसमें चरित्र-चित्रण पर ध्यान न देकर प्रकृति और प्रेममय जीवन का ही चित्र अंकित किया गया है। कवि की श्रृंगारी रचनाओं की भावभूमि पर्याप्त सरस और हृदयस्पर्शी होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना था कि 'प्राचीन संस्कृत साहित्य' के अभ्यास और विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण विविध भावमयी प्रकृति के रूप माधुर्य के जैसी सच्ची परख, जैसी सच्ची अनुभूति इनमें थी वैसी उस काल के किसी हिंदी कवि या लेखक में नहीं पाई जाती। उनके तीन काव्य संग्रह प्रकाशित हैं -

(1) 'प्रेम-संपत्ति-लता' (सं. 1942 वि.),

(2) 'श्यामालता', और

(3) 'श्यामासरोजिनी' (सं. 1943)– इसके अतिरिक्त इन्होंने कालिदास के 'मेघदूत' का बड़ा ही ललित अनुवाद भी ब्रजभाषा के कवित्त सवैयों में किया है।

अंबिकादत्त व्यास (1848-1900)– इन्होंने कवित्त सवैया की प्रचलित शैली में ब्रजभाषा में रचना की।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समकालीन हिन्दी सेवियों में पंडित अंबिकादत्त व्यास बहुत प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं।

- बिहारी बिहार (1898 ई.)
- पावस पचास,
- ललिता (नाटिका)1884 ई.

- गौसंकट (1887 ई.)
- आश्चर्य वृतान्त 1893 ई.
- गद्य काव्य मीमांसा 1897 ई.

राधाचरण गोस्वामी (25 फरवरी, 1859 1859 - 12 दिसम्बर, 1925)

गोस्वामी जी के पिता गल्लू जी महाराज अर्थात् गुणमंजरी दास जी (1827 ई.-1890 ई.) एक भक्त कवि थे। मासिक पत्र 'भारतेन्दु' (वैशाख शुक्ल 15 विक्रम संवत् 1940 तद्नुसार 22 मई, 1883 ई.) में उन्होंने 'पश्चिमोत्तर और अवध में आत्मशासन' शीर्षक से सम्पादकीय अग्रलेख लिखा था। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बनारस, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता और वृन्दावन नवजागरण के पाँच प्रमुख केन्द्र थे। वृन्दावन केन्द्र के एकमात्र सार्वकालिक प्रतिनिधि राधाचरण गोस्वामी ही थे। गोस्वामी जी देशवासियों की सहायता से देशभाषा हिन्दी की उन्नति करना चाहते थे। देशभाषा की उन्नति के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 1882 ई. में देशभाषा की उन्नति के लिए अलीगढ़ में भाषावर्धिनी सभा को अपना सक्रिय समर्थन प्रदान करते हुए कहा था, '...यदि हमारे देशवासियों की सहायता मिले, तो इस सभा से भी हमारी देशभाषा की उन्नति होगी।' गोस्वामी जी सामाजिक रूढ़ियों के उग्र किन्तु अहिंसक विरोधी थे। वे जो कहते थे, उस पर आचरण भी करते थे। अपने आचरण के द्वारा वे गलत सामाजिक परंपराओं का शान्तिपूर्ण विरोध करते थे।

- पंडित राधाचरण 1885 ई. में वृन्दावन नगरपालिका के सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए थे।
- पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का आगमन दो बार वृन्दावन में हुआ था। दोनों बार गोस्वामी जी ने उनका शानदार स्वागत किया था।
- ब्रज माधव गौड़ीय सम्प्रदाय के श्रेष्ठ आचार्य होने के बावजूद उनकी बग्घी के घोड़ों के स्थान पर स्वयं उनकी बग्घी खींचकर उन्होंने भारत के राष्ट्र नेताओं के प्रति अपनी उदात्त भावना का सार्वजनिक परिचय दिया था।
- तत्कालीन महान क्रान्तिकारियों में उनके प्रति आस्था और विश्वास था और उनसे उनके हार्दिक सम्बन्ध भी थे। उदाहरणार्थ, 22 नवम्बर, 1911 ई. को महान क्रान्तिकारी रास बिहारी बोस और योगेश चक्रवर्ती उनसे मिलने उनके घर पर आए थे और उनका प्रेमपूर्ण स्वागत उन्होंने किया था। उक्त अवसर पर गोस्वामी जी की दोनों आँखें प्रेम के भावावेश के कारण अश्रुपूर्ण हो गई थीं।

- गोस्वामी जी कांग्रेस के आजीवन सदस्य और प्रमुख कार्यकर्ता थे। 1888 ई. से 1894 तक वे मथुरा की कांग्रेस समिति के सचिव थे।
- उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वयं कहा है ''देशोन्नति, नेशनल कांग्रेस, समाज संशोधन, स्त्री स्वतन्त्रता यह सब मेरी प्राणप्रिय वस्तुएँ हैं।''
- गोस्वामी जी में प्रखर राजनीतिक चेतना थी। वे तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक विषयों पर अपने समय की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में अखिल भारतीय स्तर पर लेखादि लिखते रहते थे।
- उन्होंने 'सार सुधानिधि', विक्रम संवत् 1937, वैशाख 29 चन्द्रवार 10 मई 1880 (भाग 2 अंक 5) में प्राप्त 'स्तंभ' के अन्तर्गत 'काबुल का अचिन्त्य भाव' शीर्षक लेख लिखा था।
- गोस्वामी जी के सतत् प्रयत्न से मथुरा वृन्दावन रेल का संचालन हुआ।
- वृन्दावन के राधारमण मन्दिर में अढ़ाई वर्षों के अन्तराल में 17 दिनों की सेवा करने का अधिकार उन्हें प्राप्त था। अपने निधन के चार दिन पूर्व तक श्रीराधारमण जी की मंगला आरती प्रातः चार बजे वे स्वयं करते थे।
- गोस्वामी जी के जीवन दर्शन का मूल संदेश धर्म, जाति, वर्ग और साहित्य की विविधता में एकता का समन्वय था। mUgai संकीर्ण और कुंठित भावनाएँ स्पर्श नहीं करती थीं।
- डाक और रेल के टिकटों में भी नागरी लिपि का प्रवेश होना चाहिए था, इसके लिये उन्होंने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लेख लिखे थे। कलकत्ता से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक पत्र 'सार सुधानिधि', 12 सितम्बर, 1881 ई. में उन्होंने कहा था-रेल की टिकटों में नागरी नहीं लिखी जाती है जिससे नागरी का प्रचार नहीं हो पाता। क्या रेलवे अध्यक्षों को नागरी से शत्रुता है या हमारे देशवासी नागरी जानते ही नहीं।
- इससे पूर्व उन्होंने 'सार सुधानिधि' 7 अगस्त, 1881 ई. को यह सवाल उठाया था कि आर्य राजाओं ने अपनी रियासतों में फारसी सिक्का क्यों जारी रखा है? स्वजातीयाभिमान का प्रश्न था।
- गोस्वामी जी सर्वधर्म समभाव के सिद्धान्त के प्रतीक थे। श्रीराधारमण जी के अनन्य उपासक और ब्रह्म माध्व गौड़ीय सम्प्रदाय के मुख्य आचार्य होने के बावजूद उनमें किसी भी धर्म अथवा धार्मिक सम्प्रदाय के प्रति दुराव अथवा दुराग्रह नहीं था। अपने जीवन चरित के नौवें पृष्ठ पर उन्होंने स्वयं लिखा है-

- ''मैं एक कट्टर वैष्णव हिन्दू हूँ। अन्य धर्म अथवा समाज के लोगों से विरोध करना उचित नहीं समझता। बहुत से आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, मुसलमान, ईसाई मेरे सच्चे मित्र हैं और बहुधा इनके समाजों में जाता हूँ।''
- गोस्वामी राधाचरण के साहित्यिक जीवन का उल्लेखनीय आरम्भ 1877 ई. में हुआ।
- इस वर्ष उनकी पुस्तक 'शिक्षामृत' का प्रकाशन हुआ। यह उनकी प्रथम पुस्तकाकार रचना है।
- तत्पश्चात् मौलिक और अनुदित सब मिलाकर पचहत्तर पुस्तकों की रचना उन्होंने की।
- इनके अतिरिक्त उनकी प्रायः तीन सौ से ज्यादा विभिन्न कोटियों की रचनाएँ तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में फैली हुई हैं जिनका संकलन अब तक नहीं किया जा सका।
- उन्होंने राधाकृष्ण की लीलाओं, प्रकृति-सौन्दर्य और ब्रज संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर काव्य-रचना की। कविता में उनका उपनाम 'मंजु' था।
- गोस्वामी राधाचरण ने समस्या प्रधान मौलिक उपन्यास लिखे। 'बाल विधवा' (1883-84 ई.), 'सर्वनाश' (1883-84 ई.), 'अलकचन्द' (अपूर्ण 1884-85 ई.) 'विधवा विपत्ति' (1888 ई.) 'जावित्र' (1888 ई.) आदि।
- वे हिन्दी में प्रथम समस्यामूलक उपन्यासकार थे, प्रेमचन्द नहीं। 'वीरबाला' उनका ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी रचना 1883-84 ई. में उन्होंने की थी।
- हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यास का आरम्भ उन्होंने ही किया। ऐतिहासिक उपन्यास 'दीप निर्वाण' (1878-80 ई.) और सामाजिक उपन्यास 'विरजा' (1878 ई.) उनके द्वारा अनुदित उपन्यास है।
- लघु उपन्यासों को वे 'नवन्यास' कहते थे। 'कल्पलता' (1884-85 ई) और 'सौदामिनी' (1890-91 ई.) उनके मौलिक सामाजिक नव-न्यास हैं।
- प्रेमचन्द के पूर्व ही गोस्वामी जी ने समस्यामूलक उपन्यास लिखकर हिन्दी में नई धारा का प्रवर्तन किया।
- गोस्वामी जी के नाटकों और प्रहसनों में उनकी सुधारवादी चेतना ही सर्वप्रमुख है।

- 'बूढ़े मुँह मुँहासे लोग देखें तमाशे' नामक प्रहसन में हिन्दू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। किसानों की समस्याओं में धर्म का विभेद नहीं होता।
- उनका व्यंग्य लेखन भी उत्कृष्ट कोटि का है। उदाहरणार्थ, मासिक पत्र 'हिन्दी प्रदीप' आषाढ़ शुक्ल 15 विक्रम संवत् 1939 तद्नुसार 1 जुलाई, 1882 ई. (जिल्द 5 संख्या 11) में पृष्ठ संख्या 9 पर गोस्वामी जी द्वारा विरचित 'एक नए कोष की नकल' का प्रकाशन हुआ था जिसमें व्यंग्य की प्रचुरता है। उक्त 'नकल' के कतिपय अंश अधोलिखित है-
- मधुर भाषा। अंग्रेजी।
- शरीफों की जबान।
- उर्दू या राजा शिव प्रसाद जिसे कहैं।
- जंगली लोगों की भाषा।
- संस्कृत-हिन्दी परम कर्त्तव्य।
- खुशामद खुशामद।
- अकर्त्तव्य। देश का हित, भारतवासियों की भलाई।
- उक्त व्यंग्य में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की भारतीय मानसिकता का दिग्दर्शन होता है।
- गोस्वामी जी एक श्रेष्ठ समालोचक भी थे। उनकी प्रतिज्ञा थी ''किसी पुस्तक की समालोचना लिखो तो सत्य-सत्य लिखो।''
- निबन्ध लेखन के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। उनके निबन्धों का वर्ण्य विषय अत्यन्त व्यापक था। उन्होंने ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, शिक्षा और यात्रा सम्बन्धी लेख लिखे। तत्कालीन विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उनके बहुसंख्यक लेख बिखरे हुए हैं जिनका संकलन अब तक नहीं किया जा सका।
- गोस्वामी जी का कथन था कि ''यदि खड़ी बोली में कविता की चेष्टा की जाए तो खड़ी बोली के स्थान पर थोड़े दिनों में उर्दू की कविता का प्रचार हो जाएगा।'' (हिन्दोस्तान, 11 अप्रैल, 1888 ई.)
- गोस्वामी जी द्वारा सम्पादित मासिक पत्र 'भारतेन्दु' का पुनर्प्रकाशन 1 अक्टूबर 1890. ई. से हुआ था।

- 'भारतेन्दु' 1 अक्टूबर 1890 ई. (पुस्तक 5 अंक 1) में पृष्ठ संख्या 2 पर 'भारतेन्दु का प्रेमालाप' शीर्षक सम्पादकीय में सम्पादक राधाचरण गोस्वामी ने कहा था ''भाषा कविता पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुछ महाशय खड़ी हिन्दी का मुहम्मदी झण्डा लेकर खड़े हो गए हैं और कविता देवी का गला घोंटकर अकाल वध करना चाहते हैं जिससे कवि नाम ही उड़ जाए...'' अर्थात् खड़ी बोली कविता का विरोध करने के लिए उन्होंने 'भारतेन्दु' का पुनर्प्रकाशन किया था। किन्तु यह पत्र अपने पुनर्प्रकाशन के बावजूद अल्पजीवी ही सिद्ध हुआ। पंडित श्रीधर पाठक खड़ी बोली गद्य के समर्थक थे। गोस्वामी जी और पाठक जी में खड़ी बोली पद्य आन्दोलन के दौर में इसी बात पर मनोमालिन्य भी हुआ। 4 जनवरी, 1905 ई. को खत्री जी का निधन हो गया था। सरस्वती और अन्य पत्रिकाओं में खड़ी बोली कविताओं का प्रकाशन शुरू हो गया था।
- 18 मई 1906 को गोस्वामी जी को लिखित अपने एक व्यक्तिगत पत्र में पंडित श्रीधर पाठक ने कहा था- ''पुराने प्रेमियों को भूल जाना गुनाह में दाखिल है।'' पाठक जी की ओर से पारस्परिक मनोमालिन्य दूर करने की यह सार्थक चेष्टा थी। गोस्वामी जी ने अपने जीवनकाल में ही मैथिलीशरण गुप्त और छायावाद का उत्कर्ष देखा। उनका खड़ी बोली पद्य के प्रति विरोध दूर हो गया था। जनवरी 1910 ई. से 1920 ई. तक वृन्दावन से उन्होंने धार्मिक मासिक पत्र 'श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका' का सम्पादन-प्रकाशन किया था। उक्त मासिक पत्र के प्रथमांक (जनवरी 1910 ई.) में स्वयं 'श्री विष्णुप्रिया का विलाप' शीर्षक कविता खड़ी बोली पद्य में लिखी थी।
- गोस्वामी जी साहित्यकार ही नहीं, पत्रकार भी थे। उन्होंने वृन्दावन से भारतेन्दु मासिक पत्र का सम्पादन-प्रकाशन किया था जिसका प्रथमांक चैत्र शुक्ल 15, विक्रम संवत् 1940 तद्नुसार 22 अप्रैल, 1883 ई. को प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन 3 वर्ष 5 माह तक हुआ। किन्तु व्यय अधिक होने से इसे बन्द कर देना पड़ा। 1910 ई. से 1920 ई. तक वृन्दावन से ही 'श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रिका' नामक धार्मिक मासिक पत्रिका का सम्पादन-प्रकाशन उन्होंने किया था। गोस्वामी राधाचरण जी ने 'मेरा संक्षिप्त जीवन परिचय' (1895 ई.) शीर्षक अपनी संक्षिप्त आत्मकथा में लिखा था-

- लिखने के समय किसी ग्रन्थ की छाया लेकर लिखना मुझे पसन्द नहीं। जो कुछ अपने मन का विचार हो वही लिखता हूँ।
- पंडित बालकृष्ण भट्ट और हिन्दी प्रदीप ने पंडित राधाचरण गोस्वामी को हिन्दी के साढ़े तीन लेखकों में से एक माना था। हिन्दी प्रदीप जनवरी-फरवरी- मार्च 1894 ई. (जिल्द 17 संख्या 5, 6 और 7) ने कहा था कि हिन्दी के साढ़े तीन सुलेखक थे- बाबू हरिश्चन्द्र अर्थात् भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, ब्राह्मण मासिक पत्र के सम्पादक प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी, आधा पीयूष प्रवाह सम्पादक अम्बिकादत्त व्यास।
- इस कथन से गोस्वामी जी की महत्ता का अनुमान लगाया जा सकता है। देशोपकार उनके सम्पूर्ण लेखन का मूलमन्त्र था। विचारों की उग्रता और प्रगतिशीलता में वे अपने युग के अन्य सभी लेखकों से बहुत आगे थे। वे एक क्रान्तिदर्शी साहित्यकार थे, प्रखर राष्ट्र-चिन्तक, साहित्य और समय की धारा को नया मोड़ देने वाले युगद्रष्टा कथाकार भी। स्वाधीन चेतना, आत्मनिर्भरता, साहस, निर्भयता और आत्माभिमान उनके विशेष गुण थे। वे वस्तुतः भारत भक्त और हिन्दी साहित्य के एक गौरव स्तम्भ ही थे।

7

प्रभाष जोशी की पत्रकारिता

कृपाशंकर चौबे

प्रभाष जोशी (15 जुलाई, 1936 - 5 नवंबर, 2009) ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता को प्रतिरोध की संस्कृति से जोड़ा। वे ज्वलंत विषयों का सुचिंतित विश्लेषण करने के समांतर सामाजिक हस्तक्षेप भी करते थे। जीवन के आखिरी वर्षों में वे पेड न्यूज के खिलाफ देशव्यापी मुहिम छेड़े हुए थे। जितने मनोयोग से उनके निबंध, लेख, स्तंभ, टिप्पणियाँ और रिपोर्ताज पढ़े जाते थे, उतने ही ध्यान से लोग-बाग उनका भाषण भी सुनते थे। 'जनसत्ता' व अन्यत्र प्रकाशित उनके लेखों को इकट्ठा कर राजकमल प्रकाशन ने जो किताबें प्रकाशित की हैं, वे हैं - 'आगे अंधी गली है', '21वीं सदी - पहला दशक', 'मसि कागद', 'कागद कारे', 'धन्न नरमदा मइया हो', 'जब तोप मुकाबिल हो', 'जीने के बहाने', 'खेल सिर्फ खेल नहीं है', 'लुटियन के टीले का भूगोल' और 'हिंदू होने का धर्म'। प्रभाष जी की ये किताबें प्रभाष जोशी की खास भाषा-शैली का दृष्टांत तो हैं ही, वे यह भी बताती हैं कि समाज, संस्कृति और समय के घटनाचक्र को लेखक का वैचारिक मानस नए संदर्भ में कैसे देखता है और अनदेखे और अनछुए पहलुओं को परखते हुए उन्हें विवेक की कसौटी पर कसकर उन्हें कैसे नया परिप्रेक्ष्य देता है।

'आगे अंधी गली है' पुस्तक में प्रभाष जोशी के अंतिम दो वर्षों का लेखन संकलित है। पुस्तक की भूमिका में प्रभाष जोशी के जीवन के आखिरी छह दिनों का वृत्तांत भी है। '21वीं सदी - पहला दशक' पुस्तक में प्रभाष जी के वे लेख संकलित हैं, जो उन्होंने 2001 से 2009 के बीच लिखे। इस किताब में देश के बहुजन जीवन की बढ़ती मुश्किलों और आर्थिक उदारीकरण के दुष्परिणामों की व्याख्या विस्तार से की गई है। 'मसि कागद' में प्रभाष जी की प्रारंभिक टिप्पणियाँ संकलित हैं तो 'जब तोप मुकाबिल हो' में संस्मरण। 'जीने के बहाने' में प्रभाष जी ने अपने समय की चर्चित शख्सियतों के चरित्र और विचार का विवेचन किया है तो 'खेल सिर्फ खेल नहीं है' पुस्तक में प्रभाष जी के खेल संबंधी लेख हैं। क्रिकेट के प्रति प्रभाष जी की दीवानगी इस हद तक थी कि खेल खत्म होते-होते वे लिख लेते थे। उनके उन लेखों ने हिंदी पत्रकारिता में खेल विश्लेषण का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया। 'लुटियन के टीले का भूगोल' प्रभाष जी के राजनीतिक लेखों का संग्रह है। 'हिंदू होने का धर्म' पढ़े बिना बाबरी ध्वंस के बाद और गुजरात नरसंहार तक की सच्चाई को नहीं समझा जा सकता।

राजेंद्र माथुर के समकालीन प्रभाष जी सर्वोदय और गांधीवादी विचारधारा के थे। विनोबा के सान्निध्य में वे सेवा करना चाहते थे किंतु उनके कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार करते-करते पत्रकारिता में आ गए। प्रभाष जी कहते भी थे - आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। उनकी पत्रकारिता की शुरुआत इंदौर की नई दुनिया से हुई। जब 1972 में जयप्रकाश नारायण ने मुंगावली की खुली जेल में माधो सिंह जैसे दुर्दान्त दस्युओं का आत्म-समर्पण कराया, तब प्रभाष जी भी उस अभियान के एक सहयोगी थे। बाद में दिल्ली आने पर प्रभाष जी ने 1974 में एक्सप्रेस समूह के हिंदी साप्ताहिक 'प्रजानीति' का संपादन किया। आपातकाल में उसके बंद होने के बाद इसी समूह की पत्रिका 'आस-पास' उन्होंने निकाली। बाद में प्रभाष जी 'इंडियन एक्सप्रेस' के अहमदाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में स्थानीय संपादक रहे। 1983 में एक्सप्रेस समूह का हिंदी दैनिक 'जनसत्ता' निकला' तो वे उसके प्रधान संपादक बने। वे अंग्रेजी पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता में आए थे, इसलिए 'जनसत्ता' पर कभी अंग्रेजी के वर्चस्व को उन्होंने हावी नहीं होने दिया। प्रभाष जी ने संपादकीय श्रेष्ठता पर प्रबंधकीय वर्चस्व भी नहीं होने दिया। प्रभाष जी और 'जनसत्ता' एक-दूसरे के पर्याय बन गए।

'जनसत्ता' जब दिल्ली से 17 नवंबर, 1983 को निकला तो प्रभाष जोशी ने विशेष संपादकीय लिखी - 'जनसत्ता क्यों?' वह चौपाल स्तंभ में छपा। वह

पाठकों की जगह है। प्रभाष जी ने लिखा था, 'यह कॉलम आपका है। आज मैं इसे हथिया रहा हूँ तो इसके कुछ कारण हैं। जो अखबार पहली बार पाठकों के पास जा रहा है, उसमें पाठकों के पत्र नहीं हो सकते। अगर हों भी, सच्चे नहीं होंगे। सच्चे पत्र भी हमारे पास हैं, जो दोस्तों और शुभचिंतकों ने बड़ी आशा से हमारे प्रकाशन पर लिखे हैं। लेकिन एक अखबार को किसने और किस तरह बधाई दी, इसमें आम पाठक की कितनी रुचि होती है? चलन है कि अखबार अपने बारे में पहले पेज पर या पहला संपादकीय लिखे। लेकिन यह जगह खबरों और टिप्पणी के लिए है। बचता है आपका कॉलम और उसी में बताना ठीक है कि जनसत्ता क्यों? देश में सबसे ज्यादा अखबार हिंदी में निकलते हैं। एक दैनिक और बढ़ाने की जरूरत क्या थी। पर हिंदी में पढ़ने वाले भी सबसे ज्यादा हैं, लगभग दस करोड़ और पत्र-पत्रिकाएँ बिकती हैं सिर्फ एक करोड़ चालीस लाख। यानि अंग्रेजी से सिर्फ तीस लाख ज्यादा, जबकि अंग्रेजी बोलने-समझने वाले दो प्रतिशत हैं और हिंदी को आधा हिंदुस्तान बोलता-समझता है। इसका कारण यह नहीं है कि हिंदी इलाका गरीब है और उसमें पढ़ने की इच्छा और उत्सुकता नहीं है।

हिंदी इलाके की अपनी कुछ समस्याएँ हैं और उसके पाठकों को वह सब नहीं मिलता जो उसे चाहिए। हिंदी एक से ज्यादा राज्यों की भाषा है इसलिए उसका केंद्र किसी एक राज्य में नहीं जैसा कि बांग्ला, मराठी, गुजराती, मलयालम आदि का है। हिंदी राज्यों की अपने आप में और पूरे इलाके की देश में ऐसी कोई अलग-थलग पहचान नहीं है जैसी कि दूसरे भाषाई राज्यों की है। फिर हिंदी भी सब राज्यों में एक जैसी नहीं है। बोलने और लिखने की भाषा का फर्क तो खैर है ही। इस हालत में हिंदी राज्यों से निकलने वाले दैनिक पूरे इलाके को कवर नहीं कर पाते और दिल्ली से निकलने वाले अखबार किसी एक जमीन में जड़ें नहीं उतार पाते। यातायात और संचार की नई तकनीक से कुछ खाइयाँ पाटी जा सकती हैं। लेकिन बोलचाल की ऐसी भाषा जो नव-साक्षर या कम पढ़े-लिखे आदमी से लेकर प्रखर विद्वान तक के उपयोग और अनुभव से अमीर हो, बनते-बनते बनती है और वही लाखों-करोड़ों लोगों को जोड़ती है। ऐसी हिंदी पनप भी रही है। जरूरत है उसे बोलने से लिखने और छपने तक लाने की। 'जनसत्ता' ऐसी हिंदी को पनपाने और प्रतिष्ठित करने के लिए निकल रहा है। लेकिन कोई भी अखबार सिर्फ भाषा की सेवा के लिए नहीं निकलता। वह दरअसल अपने पाठकों और दुनिया के बीच एक पुल होता है, संवाद का जरिया

होता है, मंच होता है। वह पाठक की निजी आस्थाओं और उसकी सार्वजनिक निष्ठाओं को साधता है। वह अपने पाठकों की आशा-आकांक्षाओं और जीवन मूल्यों का आईना होता है। वह पाठकों से बनता है और पाठकों को बनाता है। लेकिन यह अर्थवान प्रक्रिया बिना विश्वसनीयता के नहीं चल सकती। 'जनसत्ता' यह विश्वसनीयता कमाने के लिए निकल रहा है।' कहने की जरूरत नहीं कि 'जनसत्ता' ने वह विश्वसनीयता बनाई।

1983 में दिल्ली से जब 'जनसत्ता' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ तो प्रभाष जी ने अखबार के लिए जो वर्तनी निश्चित की, वह निम्नवत् है–

1. हिंदी वर्तनी में 'य' के वैकल्पिक रूपों के बारे में काफी अराजकता है। उसमें एकरूपता के ख्याल से और छपाई की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम ये की जगह ए और यी की जगह ई का प्रयोग करेंगे। क्रिया रूपों को हम ऐसे लिखेंगे - आप, गए, आएगा, पाएगा, जाएगा, आइए, दीजिए आदि। विशेषण भी वैसे ही लिखे जाएँगे - नई, पराई, पराए आदि। अपव्यय के लिए न लिखकर हम के लिए लिखेंगे। संज्ञा रूप लतायें, मातायें, कन्यायें आदि क्रमशः लताएँ, माताएँ, और कन्याएँ हो जाएँगे।
2. हम आम तौर पर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। नियम के रूप में इसका अपवाद एक तो पंचमाक्षर हैं जिनके साथ अनुस्वार नहीं जाता - जैसे - तण्णीर, मम्मट आदि शब्दों में। इसके अलावा य-वर्ग के व्यंजनों वाले अनेक शब्द जैसे संपर्क, कन्या, अन्य, अन्वय, संन्यास आदि। हिन्दी में हम अनुस्वार नहीं लगाएँगे। लेकिन संहार, संवाद आदि शब्दों में अनुस्वार चल सकता है।
3. हम चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका अपवाद केवल 'हँसना' होगा।
4. जब तक उर्दू के शब्द का उर्दू के ही संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा हो, तब तक नुक्ता नहीं लगाया जाएगा।
5. हलंत के बारे में भी यही व्यवहार होगा। संस्कृत के शब्दों को संस्कृत के ही संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा हो, तब ही उसका प्रयोग होगा।
6. एकवचन 'वह' को आदरसूचक रूप देने के लिए 'वे' का प्रयोग प्रचलित है। हम उसी का पालन करेंगे।
7. दुःख, छः आदि शब्दों में विसर्ग को छोड़ दिया जाएगा। छः को छह लिखेंगे।

8. जिन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से किसी स्थान या व्यक्ति का बोध होता है, उनका रूप विभक्तियों के जुड़ने के कारण नहीं बदलेगा। जैसे, ढाके की मलमल, पटने का गांधी मैदान की जगह ढाका की मलमल या पटना का गांधी मैदान ही सही है।
9. संबंधकारक विभक्तियों के प्रयोग के बारे में इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जन दो शब्दों के बीच संबंध बताया गया हो, वे विभक्ति के पास हों जैसे, 'शिक्षा मंत्रियों की दिल्ली में बैठक' के बजाय 'दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों की बैठक' लिखा जाना चाहिए।
10. देहात, जमीन, मानव, समय, वारदात जैसे शब्दों के बहुवचन रूप गलत हैं।
11. याने, यानि लिखना गलत है। सही शब्द यानि है।
12. वाक्य में जब के बाद ही तब आना चाहिए। अंग्रेजी से अनुवाद के प्रभाव में तब पहले इस्तेमाल करके फिर जब लाने की आदत छोड़नी चाहिए।
13. हिंदी वाक्य कर्ता पर टिका होता है। कर्मवाक्य रूप केवल क्रिया पर जोर देते समय ही रखा जाना चाहिए। अंग्रेजी से अनुवाद के प्रभाव में वाक्य को अनावश्यक कर्म पर टिकाने की आदत पड़ गई है। उदाहरण के लिए 'मंत्री के द्वारा बैठक बुलाई गई है, लिखा जाने लगा है जबकि सही रूप में मंत्री ने बैठक बुलाई है होगा। ऐसे वाक्यों में द्वारा के प्रयोग से सदा बचना चाहिए।
14. हेतु, एवं, तथा शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से बचा जाए।
15. अनेक शब्दों को नाहक दीर्घ बनाया जाने लगा है। सही रूप ये हैं - दिखाई, ऊँचाई आदि।
16. अंगरेजी, जरमनी आदि शब्दों की जगह अंग्रेजी, जर्मनी शब्द चल गए हैं, हम उन्हें इसी रूप में लिखेंगे।
17. 'जबकि' के इस्तेमाल को कम से कम किया जाए।
18. कार्यवाही और कार्रवाई शब्दों के अलग-अलग अर्थ रूढ़ हो गए हैं। कार्यवाही प्रक्रिया के अर्थ में इस्तेमाल होता है, जैसे– बैठक की कार्यवाही तीन घंटे चली। कार्रवाई कोई कदम उठाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे - जिला परिषद् अपने फैसलों पर इस नौ अगस्त, से कार्रवाई करेगी।

19. राजनीतिक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होता है और राजनैतिक विशेषण के रूप में। राजनीतिज्ञ शब्द को राजनीति विज्ञान के पंडित का अर्थ बताने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।
20. 'वाला', 'कर' आदि शब्दों को संज्ञा या क्रिया पदों के साथ मिलाकर लिखना चाहिए, जैसे– घरवाला, खाकर, जाकर आदि। लेकिन 'पहुँच कर' अलग-अलग लिखा जा सकता है।
21. 'सार्वजनिक प्रतिष्ठानों' अथवा 'सार्वजनिक उद्योगों' के लिए सरकारी प्रतिष्ठान, सरकारी उद्योग लिखा जाना चाहिए।
22. कृषि उत्पादन के लिए उपज अथवा पैदावार लिखा जाए। औद्योगिक व खनिज उत्पादन आदि के संदर्भ में उत्पादन लिखा जाए।
23. लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र समानार्थी शब्द हैं। किंतु एकरूपता की दृष्टि से 'लोकतंत्र' शब्द ही इस्तेमाल किया जाएगा। गणतंत्र दिवस के संदर्भ में तो गणतंत्र का प्रयोग होगा ही, गणतंत्र के विशेष अर्थ को बताना हो तब भी गणतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा।
24. सभा, समारोहों, कार्यक्रमों आदि की खबर देते हुए 'शुरू' का इस्तेमाल अक्सर अनावश्यक होता है। जैसे, '10 अक्टूबर से राम लीला शुरू होगी' की जगह '10 अक्टूबर से रामलीला होगी' काफी है।
25. किश्त और किस्त के अंतर को ध्यान में रखना चाहिए।
26. दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं में लोग मरते हैं। 'बस ट्रक टक्कर में तीन मारे गए' प्रयोग गलत है। 'मारे गए' का प्रयोग युद्ध, संघर्ष अथवा पुलिस गोलीकांड जैसी स्थितियों में ही उचित है। व्यक्ति की गरिमा के ख्याल से 'एक मरा' की जगह 'एक की मृत्यु' लिखा जाना चाहिए। 'चार मरे' प्रयोग सही है।
27. रेलगाड़ी के लिए केवल रेल शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रेल का अर्थ पटरी होता है न कि रेलगाड़ी।
28. निर्णय, निश्चय, संकल्प किया जाता है, लिया नहीं जाता।
29. अदालती फैसलों, निर्वाचित संस्थाओं के अध्यक्ष तथा पीठासीन अधिकारियों के फैसलों को 'निर्णय' लिखा जाए, 'निश्चय नहीं।'
30. हत्या के पहले जघन्य, नृशंस आदि विशेषण जोड़ना अनावश्यक है। हत्या अपने आप में ही जघन्य और नृशंस है।
31. हथियारबंद गलत है। डकैत हमेशा हथियारबंद ही होते हैं।

32. 'अभूतपूर्व' का प्रयोग कम से कम किया जाए। संसद, विधानसभाओं में अभूतपूर्व हंगामा, शोरगुल आदि का प्रयोग आम हो गया है। इस विशेषण का प्रयोग अति विशेष स्थितियों के लिए बचाकर रखना चाहिए।
33. नामों के साथ उपाधि अथवा श्री आदि लगाना अनावश्यक है। श्री, श्रीमती आदि का प्रयोग केवल उप-नामों के साथ होगा। जैसे बलराम जाखड़ तथा श्री जाखड़।
34. सोना 24 कैरेट, सोना स्टैंडर्ड समानार्थी शब्द हैं। इनमें से किसी एक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सोना 22 कैरेट, सोना आभूषण भी समानार्थी हैं और उनमें से कोई एक ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एकरूपता की दृष्टि से सोना 24 कैरेट और सोना 22 कैरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। चाँदी के भावों के बारे में भी एकरूपता अपनानी चाहिए।
35. हम बाव और दाम शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। दाम जब वस्तु की इकाई का जिक्र हो।
36. गरी, नारियल, खोपरा, गोला, पर्यायवाची शब्द हैं। इनके लिए गोला का इस्तेमाल किया जा सकता है।
37. गोल आदि की संख्या लिखते समय टीम और खिलाड़ी के नाम के बाद ही जीत या हार के अनुरूप गोल संख्या लिखी जाए। जैसे अमुक खिलाड़ी 2-0 से जीता या अमुक खिलाड़ी 0-2 से हारा। अमुक खिलाड़ी ने अमुक खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की, प्रयोग गलत है। फलाँ को हराया अथवा पर जीत हासिल की लिखा जाना चाहिए।
38. प्रातः, अपराह्न, सायं, रात्रि की जगह सुबह, दोपहर, शाम, रात शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
39. अक्सर उद्धरण चिह्नों को बंद करते समय उन्हें विराम चिह्नों से पहले लगा दिया जाता है। यह गलत है। उदाहरण के लिए उसने कहा, 'पास आओ'। सही नहीं है। सही है, उसने कहा, 'पास आओ।'

प्रभाष जी के नेतृत्व में 'जनसत्ता' सबकी खबर लेता रहा और सबको खबर देता रहा और कारगर ढंग से जनता के सुख-दुख को सही अर्थों में प्रतिबिंबित कर पाया। इसी कारण उसकी विश्वसनीयता, गंभीरता और रोब आज भी कायम है। 'जनसत्ता' के अलावा दूसरे अखबारों ने उत्तरोत्तर आधुनिक तकनीक और सरकारी-गैर, सरकारी सुविधाओं का लाभ तो उठाया, उनके कलेवर बदल गए, उनकी साज-सज्जा में गुणात्मक सुधार आया यानि खबरों की

प्लेसिंग, डिस्प्ले, ले-आउट आकर्षक हुए पर उसी तरह का आधुनिकता बोध और 'खुलापन' उनकी पत्रकारिता में नहीं आया। आधुनिकीकरण के कारण और बिकाऊ माल का प्रवक्ता होने के कारण दूसरे अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ती गई। दूसरी तरफ 'जनसत्ता' छह कॉलम में पुराने ढंग से ही निकलता रहा। उसकी प्रसार संख्या गिरने लगी फिर भी उसने बाजार के दबाव, विज्ञापनदाताओं के दबाव, सरकारी दबाव, सुविधाओं और साधनों के दबाव के आगे सिर नहीं नत किया। 'जनसत्ता' ने अखबार की कीमत भी नहीं घटाई।

प्रभाष जी के सहयोगियों में समाजवादी, गांधीवादी, सर्वोदयी, वामपंथी, उग्र वामपंथी, कांग्रेसी और जनसंघी हर विचारधारा के लोग थे और हरेक को अपनी बात कहने की पूरी आजादी थी। संपादकीय सहयोगियों की गलती को प्रभाष जी अपनी गलती मान लेते थे। एक बार उनके सहयोगी बनवारी ने सती प्रथा के पक्ष में संपादकीय लिख दी और देश में बवाल मच गया तो प्रभाष जी ने बनवारी का बचाव किया। संपादक के रूप में और पत्रकारिता के पेशे के प्रति दायबद्धता का यह भी एक विरल दृष्टांत है। उस घटना के बाद भी बनवारी अखबार में बने रहे थे। प्रभाष जी की संपादकीय टीम में बनवारी के अलावा रामबहादुर राय, राहुल देव, मंगलेश डबराल, अच्युतानंद मिश्र, हरिशंकर व्यास, कुमार आनंद, राजेंद्र धोड़पकर, जवाहरलाल कौल, जगदीश उपासने, ओम थानवी, अरविंद मोहन, नीलम गुप्ता, सुशील कुमार सिंह, हेमंत शर्मा, सुरेश शर्मा, मनोहर नायक, रवींद्र त्रिपाठी, अरुण कुमार त्रिपाठी, आलोक तोमर, श्याम आचार्य, राजेश जोशी आदि शामिल रहे थे।

प्रभाष जी के नेतृत्व में जनसत्ता का कोलकाता संस्करण 1991 में निकला तो पहले दिन की संपादकीय का शीर्षक प्रभाष जी ने दिया था - चालो वाही देस। यानि वे चाहते थे कि देस से अखबार संवाद बनाए और अखबार ने भरसक वह संवाद बनाया। प्रभाष जी अक्सर कोलकाता आते और 'जनसत्ता', कोलकाता के स्थापना दिवस के मौके पर इंडियन एक्सप्रेस के अलीपुर स्थित गेस्ट हाउस में पार्टी देते। उसमें संस्कृतिकर्मियों, लेखकों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया जाता था। मुझे याद है कि एक बार की पार्टी में वरिष्ठ कवि नागार्जुन भी उपस्थित हुए थे। तब वे कोलकाता आए हुए थे। प्रभाष जी ने खुद आगे बढ़कर बाबा नागार्जुन की अगवानी की और एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में चम्मच लेकर खुद नागार्जुन को खिलाया था। ये वही प्रभाष जोशी थे जिन्होंने नामवर सिंह के 75 साल के होने पर देशभर में नामवर के निमित्त

आयोजन किया। इसके लिए प्रभाष जी ने सुरेश शर्मा को दिल्ली के साहित्य अकादमी के एक कक्ष में बैठक बुलाने का दायित्व दिया था। उस बैठक में इन पंक्तियों का लेखक भी था। कोलकाता में भी नामवर के निमित्त का आयोजन हुआ था और उस उत्सव में महाश्वेता देवी ने गाना गाया था। एक बार कोलकाता आते ही उन्होंने मुझे लक्ष्मीनारायण मंदिर के गेस्ट हाउस में बुलाया। वहीं वे रुके हुए थे। उन्होंने कहा – चंद्रशेखर जी पर कई किताबें तैयार हो रही हैं। हरिवंश जी से आपकी बात हुई होगी, आप 'जनसत्ता' से छुट्टी लेकर महीने भर के लिए दिल्ली आ जाएँ और उन किताबों के संपादन में मदद करें। तदनुसार मैं दिल्ली गया था और दो माह रहकर उस काम में सहयोग किया था। तब अक्सर प्रभाष जी से दिल्ली के नरेंद्र निकेतन में भेंट होती। चंद्रशेखर जी की जो सात किताबें राजकमल से छपी हैं, उनमें प्राय: सभी के शीर्षक प्रभाष जी के ही दिए हुए हैं। उन दिनों दिल्ली के नरेंद्र निकेतन में वे अक्सर आते। राम बहादुर राय, हरिवंश और सुरेश शर्मा भी आते। प्रभाष जी की सलाह पर ही दो किताबों की भूमिका मैंने डॉ. नामवर सिंह और डा. केदारनाथ सिंह से लिखवाई। उन्हीं दिनों एक शाम उन्होंने कहा, चौबे जी महाराज, अपन चाहते हैं कि हम सभी जनसत्ता वाले मिलकर एक किताब तैयार करें और उसका नाम रखें – हम जनसत्ताई। शीर्षक देने के मामले में उनका कोई जवाब न था। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता में कई नए शब्द भी चलाए। खाड़कू और मुक्तिचीते जैसे शब्द उन्हीं के चलाए हुए हैं।

1995 में 'जनसत्ता' के प्रधान संपादक पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद वे कुछ वर्ष पूर्व तक उसके प्रधान सलाहकार संपादक रहे। जितनी संवेदनशीलता से वे संगीत शिल्पी कुमार गंधर्व पर लिखते, उतनी ही संवेदनशीलता से क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और राजनीतिक विश्वनाथ प्रताप सिंह पर भी। प्रभाष जी नर्मदा आंदोलन से लेकर टिकैत के किसान आंदोलन और आरक्षण आंदोलन के पक्ष में लड़ते रहे और भाजपा के मंदिर आंदोलन और कांग्रेस के अधिनायकवाद का विरोध करते रहे। उनके स्तंभ 'कागद कारे' का पाठक हफ्ता भर इंतजार करते थे। प्रभाष जी आंदोलन से निकले आदमी थे। कदाचित् इसीलिए उनकी पत्रकारिता ने देश में लोकतांत्रिक आंदोलनों के विकास में अपनी विधायक भूमिका विकट प्रतिकूलताओं के बीच भी निभाई।

प्रभाष जी बीसवीं सदी की सांध्यवेला की पत्रकारिता के रहनुमा थे किंतु भगवान नहीं थे। वे हाड़-मांस के इंसान थे और इनसान से गलतियाँ होती हैं और

उनसे भी हुई। रामनाथ गोयनका के निधन के बाद प्रभाष जी ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें पत्रकारिता का पितृ पुरुष लिखने की गलती की थी जिसका हिंदी पत्रकारिता के इतिहास के विशेषज्ञ डा. कृष्णबिहारी मिश्र ने तीव्र विरोध किया था। मिश्र जी का कहना था कि यदि गोयनका जी हिंदी पत्रकारिता के पितृ पुरुष थे तो बाबूराव विष्णु पराड़कर क्या थे। इस संदर्भ में मिश्र जी के विरोध को प्रभाष जी सह नहीं पाए और उनके खिलाफ भी 'कागद कारे' में नाहक लिखा था।

8

हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के 150 वर्ष

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कविता केंद्रित पत्रिका 'कवि वचन सुधा' का प्रकाशन 15 अगस्त, 1867 को प्रारंभ किया था। इस तरह हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के 150 वर्ष पूरे हुए। भारतेंदु 'कवि वचन सुधा' में आरंभ में पुराने कवियों की रचनाएँ छापते थे जैसे चंद बरदाई का रासो, कबीर की साखी, जायसी का पदमावत्, बिहारी के दोहे, देव का अष्टयाम और दीन दयाल गिरि का अनुराग बाग। लेकिन जल्द ही पत्रिका में नए कवियों को भी स्थान मिलने लगा। पत्रिका के प्रवेशांक में भारतेंदु ने अपने आदर्श की घोषणा इस प्रकार की थी –

'खल जनन सों सज्जन दुखी मति होंहि, हरिपद मति रहै।
अपधर्म छूटै, स्वत्व निज भारत गहै, कर दुख बहै। ।
बुध तजहि मत्सर, नारि नर सम होंहि, जग आनंद लहै।
तजि ग्राम कविता, सुकविजन की अमृतवानी सब कहै।'

भारतेंदु खलजनों द्वारा पीड़ित किए जाने वाले सज्जनों के प्रति संवेदना जताते हैं, वहीं यह आकांक्षा प्रकट करते हैं कि पाठक अच्छी कविता का रसास्वादन करें। भारतेंदु की यह भी कामना है कि भारत अपने खोए हुए स्वत्व

को प्राप्त करे। वे नर-नारी की समानता पर भी बल देते हैं। भारतेंदु स्त्री-पुरुष की समानता के इतने बड़े पैरोकार थे कि 'कवि वचन सुधा' के 3 नवंबर, 1873 के अंक में उन्होंने लिखा, 'यह बात सिद्ध है कि पश्चिमोत्तर देश की कदापि उन्नति नहीं होगी, जब तक यहाँ की स्त्रियों की भी शिक्षा न होगी क्योंकि यदि पुरुष विद्वान होंगे और उनकी स्त्रियाँ मूर्ख तो उनमें आपस में कभी स्नेह न होगा और नित्य कलह होगी।'

'कवि वचन सुधा' में साहित्य तो छपता ही था। उसके अलावा समाचार, यात्रा, ज्ञान विज्ञान, धर्म, राजनीति और समाज नीति विषयक लेख भी प्रकाशित होते थे। इससे पत्रिका की जनप्रियता बढ़ती गई। इतनी कि उसे मासिक से पाक्षिक और फिर साप्ताहिक कर दिया गया। प्रकाशन के दूसरे साल 'कवि वचन सुधा' पाक्षिक हो गई थी और 5 सितंबर, 1873 से साप्ताहिक। 'कवि वचन सुधा' के द्वितीय प्रकाशन वर्ष में मस्टहेड के ठीक नीचे छपता था -

'निज-नित नव यह कवि वचन सुधा सकल रस खानि।
पीवहु रसिक आनंद भरि परमलाभ जिय जानि। ।
सुधा सदा सुरपुर बसै सो नहीं तुम्हरे जोग।
तासों आदर देहु अरु पीवहु एहि बुध लोग॥'

'कवि वचन सुधा' में सूचना का एक नियमित स्तंभ रहता था। सूचना के अलावा नाना विषयों पर टिप्पणियाँ छपती थीं। 'कवि वचन सुधा' के 8 फरवरी, 1874 के अंक में प्रकाशित एक ऐसी ही टिप्पणी द्रष्टव्य है, 'कुछ काल पहले अंग्रेज लोग जब हिंदुस्तान के विषय में व्याख्यान देते थे तब यही प्रगट करते थे कि हम लोग इस देश के लाभ अर्थ राज्य करते हैं यही चिल्ला-चिल्ला कर सर्वदा कहा करते कि हम सदैव हिंदुस्तान की वृद्धि के निमित्त विचार करते हैं कि हम लोग इस देश की वृद्धि करेंगे और यहाँ के निवासियों को विद्यामृत पिलाएँगे और राज्य का प्रबंध किस भात करना यह ज्ञान प्रजा को स्वतः हो जाएगा तब हम लोग हिंदुस्तान का सब राज्य प्रबंधन यहाँ के निवासियों को स्वाधीन कर देंगे और अंत को सब राम-राम कह कर जहाज पर पैर रख स्वदेश गमन करेंगे। यह वार्ता हम लोग अपनी गड़ी हुई नहीं कहते। पर इन्हीं अंग्रेजों की और मुख्य करके पादरियों के जो व्याख्यान प्रसिद्ध हुए हैं उनसे स्पष्ट प्रगट होता है कि यह प्रकार पाठकजनों के देखने में निःसंदेह आया ही होगा इसमें संदेह नहीं।'

अंग्रेजी शासन के प्रति भारतेंदु की यह टिप्पणी बेहद तात्पर्यपूर्ण है कि भारतीयों के लाभ के लिए अंग्रेजी शासन होने का दावा खोखला था। अंग्रेज किस तरह भारत की संपदा लूट रहे थे, इसका संकेत भारतेंदु ने 'कवि वचन सुधा' के 7 मार्च, 1874 के अंक में अपनी टिप्पणी में दिया, 'सरकारी पक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते-भिड़ते थे और आपस में गमनागमन न हो सकता था। यह सब सरकार की कृपा से हुआ। हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी नहीं। रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी ने जो द्रव्य व्यय किया है, उसका ब्याज सरकार को देना पड़ता है और उसे लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है।'

'कवि वचन सुधा' में प्रकाशित लेख 'भुतही इमली का कन कौआ' पर राजा शिव प्रताप सितारेहिंद ने गवर्नर से शिकायत की। रही-सही कसर 'मर्सिया' के प्रकाशन ने पूरी कर दी। उससे अंग्रेजी शासन का क्रोध और बढ़ गया। भारतेंदु ने 20 अप्रैल, 1874 के अंक में शंका शोधन (स्पष्टीकरण) भी छापा, 'मर्सिया में हमारे अपने ग्राहकों को शंका होगी कि वह राजा कौन था? इससे अब हम उस राजा का अर्थ स्पष्ट करके सुनाते हैं। वह राजा अंग्रेजी फैशन था, जो इस अपूर्ण शिक्षित मंडली पर अँधेर नगरी का राज करता था जब से बंबई और काशी इत्यादि स्थानों में अच्छे-अच्छे लोगों ने प्रतिज्ञा करके अंग्रेजी कपड़ा पहिरना छोड़ देने की सौगंध खाई तब से मानो वह मर गया था।' स्पष्टीकरण का कोई लाभ न हुआ। अंग्रेज सरकार ने 'कवि वचन सुधा' की प्रतियों की खरीद बंद कर दी। सरकार भक्तों ने भी पत्र खरीदना, पढ़ना और अपने घर में रखना बंद कर दिया, इससे 'कविवचन सुधा' को आर्थिक नुकसान तो बहुत हुआ, किंतु उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। भारतेंदु ने अंग्रेजी हुकूमत के मानद दंडाधिकारी का पद भी त्याग दिया। यही क्या, उन्होंने अंग्रेज अफसरों से मिलना तक बंद कर दिया। भारतेंदु ने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील करते हुए स्वदेशी का जो प्रतिज्ञा पत्र 23 मार्च, 1874 के 'कवि वचनसुधा' में प्रकाशित किया, वह समूचे हिंदी समाज का प्रतिज्ञा पत्र बन गया। उसमें भारतेंदु ने कहा था, 'हम लोग सर्वांतर्यामी सब स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहिरेंगे और जो कपड़ा कि पहिले से मोल ले चुके हैं और आज की मिती तक हमारे पास हैं उनको तो उनके जीर्ण हो जाने तक काम में

लावेंगे पर नवीन मोल लेकर किसी भाँति का भी विलायती कपड़ा न पहिरेंगे, हिंदुस्तान का ही बना कपड़ा पहिरेंगे। हम आशा रखते हैं कि इसको बहुत ही क्या प्राय: सब लोग स्वीकार करेंगे और अपना नाम इस श्रेणी में होने के लिए श्रीयुत बाबू हरिश्चंद्र को अपनी मनीषा प्रकाशित करेंगे और सब देश हितैषी इस उपाय के बाद में अवश्य उद्योग करेंगे।'

सात वर्षों तक 'कवि वचन सुधा' का संपादक-प्रकाशन करने के बाद भारतेंदु ने उसे अपने मित्र चिंतामणि धड़फले को सौंप दिया और 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' का प्रकाशन 15 अक्टूबर, 1873 को बनारस से आरंभ किया। 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के मुखपृष्ठ पर उल्लेख रहता था कि यह 'कवि वचन सुधा' से संबद्ध है। 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के प्रवेशांक में एक निबंध छापा - 'हिंदूज क्वेश्चन टू यूरोपीयन'। यह लेख प्रश्नोत्तर शैली में है - आप इंग्लैंड के हो या हमारे? क्यों अपना घरबार छोड़कर यहाँ आ बसे? यदि आप हमारे हैं तो क्यों हमारे देश को इतनी पीड़ा दे रहे हैं...? आप किसी के नहीं हैं - फिर आपकी स्तुति करें या निंदा? आपको साधु कहें या गुरु? इसी तरह 'रिलीजन्स' शीर्षक लेख में अंधविश्वासी युवकों की खबर ली गई थी, 'हमें यह देखकर खेद होता है कि हिंदू धर्म का पतन हो रहा है। हिंदू धर्म, अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। परंतु हमारे प्रबुद्ध मित्र इसे अंधविश्वास की संज्ञा देते हैं।' प्रथम अंक 24 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ। कुछ अंक बीस और बयालीस पृष्ठ के भी निकले। इसमें प्राय: अंग्रेजी भाषा में हर अंक में तीन से छह पृष्ठ होते थे। अंग्रेजी की सामग्री अधिकतर अन्य व्यक्ति लिखकर भेजते थे जिनके नाम से वह छपती थी। इसमें साहित्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म, पुरातत्त्व, इतिहास आदि विषयों पर लेखों के साथ ही उपन्यास, कविता, हास्य-व्यंग्य आदि पर भी सामग्री रहती थी।

'हरिश्चंद्र मैग्जीन' जल्द ही 'कवि वचन सुधा' से भी अधिक लोकप्रिय हो गई थी तथा उस समय के मशहूर लेखक जैसे बाबू तोताराम मुंशी, ज्वाला प्रसाद, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, दयानंद सरस्वती और स्वयं भारतेंदु समय-समय पर 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के लिए लिखा करते थे। भारतेंदु जी ने अपने लेखकों को सहायक संपादकों की मर्यादा दी। 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के केवल आठ अंक ही निकल सके। उन आठ अंकों में कुल 113 रचनाएँ प्रकाशित हुई। आठवें अंक के निकलने के बाद पत्रिका का नाम 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' कर दिया गया। मुखपृष्ठ पर 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' छपा होता था और आखिरी पृष्ठ पर 'हरिश्चंद्र मैग्जीन'।

'हरिश्चंद्र चंद्रिका' का प्रवेशांक जून 1874 में निकला। मुखपृष्ठ पर यह श्लोक और छंद छपता था –

'विद्वत्कुलाम लस्वांत कुमुदामोददायिका।
आर्याज्ञान–तमोहंती श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका। ।'

'कविजन–कुमुद–गन हिय विकासि चकोर रसिकन सुख भरै।
प्रेमिन सुधा सों सींचि भारतभूमि आलस तम हरै। ।
उद्यम सु औषधि पोखि विरहिनि दाहि खल चोरन दरै।
हरिश्चंद्र की यह चंद्रिका पर कासि जग मंगल करै। ।'

'हरिश्चंद्र चंद्रिका' में हठीकृत राधा सुधा शतक, भारतेंदु जी का धनंजय विजय व्यायोग, गदाधर सिंह कृत कादंबरी, लाला श्रीनिवास दास कृत तप्सासंवरण नाटक आदि प्रकाशित हुए। भारतेंदु का 'पाँचवा पैगंबर', मुंशी कमला सहाय का 'रेल का विकट खेल', मुंशी ज्वाला प्रसाद का 'कलिराज की सभा' आदि रचनाएँ भी उसमें छपे। पुरातत्त्व संबंधी लेख भी उसमें प्रकाशित किए जाते थे। कुछ पृष्ठों में अंग्रेजी रचनाएँ भी प्रकाशित होती थीं। कविता में ही मूल्यादि का विवरण छपता था –

'षट् मुद्रा पहिले दिए बरस बिताए सात।
साथ चंद्रिका के लिए दस में दोऊ मिल जात। ।
बरन गए बारह लगत दो के दो महसूल।
अलग चंद्रिका सात, षट् वचन सुधा समतूल। ।
दो आना एक पत्र की टका पोस्टेज साथ।
सारध आना आठ दै लहत चंद्रिका हाथ। ।
प्रति पंगति आना जुगुल जो कोऊ नोटिस देई।
जो विशेष जानन चहै पूछि सबै कुछ लेई। ।'

'हरिश्चंद्र चंद्रिका' का प्रकाशन घाटे के बावजूद छह वर्षों तक होता रहा। हरिश्चंद्र ने 'नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका' भी निकाली। उसमें धारावाहिक रूप में 'पुरावृत संग्रह', 'स्वर्णलता' (उपन्यास) तथा 'सती प्रताप' (नाटक) का प्रकाशन हुआ था। 'प्रेम–प्रलाप' के कुछ उत्कृष्ट पद भी प्रकाशित किए गए थे। उस पत्रिका के तीन अंकों का ही विवरण मिलता है। नवंबर 1874 के अंक में 31 सहायक संपादकों के नाम दिए गए हैं। जैसे – ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद सरस्वती। कहना न होगा कि वस्तुतः ये सहायक संपादक पत्रिका के लेखक थे। पत्रिका के विदेशों में भी पाठक थे।

भारतेंदु ने एक स्त्री शिक्षोपयोगी मासिक पत्रिका की जरूरत को शिद्दत से महसूस किया और जनवरी, 1874 में 'बाला बोधिनी' नामक आठ पृष्ठों की डिमाई साइज की पत्रिका प्रकाशित की। उसके मुखपृष्ठ पर यह कविता प्रकाशित होती थी –

'जो हरि सोई राधिका जो शिव सोई शक्ति।
जो नारि सोई पुरुष या में कुछ न विभक्ति। ।
सीता, अनुसूया, सती, अरुंधती, अनुहारि।
शील लाज विद्यादि गुण लहौ सकल जग नारि। ।
पितु, पति, सुत, करतल कमल लालित ललना लोग।
पढ़ै गुनैं सीखैं सुनै नासैं सब जग सोग। ।
और प्रसविनी बुध वधू होई हीनता खोय।
नारी नर अरधंग की सांचेहि स्वामिनि होय।'

उन दिनों 'बाला बोधिनी' और 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' की पाँच-पाँच सौ प्रतियाँ छपती थीं जिसमें सौ-सौ प्रतियाँ तो सरकार ही खरीद लेती थी। 'बाला बोधिनी' के प्रवेशांक में लिखा था, 'मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर और आँचल खोलकर यही माँगती हूँ कि जो कभी कोई भली-बुरी, कड़ी-नरम कहनी अनकहनी कहूँ उसे मुझे अपनी समझकर क्षमा करना क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगी सो तुम्हारे हित की कहूँगी।' इस पत्रिका में महिलापयोगी रचनाएँ ही अधिकतर छपती थीं, परंतु इतिहास, साहित्य, राजनीति पर सामयिक लेख भी दिए जाते थे। 'मुद्राराक्षस' नाटक का प्रकाशन भी इसमें हुआ था। यह पत्रिका चार वर्षों तक निरंतर प्रकाशित होती रही। भारतेंदु स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। उस समय जो युवतियाँ अंग्रेजी परीक्षाएँ पास करतीं, उनको वे साड़ी भेंट करते थे। 'बाला बोधिनी' के जिल्द 2 संख्या-73 में स्त्रियों में नैतिक शिक्षा के प्रसार के लिए लिखा गया था, 'हे सुमति, जब बालक तुम्हारा भली प्रकार बातचीत करने लगे तो उसको वर्णमाला याद कराती रहे फिर उन्हीं को पट्टी पर लिख के अभ्यास कराओ और रातों को गिनती और सुंदर-सुंदर श्लोक व छोटे स्त्रोत याद कराओ। इस व्योहार में कई एक बातें सुंदर प्राप्त होंगी। प्रथम तो बालक को खेल ही खेल में अक्षर ज्ञान हो जावेगा दूसरे उसका काल भी व्यर्थ नहीं जाने का फिर इस अवसर का पढ़ा लिखा विशेष करके याद रहता है।' 'बाला बोधिनी' में 'गुरुसारणी' नाम से एक स्तंभ होता था जिसमें घर के हिसाब-किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित किए जाते थे। 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' के साथ ही 'बाला

बोधिनी' की भी सरकारी सहायता बंद हो गई तो भारतेंदु ने उसे 'कवि वचन सुधा' में समाहित कर दिया। राममोहन राय ने स्त्री अधिकारों के लिए, जो रचनात्मक संघर्ष किया, सती प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह को समर्थन दिया और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और उस नवजागरण के लिए पत्रकारिता को अस्त्र बनाया और जिसे द्वारिका प्रसाद टैगोर तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 'तत्त्व बोधिनी' पत्रिका के माध्यम से आगे बढ़ाया, उसी की अगली कड़ी भारतेंदु की पत्रिका 'बाला बोधिनी' से जुड़ती है। ध्यान देने योग्य है कि 'बाला बोधिनी' का प्रकाशन होने के दस साल बाद 1884 में फ्रेडरिक एंगेल्स की किताब 'परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति' आई थी जिसमें मार्क्सवादी अवधारणा के आलोक में स्त्रीत्ववाद का गंभीर विवेचन किया गया था। कहना न होगा कि हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में स्त्री विमर्श की जब भी चर्चा होगी तो उसमें 'बाला बोधिनी' के रचनात्मक अवदान का उल्लेख अनिवार्य होगा।

भारतेंदु की पत्रिकाओं के बाद बालकृष्ण भट्ट के संपादन में 1877 में मासिक पत्रिका 'हिंदी प्रदीप' निकली। उसके प्रत्येक अंक में 'विद्या, नाटक, इतिहास, परिहास, उपन्यास, साहित्य, दर्शन, राज संबंधी इत्यादि के विषय में हर महीने की पहली को छपता है' लिखा रहता था। 'हिंदी प्रदीप' ने भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार किया। बालकृष्ण भट्ट ने 'हिंदी प्रदीप' में कालिदास, श्री हर्ष, भवभूति, बिल्हण, बाण, त्रिविक्रम भट्ट, हरिश्चंद्र, भारवि, क्षेमेंद्र तथा गोवर्धन आदि कवियों के जीवन और योगदान पर लेख प्रकाशित किए और प्राचीन पुस्तकों की समालोचनाएँ भी छापीं। 'नल दम्यंति', 'किरातार्जुनीयम', 'सौ अजान एक सुजान' और 'भाग्य की परख' जैसे नाटक भी 'हिंदी प्रदीप' में छपे। 1908 में माधव शुक्ल की कविता 'बम क्या है' छापने के लिए 'हिंदी प्रदीप' पर तीन हजार रुपए का जुर्माना लगा जिसे न चुका पाने के कारण उसका प्रकाशन बंद हो गया। सन् 1878 में 'भारत मित्र', 1879 में 'सार सुधानिधि' और 1880 में 'उचित वक्ता' का प्रकाशन हुआ। 'भारत मित्र' के संपादक छोटेलाल मिश्र, 'सार सुधानिधि' के संपादक सदानंद मिश्र और 'उचित वक्ता' के दुर्गा प्रसाद मिश्र ने हिंदी गद्य के उन्नयन के लिए ठोस काम किए। 'सारसुधानिधि' के वर्ष 2, अंक 12 की संपादकीय टिप्पणी में सदानंद मिश्र ने लिखा था, 'एक विशुद्ध साधु हिंदी भाषा की सर्वत्र एक ही पुस्तक पढ़ाई जाना उचित है। किंतु विशेष दुख का विषय है कि जिस हिंदी भाषा का अधिकार इतना बड़ा है कि भारतवर्ष

के प्रायः आधे दूर तक परिव्याप्त है। ...हिंदुस्तान की उन्नति का मूल जब यह ठहरा कि हिंदुस्तान की प्रधान भाषा हिंदी परिशुद्ध होकर सर्वत्र एक ही रूप से प्रचार हो, तब अवश्य गवर्नमेंट की सहायता आवश्यक है क्योंकि संप्रति भारतवासियों की सर्व प्रकार की शिक्षा एकमात्र गवर्नमेंट के अधीन है।' इसी तरह दुर्गाप्रसाद मिश्र ने 12 जनवरी, 1895 के 'उचितवक्ता' की संपादकीय टिप्पणी में लिखा था, 'आजकल हिंदी साहित्य की विचित्र दशा वर्तमान है। इसकी कुछ स्थिरता ही नहीं देख पड़ती। विविध प्रकार के रंग-बिरंगें लेख प्रकाशित होते हैं। कोई तो आज संस्कृत शब्दों पर झुक रहे हैं और ज्यों ही किसी ने कह दिया कि आपकी भाषा कठिन है, कुछ सरल कीजिए, कि चट-पलट कर उर्दू की खिचड़ी पकाने लग गए, फिर ज्यों ही किसी ने कह दिया कि केवल संस्कृत के शब्दों के मिलाने से वा उर्दू के शब्दों के प्रयोग से भाषा पुष्ट होगी, बस चट बदल गए और दोनों प्रकार के शब्दों को मिलाने में उतारू हो गए। सारांश यह कि ग्राहकों की खोज में भाषा को भी भटकाते रहते हैं।' 'सारसुधानिधि' और 'उचितवक्ता' की इन संपादकीय टिप्पणियों से स्पष्ट है कि तब के संपादकों में भाषा के प्रश्न को लेकर कितनी गहरी चिंता थी। इसी सरोकार से 1881 में बद्रीनारायण उपाध्याय ने 'आनंद कादंबिनी' और प्रताप नारायण मिश्र ने 'ब्राह्मण' का प्रकाशन किया।

माधवराव स्प्रे ने छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से 'छत्तीसगढ़ मित्र' पत्रिका का प्रकाशन व संपादन जनवरी, 1900 में आरंभ किया। वामन बलीराम लाखे और रामराव चिंचोलकर उनके सहयोगी थे। 'छत्तीसगढ़ मित्र' के प्रवेशांक में स्प्रेजी ने 'आत्म परिचय' शीर्षक से अपने मंतव्य की घोषणा इस प्रकार कि - (1) इसमें कुछ संदेह नहीं कि सुसंपादित पत्रों के द्वारा हिंदी भाषा की उन्नति हुई है। अतएवं यहाँ भी 'छत्तीसगढ़ मित्र' हिंदी भाषा की उन्नति करने में विशेष प्रकार से ध्यान देवे। आजकल भाषा में बहुत-सा कूड़ा-करकट जमा हो रहा है, वह न होने पावे, इसलिए प्रकाशित ग्रंथों पर प्रसिद्ध मार्मिक विद्वानों के द्वारा समालोचना भी करे। (2) अन्यान्य भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद कर सर्वोपयोगी विषयों का संग्रह करना आवश्यक है।' 'छत्तीरसगढ़ मित्र' तीन साल ही निकल सका किंतु उसने सर्जनात्मक साहित्य यथा - कविता, कहानी, व्यंग्य व निबंध विधा की रचनाएँ तो छापीं ही, समालोचना विधा को प्रतिष्ठित करने का महत्त्वपूर्ण काम भी किया। 'छत्तीसगढ़ मित्र' में स्प्रे जी ने दस पुस्तकों की विस्तृत समालोचना की और सत्रह पुस्तकों पर परिचयात्मक टिप्पणियाँ प्रकाशित

की। स्प्रे जी की राय थी कि किसी पुस्तक या पत्र की आलोचना करने में समालोचक को उचित है कि उस पुस्तक या पत्र के गुण-दोष सप्रमाण सिद्ध करे।

सन् 1900 में ही इलाहाबाद के इंडियन प्रेस से 'सरस्वती' निकली। आरंभ में इसका संपादन एक समिति को सौंपा गया था जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास और किशोरीलाल गोस्वामी शामिल थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 के जनवरी महीने में 'सरस्वती' के संपादक बने। उन्होंने पत्रिका को ज्ञान के सभी अनुशासनों का खुला मंच तो बनाया ही, यह भी सुनिश्चित किया कि प्रकाशन के पहले हर रचना की भाषा व्याकरण की दृष्टि से ठीक हो। भाषा-परिष्कार उनकी पहली प्राथमिकता थी। उन्होंने 'सरस्वती' के नवंबर, 1905 के अंक में 'भाषा और व्याकरण' शीर्षक से अपनी भाषा नीति स्पष्ट की और भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिवप्रसाद, गदाधर सिंह, काशीनाथ खत्री, मधुसूदन गोस्वामी और बाल कृष्ण भट्ट आदि की भाषा की गलतियों पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि भाषा की यह अनस्थिरता बहुत ही हानिकारिणी है।' द्विवेदी जी के इस 'अनस्थिरता' शब्द को लेकर लंबा विवाद चला। 'भारतमित्र' के तत्कालीन संपादक बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से दस लेख लिखकर द्विवेदी जी की तीखी आलोचना की। गोविंद नारायण मिश्र भी सामने आए और उन्होंने 'हिंदी बंगवासी' में 'आत्माराम की टें-टें' शीर्षक से लेख लिखकर गुप्त जी की आलोचना की। वह ऐतिहासिक विवाद डेढ़ साल तक चला।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक रचनाकारों को सबसे पहले अवसर दिया और जिनकी कविता या कहानी या लेख 'सरस्वती' में छपते थे, वे भी चर्चा में आ जाते थे। श्यामसुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव स्प्रे, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, गयाप्रसाद शुक्ल स्नेही, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रायकृष्ण दास, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर आदि की रचनाएँ 'सरस्वती' में ही प्रकाशित हो कर चर्चित हुईं। 'सरस्वती' ने सर्जनात्मक साहित्य की हर विधा के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। रामचंद्र शुक्ल की कहानी 'ग्यारह वर्ष का समय' 1903 में द्विवेदी जी के संपादन में 'सरस्वती' में ही छपी। बंग महिला (राजेंद्रबाला घोष) की कहानी 'कुंभ की छोटी बहू'

'सरस्वती' के सितंबर, 1906 के अंक में छपी। 'सरस्वती' में 1909 में वृंदावन लाल वर्मा की कहानी 'राखी बंद भाई' और 1915 में प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी 'सौत' तथा 1916 में 'पंच परमेश्वर' छपी। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी 'उसने कहा था', 'सरस्वती' में ही छपकर विख्यात हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिसंबर 1920 में 'सरस्वती' से विदा ली। सरस्वती 1975 तक निकलती रही किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल को सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है।

शारदा चरण मित्र ने 1907 में 'देवनागर' नामक मासिक पत्र निकाला था, जो बीच में कुछ व्यवधान के बावजूद उनके जीवन पर्यंत यानि 1917 तक निकलता रहा। 'देवनागर' के पहले संपादक यशोदानंदन अखौरी थे। देवनागर में बांग्ला, उर्दू, नेपाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम और पंजाबी आदि की रचनाएँ देवनागरी लिपि में लिप्यांतरित होकर छपती थीं। उस पत्रिका में पं. रामावतार शर्मा, डॉ. गणेश प्रसाद, शिरोमणि अनंतवायु शास्त्री, अक्षयवट मिश्र, कोकिलेश्वर भट्टाचार्य और लोचन प्रसाद जैसे विशिष्ट लोग लिखते थे। 1909 में वाराणसी से 'इंदु' पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अंबिकाप्रसाद गुप्त उसके संपादक थे। 'इंदु' को छायावाद की नींव डालने का श्रेय जाता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 'ग्राम' 'इंदु' में ही 1911 में छपी थी।

नवंबर 1922 में रामरख सिंह सहगल ने स्त्रियों के सर्वांगीण उत्थान पर केंद्रित सचित्र मासिक 'चाँद' का प्रकाशन प्रारंभ किया। बाद में इसका दायरा विस्तृत कर दिया गया। 'चाँद' ने कई विशेषांक निकाले जैसे अछूतांक, पत्रांक, वैश्यांक, शिशु अंक, विधवा अंक, प्रवासी अंक। 'चाँद' का फाँसी अंक नवंबर 1928 में आया था और उसमें चार अत्यंत महत्त्वपूर्ण कहानियाँ छपी थीं। वे हैं - चतुरसेन शास्त्री की 'फंदा', पांडेय बेचन शर्मा उग्र की 'जल्लाद', जनार्दन प्रसाद झा द्विज की 'विद्रोही के चरणों पर' और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की 'फाँसी'। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 'कफन' 'चाँद' के अप्रैल, 1936 के अंक में छपी थी। महादेवी वर्मा का अधिकांश साहित्य 'चाँद' में ही छपा।

विष्णुनारायण भार्गव द्वारा 1922 में नवल किशोर प्रेस से साहित्यिक मासिक पत्रिका 'माधुरी' निकाली। संपादक थे दुलारेलाल भार्गव व रूपनारायण पांडे। शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद, बांके बिहारी भटनागर भी कभी न कभी पत्रिका की संपादकीय टीम के हिस्से रहे। 1950 में पत्रिका बंद हो गई। 1923 में

कलकत्ता से साप्ताहिक 'मतवाला' पत्रिका निकली। संपादक के रूप में महादेव सेठ का नाम छपता था किंतु संपादक मंडल में निराला, शिवपूजन सहाय और मुंशी नवजादिक लाल भी थे। 'मतवाला' के प्रकाशन का एक मकसद निराला की कविताओं को प्रकाशित करना भी था। पत्रिका के हर अंक में प्रथम पृष्ठ पर निराला की कविता छपती थी। पत्रिका में समालोचना भी वही करते थे। संपादकीय, चलती चक्की व अन्य विनोदपूर्ण टिप्पणियाँ लिखने तथा प्रूफ पढ़ने का जिम्मा शिवपूजन सहाय का था। मुंशी नवजादिक लाल भी हास्य विनोदपूर्ण टिप्पणियाँ लिखते थे। प्रेस की व्यवस्था महादेव सेठ देखते थे। पत्रिका का प्रबंध मुंशी जी के जिम्मे था। 1927 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य समिति इंदौर ने अंबिका प्रसाद त्रिपाठी के संपादन में मासिक पत्रिका 'वीणा' का प्रकाशन किया। बाद में कालिका प्रसाद दीक्षित कुसुमाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, चंद्ररानी सिंह, नेमीचंद्र जैन उसके संपादक हुए। इसी साल लखनऊ से दुलारेलाल व सावित्री के संपादन में मासिक पत्रिका 'सुधा' का प्रकाशन हुआ। 'सुधा' का प्रवेशांक दो बार छपा था। पहली बार तीन हजार प्रतियाँ बिक जाने पर दोबारा चार हजार छापा गया था। 'सुधा' का मार्च 1929 का अंक कार्टून विशेषांक के रूप में निकला। कार्टून पर पहली बार कोई विशेषांक तब निकला था।

1928 में रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी मासिक 'विशाल भारत' का प्रकाशन प्रारंभ किया। बनारसीदास चतुर्वेदी उसके संस्थापक संपादक थे। चतुर्वेदी जी के संपादन में 'विशाल भारत' जल्दी ही हिंदी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका बन गई। शुरू के तीन वर्षों में ही उसने साहित्यांक, प्रवासी अंक तथा कला अंक जैसे विशेषांक निकालकर अपनी धाक जमा ली। जैनेंद्र की पहली कहानी 'खेल' 1928 में 'विशाल भारत' में ही छपी। 'विशाल भारत' ने प्रचुर अनुवाद साहित्य भी प्रकाशित किया। 1937 में बनारसीदास चतुर्वेदी के आग्रह पर 'विशाल भारत' का संपादन करने के लिए अज्ञेय कलकत्ता आ गए। 'विशाल भारत' में आने के पहले अज्ञेय 1936 में आगरा के साप्ताहिक 'सैनिक' के बिना नाम के संपादक थे। वहाँ साल भर रहे थे। अज्ञेय अकेले साहित्यकार हैं जिन्होंने हर तरह की पत्रकारिता की। उन्होंने दैनिक अखबार, साप्ताहिक अखबार, मासिक पत्रिका, द्विमासिक पत्रिका और त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। 1947 में अज्ञेय ने इलाहाबाद से द्वैमासिक 'प्रतीक' नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। बाद में वह मासिक हो गई। त्रिलोचन, शमशेर, भारतभूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर, केदारनाथ सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, जगदीश गुप्त, कुँवर नारायण, रांगेय राघव, राजेंद्र

यादव, मनोहरश्याम जोशी, अहमद हुसैन, शिवप्रसाद सिंह, राधाकृष्ण, विद्यानिवास मिश्र 'प्रतीक' में छपकर ही चर्चित हुए। 'प्रतीक' में अज्ञेय की संपादकीय टीम में रघुवीर सहाय, सियाराम शरण गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन और श्रीपत राय थे और प्रिंट लाइन में इन सबका नाम छपता था।

मार्च 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने 'हंस' पत्रिका निकाली। प्रेमचंद ने 'हंस' में श्रेष्ठ कविताएँ, कहानियाँ, नाटक, अनुदित साहित्य, साहित्यिक लेख व टिप्पणियाँ छापकर उसे भारतीय साहित्य का मुखपत्र ही बना दिया। 1932 में 'हंस' के अलावा साप्ताहिक 'जागरण' का भी संपादन भार प्रेमचंद पर आ पड़ा। 'जागरण' पहले पाक्षिक साहित्यिक पत्र के रूप में शिवपूजन सहाय के संपादन में 11 फरवरी, 1932 को निकला किंतु उसके बारह अंक निकालने के बाद सहाय जी ने उसे प्रेमचंद जी को हस्तांतरित कर दिया। मासिक 'हंस' और 'जागरण' साप्ताहिक प्रेमचंद घाटे के बावजूद निकालते रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपादन में 1942 'विश्वभारती पत्रिका' शांति निकेतन से निकली। द्विवेदी जी उसे 1947 तक निकालते रहे। द्विवेदी जी के संपादन में उस पत्रिका ने रवींद्र साहित्य से हिंदी जगत को अवगत कराया। प्रवेशांक के संपादकीय में द्विवेदी जी ने लिखा था कि देश आज किस प्रकार नाना भाँति की संकीर्णताओं का शिकार बनता जा रहा है। उससे रक्षा पाने का सर्वोत्तम उपाय साहित्य ही है। रवींद्रनाथ टैगोर ने द्विवेदी जी के बारे में कहा था कि उनका ज्ञान हमलोग पाँच सौ वर्षों में भी सीख पाएँगे, कहना कठिन है। टैगोर ने यह टिप्पणी इसलिए की थी क्योंकि द्विवेदी जी ने भारतीय दर्शन, अध्यात्म, साधना, इतिहास, संस्कृति और कला को खोख डाला था और वैदिक वांग्मय, इतिहास, संस्कृति, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और काव्य शास्त्र का द्विवेदी जी ने अपने साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता में जितना समर्थ उपयोग किया, उतना किसी अन्य साहित्यकार ने नहीं। मोहन सिंह सेंगर ने कलकत्ता से जुलाई 1948 में 'नया समाज' का प्रवेशांक निकाला। अस्सी पृष्ठों का। उसमें प्रकाशित पहली रचना मैथिलीशरण गुप्त की सोद्देश्य कविता 'एकलव्य' है। द्वितीय रचना हरिवंश राय बच्चन की दो शिक्षाप्रद कविताएँ – 'बापू के फूलों का जुलूस' और 'आत्मशक्ति का पुजारी' है। इसी अंक में जैनेंद्र कुमार का लेख 'सर्वोदय की नीति', अंबिका प्रसाद वाजपेयी का लेख 'क्या यही स्वराज्य है', हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' छपा है। 'नया समाज' दस वर्षों तक निकलता रहा। उसे मैथिलीशरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, महादेवी वर्मा, बनारसीदास

चतुर्वेदी, अज्ञेय समेत हिंदी के सभी दिग्गजों का रचनात्मक सहयोग मिलता रहा। सितंबर, 1948 के अंक में भगवत शरण उपाध्याय, वृंदावनलाल वर्मा, रांगेय राघव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर की रचनाएँ छपी हैं तो दिसंबर 1948 के अंक में रघुवीर सहाय, चंद्रकुँवर लाल की रचनाएँ छपी हैं। 'नया समाज' ने साहित्य के माध्यम से समाज को जाग्रत करने का प्रयास किया। 'नया समाज' दस वर्षों तक निकलने के बाद बंद हो गया।

बद्री विशाल पित्ती ने 1949 में हैदराबाद से 'कल्पना' का प्रकाशन शुरू किया। 'कल्पना' ने कई लेखक पैदा किए। कृष्ण बलदेव वैद के उपन्यास 'विमल उर्फ जाएँ तो जाएँ कहाँ' को उस दौर में सभी बड़े प्रकाशकों ने प्रकाशित करने तक से मना कर दिया था क्योंकि उसका कथ्य उन्हें पच नहीं रहा था, लेकिन बद्री विशाल ने उसे 'कल्पना' में छापा। वह उपन्यास हिंदी साहित्य की थाती बन गया है। मार्कंडेय 'चक्रधर' के उपनाम से लंबे समय तक 'कल्पना' के हर अंक में साहित्य समीक्षा का एक स्तंभ 'साहित्यधारा' लिखते रहे। उसी तरह 'कल्पना का सर्वेक्षण' नाम से विवेकी राय का साहित्य सर्वेक्षण धारावाहिक उसमें छपा। 'कल्पना' में सिर्फ साहित्य ही नहीं, ललित कलाओं पर समीक्षात्मक लेख भी छपते थे। बद्री विशाल ने रामकुमार, मकबूल फिदा हुसैन जैसे बड़े कलाकारों को 'कल्पना' से जोड़ा था। रघुवीर सहाय, प्रयाग शुक्ल, कमलेश, मुनींद्र जी जैसे लोग कभी न कभी 'कल्पना' की संपादकीय टीम का हिस्सा रहे। 'कल्पना' 1977 तक निकली। जिस साल 'कल्पना' निकली थी, उसी साल 1949 के जनवरी महीने में भारतीय ज्ञानपीठ ने कलकत्ता से मासिक 'ज्ञानोदय' पत्रिका निकाली थी। लक्ष्मीचंद्र जैन और जगदीश के संपादन में 'ज्ञानोदय' ने नव-लेखन के प्रयोगों को उदारतापूर्वक प्रस्तुत किया। रमेश बक्षी ने जब 'ज्ञानोदय' का संपादन भार सँभाला तो उन्होंने भी आधुनिकता से संबंधित विचार-विमर्श से परिपूर्ण निबंध लगातार प्रकाशित किए। 'ज्ञानोदय' फरवरी, 1970 तक निकलती रही। 2003 से ज्ञानपीठ ने 'नया ज्ञानोदय' के नाम से पत्रिका का पुनर्प्रकाशन प्रारंभ किया। संप्रति उसके संपादक लीलाधर मंडलोई हैं। इसी तरह 'नई धारा' पिछले 67 वर्षों से पटना से निरंतर निकल रही है। शिव पूजन सहाय के संपादन में अप्रैल, 1950 में उसका प्रकाशन राधिकारमण प्रसाद सिंह ने प्रारंभ किया था। सहाय जी ने 'नई धारा' के प्रवेशांक की संपादकीय में लिखा था, 'समाज को विद्रोही चाहिए। उससे अधिक विद्रोही चाहिए साहित्य को, कला को। 'नई धारा' ऐसे विद्रोहियों की वाणी कहकर जिस दिन बदनाम

की जाएगी, हमारी चरम सफलता का दिन तब होगा।' इस समय पत्रिका के संपादक डॉ. शिवनारायण हैं। वे पिछले 25 वर्षों से 'नई धारा' का संपादन कर रहे हैं। 'नई धारा' की तरह ही भारतीय विद्या भवन की मासिक पत्रिका 'नवनीत' 65 वर्षों से निरंतर निकल रही है। इस समय उसके संपादक विश्वनाथ सचदेव हैं। इस पत्रिका ने श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन की धारावाहिकता अक्षुण्ण रखी है।

साहित्यिक पत्रिकाओं ने साहित्यांदोलनों में भी अहम् भूमिका निभाई। नई कविता आंदोलन के विकास में 1954 में प्रकाशित 'नई कविता' नामक पत्रिका का उल्लेखनीय योगदान रहा। 'नई कविता' पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव नारायण साही करते थे। इसी तरह 'कहानी' और 'नई कहानी' पत्रिकाओं ने हिंदी में नई कहानी आंदोलन को जन्म दिया और 'सारिका' ने समानांतर कहानी को। भैरव प्रसाद गुप्त ने जनवरी 1955 से 'कहानी' पत्रिका के माध्यम से नई कहानी आंदोलन का नेतृत्व किया। 'कहानी' के नववर्षांक 1956 के अंक में पहली बार स्पष्टत: नई कहानी की बात उठाई गई। उस बीच छपी कई कहानियाँ कालजयी साबित हुई। जैसे – 'राजा निरबंसिया', 'रसप्रिया', 'गुलकी बन्नो', 'गदल', 'मवाली', 'हंसा जाई अकेला', 'डिप्टी कलक्टरी', 'चीफ की दावत', 'बादलों के घेरे' और 'सेब'। 'कहानी' पत्रिका ने अमरकांत, शेखर जोशी, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर को प्रतिष्ठित किया। भैरव प्रसाद गुप्त 1955 से 1959 तक 'कहानी' पत्रिका के संपादक रहे। उसके बाद वे 'नई कहानियाँ' नामक पत्रिका का संपादन करने लगे जिसमें छपकर राम नारायण, प्रयाग शुक्ल, मन्नू भंडारी, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती, रमेश बक्षी और उषा प्रियंवदा प्रतिष्ठित हुए।

बड़े मीडिया घरानों से प्रकाशित पत्रिकाओं की भूमिका की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' का प्रकाशन 1950 से शुरू हुआ। 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' लगभग 42 वर्ष तक निकलता रहा, जिसका संपादन मुकुटबिहारी वर्मा, बांकेबिहारी भटनागर, रामानंद दोषी, मनोहरश्याम जोशी, शीला झुनझुनवाला, राजेंद्र अवस्थी तथा मृणाल पांडे ने किया। मनोहरश्याम जोशी ने 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' को पत्रकारीय उत्कर्ष प्रदान किया। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने 'धर्मयुग' जैसी उत्कृष्ट पत्रिका निकाली। 'धर्मयुग' का जन्म 'नवयुग' की कोख से हुआ। 1950 में बेनेट एंड कोलमैन ने बंबई से 'नवयुग' से संयुक्त कर रविवार 8 अक्टूबर, 1950 से 'धर्मयुग' का प्रकाशन शुरू किया।

'धर्मयुग' का इलाचंद्र जोशी एवं हेमचंद्र जोशी का संपादक काल अल्पकालीन रहा। 'धर्मयुग' को शैशव से किशोरावस्था तक पहुँचाने का श्रेय सत्यदेव विद्यालंकार को जाता है। उन्होंने एक दशक तक 'धर्मयुग' का संपादक किया। 'झूठा सच', 'आपका बंटी', 'आधे-अधूरे', 'सुखदा', 'गली आगे मुड़ती है', 'तेरी मेरी उसकी बात', 'इदन्नमम', 'रुकोगी नहीं राधिका', 'मानस के हंस', 'खंजन नयन' जैसी प्रसिद्ध रचनाएँ 'धर्मयुग' ने ही छापीं। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ 'दुराचारिणी', 'भीगी पलकें', 'मर्यादा की रक्षा', यशपाल की कहानी 'सामंती कृपा', जैनेंद्र की कहानी 'ये पल' व उपन्यास 'सुखदा', वृंदावन लाल वर्मा की 'इस हाथ लें, उस हाथ दें', डॉ. रामकुमार वर्मा के नाटक - 'दुर्गावती, रात का रहस्य', भवानी प्रसाद मिश्र की 'परछाइयाँ' और राजेंद्र यादव की कहानी 'कुलटा' धर्मयुग में छपकर ही चर्चित हुई थीं। गोपाल सिंह नेपाली, दिनेश नंदिनी, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल दास नीरज, रांगेय राघव, हरिवंश राय बच्चन, रमानाथ अवस्थी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, शिवकुमार श्रीवास्तव, वीरेंद्र मिश्र आदि की कविताएँ नियमित रूप से 'धर्मयुग' में प्रकाशित होती थीं। रवींद्रनाथ ठाकुर, सरोजिनी नायडू जैसे कवियों की कविताओं के अनुवाद प्रमुखता से प्रकाशित होते थे। 'धर्मयुग' का 16 अगस्त, 1956 का अंक 'कविता अंक' था। 1957 में देशी विदेशी कविताओं पर आधारित लेखों की शृंखला का प्रकाशन और 1958 का व्यंग्य विशेषांक भी चर्चित रहा था।

6 मार्च, 1960 को धर्मवीर भारती 'धर्मयुग' के संपादक हुए और 28 नवंबर, 1987 तक यानि 27 वर्षों तक उन्होंने 'धर्मयुग' का संपादन किया। उस कालखंड में 'धर्मयुग' और धर्मवीर भारती एक-दूसरे के पर्याय बन गए। भारती ने उच्च कोटि का साहित्य प्रकाशित कर 'धर्मयुग' को श्रेष्ठ राष्ट्रीय साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका बनाया। धर्मवीर भारती के संपादन काल में 60-70 दशक में वसंत ऋतु आई (ख्वाजा अहमद अब्बास), अरक्षणीया (राजकमल चौधरी) उत्सव, मलयालम कहानी, (तकषी शिवशंकर पिल्लै) अंतरपट, (गुजराती कहानी, हसुनायक) रात आठ बजे वाली सवारी (बांग्ला कहानी, विमल मित्र), समय (यशपाल), सिफारिशी चिट्ठी (भीष्म साहनी), बिल्लियाँ (मृणाल पांडे), कल्कि अवतार (शिव प्रसाद सिंह), बयान (कमलेश्वर), माँ (बांग्ला कहानी-विमल मित्र), ऊब (एक उलजलूल कहानी-छेदी लाल), बदलाव (विवेकी राय), चतुरी लाल (बांग्ला कहानी-बनफूल), अरस का पावा (सलमा सिद्दकी), झुका हुआ आकाश (उड़िया कहानी - नंदनी सत्यपथी),

प्रेत (गंगा प्रसाद विमल), प्रतीक्षा (लंबी कहानी - शिवानी), दिलबाग सिंह की हत्या (सुदर्शन सिंह मजीठिया), बौना और चाँद (देशज प्रसाद मिश्र) 'धर्मयुग' में छपकर ही चर्चित हुई थीं। धर्मवीर भारती के संपादन काल में 'कथा दशक' शृंखला का सफल आयोजन 'धर्मयुग' की उल्लेखनीय उपलब्धि थी। उसमें कथाकार अपनी कहानियों के पीछे की कहानी भी बताते थे। 'कथा दशक' शृंखला के तहत उस दशक के सभी चर्चित कथाकारों जैसे उषा प्रियंवदा, कमलेश्वर, कृष्ण बलदेव वेद, कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, मार्कंडेय, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, अमरकांत, रघुवीर सहाय, राजेंद्र यादव, राजकमल चौधरी, राजकुमार, लक्ष्मीनारायण लाल, विजय चौहान, शरद जोशी, ज्ञानी, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना, हरिशंकर परसाई, रमेश बक्षी आदि की कहानियाँ प्रस्तुत की गईं। अनेक श्रेष्ठ उपन्यास 'धर्मयुग' में धारावाहिक प्रकाशित हुए। 'धर्मयुग' ने महिला कथाकारों एवं कवयित्रियों को भी आगे बढ़ाया। शिवानी, मृणाल पांडे, सूर्यबाला, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, कुर्रतुल उन हैदर, पद्मा सचदेव, मैत्रेयी पुष्पा, अमृता प्रीतम इस्मत चुगताई, महादेवी वर्मा, ममता कालिया, मालती जोशी, नासिरा शर्मा, कमला चमोला, शांति मेहरोत्र, कुंदनिका कापड़िया, इंदिरा चंद्रा, सुधा अरोड़ा, उषा महाजन, आभा दयाल, मृदुला हसन, शुभदा मिश्र की रचनाएँ धर्मयुग में निरंतर प्रकाशित हुईं। भारती के बाद गणेश मंत्री और मंत्री जी के बाद विश्वनाथ सचदेव उसके संपादक बने। 'धर्मयुग' पत्रिका 47 वर्षों तक निकलती रही।

टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने ही 1965 में साप्ताहिक 'दिनमान' पत्रिका निकाली थी। अज्ञेय उसके संस्थापक संपादक थे। उनके संपादन में 'दिनमान' जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई थी। उसका आधार वाक्य था 'राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र का आह्वान।' उसने पाठकों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का संचार किया। 'दिनमान' ने नई शब्दावली चलाई। अज्ञेय की मान्यता थी कि व्यक्तियों और स्थानों के नामों को जहाँ तक हो सके, वैसे ही लिखा जाए, जैसा उन देशों में बोला जाता है। मास्को शब्द जब पूरे भारत में चल गया था, उस समय 'दिनमान' मस्क्वा लिखता था। इसी तरह चिली को 'दिनमान' चिले लिखता था। सौ किलोग्राम के लिए जब कुएँटल शब्द चला तो दिनमान ने उसे कुंतल लिखना शुरू किया। अज्ञेय ने 'दिनमान' के लिए वर्तनी के लिए जो नियम स्थिर किए थे, उनमें कुछ प्रमुख हैं - 1. विभक्तियाँ सर्वनाम

के साथ लिखी जाएँ – जैसे – मैंने, हमने, किससे, उससे। 2. क्रिया पद 'कर' मूल क्रिया से मिलाकर लिखा जाए – जैसे – जाकर, जमकर, हँसकर। 3. चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए – जैसे – हंसना, मां, पहुंचना। 4. प्रदेशों के नाम मिलाकर लिखे जाए – जैसे – उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, आंध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश। 5. बड़े संवाद के लिए दोहरा उद्धरण चिह्न और छोटे उद्धरणों तथा वाक्याशों के लिए एकल उद्धरण चिह्न यथेष्ट है। 6. संस्कृत के शब्दों में जहाँ 'यी' का प्रयोग होता है, वहाँ 'ई' का प्रयोग उचित नहीं, जैसे – स्थायी, अनुयायी। अज्ञेय ऐसे संपादक थे जिन्होंने हर जगह अपने उत्तराधिकारी खुद बनाए। इसीलिए उनके संपादक पद से हटने के बाद भी संबद्ध समाचार पत्र या पत्रिका में उत्तराधिकार का कोई संकट कभी खड़ा नहीं हुआ। 'दिनमान' की अपनी संपादकीय टीम में उन्होंने रघुवीर सहाय, मनोहर श्याम जोशी, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को शामिल किया था। इसीलिए 1969 में अज्ञेय ने 'दिनमान' छोड़ा, उसके बाद भी वह पुराने तेवर के साथ ही निकलता रहा।

सन् 1973 में अज्ञेय ने 'प्रतीक' को नए सिरे से निकाला। इस बार उसका नाम 'नया प्रतीक' था। वह मासिक पत्रिका भी नई प्रतिभाओं का खुला मंच बनी। अज्ञेय 1977 के अगस्त, में दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के संपादक बने और 1979 तक वहाँ रहे। उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' को तत्कालीन अंग्रेजी दैनिक पत्रकारिता का विकल्प बनाने की चेष्टा की। यही काम परवर्ती काल में विद्यानिवास मिश्र ने किया। विद्यानिवास मिश्र 1992 से 1994 यानि दो वर्ष तक हिंदी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के संपादक थे। उन्होंने दस वर्षों तक मासिक 'साहित्य अमृत' का भी संपादन किया। बड़े मीडिया समूहों द्वारा निकाली गई 'धर्मयुग', 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' और 'दिनमान' का हिंदी समाज पर व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा था। वे पत्रिकाएँ बंद हो चुकी हैं, ऐसे में मासिक पत्रिका 'अहा जिंदगी' का पिछले तेरह वर्षों से हो रहा नियमित प्रकाशन तात्पर्यपूर्ण है। भास्कर समूह ने यशवंत व्यास के संपादन में 2004 में मासिक पत्रिका 'अहा जिंदगी' निकाली थी। संप्रति आलोक श्रीवास्तव उसके संपादक हैं।

राजकमल प्रकाशन समूह ने 1951 में 'आलोचना' पत्रिका शुरू की थी। शिवदान सिंह चौहान उसके संस्थापक संपादक थे। 'जनयुग' के संपादक रह चुके तथा सहारा के प्रधान संपादकीय सलाहकार रह चुके नामवर सिंह 'आलोचना' के प्रधान संपादक हैं। संपादन नामवर जी के लिए कविता अथवा

आलोचनात्मक निबंध लिखने जैसा सर्जनात्मक कार्य ही रहा है। यही बात राजेंद्र यादव, ज्ञानरंजन तथा कमलेश्वर के लिए भी सही है। राजेंद्र यादव ने 1986 में 'हंस' का संपादन शुरू किया और उसमें छपकर ही उदय प्रकाश, संजीव, शिवमूर्ति, प्रियंवद, सृंजय, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा आदि प्रतिष्ठित हुए। राजेंद्र यादव ने 'हंस' के जरिए दलित और स्त्री विमर्श को आंदोलन के रूप में चलाया और चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। राजेंद्र यादव के निधन के बाद 'हंस' संजय सहाय के संपादन में निकल रही है। 'पहल' का 108 वाँ अंक जुलाई 2017 में आया है। ज्ञानरंजन उसे 1973 से ही निकाल रहे हैं। कमलेश्वर ने 'सारिका' का संपादन बहुत कुशलता से किया था और उसके माध्यम से हिंदी में समानांतर कहानी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। परवर्ती काल में वे दैनिक भास्कर के संपादकीय सलाहकार भी बने थे। 'अमृत प्रभात' और 'जनसत्ता' के साहित्य संपादक रहे मंगलेश डबराल निकट अतीत तक 'सहारा समय', 'पब्लिक एजेंडा' से जुड़े रहे। इस समय वे 'शुक्रवार' के साहित्य संपादक हैं। 'शुक्रवार' को विष्णु नागर का भी संपादकीय संस्पर्श मिला था। प्रयाग शुक्ल ने 'रंगप्रसंग', पंकज बिष्ट ने 'समयांतर', अखिलेश ने 'तद्भव' और ज्योतिष जोशी ने 'समकालीन कला' को अपनी संपादन दृष्टि से अलग पहचान दी है। प्रभाकर श्रोत्रिय ने 'अक्षरा', 'साक्षात्कार', 'वागर्थ' और 'नया ज्ञानोदय' का संपादन किया और हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी। 'वागर्थ' पत्रिका 1995 से ही निकल रही है। प्रभाकर श्रोत्रिय, रवींद्र कालिया और एकांत श्रीवास्तव के बाद अब शंभुनाथ उसके संपादक हैं। हरिनारायण के संपादन में मासिक 'कथादेश' 36 वर्षों से निरंतर निकल रही है। देशबंधु समाचार पत्र समूह से मासिक पत्रिका 'अक्षर पर्व' दो दशकों से निरंतर निकल रही है। सर्वमित्र सुरजन उसकी संपादक हैं। 'अक्षर पर्व' पत्रिका के वर्ष में दो विशेषांक भी निकालते हैं। सितंबर, 2017 में प्रेम भारद्वाज के संपादन वाली 'पाखी' के ठीक नौ साल पूरे हुए। सितंबर, 2008 में उसका प्रवेशांक आया था। एक समय 'अब' निकालनेवाले शंकर संप्रति द्विमासिक 'परिकथा' निकाल रहे हैं। विभूति नारायण राय 'वर्तमान साहित्य' निकाल रहे हैं। हरिशंकर परसाई और कमला प्रसाद के बाद अब राजेंद्र शर्मा के संपादन में 'वसुधा' निकल रही है। इसी कड़ी में 'मधुमती', 'समकालीन भारतीय साहित्य', 'गवेषणा', 'इंद्रप्रस्थ भारती', 'बहुवचन', 'पुस्तक वार्ता', 'आजकल', 'त्रिपथगा', 'भाषा', 'उत्तर प्रदेश', 'पूर्वग्रह', 'समकालीन सृजन', 'संवेद', 'समास', 'समीक्षा', 'बया', 'अपेक्षा', 'कसौटी', 'कल के

लिए', 'कथा', 'कथाक्रम', 'समालोचना', 'लमही', 'अभिव्यक्ति', 'संचेतना', 'अभिनव कदम', 'परिवेश', 'साम्य', 'साखी', 'संबोधन', 'पल-प्रतिपल', 'दस्तक', 'पुरुष', 'विपक्ष', 'उद्‌भावना', 'मंतव्य', 'परिवेश', 'दस्तावेज', 'बया', 'स्त्री काल', 'इकाई', 'गल्पभारती', 'संदर्भ', 'परिदृश्य', 'समवेत', 'समिधा', 'विध्वंस,' 'अर्थात', 'धूमकेतु', 'बोध' जैसी पत्रिकाओं का उल्लेख लाजिमी है। पत्रिकाओं की दुनिया में नया चलन ई-पत्रिकाओं और ब्लॉग का है जिसमें बड़ी शीघ्रता से पाठ्य सामग्री सारी दुनिया में पाठकों तक पहुँच जाती है।

9

हिंदी पत्रकारिता को सींचने वाले बांग्लाभाषी मनीषी

कोलकाता हिंदी पत्रकारिता की ही जन्मस्थली नहीं है, वह चार दूसरी भाषाओं-उर्दू ('जाम ए जहाँनुमा'), फारसी ('मिरात-उल-अखबार'), अंग्रेजी ('हिकीज बंगाल गजट आर कैलकटा जनरल एडवटाइजर') और बांग्ला पत्रकारिता ('दिग्दर्शन'/ 'बंगाल गजट') की जन्मस्थली भी है। हिंदी पत्रकारिता के प्रति बंगाल हर काल खंड में उदार रहा है। तथ्य है कि अनेक बांग्लाभाषियों ने अपनी हड्डियाँ गलाकर हिंदी पत्रकारिता की समृद्ध विरासत खड़ी की। भारतीय भाषाई प्रेस के जनक बांग्लाभाषी राजा राम मोहन राय ही थे। वे 19वीं सदी के प्रारंभ में उन भद्र बंगाली सज्जनों में थे, जो अंग्रेजों के संपर्क में सबसे पहले आए। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति जैसी पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण की और उसे सामाजिक सुधार के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला। राजा राम मोहन राय ने लार्ड विलियम बेंटिक की सहायता से महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और कानून बनवाकर सती प्रथा को अवैध करार दिया और इस मुद्दे पर सामाजिक नवजागरण लाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता को माध्यम बनाया। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं की पत्रकारिता के लिए जो रचनात्मक संघर्ष किया, वह इतिहास स्वीकृत तथ्य है। उन्होंने हिंदी, बांग्ला तथा फारसी में 10 मई 1829 को साप्ताहिक 'बंगदूत' निकाला। यह

साप्ताहिक 82 दिनों तक ही चल पाया किंतु उस अल्प समय में ही उसने अपनी अलग पहचान बना ली। 'बंगदूत' का 10 मई 1829 का अंक कोलकाता के बंगीय साहित्य परिषद्, कोलकाता में जतन के साथ सहेजकर रखा गया है।

राजा राममोहन राय की प्रेरणा से ही गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में कलकत्ता से 'बंगाल गजट' का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाला वह पहला पत्र था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ 'एशियाटिक जर्नल' के जुलाई 1819 के अंक में लेख लिखा। उन्होंने 1821 में द्विभाषी 'ब्रह्मैनिकल मैग्जीन' निकाली। उसके तीन अंक ही निकले किंतु हर अंक में राममोहन राय ने लेख लिखकर धार्मिक कुरीतियों पर हल्ला बोला था। राम मोहन राय की ही प्रेरणा से 4 दिसंबर, 1821 को ताराचंद दत्त तथा भवानीचरण बंदोपाध्याय ने बांग्ला साप्ताहिक 'संवाद कौमुदी' का प्रकाशन प्रारंभ किया। राजा राममोहन राय ने 'संवाद कौमुदी' को सती प्रथा के खिलाफ अभियान बना डाला। 'संवाद कौमुदी' ने पारिवारिक रीति-रिवाजों तथा तीज-त्योहारों व धार्मिक कर्मकांडों पर ज्यादा धन खर्च किए जाने का डटकर विरोध किया।

राजा राम मोहन राय ने 20 अप्रैल, 1822 को कलकत्ता से ही फारसी भाषा का 'मिरात उल अखबार' निकालना शुरू किया। इसके पहले संपादकीय मंतव्य में राममोहन राय ने लिखा - 'कुछ अंग्रेज देश और विदेश के समाचार प्रकाशित करते हैं, किंतु इससे केवल वे ही लोग लाभ उठा पाते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं। जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वे खबरों को दूसरों से पढ़वाते हैं या 'फिर उनसे अनजान बने रहते हैं। ऐसी दशा में मुझे फारसी में एक साप्ताहिक अखबार प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। बहुत से लोग फारसी जानते हैं, अतएव यह अखबार बहुत से लोगों तक पहुँचेगा। इस अखबार के प्रकाशन से मेरा अभिप्राय न तो धनाढ्य व्यक्तियों की न अपने मित्रों की प्रशंसा करना है और न मुझे यश और कीर्ति की अभिलाषा है। संक्षेप में इस पत्र के प्रकाशन से मेरा अभिप्राय यह है कि जनता के समक्ष ऐसी बातें प्रस्तुत की जाएँ जिनसे उनके अनुभवों में वृद्धि हो, सामाजिक प्रगति हो, सरकार को जनता की स्थिति मालूम रहे और जनता को सरकार के काम-काज और नियम-कानूनों की जानकारी मिलती रहे।'1

'मिरात उल अखबार' हर शुक्रवार को प्रकाशित होता था। इस अखबार का मूल्यांकन करते हुए कलकत्ता जर्नल ने लिखा था - 'देशी भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों में अन्य कोई पत्र इतना अच्छा नहीं निकलता जितना कि

'मिरात उल अखबार'।' यह अखबार सालभर ही निकल सका। 4 अप्रैल, 1823 को 'मिरात उल अखबार' का अंतिम अंक निकला जिसकी संपादकीय में राममोहन राय ने लिखा - 'शपथ पत्र पर विश्वास दिलाने के बाद भी जब प्रतिष्ठा को आघात लगता है और हर समय यह लाइसेंस रद्द करने का भय बना रहता है, तब दुनिया के समक्ष मुंह दिखाने लायक नहीं होता। इससे मन की शांति भी भंग होती है। स्वभावत: मनुष्य से गलती होती है। अपनी भावना को अभिव्यक्ति देते समय जिन शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, तो उनका अपने पक्ष में अर्थ निकालकर शासन के रोष का सामना करना पड़ता है।'

श्याम सुंदर सेन और 'समाचार सुधावर्षण'

जिस तरह हिंदी का पहला साप्ताहिक 'उदंत मार्तंड' कलकत्ता से 30 मई, 1826 को जुगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया, उसी तरह हिंदी का पहला दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' भी कलकत्ता से ही 8 जून, 1854 को निकला जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह अखबार हिंदी-बांग्ला भाषा सेतु बंधन का अनोखा उदाहरण था। यह हिंदी और बांग्ला दोनों में निकलता था। आरंभ के दो पृष्ठ हिंदी में और बाकी पृष्ठ बांग्ला में निकलते थे। यह अखबार रविवार को छोड़कर प्रतिदिन निकलता था। इसका आकार 18 गुणा 12 इंच था। हर पृष्ठ चार कॉलम में बंटा होता था। 'समाचार सुधावर्षण' का मासिक मूल्य दो रुपए, सालाना चौबीस रुपए, पेशगी सालाना बीस रुपए और छह महीने की पेशगी दस रुपए था। यह अखबार 1873 तक निकला। उस जमाने में इतने दिनों तक किसी दैनिक अखबार का निकलना ही अपने-आप में एक बड़ी बात थी। 'समाचार सुधावर्षण' की विषय-वस्तु समृद्ध थी और इसकी भाषा भी अपेक्षाकृत परिष्कृत थी। 1854 से 8 जनवरी, 1956 तक पहले पृष्ठ में ही अग्रलेख छपता था। विज्ञापन बढ़ जाने के कारण अग्रलेख दूसरे, तीसरे या चौथे पृष्ठ पर छप जाया करता था। देश-विदेश के रोचक समाचारों के साथ ही युद्ध विवरण इसमें छपता था। अंग्रेजों के अनैतिक आचरण की भी बेबाक आलोचना की जाती थी।

इस अखबार के संपादक श्याम सुंदर सेन भारतीय समाचार पत्रों की आजादी के अनन्य सेनानी थे। 1857 के सिपाही विद्रोह में मीडिया की भूमिका की जब भी चर्चा होगी तो श्याम सुंदर सेन का उल्लेख अनिवार्यत: आएगा। 'समाचार सुधावर्षण' ने लगातार ब्रिटिश सेना के अत्याचारों की खबर साहस के साथ प्रकाशित की। 26 मई, 1857 के अंक में अखबार ने लिखा - 'हाल ही

में अंग्रेजों ने हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, अत: ईश्वर उन पर क्रुद्ध है। ऐसा आभास मिलता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अब अंत आ गया। जब दास मालिक को जवाब देने लगता है तब समझ लो मालिक का अंत निकट है। साम्राज्य पर जब संकट पड़ा तब गवर्नर ने अनेक वायदे किए। लेकिन विद्रोही सेना का उन वायदों पर कोई विश्वास नहीं। वे युद्ध को समाप्त करने के पक्ष में नहीं। सच्ची बात तो यह है कि युद्ध में दम आ रहा है और अनेक क्षेत्रों की जनता सेना में मिल रही है।' 5 जून, 1857 के अंक में 'समाचार सुधावर्षण' ने लिखा कि मेरठ और दिल्ली के विद्रोह ने गवर्नर को इतना भयभीत कर दिया है कि उसने अपने सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी और राजनिवास के सभी रास्तों को प्रतिदिन रात आठ बजे बंद करने का आदेश दिया। गवर्नर की दयनीयता का आलम यह है कि वह प्रतिदिन दमदम, बैरकपुर में जाकर सिपाहियों से दोनों हाथ जोड़कर कहता–मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपके धर्म को ठेस पहुँचे। आपका धर्म जो कहे, वही करिए, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। श्याम सुंदर सेन ने समाचार सुधावर्षण के 5, 9 और दस जून 1857 के अंकों में भी विप्लवी सेना की तैयारी और प्रगति के समाचारों को प्रकाशित किया था। उन समाचारों से ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई कि गवर्नर जनरल ने 12 जून, 1857 को श्याम सुंदर सेन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया।

दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने जब 25 अगस्त, 1857 को घोषणा पत्र जारी किया तो उसे भी श्याम सुंदर सेन ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। वह घोषणा पत्र भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम का विरल दस्तावेज है। उस घोषणा पत्र में बहादुर शाह जफर ने कहा था – 'खुदा ने जितनी बरकतें इंसान को अता की हैं, उसमें सबसे कीमती बरकत आजादी है। क्या वह जालिम फिरंगी जिसने धोखा देकर हमसे यह बरकत छीन ली है, हमेशा के लिए हमें उससे महरूम रखेगा? क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ इस तरह का काम हमेशा जारी रह सकता है? नहीं, कभी नहीं, फिरंगियों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे पाक मजहब का नाश करने की नापाक ख्वाहिश भी उनमें पैदा हो गई है। क्या तुम अब भी खामोश बैठे रहोगे? खुदा यह नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो क्योंकि खुदा ने हिंदुओं–मुसलमानों के दिलों में उन्हें मुल्क से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है और खुदा के फजल और तुम लोगों की बहादुरी के प्रताप से जल्द ही अंग्रेजों को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में

उनका जरा भी निशान न रह जाएगा। हमारी फौज में छोटे और बड़े की तमीज भुला दी जाएगी और सबके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा क्योंकि इस पाक जंग में अपने धर्म की रक्षा के लिए जितने लोग तलवार खीचेंगे, वे सब एक समान यश के भागी होंगे। वे सब भाई हैं। उनमें छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं। इसलिए मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से कहता हूँ - उठो और ईश्वर के बताए इस परम कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए मैदान ए जंग में कूद पड़ो।'

1857 में ही लार्ड केनिंग ने लेखन व मुद्रण की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए एडम रेगुलेशन लगा दिया था। उसी के तहत समाचार सुधावर्षण पर मुकदमा चला। लेकिन श्याम सुंदर सेन ने तर्क दिया कि उस समय तक भारत का वैधानिक शासक मुगल बादशाह था और जिसे देश का शासक माना जाता हो, उसके फरमान को छापना देशद्रोह की तकनीकी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। इस घटना के बाद भी श्यामसुंदर सेन जहाँ भी अंग्रेज सरकार का प्रतिकार हो रहा रहा था, उसके समाचार 'समाचार सुधावर्षण' में छापते रहे।

'समाचार सुधावर्षण' ने 19 सितंबर, 1858 के अंक में लिखा - कैप्टन मेह के नेतृत्व में अतिरिक्त सेनाएँ दमदम आ गई हैं और 19वीं रेजीमेंट का एक भाग मेजर हक के नेतृत्व में चिनपुरा भेजा गया है। 29 सितंबर, 1858 के अंक में समाचार सुधावर्षण में कहा गया है - 'कैप्टन मिनी के 19 सितंबर, को रीवा से लिखे गए पत्र से पता चलता है कि कमांडर माइकेल ने मेहू राज्य से सेनाएँ लेकर तात्या टोपे की सेनाओं पर हमला किया। हम लोग लड़ाई जीत गए हैं, विद्रोही हार गए हैं और हमने उनकी कुछ तोपें अपने कब्जे में कर ली हैं। विद्रोही इधर-उधर बिखर गए हैं और उत्तर पूर्व की ओर भाग रहे हैं। हमारी घुड़सवार सेना, जिसके पास बंदूकें और हथियार हैं, पैदल सेना के साथ उनका पीछा कर रही हैं। ये विद्रोहियों के अंतिम दिन हैं। ब्रिगेडियर कारपेंटर ने उनके छिपने की जगहों को नष्ट कर दिया है और उनके एक सरदार रामनाथ सिंह को घायल कर दिया है।' समाचार सुधावर्षण की एक अन्य खबर में कहा गया है - कैप्टन माइकेल ने महू क्षेत्र की सेनाओं के साथ तात्या टोपे के सहयोगियों पर राजगढ़ और रीवा में आक्रमण किया और बीस या तीस तोपें कब्जे में कर लीं पर उनका कोई आदमी हताहत नहीं हुआ है। कहने की जरूरत नहीं कि 1857-58 के दौरान श्याम सुंदर सेन ने अपनी साहसपूर्ण पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता को वह गौरवशाली परंपरा दी जिसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। श्याम सुंदर सेन ने हिंदी पत्रकारिता के संग्राम को जो दिशा दी, वह सदैव पत्रकारिता के लिए प्रेरणादायी

रही। कोलकाता के बंगीय साहित्य परिषद् में 'समाचार सुधावर्षण' के चुनिंदा अंक उपलब्ध हैं।

अमृतलाल चक्रवर्ती की पत्रकारिता

अमृतलाल चक्रवर्ती (1863-1936) बांग्लाभाषी होते हुए भी हिंदी के अनन्य सेवी थे। 24 परगना के नादरा गाँव में 1963 में जन्मे अमृतलाल चक्रवर्ती की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में अपने मामा के पास काफी दिनों तक रहने और वहाँ स्कूल में पढ़ने के कारण हिंदी पर उनका अधिकार हो गया तो भोजपुरी पर भी। वे भोजपुरी बोल भी लेते थे। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत पर भी उनका अधिकार था और बांग्ला तो खैर उनकी मातृभाषा ही थी। अमृतलाल चक्रवर्ती ने औपचारिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही इलाहाबाद में प्रकाशित 'प्रयाग-समाचार' पत्र से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। कुछ दिन कालाकांकर से प्रकाशित राजा रामपाल सिंह के पत्र 'हिंदोस्थान' में भी वे रहे। कालाकांकर में रहते हुए अमृतलाल चक्रवर्ती को शिक्षा पूरी करने का मन हुआ सो घर गए, फिर कालाकांकर नहीं लौटे। कोलकाता जाकर उन्होंने कानून की डिग्री ली, लेकिन वकालत में नहीं गए। योगेंद्रचंद्र बसु ने 1890 में जब 'हिंदी बंगवासी' निकाला तो उसके संपादन का दायित्व अमृतलाल चक्रवर्ती को सौंपा। यह अखबार डबल रायल आकार के दो बड़े पन्नों में हर हफ्ते प्रकाशित होता था। इसका वार्षिक मूल्य दो रुपए था और प्रसार संख्या दो हजार। उस जमाने में यह संख्या अपने आप में एक कीर्तिमान मानी जाती थी।

'हिंदी बंगवासी' को निकले एक साल ही हुआ था कि अंग्रेज सरकार ने एज आफ कांसेट बिल पारित कर दिया। अमृतलाल चक्रवर्ती ने हिंदी बंगवासी में इसका पुरजोर विरोध किया। सरकार ने उनपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें तीन दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इस घटना से 'हिंदी बंगवासी' की प्रसिद्धि बढ़ गई। इसकी प्रसार संख्या और बढ़ गई। अमृतलाल चक्रवर्ती दस वर्षों तक हिंदी बंगवासी के संपादक रहे। हिंदी बंगवासी ने हिंदी पत्रकारिता में कई नए प्रयोग किए। समाचारों को विषय और स्थान के अनुसार समायोजित करने की शुरुआत हिंदी बंगवासी ने ही की। तीसरे पृष्ठ का नाम होता था - कलकत्ता और मुफस्सिल। इस पृष्ठ पर कलकत्ता और आस-पास की खबरें छापी जाती थीं। इसमें समाचार भेजने वाले का नाम भी छापा जाता था। प्रेषक अपना नाम

छपने के कारण बेहद सजग रहता था। हिंदी बंगवासी ने विज्ञापन का भी नया तरीका अपनाया। कलकत्ता से बाहर जानेवाली गाड़ियों पर अखबार का पोस्टर चिपका दिया जाता था। अखबार के हर अंक में महापुरुषों की जीवनी सचित्र प्रकाशित होती थी। हर अंक में कोई न कोई कहानी भी छपती थी। अखबार अनुवाद छापने को लेकर भी उदार था। बांग्ला भाषा के महाभारत का अनुवाद हिंदी बंगवासी ने छापकर खासी लोकप्रियता बटोरी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अखबार की वर्तनी एक होती थी। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है – पत्रकारिता का प्राथमिक विद्यालय था हिंदी बंगवासी। पत्रकार के लिए भाषा की एकरूपता पहली आवश्यकता है। एक शब्द जिस रूप में एक जगह लिखा गया है, उसी रूप में सर्वत्र लिखा जाना चाहिए। यह बात हिंदी बंगवासी में कुछ दिन काम करने से आ जाती थी।

अमृतलाल चक्रवर्ती ने दस साल तक संपादन करने के बाद हिंदी बंगवासी के संचालकों की नीति से असंतुष्ट होकर संपादक पद छोड़ा और श्री वेंकटेश्वर समाचार का संपादन करने लगे। उनके संपादन काल में श्री वेंकटेश्वर समाचार ने बहुत प्रसिद्धि पाई। वहाँ भी संपादक के काम में मालिकों के दखल के विरोध में ही श्री चक्रवर्ती को हटना पड़ा। घटना इस प्रकार है – संपादक के पास मालिक से एक मजमून पर एक आदेश प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था – आज्ञा श्रींमान छापो। अमृतलाल चक्रवर्ती ने उसे इस टीप के साथ लौटा दिया कि पत्र का विषय और उसे छापने न छापने के संबंध में विचार किए बिना केवल आदेश के कारण वह न छापा जाएगा। अखबार के मालिक सेठ खेमराज इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने श्री चक्रवर्ती को संपादक पद छोड़ने को कहा, साथ ही बालमुकुंद गुप्त से संपादक बनने की प्रार्थना की। गुप्त जी ने मना करते हुए उन्हें नसीहत दी कि संपादक के काम में मालिक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

बालमुकुंद गुप्त जब भारतमित्र के संपादक बने तो अमृतलाल चक्रवर्ती को वहाँ ससम्मान ले गए। अमृतलाल चक्रवर्ती 1907 से 1910 तक भारत मित्र के संपादक रहे। अमृतलाल चक्रवर्ती ने मासिक उपन्यास कुसुम, कलकत्ता समाचार, श्री सनातन धर्म, फारवर्ड, निगभागम चंद्रिका, उपन्यास तरंग और श्रीकृष्ण संदेश पत्रों में भी काम किया। अमृतलाल चक्रवर्ती ने चालीस वर्षों तक हिंदी पत्रकारिता की सेवा की। उस समय के हिंदी सेवी किन कठिनाइयों में काम करके राष्ट्र भाषा का ध्वज उठाए रहते थे, इसकी एक झलक अमृतलाल जी के जीवन से मिलती है। उन्हें 1925 में वृंदावन के सोलहवें अखिल भारतीय

हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया था। उस समय उनके पास न तो किराए के पैसे थे, न पहनने के ठीक कपड़े। बड़े आग्रह पर मतवाला संचालक महादेव प्रसाद सेठ से उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता स्वीकार की किंतु इस शर्त पर कि वे बदले में उनका कोई काम कर देंगे।

अमृत लाल चक्रवर्ती ने कहा था – "दरिद्रता मेरी चिरसंगिनी है, जिसका बड़ा लाडला है स्वाभिमान और छोटी लाडली है भावुकता"। शिवपूजन सहाय द्वारा सरस्वती में लिखी गई उनकी जीवनी के मुताबिक अमृतलाल चक्रवर्ती के पास हमेशा दो धोती और दो पंजाबी कुर्ता ही होता था। ओढ़ने के लिए एक फटा-पुराना कंबल और बिछाने के लिए एक टूटी चटाई के अलावा कुछ न था। अमृतलाल चक्रवर्ती की वह कोरी भावुकता ही तो थी कि राजपूताने की आठ सौ रुपए की मिल की मैनेजरी छोड़कर चंद रुपए की अखबारनवीसी की लेकिन पत्रकारिता भी उन्होंने अपनी शर्तों पर की। समाचार पत्रों के संचालकों की स्वेच्छाचारिता को उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया और उनके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए कि नौकरी को लात मारकर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। मणिमय के यशस्वी संपादक राम व्यास पांडे ने लिखा है कि यदि अमृतलाल चक्रवर्ती राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर अपनी मातृभाषा बांग्ला में लिखते तो बंगाली उन्हें कंगाली न होने देते। चक्रवर्ती जी यदि चाहते तो वकालत के द्वारा पैसे का पहाड़ खड़ा कर लेते और एक अदद नौकरी के लिए उन्हें दर-दर न भटकना पड़ता। न पत्नी का सोने का हार बेचना पड़ा न उन्हें साग-सब्जी भी बेचनी पड़ती और गाँव के लोग उन्हें कुजाति छांटने की धमकी भी न देते। अभावों में भी अमृतलाल चक्रवर्ती ने अपनी अखंड शब्द साधना को मद्धिम न पड़ने दिया।

शारदा चरण मित्र और 'देवनागर'

जस्टिस शारदा चरण मित्र (17 दिसंबर, 1848-1917) बंगाल के ऐसे मनीषी थे जिन्होंने भारत जैसे विशाल बहुभाषा-भाषी और बहुजातीय राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने के उद्देश्य से 1905 में 'एक लिपि विस्तार परिषद्' की स्थापना की थी। इस संस्था का एक मात्र उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि को सामान्य लिपि के रूप में प्रचलित करना था। जाहिर है कि शारदा चरण मित्र ने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और व्यापकता को भली भाँति समझ लिया था और इसीलिए वे इसे भारतीय भाषाओं की सामान्य लिपि बनाना चाहते

थे। एक लिपि विस्तार परिषद् के लक्ष्य को आंदोलन की शक्ल देते हुए शारदा चरण मित्र ने परिषद् की ओर से 1907 में 'देवनागर' नामक मासिक पत्र निकाला था, जो बीच में कुछ व्यवधान के बावजूद उनके जीवन पर्यन्त यानि 1917 तक निकलता रहा। 'देवनागर' के पहले संपादक यशोदानंदन अखौरी थे। इसके मुखपृष्ठ पर यह वाक्य छपा रहता था - 'भारतीय चित्र-विचित्र भाषाओं के लेखों से विभूषित एक अद्वितीय सचित्र मासिक पत्रिका।' 'देवनागर' के प्रवेशांक में उसके उद्देश्यों के बारे में इस तरह प्रकाश डाला गया, 'जगद्विख्यात भारतवर्ष ऐसे महाप्रदेश में जहाँ जाति-पांति, रीति-नीति, मत आदि के अनेक भेद दृष्टिगोचर हो रहे हैं, भाव की एकता रहते भी भिन्न-भिन्न भाषाओं के कारण एक प्रांतवासियों के विचारों से दूसरे प्रांत वालों का उपकार नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि भाषा का मुख्य उद्देश्य अपने भावों को दूसरे पर प्रकट करना है, इससे परमार्थ ही नहीं समझना चाहिए, अर्थात् मनुष्य को अपना विचार दूसरे पर इसलिए प्रकट करना पड़ता है कि इससे दूसरे का भी लाभ हो किंतु स्वार्थ साधन के लिए भी भाषा की बड़ी आवश्यकता है। इस समय भारत में अनेक भाषाओं का प्रचार होने के कारण प्रांतिक भाषाओं से सर्वसाधारण का लाभ नहीं हो सकता। भाषाओं को शीघ्र एक कर देना तो परमावश्यक होने पर भी दु:साध्य सा प्रतीत होता है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है भारत में एक लिपि का प्रचार बढ़ाना और वह एक लिपि देवनागराक्षर है। देवनागर का व्यवहार चलाने में किसी प्रांत के निवासी का अपनी लिपि व भाषा के साथ स्नेह कम नहीं पड़ सकता। हाँ, यह अवश्य है कि अपने परिचित मंडल को बढ़ाना पड़ेगा। पहले इस पत्र को पढ़ने में पाठकों को बड़ी नीरसता जान पड़ेगी किंतु इस दूरदर्शिता, उपयोगिता तथा आवश्यकता का विचार कर सहृदय पाठकगण अनंत भविष्य के गर्भ में पड़े हुए पचास वर्ष के अनंतर उत्पन्न होने के शुभ फल की आशा से इस क्षुद्र भेंट को अंगीकार करेंगे।'

देवनागर में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि अनेक अहिंदीभाषी विद्वान खुलकर देवनागरी तथा हिंदी का पक्ष-समर्थन करने लगे थे। सोचने वाली बात है कि शारदाचरण मित्र ने देवनागरी तथा हिंदी के पक्ष में उस काल में किस तरह अन्य प्रांतों में भी एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया था।

'देवनागर' का परिवेश भारत व्यापी था। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष जैसे मनीषियों ने भी 'देवनागर' के प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। बाल मुकुंद गुप्त ने 'भारत मित्र' में लेख लिखकर 'देवनागर'

के प्रयास की सराहना की थी और शारदा चरण मित्र के आंदोलन के औचित्य को प्रकाशित किया था। गुप्त जी ने 'जमाना' के अप्रैल-मई 1907 के अंक में भी देवनागरी के पक्ष में लंबा लेख लिखा था। शारदा चरण मित्र को विश्वास था कि पाँच वर्ष में न हो, दस वर्ष में न हो, किंतु किसी न किसी समय संपूर्ण भारतवर्ष में एक लिपि प्रचलित होगी ही और तब भारतीय भाषाएँ और साहित्य एक हो जाएगा। शारदा चरण मित्र ने कहा था - 'इस समय हमलोग अन्य प्रदेश के साहित्य में प्रायः निपट अनभिज्ञ हैं, इस समय कितने ही विद्वान बंगाली लोग तुलसीदास के भी प्रबंध नहीं पढ़ सकते। यह क्या सामान्य दुःख की बात है, महाकवि चंद के ग्रंथों की बड़े-बड़े काव्यों के साथ तुलना की जाती है, यह राजपूत लोगों का इलियड है, किंतु कितने ही इसे जानते तक नहीं। इधर राजनीतिक विषय को लेकर समस्त भारतवर्ष को आलोड़ित करने की कामना तो हम करते हैं, किंतु आपस की भाषाओं को समझने के लिए कोई प्रधान उपाय करने के विषय में हमलोग कुछ भी चेष्टा नहीं करते।'

'देवनागर' की दृष्टि व्यापक थी। उसकी व्यापकता का अंदाजा पत्र में चित्र-विचित्र शीर्षक से प्रकाशित टिप्पणियों को ही देखकर लगाया जा सकता है। शारदा चरण मित्र की दृष्टि केवल भारत पर नहीं थी, अपितु संपूर्ण पूर्वी एशिया पर थी। इस संदर्भ में देवनागर में प्रकाशित उनके लेख 'भारतवर्ष में बौद्ध धर्म' की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं-वस्तुतः समस्त प्राचीन और मध्य एशिया में अभी एक ही धर्म प्रचलित है और उसे हिंदू अथवा भारतवर्ष का धर्म कहना चाहिए। बाहर से कुछ विभिन्नता दिखने पर भी मूल और अंतःप्रकृति सबकी एक है। बौद्ध धर्म भारत का धर्मज्ञान है। बौद्ध धर्म में आस्था प्रदर्शित कर हम प्राचीन और मध्य एशिया में भी एकता स्थापित कर सकेंगे। शारदा चरण मित्र 1904 से 1908 तक कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे। देवनागरी के भारतव्यापी प्रचार-प्रसार के लिए शारदाचरण मित्र इतने कटिबद्ध थे कि देवनागर वे लगातार घाटे में निकालते रहे और उस घाटे को अपने निजी कोष से भरते रहे।

रामानंद चट्टोपाध्याय और 'विशाल भारत'

बंगाल के जिन मनीषियों ने हिंदी की अप्रतिम सेवा की, उनमें एक प्रमुख नाम रामानंद चट्टोपाध्याय (1865-1943) का है। रामानंद बाबू ने घाटा सहकर भी हिंदी मासिक 'विशाल भारत' निकाला और उसके संपादकों को पूरी स्वतंत्रता दी। वैसे अंग्रेजी और बांग्ला की पत्रकोरिता में भी उनका बड़ा अवदान

है। रामानंद बाबू 1895 में जब कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रिंसिपल बने तो उस कॉलेज से 'कायस्थ समाचार' नामक एक उर्दू पत्र प्रकाशित होता था। इसका संपादन भार रामानंद बाबू पर ही आया। उन्होंने उसका रूप ही बदल दिया, उर्दू के स्थान पर उसे अंग्रेजी का पत्र बना दिया तथा उसका उद्देश्य शिक्षा प्रचार रखा। इलाहाबाद जाने से पहले रामानंद बाबू प्रथम श्रेणी में एम.ए. करने के बाद 1887 में कलकत्ता के सिटी कॉलेज में प्राध्यापक बने थे। उसी दौरान वे केशवचंद्र सेन के संपर्क में आए और ब्रह्मसमाजी हो गए थे।

रामानंद बाबू ने 1901 में इंडियन प्रेस के चिंतामणि घोष के सहयोग से बांग्ला मासिक 'प्रवासी' निकाला। उसके कुछ समय बाद मतभेद के कारण उन्हें कायस्थ कॉलेज से इस्तीफा देकर कलकत्ता वापस आना पड़ा। बंग-भंग के समय चले आंदोलन से रामानंद बाबू खुद को अलग न रख सके, अतः 1907 में फिर इलाहाबाद आए और 'माडर्न रिव्यू' प्रकाशित करने लगे। 'मार्डन रिव्यू' की गिनती अंग्रेजी संसार के आधे दर्जन श्रेष्ठ पत्रों में की जाती थी। कई प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लेखक 'माडर्न रिव्यू' में लेख लिखने में अपना गौरव मानते थे। रामानंद बाबू ने ही सबसे पहले रवींद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया। रवि बाबू की सबसे पहली अंग्रेजी रचना 'माडर्न रिव्यू' में ही प्रकाशित हुई। अमेरिका के पादरी जे.टी.संडरलैंड की पुस्तक 'इंडिया इन बॉण्डेज' को उन्होंने 'माडर्न रिव्यू' में धारावाहिक रूप में और बाद में 'प्रवासी' प्रेस से पुस्तक रूप में प्रकाशित की। यह पुस्तक जब्त कर ली गई और रामानंद बाबू को पुस्तक के प्रकाशन के लिए दंडित होना पड़ा। सर यदुनाथ सरकार और मेजर वामनदास बसु के ऐतिहासिक शोध विषयक लेख 'माडर्न रिव्यू' में छपे। 'माडर्न रिव्यू' के कुछ अंकों ने ही देश- विदेश में अपना प्रभाव फैला लिया। उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर तथा उनकी आलाचनाओं से विचलित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें तुरंत उत्तर प्रदेश छोड़ने का आदेश दिया, अतः वे पुनः कोलकात्ता वापस आ गए।

रामानंद बाबू के पत्रकार और गद्य लेखक रूप को देशव्यापी ख्याति मिली। उनकी शैली तेजयुक्त, प्रवाहपूर्ण और निर्लिप्त थी। रामानंद बाबू की तीन पुस्तकें - 'राजा राममोहन राय', 'आधुनिक भारत' तथा 'स्वशासन की ओर' भी बहुत चर्चित कृतियाँ रही हैं। रामानंद बाबू कुशल पत्रकार और लेखक ही नहीं, वरन्‌ सच्चे समाज सुधारक भी थे। 1826 में राष्ट्रसंघ (लीग ऑफ नेशन्स) की बैठक में उपस्थित होने के लिए रामानंद बाबू आमंत्रित किए गए। उस बैठक में वे अपने

ही खर्च से गए। सरकारी खर्च से यात्रा करना इसीलिए अस्वीकार कर दिया ताकि उनके स्पष्ट और निर्भीक विचारों पर किसी प्रकार भी आर्थिक दबाव की आँच न आने पाए। 1929 में लाहौर कांग्रेस के अवसर पर जात-पाँत तोड़क मंडल के अधिवेशन का सभापतित्त्व उन्होंने किया।

'प्रवासी' और 'माडर्न रिव्यू' के संपादक रामानंद बाबू हिंदी की व्यापकता से भली-भांति वाकिफ थे। देश के ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक अपने विचार पहुँचाने के लिए 1928 में उन्होंने हिंदी मासिक 'विशाल भारत' निकाला। बनारसी दास चतुर्वेदी उसके संस्थापक संपादक हुए। जनवरी 1928 में 'विशाल भारत' का प्रवेशांक निकला। साहित्य, समाज सुधार, राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र पर पठनीय लेखों से सुसज्जित। प्रवेशांक में चतुर्वेदी जी ने पत्र के उद्देश्य के बारे में लिखा - 'विशाल भारत' के संचालक श्री रामानंद चट्टोपाध्याय लगभग चालीस वर्षों से पत्र-संपादन का कार्य कर रहे हैं। हिंदी जनता को उनके 'माडर्न रिव्यू' तथा 'प्रवासी' का परिचय देने की आवश्यकता नहीं। जिन सिद्धांतों तथा विचारों का प्रचार आप अंग्रेजी तथा बांग्ला पत्र द्वारा करते हैं, उन्हीं को अब आप राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा जनता के सम्मुख रखना चाहते हैं। 'विशाल भारत' की आयोजना का एक मात्र उद्देश्य यही है। बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में 'विशाल भारत' जल्द की हिंदी का सर्वश्रेष्ठ मासिक बन गया। शुरू के तीन वर्षों में ही उसने साहित्यांक, प्रवासी अंक तथा कला अंक जैसे विशेषांक निकालकर अपनी धाक जमा ली।

कतिपय मामलों पर बनारसी दास चतुर्वेदी से रामानंद बाबू के मतभेद हुए किंतु कभी भी रामानंद बाबू ने बनारसी दास जी की संपादकीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया। रामानंद बाबू जब सूरत में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो 'विशाल भारत' में उनकी कटु आलोचना छपी। रामानंद बाबू ने उसका उत्तर लिखकर दिया और उसे भी चतुर्वेदी जी ने छापा। 1937 में बनारसी दास चतुर्वेदी के आग्रह पर 'विशाल भारत' का संपादन करने के लिए अज्ञेय कलकत्ता आ गए। अज्ञेय 'विशाल भारत' में डेढ़ वर्ष तक रहे पर उस अल्प अवधि में ही उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी।

अज्ञेय का भी रामानंद बाबू से विरोध हुआ। हिंदी के स्वाभिमान के सवाल पर। उस प्रसंग का विवरण खुद अज्ञेय ने 'कलकत्ते की याद' शीर्षक लेख में इस तरह दिया है -' प्रवासी तथा माडर्न रिव्यू में रामानंद चट्टोपाध्याय की कुछ टिप्पणियां प्रकाशित हुईं जिनमें हिंदी के प्रति अवज्ञा का भाव था। इससे क्लेश तो बहुत से लोगों को हुआ, लेकिन बोला कोई नहीं क्योंकि रामानंद बाबू की

और उनके द्वारा संपादित पत्रों की बहुत धाक थी। अपनी अनुभवहीनता में मुझे लगा कि उनके आरोपों का खंडन आवश्यक है और मैंने 'विशाल भारत' की संपादकीय टिपण्णियों में उनके तर्कों का उत्तर भी दे दिया। सप्ताह-भर बाद मुझे रामानंद बाबू का हाथ का लिखा पत्र मिला। उन्होंने मेरे तर्कों का जवाब तो दिया ही था, पत्र के अंत में उन्होंने दो बातें और लिखी थीं। एक तो उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि वह स्वयं बंगाली होकर हिंदी का साहित्यिक पत्र निकाल रहे हैं और लगातार उस पर घाटा उठा रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि बहुत से हिंदी भाषी धनिक और सेठ भी तो हैं, क्या एक भी ऐसा हिंदी भाषी व्यक्ति है, जो बांग्ला में पत्र निकाल रहा हो-उस पर घाटा उठाना तो दूर? दूसरे, उन्होंने मुझे स्मरण दिलाया था कि 'विशाल भारत' प्रवासी प्रेस से निकलता है जिसके मालिक वे स्वयं हैं। क्या कोई दूसरा ऐसा मालिक भी होगा जो अपने संगठन के किसी कर्मचारी को यह अधिकार दे कि वह उसी के पत्र में उसी की आलोचना करे। पत्र के उत्तर में मैंने लिखा कि 'विशाल भारत' की टिप्पणी में जो कुछ लिखा गया है, उसे मैं ठीक मानता हूं और उनके पत्र के बाद भी मुझे कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। इस बात को मैंने स्वीकार किया कि हिंदी पत्रकारिता में उन्होंने जो योगदान किया है, उसके तुल्य किसी हिंदी भाषी ने बांग्ला के लिए कुछ नहीं किया और यह भी मैंने स्वीकार किया कि 'विशाल भारत' के संपादक को उन्होंने जो स्वतंत्रता दी है, उसके लिए भी उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने यह भी जोड़ दिया कि मेरे मन में श्रद्धा और भी अधिक होती अगर यह बात स्वयं उन्होंने मुझे न लिखी होती और दूसरे ही उसका उल्लेख करते।' इस पत्र प्रकरण के बाद अज्ञेय लिखते हैं - 'मैं अपने को उतना ही स्वाधीन मानता रहा जितना पहले मानता था और जितना संपादक के नाते अपने को हमेशा रखता रहा हूं।' संपादकीय स्वतंत्रता का जो सम्मान रामानंद बाबू करते थे, उसका यह एक उदाहरण है। 'विशाल भारत' ने जो श्रेष्ठता तथा ऊंचाई अर्जित की, उसके पीछे एक कारण यह भी था कि रामानंद बाबू संपादकीय स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते थे। उनकी इस भूमिका को कभी लघु करके नहीं देखा जा सकता।

चिंतामणि घोष और सरस्वती

इंडियन प्रेस, प्रयाग के मालिक चिंतामणि घोष ने प्रथम सर्वश्रेष्ठ मासिक 'सरस्वती' द्वारा और हिंदी के अनेक ग्रंथों को छापकर हिंदी साहित्य की जितनी

सेवा की है, उतनी सेवा हिंदी भाषा-भाषी किसी प्रकाशक ने शायद ही की होगी। चिंतामणि घोष ने 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना की और 1899 में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रस्ताव किया कि सभा एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले जिसे वे प्रकाशित करेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका अनुमोदन तो कर दिया किंतु संपादन का भार लेने में अपनी असमर्थता जताई। अंत में संपादन का भार एक समिति को सौंपने पर सहमति बनी। इस समिति में पाँच लोग थे। वे थे बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास और किशोरीलाल गोस्वामी और इस तरह 'सरस्वती' की योजना को अंतिम रूप मिला। जनवरी 1900 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। प्रवेशांक के मुखपृष्ठ पर पाँच चित्र थे-सबसे ऊपर वीणावादिनी सरस्वती का चित्र था। ऊपर बाईं ओर सूरदास और दाईं ओर तुलसीदास तथा नीचे बाईं ओर राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद और बाबू हरिश्चंद्र के चित्र थे। पत्रिका के नाम के नीचे लिखा रहता था-काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित। पत्रिका के प्रकाशक चिंतामणि बाबू ने पत्रिका का नीति वक्तव्य इस तरह घोषित किया था, 'परम कारुणिक सर्व शक्तिमान जगदीश्वर की असीम अनुकम्पा ही से ऐसा अनुपम अवसर आकर प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग हिंदी भाषा के रसिक जनों की सेवा में नए उत्साह से उत्साहित हो एक नवीन उपहार लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम सरस्वती है। इसके नवजीवन धारण करने का केवल यही मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ ही भाषा के सरस्वती भंडार की अंगपुष्टि, वृद्धि और यथार्थ पूर्ति हो तथा भाषा सुलेखकों की ललित लेखनी उत्साहित और उत्तेजित होकर विविध भावभरित ग्रंथराजि को प्रसव करे।'

'सरस्वती' के एक साल बीतते न बीतते यह स्पष्ट हो गया कि संपादक मंडल से काम नहीं चलेगा तो जनवरी 1901 से बाबू श्याम सुंदर दास उसके संपादक हो गए। 1902 के आखिर में बाबू श्याम सुंदर दास ने आगे से संपादन करने में असमर्थता जताई और उन्होंने सरस्वती प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष से नए संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सुझाया। चिंतामणि घोष द्विवेदी जी के महत्त्व से परिचित थे। उन्होंने द्विवेदी जी को आमंत्रित किया और द्विवेदी जी ने रेलवे की पौने दो सौ रुपए की स्थापित नौकरी छोड़कर इक्कीस रुपए मासिक के वेतन पर 'सरस्वती' के संपादन का दायित्व स्वीकार किया। द्विवेदी जी जितने बड़े कवि, निबंधकार, समीक्षक और अनुवादक थे, उतने ही

श्रेष्ठ संपादक भी सिद्ध हुए। इसीलिए उस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 के जनवरी महीने में 'सरस्वती' का संपादक बनने के साथ ही उसे ज्ञान के सभी अनुशासनों का खुला मंच तो बनाया ही, यह भी सुनिश्चित किया कि प्रकाशन के पूर्व हर रचना की भाषा व्याकरण की दृष्टि से शास्त्रसम्मत् हो। उन्होंने भरसक कोशिश की कि पूरी पत्रिका एक ही वर्तनी में निकले।

द्विवेदी जी ने 1904 में जब नागरी प्रचारिणी सभा की खोज संबंधी रिपोर्ट की आलोचना की तो सभा ने पत्रिका के प्रकाशक चिंतामणि घोष को लिखा कि पत्रिका से सभा का अनुमोदन हटा लिया जाए। चिंतामणि घोष संपादक की स्वतंत्रता के इतने बड़े हिमायती थे कि उन्होंने द्विवेदी जी को कुछ कहने से ज्यादा बेहतर सभा से नाता तोड़ना समझा। 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा के 12वें वार्षिक विवरण में पृष्ठ 38 पर इसका इस तरह उल्लेख किया गया है, 'मासिक पत्रों में अब सबसे श्रेष्ठ सरस्वती है। यद्यपि कई कारणों से अब इस पत्रिका के साथ इस सभा का कोई संबंध नहीं है। सभा को दु:ख है कि सरस्वती के प्रकाशक ने उसमें अपवादपूर्ण लेखों को रोकना उचित न जानकर नागरी प्रचारिणी सभा से अपना संबंध तोड़ना उचित समझा।'

भाषा-परिमार्जन के साथ ही सर्जनात्मक साहित्य की हर विधा से लेकर साहित्य समालोचना के लिए द्विवेदी जी के संपादन में 'सरस्वती' ने युगांतकारी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए सिर्फ कहानी विधा को लें तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी 'ग्यारह वर्ष का समय' 1903 में द्विवेदी जी के संपादन में 'सरस्वती' में ही छपी। बंग महिला (राजेंद्रबाला घोष) की कहानी 'कुंभ की छोटी बहू' 'सरस्वती' के सितंबर, 1906 के अंक में छपी। 'सरस्वती' में 1909 में वृंदावन लाल वर्मा की कहानी 'राखी बंद भाई' और 1915 में प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी 'सौत' और 1916 में उन्हीं की बहुचर्चित कहानी 'पंच परमेश्वर' छपी। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी 'उसने कहा था' 'सरस्वती' में छपी। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी 'इंदुमती' और 'गुलबहार' तथा भगवान दास की कहानी 'प्लेग की चुड़ैल' पहले ही 'सरस्वती' में छप चुकी थीं। 'सरस्वती' की संपादकीय टिप्पणियां और समालोचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं लिखते थे और उनकी समालोचना की साख इतनी थी कि जिस भी किताब की वे प्रशंसा कर देते थे, उसकी प्रतियाँ देखते-देखते बिक जाती थीं।

साहित्य की विधाओं–कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, आलोचना के समांतर समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास और आधुनिक ज्ञान–विज्ञान को भी पत्रिका में महत्त्व दिया और इस तरह उसका फलक विस्तृत कर दिया। अनेक रचनाकारों को सबसे पहले द्विवेदी जी ने ही अवसर दिया और जिनकी कविता या कहानी या लेख 'सरस्वती' में छपते थे, वे भी चर्चा में आ जाते थे। 'सरस्वती' के रचनाकारों में श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, संत निहाल सिंह, माधव राव स्प्रे, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जय शंकर प्रसाद, सुमित्रनंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राय कृष्ण दास, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकार शामिल थे।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिसंबर 1920 में 'सरस्वती' से विदा ली। उनका अंतिम संपादकीय 'संपादक की विदाई' शीर्षक से जनवरी 1921 की 'सरस्वती' में छपा। उसमें द्विवेदी जी ने लिखा, 'सरस्वती को निकलते पूरे 21 वर्ष हो चुके। जिस समय उसका आविर्भाव हुआ था, उस समय हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की क्या दशा थी, यह बात लोगों से छिपी नहीं है। जिन्होंने उस समय को भी देखा है और जो इस समय को भी देख रहे हैं। 'सरस्वती' के आकार–प्रकार, उसके ढंग और लेखन शैली आदि को लोगों ने बहुत पसंद किया–अच्छी मासिक पुस्तक में जो गुण होने चाहिए, उसका शतांश भी मुझमें नहीं। ...' इसी टिप्पणी में द्विवेजी जी ने चिंतामणि घोष के बारे में लिखा था, 'मैं सेवा का अर्थ अच्छी तरह जानता हूँ। अतएव मैं कह सकता हूँ कि मैंने सेवा भाव से प्रेरित होकर सरस्वती का संपादन नहीं किया। हिंदी की सेवा मैंने तो नहीं, चिंतामणि घोष ने अवश्य की है। जन्मभूमि उनकी बंगदेश है और मातृभाषा बांग्ला। यदि उनमें उदारता की मात्रा इतनी अधिक न होती तो सरस्वती का विसर्जन कभी का हो गया होता।' 'सरस्वती' 1975 तक निकलती रही। दिसंबर 2013 में इलाहाबाद में चिंतामणि घोष की प्रतिमा लगाकर देश ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इलाहाबाद में घोष बाबू की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने किया।

इस तरह हम पाते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को आदि काल से ही बांग्लाभाषी सींचते आ रहे हैं। निकट अतीत में 'माया' जैसी राष्ट्रीय पत्रिका

इलाहाबाद के जिस मित्र प्रकाशन समूह से छपती थी, उसके कर्ता-धर्ता बांग्लाभाषी क्षितिंद्र मोहन मित्र ही थे। 'रविवार' जैसी पत्रिका आनंद बाजार पत्रिका समूह से ही निकली थी। 'संडे इंडियन' तथा 'राष्ट्रीय सहारा' निकालने वाले भी मूलतः बांग्लाभाषी हैं। परितोष चक्रवर्ती और कल्लोल चक्रवर्ती से लेकर सुमन चट्टोपाध्याय तक दर्जनों बांग्लाभाषी हिंदी पत्रकारिता को नई धार देने में जुटे हुए हैं।

10

हिंदी पत्रकारिता की भाषा का क्रमिक विकास

हिंदी पत्रकारिता का इतिहास आधुनिक हिंदी भाषा के विकास की कहानी भी है। इस इकाई में हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव काल (19 वीं सदी) से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन, स्वातंत्र्योत्तर भारत और वर्तमान भूमंडलीय दौर में हिंदी भाषा के विकास की चर्चा की गई है। करीब दौ सौ सालों की इस यात्रा में हिंदी अनेक पड़ावों से गुजरी और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता में लगातार संवृद्धि आती गई। हिंदी पत्रकारिता के शुरुआती दौर में खड़ी बोली हिंदी पर ब्रजभाषा के प्रभाव, स्वातंत्र्योत्तर भारत में अखबारों, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो-टेलीविजन में हिंदी के बरतने में संस्कृत निष्ठता का आग्रह, बाद के दशकों में बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल और भूमंडलीय दौर में अंग्रेजी के प्रभाव की चर्चा की गई है।

हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई, 1826 को 'उदंत मार्तंड' के प्रकाशन से होती है। इसे युगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में कलकत्ते से 'हिंदुस्तानियों के हित के हेतु' निकाला गया था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र मंगलवार को प्रकाशित होता था। पर अल्प समय में, करीब डेढ़ वर्ष बाद ही, इसे बंद कर देना पड़ा। वहीं हिंदी का पहला दैनिक वर्ष 1854 में 'समाचार सुधावर्षण' के रूप में प्रकाश में आया जो श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में वर्ष

1868 तक कलकत्ते से ही प्रकाशित होता रहा। राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिंद' के प्रयास से हिंदी क्षेत्र, बनारस, से पहली बार 'बनारस अखबार' का प्रकाशन हुआ। यूँ तो वर्ष 1826-60 के बीच हिंदी में कुछेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ पर हिंदी पत्रकारिता में गति वर्ष 1860 के बाद ही पकड़नी शुरू हुई, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी मंडली के लेखक-पत्रकार हिंदी की सार्वजनिक दुनिया (पब्लिक स्फीयर) में सक्रिय हुए। उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से बहस-मुबाहिसा में भाग लिया और इसे विस्तार दिया।

19वीं सदी के आखिरी दशकों और 20वीं सदी के शुरुआती दो दशकों में जो पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन हुए उसमें साहित्यिक और राजनीतिक पत्र-पत्रिकाओं का कोई ठोस विभाजन नहीं मिलता। असल में उस दौर में ज्यादातर साहित्यकार ही पत्रकार भी थे। फिर भी जहाँ कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधा निधि, उचित वक्ता और हिंदी प्रदीप जैसे पत्र साहित्यिक और सामाजिक मुद्दों को तरजीह देते थे, वहीं आर्य दर्पण, भारत वर्ष, ब्राह्मण, हिंदुस्तान आदि अपने तेवर और सामग्री के प्रकाशन में राजनीतिक ज्यादा थे।

उल्लेखनीय है कि सन् 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ हिंदी (खड़ी बोली) गद्य की भाषा के रूप में आकार लेने लगी थी। इस तरह हिंदी पत्रकारिता और हिंदी गद्य का विकास एक साथ हो रहा था। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकारिता का उद्भव काल भारतीय राष्ट्रीयता और हिंदी भाषा के विकास की कहानी कहता है। हिंदी पत्रकारिता हिंदी-उर्दू भाषा विवाद, हिंदी भाषा और लिपि के आंदोलन और आगे आजादी के संघर्ष में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और उसकी भूमिका रेखांकित करने योग्य है। इस इकाई में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह हिंदी पत्रकारिता के सहारे आधुनिक हिंदी का विकास और परिमार्जन हुआ।

आजादी के बाद 1950 में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिंदी पत्रकारिता एक नए विश्वास के साथ सामने आई। हिंदी पत्रकारिता में नए विषयों-आर्थिक सामाचार, खेल समाचार आदि का प्रवेश हुआ, नई तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ा, विज्ञापनों में बढ़ोतरी हुई और इन सबने मिलकर भाषा को प्रभावित किया और प्रकारांतर से हिंदी पत्रकारिता भी प्रभावित हुई। पर राजनीतिक स्वार्थों, राष्ट्रभाषा-राजभाषा, सवेर्ण मानसिकता की तिकड़म से स्वाभाविक हिंदी के विकास में बाधा पहुँची। सरकार के नियंत्रण में दूरदर्शन और

रेडियो में हिंदी के संस्कृतनिष्ठ होने पर जोर बढ़ा और हिंदी पत्रकारिता में भी उर्दू-फारसी के शब्दों, क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों के इस्तेमाल से परहेज की प्रवृत्ति दिखी। वहीं दूसरी ओर चूँकि हिंदी पत्रकारों को खबरों के लिए अंग्रेजी की मूल कॉपी, अंग्रेजी की संवाद समितियों पर निर्भर होना पड़ता था, इसलिए अनुवाद की एक कृत्रिम भाषा हिंदी पत्रकारिता में दिखाई पड़ने लगी। इस भाषा से आम लोगों का कोई रिश्ता नहीं था, ना हीं इससे पत्रकारिता और जनसंचार के मूल उद्देश्य- खबरों, विचारों को आम जनता तक पहुँचाना, उन्हें शिक्षित करना- को हीं पाया जा सकता था।

किस तरह बाद के दशकों में, खासकर आपातकाल (1975-77) के बाद, हिंदी क्षेत्र में शिक्षा और आय में बढ़ोतरी होने से जब बाजार फैला हिंदी पत्रकारिता शहरों से दूर कस्बों, गाँव-देहातों तक भी पहुँची तब हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं-बोलियों का प्रयोग भी बढ़ा। हिंदी पत्रकारिता की भाषा नई चाल में ढली। साथ ही उदारीकरण, भूमंडलीकरण के आने से अंग्रेजी संचार की मुख्य भाषा के रूप में उभरी है। इन्हीं वर्षों में भारत में निजी टेलीविजन समाचार चैनलों का प्रसार हुआ, ऑन लाइन मीडिया का उभार हुआ, जिसका असर समकालीन हिंदी पत्रकारिता की भाषा पर भी पड़ा और 'कोड मिक्सिंग/कोड स्वीचिंग' की प्रवृत्ति बढ़ी जो 'हिंग्लिश' के रूप में वर्तमान में हमारे समाने है।

भाषा सामाजिक-सांस्कृतिक निर्मिति है। यह महज संवाद का माध्यम ही नहीं है। इसमें मनुष्य की भावनाएं, संवेदनाएं, चिंता और चिंतन की अभिव्यक्ति होती है। आधुनिक समाज में पत्रकारिता की पहुँच साहित्य से कई गुणा ज्यादा है। पत्रकारिता की भाषा मूलतः खबरों (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, खेल आदि), संपादकीय और विज्ञापन की भाषा के रूप में हमारे सामने आती है।

इस इकाई में हम हिंदी पत्रकारिता के करीब 200 वर्षों के इतिहास में प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं के उदाहरण के माध्यम से हिंदी भाषा के क्रमिक विकास और उसकी प्रवृत्तियों को देखने की कोशिश करेंगे।

हिंदी पत्रकारिता के उद्भव काल की भाषा– युगल किशोर शुक्ल ने जब हिंदी को पहला साप्ताहिक समाचार पत्र दिया तब एक प्राशकीय विज्ञप्ति 'इस कागज के प्रकाशक का इश्तिहार' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुई। जिसके तहत लिखा था- "यह उदंत मार्तंड पहले-पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी, पारसी और बांग्ला में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने ओर पढ़ने वालों को

ही होता है। उदंत मार्तंड में देश-विदेश, गाँव-शहर, हाट-बाजार संबंधी सूचनाएँ, अफसरों की नियुक्तियाँ, इश्तेहार, समाचार आदि प्रकाशित होती थीं। उदंत मार्तंड की खड़ी बोली शैली में लिखी हिंदी भाषा पर मध्यदेशीय भाषा का प्रभाव दिखता है। शुक्ल खुद ब्रजभाषा, संस्कृत, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। इसका असर उदंत मार्तंड की भाषा पर भी दिखता है। इस पत्र के शीर्षक के नीचे संस्कृत में ये पंक्तियाँ लिखी होती थी:-

दिवाकान्त कान्ति विनाध्वान्तमन्तं
न चाप्नोति तद्वज्जगत्यज्ञ लोकः।
समाचार सेवामृतेज्ञत्वमाप्तं
न शक्नोति तस्मात्करोमीति यत्नं। ।

उदंत्त मार्तंड- उदंत मार्तंड के पहले अंक (30 मई, 1826) में 'श्रीमान गवरनर-जेनरल बहादुर का सभावर्णन' प्रकाशित हुआ था। उदाहरण के लिए उस सभावर्णन के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं- "अंग्रेजी 1826 साल 19 में को सरकार कम्पनि अंगरेज बहादुर जो ब्रह्मा के बीच में परस्पर संधि हो चुकने के प्रसंग से यह दरबार शोभनागार हो के श्रीमान लार्ड एमहसर्ट गवरनर जेनरेल बहादुर के साक्षात से मौलवि महम्मद खलिलुद्दीन खां अवध बिहारी बादशाह के ओर से वकालत के काम पावने के प्रसंग से सात पारचे की खिलअत ओ जिगा सर पेच जडाऊ मुलाहार औ पालकि झालदार ओ...." साथ ही उदंत मार्तंड में प्रकाशित इश्तहार की भाषा भी द्रष्टव्य है- "सभों को खबर दी जाती है कि जो किसि को गंगा को मिट्टी लेनी होय तो तीर की राह वल्ली और फुट 15 के अटकल जगह छोड़के खाले की भुंई खनि लेय और जब ताईं दूसरा हुकम न होय तबतक यही हुकम बहाल रहेगा और जिसकी मिट्टी को दरकार होय वह उसी ओर की राह के अमीन मेस्टर केलार्क साहब के यहाँ अरजी देवेगा।" यहाँ पत्रिका में प्रकाशित लखनऊ के एक दृश्य के वर्णन का यह प्रसंग उद्धृत किया जा रहा है- "फिर जब वे आसफुद्दौला के महल के पास होके निकले उस समय बादशाह की जेठी बहिन की डेवढ़ी की तैनाती फौज आके सलामी की। जब सवारी फरीदबख्श मुलतानी कोठी के पास पहुँची वहाँ पर बहुत सी तोपें दगियाँ और लोगों ने उसी कोठी में जाके हाजरी खाई।"

जब 4 दिसंबर, 1827 को शुक्ल ने इसे सरकारी सहायता के अभाव और पाठकों के कमी के कारण बंद किया तब बहुत व्यथित होकर उन्होंने अंतिम अंक के संपादकीय में लिखा:-

"आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तण्ड उदन्त
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अस्त।

अंबिका प्रसाद वाजपेयी (संवत 2010– 102) ने उदंत मार्तंड की भाषा के प्रसंग में लिखा है– "जहाँ तक उदंत मार्तंड की भाषा का प्रश्न है, वह उस समय लिखी जाने वाली भाषा से हीन नहीं है। उसके संपादक बहुभाषाज्ञ थे.. .उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र होने पर भी भाषा और विचारों की दृष्टि से सुसंपादित पत्र था।" उदंत मार्तंड की भाषा की परख यदि हम आज के पैमाने पर करें तो नि:संदेह उसमें व्याकरण, शब्द विन्यास, वाक्य संरचना की काफी त्रुटियाँ मिलती हैं। उसमें तोपें दगियाँ, हाजरी खाई, शोभनागार होके जैसे प्रयोग मिलते हैं। साथ ही आवेगा, जावेगा, देवेगा, होय, तोय का इस्तेमाल भी मिलता है। सेवाय, ऊसने, खलीती, मरती समय, खिलअतें, परंत, भेंट भवाई, सभों जैसे शब्द भी हैं जिसका ठीक-ठीक अर्थ लगाने में आज के दौर में हिंदी पढ़ने-समझने वालों को परेशानी होगी। फिर भी उदंत मार्तंड में खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक रूप की झलक मिलती है, जिसका विकास आगे जाकर हुआ।

बंगदूत: उदंत मार्तंड के प्रकाशन के बाद राजा राम मोहन राय के संपादक मंडल के तहत हिंदी में बंगदूत के प्रकाशन का जिक्र मिलता है। यह भी एक साप्ताहिक पत्र था। इसका पहला अंक 10 मई, 1829 को निकला था।

कृष्ण बिहारी मिश्र (2004– 480-481) ने भी बंगदूत के हिंदी में प्रकाशित होने के बारे सूचना देते हुए इसमें जो हिंदी के नमूने मिलते हैं उसे अपनी किताब 'हिंदी पत्रकारिता में उद्धृत किया है–

"बंगदूत। ।
दूतनि की यह रीति बहुत थोरे में भाषै।
लोगनि को बहुलाभ होय वाही ते लाखैं। ।
बांग्ला के दूत पूत यहि वायु को जानौ।
होय विदित सब देश क्लेश को लेख न मानौ। ।

....यह समाचार नित शनिवार की रात को छपवा भोर होकर एतवार को उसके ग्राहको को बाँट दिया जावेगा इस कागज के अधिकारी मिष्टर आर यम् मार्टीन साहिब और राम मोहन राय और द्वाराकानाथ ठाकुर और प्रसन्न कुमार और नीलरत्न हालदार और राजकृष्ण सिंह और राजनाथ मित्र ठहरे हैं।" बंगदूत के 11-12 अंक ही निकले। यह पत्र मूलत: बांग्ला के साथ-साथ आवश्यकता होने पर फारसी और हिंदी में छपता था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल (संवत 2054– 234)

ने भी इस पत्र का उल्लेख करते हुए लिखा है, "राजा साहब की भाषा में एकआध जगह कुछ बांग्लापन जरूर मिलता है, पर उसका अधिकांश में वही है, जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता है।" नमूने के रूप में शुक्ल ने बंगदूत के इस अंश को उद्धृत किया है– "जो सब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब व्रात्य हैं, यह प्रमाण करने की इच्छा करने ब्राह्मण-धर्म-परायण श्री सुबह्मण्य शास्त्री जी ने जो पत्र सांगवेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है-वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नहीं।" चूंकि बंगदूत के अंक सहज सुलभ नहीं हैं, इसलिए इसकी भाषा के बारे में अंतिम रूप से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। फिर भी ऊपर जो उद्धरण दिए गए हैं और अन्यत्र जो उदाहरण मिलते हैं, उससे स्पष्ट है कि बंगदूत की भाषा जटिल और अबूझ है जिससे भाव समझने में परेशानी होती है। इस पत्र में भी व्याकरण संबंधी त्रुटि-छपैगी, भाषैं, करैं आदि शब्दों के प्रयोग में दिखते हैं। साथ ही सतवारे, बैपारी, भांगी, आवते, पठाया जैसे शब्दों के प्रयोग मिलते हैं। देशान्तरनि, प्रसंगनि, आवते जैसे प्रयोग इस पत्र पर भी उदंत्त मार्तंड की तरह ब्रजभाषा के प्रभाव को इंगित करता है।

बनारस अखबार– वर्ष 1845 से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने साप्ताहिक 'बनारस अखबार' शुरू किया जिसकी भाषा बोल-चाल की हिंदुस्तानी थी। इसका खूब विरोध उस दौर में किया गया। अंबिका प्रसाद वाजपेयी (संवत 2010– 105) ने लिखा है कि "परन्तु यह नाम का हिंदी पत्र होने पर भी वास्तव में उर्दू का अखबार है, जो नागरी वा हिंदी अक्षरों में सन् 1845 से निकलता था।" इस साप्ताहिक अखबार में हिंदुस्तानी भाषा का एक रूप इस उदाहरण से स्पष्ट है– "यहाँ जो पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है। अब वो मकान एक आलीशान बन्ने का निशान तय्यार हर चेहार तरफ से हो गया है बल्कि इसके नक्शे का बयान पहलि मुंदर्ज है सो परमेश्वर की दया से साहब बहादुर बहुत मुस्तैदी से बहुत बेहतर और माकूल बनवाया है।" इस उर्दू मिश्रित भाषा को उस जमाने में सामान्य जनों के लिए दुरुह समझी गई, लेकिन बाद के हिंदी पत्रकारिता के विकास क्रम में यह जनसंचार की भाषा बनी, जो भाव के संप्रेषण में माकूल है। असल में बाद के दशकों में पश्चिमोत्तर प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश) में हिंदी-उर्दू विवाद आगे बढ़ा और हिंदी-मुस्लिम भद्रवर्ग के बीच भाषाई वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। इससे

स्वाभाविक हिंदी का विकास बाधित हुआ। आजादी के बाद भी सरकारी हिंदी को संस्कृतनिष्ठ और उर्दू-फारसी से परहेज के तहत तैयार किया गया। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने शिव प्रसाद की भाषा को भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा के बरक्स रखते हुए चिंतामणि (सं. नामवर सिंह– 1985:71) में लिखा, "राजा शिवप्रसाद मुसलमानी हिंदी का स्वप्न ही देखते रहे कि भारतेंदु ने स्वच्छ आर्य हिंदी की शुभ्र छटा दिखाकर लोगों को चमत्कृत कर दिया।" शिवप्रसाद सितारे हिंद की भाषा संस्कृत निष्ठ नहीं थी, और पंडिताऊपन से मुक्त थी। हालांकि वर्तनी की एकरूपता उसमें नहीं थी।

समाचार सुधावर्षण - समाचार सुधावर्षण वर्ष 1854 में कलकत्ते से ही श्यामसुंदर सेन के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसे हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। यह वर्ष 1868 तक निकला। समाचार सुधावर्षण की भाषा का स्वरूप समझने के लिए इस पत्र से कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं– "आजकल कलकत्ता महानगर में बाजार में सोना बड़ा सस्ता बिकने को आरंभ भया है। पहिले दर से देढ़ रुपया या दो रुपया तक दर कम भया है। 14 या 14। चौदा या साढ़े चौदा रुपये के भाव से आजकल बिकता है।"

"हम लोगों ने अपने प्रिय बन्धुओं के मुख से सुना है कि अयोध्या जी में बड़ा युद्ध उपजा है इस युद्ध का कारण यही है कि अयोध्यापुरी के श्री हनुमान गढ़ी के निकट एक शिवालय है उस पर से रेल रोड़ की सड़क सीधी जाती है इसलिए रेल रोड़ के साहबों ने हनुमानगढ़ी के महन्त जी से कहा कि इस महोदेव जी के उठाय के तुम लोग और जगह रखो।"

डॉक्टर रामचंद्र तिवारी (1999:25) ने लिखा है कि "दैनिक जीवन के अधिक निकट होने के कारण इसकी भाषा बोल-चाल के अत्यंत निकट है।" उन्होंने इसके नमूने के तौर पर समाचार सुधावर्षण में प्रकाशित इस अंश को उद्धृत किया है: "यह सत्य हम लोग अपनी आँखों से प्रत्यक्ष महाजनों की कोठियों में देखते हैं कि एक को लिखी हुई चिट्ठी दूसरा जल्दी बाँच सकता नहीं। चार-पाँच आदमी लोग इकट्ठा बैठ के ममा टका कक घघ डडा कहिके फेर मिट्टी का घड़ा बोल के निश्चय करते हैं। क्या दुख की बात है। कहिये तो अपने पास से द्रव्य खर्च करके विद्यादान देने की लत तो दूर रही अपने विद्या सीखना बड़ा जरूरत है। सब अक्षरों से देवनागर अक्षर सहज ओ सर्वदेश में प्रचलित है। इसको प्रथम सीखना है।" इसी तरह कृष्ण बिहारी मिश्र (2004:77) ने लिखा है, "जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, बांग्ला का प्रभाव होते हुए भी इस पत्र की

भाषा में एक विशेष प्रकार की सफाई है।" हिंदी पत्रकारिता के इस आरंभिक दौर के बाद हिंदी गद्य की भाषा का एक मुकम्मल स्वरूप दिखाई देने लगा। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक-पत्रकारों- बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन आदि की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

भारतेंदु मंडल की पत्रकारिता की भाषा– हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव काल के बाद का दौर भारतेंदु हरिश्चंद्र (1850-1885) और उनके मंडल के पत्रकार-लेखकों के नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि-लेखक-नाटककार के साथ-साथ उनके पत्रकार रूप का ऐतिहासिक महत्त्व है। उद्‌भव काल के पत्रकारिता की भाषा का स्वरूप अस्थिर और अपमार्जित था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा (1868), हरिश्चंद्र मैंगजीन (1873) और बाला बोधिनी (1874) जैसी पत्रिकाओं के संपादन द्वारा हिंदी पत्रकारिता की विषय-वस्तु और भाषा दोनों को संवृद्ध किया। साथ ही उनके समकालीन, सहयोगी साहित्यकारों मसलन, बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप (1877) और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण (1883) पत्र निकाल कर हिंदी भाषा को प्रवाहमयी बनाया।

कवि वचन सुधा– कवि वचन सुधा के प्रकाशन से हिंदी पत्रकारिता के दूसरे युग की शुरुआत मानी जाती है। भारतेंदु ने 23 मार्च, 1874 में कवि वचन सुधा में एक प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था, जिसे कवि वचन सुधा की भाषा के दृष्टांत के रूप में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इन पंक्तियों में भारतेंदु की राजनीतिक चेतना भी परिलक्षित होती है– "हम लोग सर्वान्तदासी सत्र स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी दे कर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहिनेंगे और जो कपड़ा पहलि से मोल चुके हैं और आज कीमिती तक हमारे पास है उन को उन के जीर्ण हो जाने तक काम में लावेंगे पर नवीन मोल ले कर किसी भाँति का विलायती कपड़ा न पहिरेंगे हिंदुस्तान का ही बना कपड़ा पहिरेंगे...।" रामचंद्र शुक्ल (संवत 2054– 246) ने हालांकि लिखा है "उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर ला खड़ा किया।" शुक्ल भाषा के स्वरूप को स्थिर करने का श्रेय भारतेंदु को देते हैं, पर जब हम उनकी लेखनी पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि संस्कृतनिष्ठता का

आग्रह है और उनकी भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव बना रहा। साथ ही पूरबी प्रयोग बहुत मिलता है।

खुद भारतेंदु ने 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में लिखा-'हिंदी नयी चाल में ढली।' हालांकि वीर भारत तलवार ने अपनी किताब रस्साकशी (2002-85-86) में गहन शोध के बाद लिखा है-"1873 से पहले और 1873 के बाद, भारतेंदु की भाषा में कोई बुनियादी फर्क नहीं मिलता। उनका झुकाव हमेशा से कुछ-कुछ पूरबी उच्चारण वाले जनपदीय प्रयोगों के साथ संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिखने की ओर रहा जिसमें अरबी-फारसी के शब्द कम से कम होते थे।" उदाहरण स्वरूप तलवार लार्ड मेयो की हत्या पर भारतेंदु ने कवि वचन सुधा (24 फरवरी, 1872) में जो संपादकीय लिखा था, उसके अंश को उद्धृत करते हैं-"आज दिन हम उस मरण का वृत्तांत लिखते हैं जिसकी भुजा की छाँह में सब प्रजा सुख से कालक्षेप करती थी।" तलवार रेखांकित करते हैं कि मृत्यु या मौत के लिए मरण, हाल के लिए वृत्तांत और कालक्षेप जैसे प्रयोग उनकी संस्कृतनिष्ठता, बनावटीपन को दिखाता है। यह सच है कि हर जगह भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा एक जैसी नहीं है, पर भारतेंदु मंडल के लेखकों मसलन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी 'प्रेमधन' आदि की पत्रकारिता में भाषा के प्रति दृष्टिकोण और रवैया भारतेंदु की तरह ही रहा। फिर भी सभी लेखक-पत्रकारों की अपनी निजी शैली भी रही जो उनके व्यक्तित्त्व, मनोभावों से प्रचालित होती थी। मिश्र की भाषा में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, मुहावरों और लोकोक्तियों का खूब प्रयोग मिलता है। इसी तरह बालकृष्ण भट्ट की भाषा में अंग्रेजी के शब्दों-सरकुलेशन, फिलासोफी, एज्यूकेशन, रिलीफ, हाई कोर्ट आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो हिंदी पत्रकारिता की भाषा को संवृद्ध कर रही थी, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ा रही थी। साथ ही उनमें दिखाकर की जगह दिखाय, खिलाकर के स्थान पर खिलाय जैसे क्षेत्रीय प्रयोग मिलते हैं।

इस बात से इंकार नहीं कि भारतेंदु युग में हिंदी पत्रकारिता की भाषा संवृद्ध हुई और हिंदी गद्य को एक नया तेवर मिला। रामचंद्र शुक्ल (संवत् 2054- 247) ने लिखा है "सारांश यह है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा।" फिर भी इस भाषा के परिमार्जन का काम बाकी था जिसे अगले दशकों में पत्रकारों-लेखकों ने पूरा किया।

हिंदी प्रदीप– हिंदी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर यह पंक्ति लिखी होती थी– विद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजसंबंधी इत्यादि के विषय में हर महीने की पहिली को छपता है। साथ ही मुख्य पृष्ठ पर यह उद्धृत रहता था–

शुभ सरस देश सेनह पूरित प्रगट ह्वै आनंद भरै।
बाचि दुसह दुरजन वायुसौं मणिदीप समथिर नहि टरै। ।
सूझै विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामैं जरै।
हिंदी प्रदीप प्रकाशि मूरखातादि भारत तम हरै। ।

हिंदी प्रदीप कक शुरुआती अंकों को पढ़ने पर उसकी भाषा पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। पत्रिका में भी संस्कृत के श्लोक भरे पड़े रहते थे। अंग्रेजी में भी कहावतें उद्धृत की जाती थी। हालांकि बाद के वर्षों (20वीं सदी में) भाषा में संस्कृत का प्रभाव कम होने लगा था, पर पूरबी बोलियों का प्रभाव इस भाषा पर है। उदाहरण के लिए हिंदी प्रदीप के एक अंक से 'अवसर आलोचना' शीर्षक के तहत यह उद्धरण नीचे दिया जा रहा है– हमें चाहिए साधारण लोगों से भी बातचीत करते समय बड़ी सावधानी रखें मुख से कोई बात न निकलने पावे जो दूसरों का जी दुखाने का बाइस हो देखने में आया है कि इस तरह की असावधानी से बहुधा कितने अनर्थ हो गये हैं और अब तक होते जाते हैं मनुष्य की जीवन के सदृश बहुमूल्य पदार्थ और क्या होगा उसमें इस असावधानता के कारण अक्सर बाधा पहुँची है..." गौरतलब है कि पूर्ण विराम का इस्तेमाल इस उद्धरण में कहीं नहीं हुआ है। साथ ही पावे, बाइस जैसे प्रयोग भी हैं। व्याकरण की त्रुटियों के बाबजूद इस उद्धरण की भाषा में हिंदी पत्रकारिता का एक व्यावहारिक रूप मिलता है, जो सरल और सहज है।

समाचार सुधावर्षण के बाद कालाकांकर का हिन्दोस्थान और कलकत्ता का भारत मित्र ने दैनिक समाचार पत्रों की परंपरा को कायम रखा। बीसवीं सदी में इसी क्रम में प्रताप (1913), आज (1920) सैनिक (1935) आदि प्रमुख अखबारों का उल्लेख होता है।

20वीं सदी में हिंदी पत्रकारिता की भाषा– 20वीं सदी देश की आजादी के लिए संघर्ष की गाथा है, जिसे हम हिंदी पत्रकारिता के द्विवेदी युग (1900–1920) और गांधी युग (1920–47) में विभक्त कर सकते हैं। भारतेंदु और उनके सहयोगी पत्रकार–साहित्यकार मित्रों ने हिंदी को भले ही साहित्यिक और व्यावहारिक भाषा बनाया पर अभी भी हिंदी को परिनिष्ठित गद्य की भाषा नहीं बनाया जा सका था, जिसे सरस्वती पत्रिका (1900) के संपादक

(1903-1920) के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पूरा किया। साथ ही द्विवेदी के समकालीन पत्रकार बालमुकुंद गुप्त ने भी भारत मित्र पत्रिका के माध्यम से हिंदी का प्रचार किया, उसके गद्य को संवारा था और हिंदी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। वे 1899 में इस पत्रिका के संपादक बने।

भारत मित्र एवं सरस्वती– 21 अक्टूबर, 1905 को भारत मित्र में बंगविच्छेद शीर्षक से प्रकाशित लेख का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है– "आपके शासन काल में बंगविच्छेद इस देश के लिए अन्तिम विषाद और आपके लिए अन्तिम हर्ष है। ...यह बंगविच्छेद बंग का विच्छेद नहीं। बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गये। ...बहुत काल के पश्चात भारत सन्तान को होश हुआ कि भारत की मट्टी वन्दना के योग्य है। इसी से वह एक स्वर से 'वन्देमातरम्' कह कर चिल्ला उठे।" छोटे-छोटे, सहज वाक्यों में भावों की अभिव्यक्ति, सूचना के प्रसार की यह शैली बात के दिनों में हिंदी के पत्रकारों ने अपनाया। पत्रकारिता की वाक्य रचना और पद विन्यास को द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से दुरुस्त किया।

इसी दौर में भाषा की परिनिष्ठता और शुद्ध रूप को लेकर साहित्यकारों और पत्रकारों के बीच विमर्श भी शुरू हो गया था। कृष्ण बिहारी मिश्र (2004-273) लिखते हैं-"अनिस्थिरता शब्द को लेकर द्विवेदी जी और गुप्त जी में जो वाद विवाद हुआ वह हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक वाद-विवाद है जिसकी शुरुआत द्विवेदी के 'भाषा और व्याकरण' शीर्षक के उस लेख से हुई, जो सरस्वती के 11 नवंबर, 1905 ई. के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में द्विवेदी जी ने भारतेंदु तथा भारतेंदु-मण्डल के अनेक लेखकों की भाषा की अशुद्धियाँ दिखायीं।" हिंदी पत्रकारिता में महावीर प्रसाद द्विवेदी को भाषा-परिष्कारक संपादक के रूप में जाना जाता है। हिंदी की अभिव्यंजना में इस दौर में काफी वृद्धि हुई। पत्र-पत्रिकाओं में साहित्य के अलावा नए विषयों-धर्म, संस्मरण, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मुद्दें आदि का समावेश हुआ। हालांकि इस दौर में भी हिंदी भाषा पर संस्कृत का काफी प्रभाव है। भाषा की संप्रेषणीयता को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार अंग्रेजी के शब्दों, जैसे, म्युनिसिपैलिटी, चेयरमैन, गवर्नमेंट, पोएट्री, सर्टिफिकेट आदि का इस्तेमाल किया जाने लगा था। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रसंगवश होने लगा था। लोक में प्रचलित विदेशी शब्दों जैसे, कद्र, खुशामद, बेखबर, कबूल, मौजूद का भी वाक्य में प्रयोग किया जाने लगा था।

गांधी युग की पत्रकारिता– 20वीं सदी के दूसरे दशक में गांधी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश एक युगांतकारी घटना थी, जिसका असर राजनीति, समाज, साहित्य, पत्रकारिता पर भी खूब पड़ा। साहित्य और राजनीतिक पत्रकारिता में विभेद शुरू हुआ। हिंदी पत्रकारिता की मूल प्रवृत्ति साहित्य से राजनीति की ओर अग्रसर हुई। पत्र-पत्रिकाओं में जोर विचार के बदले खबरों के प्रसार पर बढ़ा। गांधी खुद भी एक कुशल पत्रकार थे और हिन्दुस्तानी भाषा के पक्षधर थे जिससे अपनी बात को वे आम जनता तक पहुँचा सकें। गांधी के विचारों का असर हिंदी पत्रकारिता पर खूब पड़ा। उस दौर में गणेश शंकर विद्यार्थी, विष्णु पराड़कर जैसे पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज के प्रकाशन से पहले हिंदी पत्रकारिता में जोर साप्ताहिक पत्रों का ज्यादा था और उनका प्रसार भी कम था। आज के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता एक नए युग में प्रवेश करती है और सही मायनों में जन से जुड़ती है और इस क्रम में पत्रकारिता की भाषा में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है। दैनिक पत्रों की भाषा साप्ताहिक पत्रों से भिन्न होती है क्योंकि दैनिक पत्रों में भाषा का जो स्वरूप होता है उसका ध्येय कम समय में तेजी से खबरों को प्रकाशित-प्रसारित करना होता है। यहाँ साज-सज्जा पर कम ध्यान दिया जाता है।

आज– वर्ष 1920 में बनारस के शिवप्रसाद गुप्त के द्वारा आज अखबार का प्रकाशन शुरू किया गया जिसके संपादक विष्णु पराड़कर थे। उन्होंने पहले अंक में लिखा-"हमारा उद्देश्य अपने देश के लिए सब प्रकार से स्वातर्त्र्य उपार्जन है। हम हर बात में स्वतंत्र होना चाहते हैं।" आज के अतिरिक्त इसी वर्ष सात दैनिक और निकले जिसमें कलकत्ते से निकलने वाला स्वतंत्र और दिल्ली से स्वराज्य प्रमुख था। हिंदी अखबार अब विभिन्न केंद्रों से निकलने लगे थे। इन अखबारों ने और खास तौर पर आज ने हिंदी समाज और लोगों से जुड़ी खबरों-विश्लेषणों के द्वारा हिंदी की सार्वजनिक दुनिया (पब्लिक स्फीयर) का विस्तार किया। 1920-21 के दौरान आज के पहले पन्ने पर लगातार प्रकाशित होने वाले एक विज्ञापन की भाषा यहाँ प्रस्तुत है–

ज्ञान मंडल-ग्रंथमाला का चौथा ग्रंथ-इटली के विधायक महात्मागण।

"पराधीनता के पंक से इटली का उद्धार करने वाले जगद्विख्यात महापुरुषों का आदर्श चरित्र। यूरोप की राजनैतिक चालों का वर्णन। भारत की बहुत सी राजनीतिक उलझनें इस चरित्रों के अध्ययन से सुलझ सकती हैं।" साथ ही 'कांग्रेस का विशेष अधिवेशन-प्रथम दिन का वर्णन' शीर्षक के तहत यह रिपोर्ट

जो आज में प्रकाशित हुई थी द्रष्टव्य है– "इस बार कांग्रेस में स्त्रियाँ भी बहुत अधिक आयी थी। कुछ प्रतिनिधि और कुछ दर्शक थीं। भारत के समस्त प्रांतों से मुसलमान डेलिगेट भी अबकी बहुत आये थे। इनका भी जोश हिंदुओं से कम नहीं था।" स्पष्टत: रिपोर्ट सहज और छोटे-छोटे वाक्यों में लिखी गई है। इस दौर के अखबार में-भावपूर्ण एक वक्तृता दी थी, आत्मा आनंदि होती होगी, ज्ञानवृक्ष का सिंचन करना चाहिए, सुशासन का स्मारक आदि जैसे प्रयोग भी दिखाई देते हैं। आज अखबार की यह भाषा आगामी वर्षों में हिंदी पत्रकारिता में उत्तरोत्तर निखरती गई, जिसे हम आगे देखेंगे।

स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिंदी पत्रकारिता की भाषा– 15 अगस्त, 1947 को संपादक बाबू राव विष्णु पराड़कर ने आज में लिखा– "भारत आज नवयुग में प्रवेश कर रहा है। भारतमाता की पराधीनता की शृंखला टूट चुकी और आज प्रत्येक भारतवासी अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहा है। इस शुभ अवसर पर केवल हम भारतवासी ही प्रसन्न नहीं है, सारा विश्व प्रसन्न है।" नि:संदेह हिंदी गद्य की भाषा के प्रयोग में 1947 तक आते-आते काफी विश्वास आ गया था, जो पराड़कर जैसे पत्रकारों की भाषा में स्पष्ट झलकता है। आज अखबार में आर्थिक जगत की खबरों, अंतरराष्ट्रीय-राष्ट्रीय खबरों, साहित्य (कविता), विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर विश्लेषण-टिप्पणी आदि को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाने लगा। 22 सितंबर, 1947 और 24 सितंबर, 1947 को आज में पहले पन्ने पर प्रकाशित सुर्खियों के माध्यम से अखबार की भाषा को हम परखने की कोशिश करेंगे।

22 सितंबर, 1947

जिन्ना अल्पसंख्यकों की रक्षा में असमर्थ

20 हजार शरणार्थी प्रतिदिन हटेंगे

संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्त्व खतरे में-घोषणा में परिवर्तन की बात असामयिक

राज-द्रोही पाकिस्तान का मार्ग पकड़ें

24 सितंबर, 1947

भारत वर्ष की असफलता से पूरे एशिया का मरण

पश्चिमी संयुक्त प्रांत में भीषण आतंक

दंगों के लिए एकांगी प्रचार ही दायी

साम्राज्यवादियों को चुनौती

ऊपर दिए गए सुर्खियों की भाषा खबरों को प्रेषित करने में सक्षम है। फिर भी प्रतिदिन, मार्ग, असामयिक, मरण जैसे शब्दों का प्रयोग जारी था, जिसके बदले क्रमशः रोज, रास्ता नापें, मौजू नहीं, मौत ज्यादा सहज रहता। मरण, भीषण, एकांगी जैसे शब्द सुर्खियों के लिए सहज नहीं कहे जा सकते। इस तरह की भाषा पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव है। इसी प्रकार आज, 23 सितंबर, 1947 में प्रकाशित यह रिपोर्ट-दिल्ली में दंगा, राजधानी पर अधिकार की चेष्टा (विशेष संवाददाता द्वारा) दृष्टव्य है- दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह केवल सांप्रदायिक उपद्रव मात्र नहीं था। उसके पीछे अनेक राजनीतिक प्रेरणाएँ काम कर रही थी। हमारे विशेष प्रतिनिधि ने सारी स्थिति के इस विश्लेषण में ऐसे रहस्यों को उद्‌घाटित किया है, जो आश्चर्यजनक है।" यह लिखित भाषा सहज-साफ है पर औपचारिक है, जो जनसंचार के लिए सटीक नहीं की जा सकती। यह कृत्रिम हिंदी है, जिसका प्रयोग आकाशवाणी और दूरदर्शन में हो रहा था और हिंदी पत्रकारिता के संपादक भी कमोबेश इस मानसिकता से पीड़ित रहे। हिंदी को आजादी के बाद शासक वर्ग की राजभाषा बनाने का, जो उपक्रम शासन व्यवस्था के द्वारा चल रहा था उसमें हिंदी पत्रकारिता अपना सहयोग दे रही थी, जो अगले दशकों में भी जारी रहा।

हिंदुस्तान– भारत की आजादी के बाद नई दुनिया (इंदौर), नवभारत टाइम्स (दिल्ली), अमर उजाला (उत्तर प्रदेश), पंजाब केसरी (पंजाब), दैनिक भास्कर (मध्य प्रदेश) जैसे अखबार प्रकाशित हुए। इससे पहले उत्तर प्रदेश से दैनिक जागरण (1942) और राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से हिंदुस्तान (1936) अखबार का प्रकाशन हो रहा था जिनका आजादी के बाद और विस्तार हुआ। आजादी के बाद के दशकों में जब हम हिंदी अखबारों की भाषा पर ध्यान देते हैं तो लगता है कि हिंदी के अखबार एक खास मध्यम वर्ग को लक्षित हैं। भाषा में कोई खास प्रयोग पाठकों को लक्ष्य कर नहीं किए जा रहे हैं। इस दौर में भी संस्कृत धातु, प्रत्यय और उपसर्गों से हिंदी पत्रकारिता में भाषा को तैयार किया गया जिसका समाज के एक बड़े तबके से कोई लेना-देना नहीं रहा। हिंदी पत्रकारिता में अंग्रेजी के शब्दों का संस्कृतनिष्ठ अनुवाद कर ठूंसा गया। ऐसी आम-फहम, बोल-चाल, जनसंचार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था जो पाठकों को लुभाए। हिंदी के अखबारों की पाठक संख्या भी अंग्रेजी अखबारों के मुकाबले कम थीं। उदाहरण के लिए हम 27 अप्रैल, 1970 और 28 अप्रैल, 1970 को प्रकाशित हिंदुस्तान, दिल्ली अखबार की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं–

27 अप्रैल, 1970
भूटान हिमालय महासंघ बनाने के खिलाफ
विश्व बैंक भारत की कई परियोजनाओं के लिए मदद देने को तैयार
गोहत्या पर रोके के लिए देश में पुनः आंदोलन होगा
दिल्ली व पड़ोसी राज्यों में लू की लहर
रामचन्दर की तूफानी कुश्ती
28 अप्रैल, 1970
सरकार से अणु बम नीति बदलने की मांग
दल बदल पर प्रतिबंध लगाने की मांग
नक्सलपंथियों ने पुलिस पर बम फेंके
प्रबंध में कर्मचारियों की साझेदारी पर प्रस्ताव शीघ्र

साथ ही अखबार में मूंगफली गोला व अलसी के तेलों में तेजी:कागजी बदाम में गिरावट, कटान से चांदी डिलीवरी टूटी– स्टैंडर्ड सोना दृढ़, नई पूछताछ के अभाव में औद्योगिकी में और गिरावट जैसे शीर्षक आर्थिक समाचारों में दिखते हैं।

यहाँ पर 29 अप्रैल, 1970 को हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर चीन उपग्रह के दूरगामी परिणाम शीर्षक के तहत प्रकाशित इस खबर की भाषा के प्रसंग में यह उदाहरण दृष्टव्य है– क्या भारत भी अणु हथियारों के निमार्ण की होड़ में शामिल हो जाएगा? रूस तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच आणविक हथियारों पर रोक लगाने के लिए जो वार्ता चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चीन द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह छोड़े जाने पर उक्त दो सवाल उठ खड़े हुए हैं।" ऊपर के उदाहरणों में जहाँ सुर्खियों की भाषा स्पष्ट, अभिधापरक और संक्षिप्त है वहीं खबरों में निर्माण, वार्ता, उक्त जैसे प्रयोग आम बोलचाल की भाषा के निकट नहीं कहा जा सकता, जिस पर जोर हिंदी में बाद के दशक में राजेंद्र माथुर (नई दुनिया, नवभारत टाइम्स), प्रभाष जोशी (जनसत्ता) जैसे संपादकों ने दिया।

जनसत्ता– 19वीं सदी में जो पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुए मसलन, समाचार चंद्रिका (250 प्रतियाँ), समाचार दर्पण (298 प्रतियाँ), बंगदूत (70 से भी कम) उनकी पहुँच बेहद सीमित थी (आलोक मेहता:2008)। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों भी हिंदी पत्रकारिता का प्रसार एक खास तबके तक ही था। सही मायनों में हिंदी पत्रकारिता पहली बार आजादी के बाद प्रचार और

प्रसार में अखिल भारतीय हुई। 1979 में सभी भाषाओं (अंग्रेजी समेत) में प्रकाशित अखबारों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा प्रसार संख्या वाले अखबार हिंदी में छपने लगे जो आज तक कायम है। हिंदी अखबारों की प्रसार लाखों में पहुँच गई और पाठक करोड़ में। वर्तमान में दस सबसे ज्यादा देश में प्रसार संख्या वाले अखबारों में हिंदी के पाँच अखबार शामिल हैं। निःसंदेह इन अखबारों का प्रसार बढ़ाने में अखबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है।

आजादी के बाद हिदी क्षेत्र में हुए समाजिक-आर्थिक परिवर्तन, संचार तकनीक का विकास, ग्रामीण इलाकों, कस्बों से पलायन और शहरों में पुनर्वास आदि ने हिंदी भाषा के स्वरूप में आमूल-चूल बदलाव लेकर आया। आधुनिक हिंदी साहित्य इस बात की तस्दीक करता है। हालांकि हिंदी पत्रकारिता की भाषा में एक बड़ा बदलाव शुरुआती दशकों में नहीं बल्कि 80-90 के दशक में देखने को मिलता है जब राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार नई दुनिया- नवभारत टाइम्स और जनसत्ता जैसे अखबारों के संपादक बने। इससे पहले रविवार और धर्मयुग जैसी चर्चित पत्रिकाएँ सुरेंद्र प्रताप सिंह और धर्मवीर भारती जैसे कुशल संपादक के नेतृत्व में भाषा को एक तेवर देने में लगे थे, हालांकि ये साप्ताहिक प्रकाशित होते थे। हिंदी अखबारों के मालिक-संपादकों में पहली बार एक बड़े पाठक वर्ग के पास अखबार पहुँचाने की ललक बढ़ी, फलतः सामान्य बोल-चाल की भाषा में खबरें, विश्लेषण, फीचर आदि लिखे जाने लगे। यहाँ जनसत्ता अखबार की भाषा के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता की भाषा में आए बदलाव को हम देखेंगे।

प्रभाष जोशी ने नवंबर 1983 में जब अपने संपादन में जनसत्ता का प्रकाशन शुरू किया तब पहली बार हिंदी पत्रकारिता की भाषा पाठकों, लोक के करीब हुई। जनसत्ता की भाषा नीति का खुलासा उनके लेख 'सावधान, पुलिया संकीर्ण है' में मिलता है, जहाँ वे हिंदी को लोक भाषाओं से जुड़ने, आम बोल-चाल की भाषा के पत्रकारिता में इस्तेमाल की वकालत करते हैं। उदाहरण के लिए हम 9 फरवरी, 1993 को जनसत्ता में प्रकाशित सुर्खियों पर नजर डालते हैं-

साथी रिहा न किए तो अगवा लोगों की हत्या
नाखुश इंकाइयों को राज्यपाल बनाने की तैयारी
वीपी और मुलायम एक मंच पर आने को तैयार
मेवात में हालात काबू में
अमेरिका इसरो वो ग्लावकासमोस पर स्थायी रोक लगाएगा

भाजपा को अछूत करार देने से ही ये हालात बने– वाजपेयी

प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर ऐसे पत्रकार-संपादक थे, जो साहित्यकार नहीं थे, हालांकि भारतीय साहित्य और संस्कृति की खूब समझ उन्हें थी, जो उनकी पत्रकारिता में झलकती है। जनसत्ता की भाषा अनौपचारिक और लोगों के करीब हुई। इन पंक्तियों के लेखक से प्रभाष जोशी ने 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था (अरविंद दास– 2013– 59)– "हमारी इंटरवेंशन से हिंदी अखबारों की भाषा औनपचारिक, सीधी, लोगों के सरोकार और भावनाओं को ढूंढ़ने वाली भाषा बनी। हमने इसके लिए बोलियों, लोक साहित्य का इस्तेमाल किया।" जनसत्ता अखबार पर एक नजर डालने पर डेरा डाले हुए हैं, फौरी समस्या, फालोआन के बाद, ग्राहकों से लूट-खसोट, गुटबाजी, सट्टेबाजी, सटोरिया, इंकाई, अपीलीय पंचाट, एटमी संधि, नतीजन, आलाकमान जैसे प्रयोग दिखाई देते हैं।

साथ ही, लालू ने मुसलमानों से कहा-वे आगे न आएँ, हम ही काफी है, जमना पार की बिसात पर दोनों 'वजीर आमने सामने, स्लम के अँधेरे में रोशनी की तलाश, हौसले बुलंद हों तो मंजिल दूर नहीं, गरमा गए हैं शेयर बाजार, स्कूल से टपके, ट्यूशन में अटके, आह आस्कर, वाह आस्कर, आस्था के फूल और उन्माद की आग, जैसी सुर्खियाँ लिखी जाने लगी जो आकर्षक और काव्यात्मक हैं। ऐसा नहीं कि इन सुर्खियों और खबरों में देशज शब्दों पर जोर है और विदेशी शब्दों से परहेज। अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो सहज हैं और पंक्तियों के अर्थ ग्रहण में बाधा नहीं जैसे, स्टीरियो, माफिया, सेल, रेड अलर्ट, केस, ट्यूशन आदि भी मिलते हैं। खुद प्रभाष जोशी के कॉलम-कागद कारे में हिंदी भाषा में देशज मुहावरे, लोकोक्तियाँ का खूब प्रयोग है। उदाहरण के लिए 'म्हारो हेलो सुणोजी रामापीर (21 फरवरी, 1993),', अपने आँगन में फूला टेसू (28 फरवरी, 1993), हेव फन लेडीज! थैंक्यू!! (14 फरवरी, 1993) आदि देखे जा सकते हैं। यहाँ प्रभाष जोशी के प्रवाहमयी गद्य का एक उदाहरण प्रस्तुत है, जेआरडी की आँखों में (कागद कारे, 7 फरवरी, 1993)– "फिर लंबी सांस खींच कर जेआरडी ने कहा-भविष्य के सपने के लिए दूरदृष्टि वाली आंखों की जरूरत होती है जॉर्ज! जमशेद जी टाटा में ऐसी दृष्टि थी। पिछली सदी में कोई सौ साल पहले जब अंग्रेजों से आजादी का संग्राम चल ही रहा था और कोई नहीं जानता था कि हम कब आजाद होंगे तब जमशेद जी को लगा कि भारत आजाद होगा तो उसे वैज्ञानिक शिक्षा, बिजली और इस्पात की जरूरत होगी।" प्रभाष जोशी

ने हिंदी पत्रकारिता में खेल पत्रकारिता पर विशेष जोर दिया था और खेल पत्रकारिता को एक नई भाषा दी जो उनके लेखों में भी दिखता है। हालांकि अभय कुमार दुबे (2002: 56-70) ने अपने एक लेख-'हिंदी में कवर ड्राइव' में दिखाया है कि किस तरह प्रभाष जोशी की भाषा 90 के दशक में कई बार क्रिकेट के ऊपर, खास कर भारत-पाकिस्तान के बीच मैच के बारे में, लिखते हुए उग्र, आक्रामक और क्रिकेटीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति करती नजर आती है। साथ ही जनसत्ता के रविवारी पेज पर साहित्य, फिल्म, संस्कृति, कला पर विशेष जोर प्रभाष जोशी देते थे और उसकी भाषा अलहदा होती थी, जो साहित्यकारों को भी भाषा का संस्कार देती रही। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जनसत्ता के आने से हिंदी पत्रकारिता की भाषा नयी चाल में ढलने लगी जिसका अनुसरण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अखबारों ने भी किया।

नवभारत टाइम्स– ऐसी ही भाषा 80 और 90 के दशक में नवभारत टाइम्स की भी होती थी जिसे बनाने में राजेंद्र माथुर के साथ-साथ सुरेंद्र प्रताप सिंह, विष्णु खरे, विष्णु नागर जैसे पत्रकारों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। मसलन, वर्ष, 1986 में नवभारत भारत टाइम्स, दिल्ली की इन सुर्खियों पर नजर डालने पर भाषा के रूप के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है- सरकार झुकी, बढ़ी कीमतों में कुछ कमी, स्वीडन के प्रधानमंत्री की हत्या, अमरीका और लीबिया में जबर्दस्त टकराव, शर्म भी है और जरूरत भी, बजट पर फूल और पत्थर भी आदि।

इन सुर्खियों की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। नवभारत टाइम्स की खबरों के लेखन में तत्सम के उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल है, जो भाव संप्रेषण में बाधा नहीं बनती। जैसे, रोष, गृह, हस्तक्षेप, विपक्ष आदि। 16 फरवरी, 1986, नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट आर्थिक समाचार की भाषा का एक उदाहरण है– "नई सरकार की नई आर्थिक नीतियाँ उदार ज्यादा और उत्पादक कम दीखने लगी हैं। आयात बढ़ रहा है, किंतु निर्यात घट गया है। उद्योगों को करों में बहुत राहत मिली है। किंतु पूँजी निवेश के विस्तार की गति धीमी है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर लगभग छह प्रतिशत अनुमानित है। कोयला और पन बिजली का उत्पादन घट गया है।" हिंदी पत्रकारिता इस दौर में आर्थिक समाचार के लिए एक अलग भाषा विकसित कर रही थी, जो अंग्रेजी से अनुवाद किए जाने के बाद भी बोझिल नहीं है। नभाटा और जनसत्ता में बिकवाल (बिकवाली), लिवाल जैसे शब्द बेचने और खरीदने वालों के लिए प्रयोग होने लगे थे। गेंहूं व

चने में तेजी, चांदी तेजाबी में तेजी: सोना खामोश, जैसे शीर्षक दिखाई पड़ते थे, लेकिन बाद के दशक में भूमंडलीकरण के बाद इस भाषा को आगे नहीं ले जाया जा सका और उसमें अंग्रेजी के शब्दों का जबरन प्रयोग किया जाने लगा जिसे हम आगे देखेंगे।

भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी पत्रकारिता की भाषा– भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई और जिसके सहारे भूमंडलीकरण का रथ भारत में उतरा। निजीकरण–उदारीकरण–भूमंडलीकरण की प्रक्रिया अपने साथ समाज में नई तकनीकी लेकर आई। नई तकनीकी का लाभ हिंदी पत्रकारिता को भी खूब मिला जिसके सहारे हिंदी अखबारों के एक साथ कई संस्करण प्रकाशित होने लगे। भारत में संचार क्रांति का रास्ता खुला। महानगरों के अलावा छोटे शहरों, कस्बों से भी हिंदी के अखबार प्रकाशित होने लगे। दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भाष्कर, अमर उजाला हिंदी के सबसे ज्यादा पढ़े और वितरित किए जाने वाले अखबार में शुमार होने लगे। इन सबने हिंदी की सार्वजनिक दुनिया को पुनर्परिभाषित किया। अखबारों के स्थानीय संस्करणों में क्षेत्र विशेष की बोलियों का खूब प्रयोग होने लगा।

प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर और सुरेंद्र प्रताप सिंह जैसे पत्रकारों ने 80 के दशक में ऐसी भाषा का प्रयोग शुरू किया जिसकी पहुँच हिंदी के बहुसंख्य पाठकों तक थी। इन पत्रकारों ने बोलियों और लोक से जुड़ी हुई भाषा का इस्तेमाल किया जिससे अखबार की भाषा लोगों के सरोकारों से जुड़ी, पर बाद के दशक में हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल बढ़ने लगा और एक नए उभर रहे मध्यम वर्ग को लक्ष्य करती हुई भाषा अपनाई जाने लगी। हिंदी पत्रकारिता में इसका अगुआ नवभारत टाइम्स रहा। नवभारत टाइम्स के सहायक संपादक बालमुकुंद ने 2006 के अपने एक लेख- 'यही लैंग्वेज है नए भारत की' में लिखा- "किसी भाषा को बनाने का काम पूरा समाज करता है और उसकी शक्ल बदलने में कई-कई पीढ़ियाँ लग जाती। लेकिन इस बात का श्रेय नवभारत टाइम्स को जरूर मिलना चाहिए कि उसने उस बदलाव को सबसे पहले देखा और पहचाना, जो पाठकों की दुनिया में आ रहा है। दूसरे अखबारों को उस बदलाव की वजह से नवभारत टाइम्स के रास्ते पर चलना पड़ा, यह उनके लिए चॉइस की बात नहीं थी।" यह सही है कि भाषा बनाने का काम पूरा समाज करता है पर नवभारत टाइम्स जिस ने भाषा को अपनाया वह पूरे समाज और जनसंचार में समक्ष भाषा नहीं कही जा सकती। यह बाजार के द्वारा थोपी गई

विज्ञापन की भाषा है, जैसे-ठंडा मतलब कोका कोला, यही है राइट च्वाइस बेबी, आदि। पर खबरों के प्रसार-प्रसार के लिए माकूल नहीं है। उदाहरण के लिए 27 फरवरी, 2005 और 28 फरवरी, 2005 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इन सुर्खियों पर गौर करते हैं–

27 फरवरी, 2005, नवभारत टाइम्स
गड्डी जांदी ए छलांगा मार दी, कदी डिग ना जाए
मैं एक्टिंग का शाह, तू अभिनय की रानी
कैसा होता है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन!
लालू की रेल ने तोड़ा सेफ्टी का रेड सिग्नल
28 फरवरी, 2005, नवभारत टाइम्स
समोसे में कम पड़ा आलू, खिचड़ी पकनी चालू
वन टू का फोर, फोर टू का वन
गुरु गुड़ रह गया, मुंडा चीनी हो गया
हरियाणा में चोटाला को चोट, कांग्रेस को वोट
एनडीए व यूपीए दो-दो हाथ को तैयार
...और अब किस्सा कुर्सी का

जहाँ पहले सुर्खियों की भाषा से खबरों का पता अच्छी तरह चल जाता है वहीं वर्तमान में इस तरही की शीर्षकों से खबरों की प्रकृति का पता लगाना मुश्किल है। नि:संदेह यह भाषा अनौपचारिक है पर वन टू का फोर, फोर टू का वन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, सेफ्टी का रेड सिग्नल जैसी पंक्तियाँ कोड मिक्सिंग, जहाँ दो या दो से अधिक भाषा को मिला कर वाक्य बनाया जाता है, का अच्छा उदाहरण नहीं कहा जा सकता।

यह भाषा चौंकाने वाली है जैसे खबरिया चैनलों की भाषा होती है। यह भाषा चुटीली और लक्षणा-व्यंजना प्रधान है जबकी पहले अभिधापरक और वस्तुनिष्ठ भाषा पर ज्यादा जोर होता था। ऐसी भाषा राजनीतिक, आर्थिक और खेलपरक खबरों सब में प्रयुक्त होने लगी है। उदाहरण के लिए यहाँ 3 फरवरी, 2005 के नवभारत टाइम्स में 'स्माइल प्लीज! 36 आईपीओ आपके इंतजार में' शीर्षक के तहत प्रकाशित यह रिपोर्ट प्रस्तुत है– इस दरियादिली को नोट किया जाए। जिस शेयर बाजार ने यूपीए ने गद्दी संभालते ही 800 अंक की डुबकी लगाकर नई सरकार को झटका दिया था, उसी शेयर बाजार के वारे-न्यारे के लिए सरकार अपने खजाने का मुँह खोलने की तैयारी कर रही है।" दरियादिली,

वारे-न्यारे, डुबकी लगाकर, मुँह खोलने की तैयारी जैसे प्रयोग इस ओर इंगित करते हैं। सुर्खियों में कैश लिमिट, मर्डर, डील, बॉयकाट, नोटिस जैसे अंग्रेजी के शब्द (9 फरवरी, 2017, नवभारत टाइम्स) धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी में इसके लिए शब्दों का अभाव हो! इतना ही नहीं नवभारत टाइम्स के संपादकीय (9 फरवरी, 2017) में भी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, कॉरपोरेट जैसे कठिन शब्द अँटे परे हैं जिसे समझने में हिंदी के पाठकों को शब्दकोषों का सहारा लेना पड़ता है।

हिंदी के क्षेत्रीय अखबारों पर वहाँ की बोलियों का असर है। उदाहरण के लिए, अमर उजाला पर ब्रज का, राजस्थान पत्रिका पर मारवाड़ी/मेवाती का, नई दुनिया पर मालवी का प्रभाव मिलता है पर इन अखबारों में भी अंग्रेजी के शब्दों को अपनाने की होड़ लगी है। अंग्रेजी मिश्रित हिंदी भाषा एक-दो अखबार (जैसे जनसत्ता) को छोड़कर सभी अखबारों के लिए मान्य हो गए हैं। यहाँ दैनिक भास्कर, राजस्थान (नागौर) के पहले पन्ने पर 19 फरवरी, 2017 को '5290 फर्जी कंपनियाँ बनाई, शेयर के दाम बढ़वाए और किया। 3800 करोड़ का कालाधन सफेद' शीर्षक के तहत प्रकाशित इस खबर को हम देखते हैं– "जोधपुर में ब्यूटी पार्लर की छोटी-सी दुकान पर इनकम टैक्स की डीजी इन्वेस्टिगेशन टीम के छापे ने पूरे देश को चौंका दिया। यह दुकानदार भी कोलकाता में चल रहे पैनी स्टॉक्स व बोगस शेयर ट्रेडिंग के सिंडीकेट की कड़ियों में से एक था। जिसके पैन नंबर पर एक कागजी कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो थे। लेकिन इस कंपनी का कारोबार कुछ नहीं था।" इस तरह का वाक्य विन्यास, शब्दों के प्रयोग ऑन लाइन वेबसाइटों पर लिखी जाने वाली खबरों से प्रभावित है। निःसंदेह अंग्रेजी के बेधड़क इस्तेमाल की पहल जनसंचार के लिए सक्षम भाषा नहीं कही जा सकती। महानगरों से निकलने वाले अखबारों की भाषा एक विशेष दायरे में स्थित पाठकों के लिए होती है जहाँ बोल-चाल में लोग 'कोड मिक्सिंग/कोड स्वीचिंग' का सहारा अक्सर लेते हैं, पर नागौर, गोरखपुर या इंदौर से अखबारों के संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं उनमें इस तरह की भाषा जबरन ठूंसी हुई लगती है, जो जनसंचार के उद्देश्य के करीब कहीं से नहीं है। इससे सूचना का प्रचार-प्रसार बाधित होता है। यह भाषा एक खास शहरी नव-धनाढ्य वर्ग की भाषा है जिसकी आय में भूमंडलीकरण के बाद खूब बढ़ोतरी हुई है और जो इस तरह की भाषा में खुद को अभिव्यक्त करता है। इस भाषा का हिंदी समाज के बहुसंख्यक किसान,

मजदूर, स्त्री, दलित और आदिवासी से कोई लेना-देना नहीं है। यह भाषा हिंदी की पहचान पर भी प्रश्न चिह्न बन कर खड़ी है।

पाठ सार– इस इकाई में हिंदी पत्रकारिता की भाषा के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के दूसरे दशके में ही हो गई थी, पर सही मायनों में 20वीं सदी के दूसरे दशक से हिंदी पत्रकारिता अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ी हो गई। इन वर्षों में हिंदी भाषा के कई रूपों के दर्शन होते हैं, जो हिंदी की अभिव्यंजना में सहायक सिद्ध हुए।

हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव काल में हिंदी पर संस्कृत और ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव रहा। देश में आपातकाल (1975-77) के बाद पहली बार 1979 में सबसे ज्यादा प्रसार संख्या को पाने में हिंदी के अखबार सफल हुए। नई तकनीक का लाभ उठाते हुए हिंदी अखबार महानगरों से इतर छोटे शहरों-कस्बों से भी प्रकाशित होने लगे। इसी क्रम में जहाँ 80-90 के दशक में हिंदी को बोलियों और लोक के करीब ले जाने की कोशिश हुई, वहीं भूमंडलीकरण के बाद इंटरनेट, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से जो एक नई हिंदी-हिंग्लिश, गढ़ी जा रही है, जिसका असर हिंदी पत्रकारिता की भाषा पर भी दिखता है। इस भाषा में बोल-चाल तो संभव है पर गंभीर विमर्श मुश्किल है।

जनसंचार में वही भाषा सक्षम है, जो जनसामान्य के बोल-चाल की भाषा के करीब हो। पर समकालीन हिंदी पत्रकारिता की भाषा संस्कृत के जाल से निकल कर अंग्रेजी के भँवर में फंसी हुई दिख रही है। यह एक खिचड़ी भाषा है जिसमें हिंदी की पहचान खो रही है।

❐❐❐